विषय-सूची

दसम माला, खण्ड 7, दूसरा सत्र, 1991/1913 (शक)

अंक 19, मंगलवार, 17 दिसम्बर, 1991/26 अग्रहायण, 1913 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या : 365 से 369	1—22
प्रश्नों के लिखित उत्तर	22—257
तारांकित प्रश्न संख्या : 370 से 385	22—42
अतारांकित प्रश्न संख्या : 4059 से 4064, 4066 से 4079, 4081 से 4271, 4273 से 4291 और 4291-क	42—257
सभा पटल पर रखे गए पत्र	258—266
प्राक्कलन समिति	266—267
की गई कार्यवाही का विवरण—सभा पटल पर रखा गया	
लोक लेखा समिति	267
चौथा और पांचवां प्रतिवेदन—प्रस्तुत	
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति	
पहला प्रतिवेदन—प्रस्तुत	268
कार्य मंत्रणा समिति	
दसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत	268
नियम 377 के अधीन मामले	268—272
(एक) तमिलनाडु को चावल, दालें आदि पर्याप्त मात्रा में जारी करने की आवश्यकता	
श्री आर० जीवरत्नम	269

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

(दो) जबलपुर-चांदपुर मीटर गेज रेल लाइन को बड़ी लाइन में शीघ्र बदलने की आवश्यकता

श्री विश्वेश्वर भगत 269

(तीन) आंध्र प्रदेश में राजमपेट में नई खाद्य/फल केनिंग इकाई स्थापित करने या वहां स्थित मौजूदा इकाई की क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता

श्री ए० प्रताप साय 269

(चार) तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले में मोराप्पुर में कोवाई एक्सप्रेस का हाल्ट बनाने की आवश्यकता

श्री के० वी० तंग्काबालू 270

(पांच) अहमदाबाद, गुजरात में एक नया रेलवे डिवीजन खोलने की आवश्यकता

श्री हरिन पाठक 270

(छः) मध्य रेलवे के झांसी और ललितपुर रेलवे स्टेशनों पर अधिक सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री 271

(सात) बिहार में छोटा नागपुर-संथाल परगना की अपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता 271

सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक 272—292

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री रामेश्वर ठाकुर 272

श्री गिरधारी लाल भार्गव 274

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही 275

श्री सैयद शहाबुद्दीन 276

प्रो० प्रेम धूमल 278

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री 279

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय 279

श्री राजगोपाल नायडू रामासामी 280

श्री ताराचन्द खण्डेलवाल 281

प्रो० सुशान्त चक्रवर्ती	282
श्रीमती गीता मुखर्जी	284
खण्डवार विचार	
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री रामेश्वर ठाकुर	284
श्री निर्मल कान्ति चटर्जी	292
एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (संशोधन) अध्यादेश, 1991 का निरनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प	
और	
एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (संशोधन) विधेयक	292—301
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री चित्त बसु	292 और 294
श्री के० विजय भास्कर रेड्डी	292
श्री मुरली देवरा	297
मन्त्री द्वारा वक्तव्य	301—311
(एक) 11 दिसम्बर, 1991 को एक पत्रकार और एक पुलिस अधिकारी के बीच कथित हाथापाई और 15 दिसम्बर, 1991 को नई दिल्ली में कुछ तिब्बती लड़कियों की गिरफ्तारी	
श्री एस० बी० चव्हाण	301
(दो) चण्डीगढ़ में श्री इन्द्रजीत गुप्त, संसद सदस्य और अन्य लोगों की गिरफ्तारी	
श्री एस० बी० चव्हाण	303
नियम 193 के अधीन चर्चा	311—348
पिछले कुछ महीनों में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में भारी वृद्धि, घाटे की वित्त व्यवस्था, विदेशी मुद्रा संकट और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों के संदर्भ में देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति	
डा० देबी प्रसाद पाल	312
श्री भगवान शंकर रावत	317
श्री जार्ज फर्नान्डीज	320
श्री अमल दत्त	328

लोक सभा

मंगलवार, 17 दिसम्बर, 1991/26 अग्रहायण, 1913 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

प्रदूषण नियन्त्रण की योजनाएं

*365. श्री राजवीर सिंह : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में जल, वायु और ध्वनि प्रदूषण में हो रही वृद्धि को रोकने के लिए सरकार द्वारा बनाई गई अलग-अलग योजनाओं का ब्योरा क्या है ?

पर्यावरण और वन राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है ।

विवरण

देश में जल, वायु और ध्वनि प्रदूषण की दर में वृद्धि को रोकने के लिए सरकार द्वारा तैयार की ग: स्कीमों के ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

(1) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत बहिस्राव और उत्सर्जन मानक निर्धारित किए गए हैं ।

(2) उद्योगों के स्थान निर्धारण और प्रचालन के लिए पर्यावरणीय दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं ।

(3) उद्योगों को बहिस्रावों के विसर्जनों और उत्सर्जनों को निर्धारित सीमाओं के अन्दर रखने के लिए राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्डों की सहमति अपेक्षाओं का पालन करने के लिए कहा गया है ।

(4) राज्य सरकारों के परामर्श से केन्द्र सरकार ने प्रदूषक उद्योगों द्वारा बहिस्राव और उत्सर्जन मानकों को पूरा करने के लिए कार्य योजना तैयार की है ।

(5) प्रदूषण नियन्त्रण उपकरण लगाने तथा प्रदूषक उद्योगों को भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों से हटाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं।

(6) परिवेशी वायु गुणवत्ता और परिवेशी जल गुणवत्ता निगरानी केन्द्रों के नेटवर्क स्थापित किए गए हैं।

(7) साझे बहिस्राव शोधन संयंत्रों की स्थापना के लिए लघु औद्योगिक इकाइयों के समूह को सहायता देने की एक स्कीम शुरू की गई है।

(8) राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्डों तथा राज्यों के पर्यावरण विभागों को अधिक सक्षम बनाने के लिए केन्द्र-राज्य समन्वित कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा एक स्कीम कार्यान्वित की जा रही है।

(9) प्रदूषण की मात्रा का मूल्यांकन करने तथा उसके निकास हेतु आवश्यक उपाय करने के लिए तटीय राज्यों की राज्य सरकारों के साथ केन्द्र सरकार द्वारा तटीय निगरानी कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

(10) जल तथा वायु प्रदूषण फैलाने वाले कुछ उद्योगों के विरुद्ध मुकदमें चलाए गए हैं।

(11) प्रदूषित उद्योगों में प्रदूषण शोधन प्रणालियां लगाने और उनमें सुधार करने के लिए ऋण सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं।

(12) गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत गंगा की जल गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए एक विशेष परियोजना शुरू की गई थी। इस परियोजना के अन्तर्गत मल-व्यवस्था तथा मल-जल प्रणालियों के निर्माण/उनमें सुधार करने तथा मल-जल के शोधन के लिए स्कीमें शुरू की गई हैं।

(13) मार्ग पर चलने वाले वाहनों से निकलने वाले धुएं के लिए मानक निर्धारित किए गए हैं।

(14) वाहनों से होने वाले प्रदूषण सहित सामान्य रूप से होने वाले प्रदूषण के बारे में जन-जागरूकता अभियान चलाए गए हैं।

(15) पेट्रोलियम उद्योग से 1993 तक पेट्रोल में सीसे की मात्रा को कम करके 0.15 ग्राम प्रति लिटर तक करने के लिए कहा गया है।

(16) मोटर वाहन नियमावली के अन्तर्गत 27 सितम्बर, 1989 को वाहनों के लिए प्रदूषकों के द्रव उत्सर्जन मानक निर्धारित किए गए हैं। पेट्रोल से चलने वाले वाहन इन मानकों का अप्रैल, 1991 से पालन कर रहे हैं जबकि डीजल से चलने वाले वाहनों पर ये मानक अप्रैल, 1992 से लागू होंगे।

(17) वाहन निर्माताओं से इस आशय का प्रमाण-पत्र देने के लिए कहा गया है कि उनके वाहनों से निकलने वाला धुआं निर्धारित मानकों के भीतर है।

(18 वाहनों के लिए लम्बी अवधि के द्रव उत्सर्जन मानक निर्धारित करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं ।

(19) ताजमहल तथा भरतपुर के चारों ओर एक समलम्ब (ट्रेपेजियम) बनाया गया है और इस क्षेत्र में कोई भी नया उद्योग स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जाती । इस तरह के अन्य क्षेत्रों में भी ऐसे ही दोष-निवारक उपाय किए गए हैं ।

(20) संशोधित वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1987 तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 में ध्वनि प्रदूषण को शामिल किया गया है । वायु अधिनियम तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों के लिए ध्वनि के सम्बन्ध में परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक अधिसूचित किए गए हैं । वाहनों, घरेलू उपकरणों तथा निर्माण के चरण में अपनाए जाने वाले उपकरणों के लिए भी ध्वनि मानक निर्धारित किए गए हैं ।

(21) केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा उद्योगों तथा वाहनों को छोड़कर अन्य स्रोतों से होने वाले ध्वनि के नियन्त्रण के लिए व्यवहार संहिता बनाई गई है ।

(22) दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा शांत क्षेत्रों, अस्पतालों तथा स्कूलों के बाहर हॉर्न बजाने पर प्रतिबन्ध लगाए गए हैं । जिन क्षेत्रों को वाहनों/पब्लिक के लिए शान्त क्षेत्र घोषित किया गया है वहां पर इसके लिए संकेत लगाए गए हैं तथा यदि इन बोर्डों को किसी प्रकार की क्षति हो जाए तो उनकी मरम्मत की जाती है ।

श्री राजवीर सिंह : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से यह कहना चाहता हूं कि मैंने जल, वायु और ध्वनि के पर्यावरण के बारे में प्रश्न पूछा था । लेकिन, बहुत लम्बा-चौड़ा जवाब मेरे पास आ गया है । मन्त्री जी ने कहा है कि जल के प्रदूषण को दूर करने के लिए गंगा की कार्य योजना शुरू हुई है । गंगा, हिन्दुस्तान के लोगों के लिए जीवनदायनी है और उसका प्रदूषण दूर करने के लिए इन्होंने कुछ योजना बनाई है । लेकिन, गंगा में बहुत-सी नदियां मिलती हैं जैसे— यमुना और रामगंगा । ये थोड़ी दूर जाकर के उसमें जल-मल उसमें मिला देती हैं । रामगंगा के किनारे जितने शहर बसे हुए हैं तो उनकी गन्दगी उसमें जाती है और यमुना की सारी गन्दगी उसमें जाती है ।

अध्यक्ष महोदय : आपको प्रश्न पूछना है ।

श्री राजवीर सिंह : गंगा की सहायक नदियां उसमें जाकर मिलती हैं तो गंगा के पानी के शुद्धीकरण के लिए, मिलने वाली नदियों का प्रदूषण समाप्त करने के लिए क्या योजना बनाई है ।

श्री कमल नाथ : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने कहा है कि मैंने बहुत लम्बा-चौड़ा जवाब दिया है । मैंने सोचा कि मेरे जवाब की प्रशंसा होगी । जहां तक सहायक नदियों का प्रश्न हैं तो वहां एक नेशनल रीवर एक्शन प्लान बनाया जा रहा हैं और गंगा एक्शन प्लान फेज-2 में जो गंगा की ट्रिब्युटरीज हैं उनको सम्मिलित किया जा रहा है । ये आठवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित की जाएंगी । गंगा एक्शन प्लान फेज-2 में कुछ नदियां हैं और जो बाकी नदियां हैं जोकि गंगा फेज-2 में नहीं आ रही है उसको नेशनल रीवर एक्शन प्लान बनाया जा रहा है । इसकी स्टडी की गई है । ऐसे कदम उठाए गए हैं जो सबसे ज्यादा प्रदूषित हैं तो उनको प्राथमिकता दी जाएगी ।

श्री राजवीर सिंह : अध्यक्ष जी, गंगा की इन नदियों का प्रदूषण दूर करने के लिए मन्त्री जी ने बताया है। बड़े-बड़े कारखाने गंगा के किनारे बसे हुए हैं, जिनका पानी आज भी गंगा में जा रहा है। जैसे—कानपुर से चमड़े का पानी गंगा में जाता है। ऐसे ही कल-कारखाने दूसरे शहरों में हैं। क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस गन्दे पानी को गंगा में जाने से रोकने के लिए आपने क्या कार्यवाही की है और कारखानेदारों को अभी तक क्यों नहीं रोका गया है और टैनरी का पानी गंगा में जाने से रोकने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है।

श्री कमल नाथ : माननीय सदस्य ने कानपुर की बात की है, यह बात सही है। गंगा एक्शन प्लान फेज-1 में जहां कुछ असफलता हमने प्राप्त की है, वह कानपुर इलाके में ही है।

क्योंकि वहां नदी का फ्लो बहुत धीमा हो जाता है। इसलिए वहां जो उपाय सोचे गए थे, जो लागू किए गए थे, वह सफल नहीं हो पाए। जहां तक कारखाने का प्रश्न है, इंवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट और वाटर पोलुशन एक्ट के अनुसार कार्यवाही की थी। वह कुछ रुक रही है, कुछ शुरू की जा रही है। 31 दिसम्बर तक का इन्हें समय दिया गया था और अब यह देखा जा रहा है कि उन्होंने जो वास्तव में स्टेप लिए हैं क्या वे बोनाफाइड हैं या नहीं हैं।

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : जिन कारखानों का गन्दा पानी नदियों में जाता है क्या उसको रोकने के लिए आपने कोई ऐसा सिद्धान्त अपनाया है जिससे इन कारखानों को वार्निंग या सूचना दी जा सके जिससे कारखाने वाले गन्दा पानी न डालें ? इसके साथ ही मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि क्या आपने यह गन्दा पानी नदियों में जाने से रोकने के लिए कोई मास्टर प्लान बनाया है ?

श्री कमल नाथ : कई योजनाएं बनाई गई हैं। खासकर जो बड़े और मीडियम स्तर के उद्योग हैं उनके लिए एफलुएंट ट्रीटमेंट प्लान और अभी हाल ही में सदन ने वाटर सेस अमेंडमेंट बिल पास किया है उसमें इनको आर्थिक सहायता भी दी गई है। कानून में बहुत सारे ऐसे क्लाज हैं जिसके आधार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी उन उद्योगों के खिलाफ जो इन नदियों को प्रदूषित कर रहे हैं।

श्री शंकर सिंह वाघेला : माननीय मन्त्री जी ने जो जवाब दिया है वह 20 पाइंट प्रोग्राम से भी ज्यादा है। इतने व्यापक जवाब का कोई मतलब नहीं है। आपने नवम्बर 8 में बताया है कि राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड···

अध्यक्ष महोदय : पढ़ना नहीं है, आप प्रश्न पूछें।

श्री शंकर सिंह वाघेला : केन्द्र सरकार ने स्कीम बनाई है, क्या राज्य प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड आपके अधीन है ? इसके साथ ही आपने विस्तार में जो बताया है, एक प्रतिशत पोलुशन भी नहीं घटा है, अगर कोई सांसद शिकायत करे आपसे कि फलां जगह प्रदूषण हो रहा है तो क्या आप इसके बारे में एक्शन लेंगे और राज्यों के लिए केन्द्र ने कौन-सी योजना बनाई है ?

श्री कमल नाथ : मैं माननीय सदस्य को यकीन दिलाना चाहता हूं अगर कोई भी मेरे साथी सदस्य इस सदन के मेरा ध्यान आकर्षित करें किसी मसले पर कोई उदाहरण दें जहां प्रदूषण हो रहा है, मैं उस पर जरूर कार्यवाही करूंगा। इसमें कोई शक नहीं है। जहां तक माननीय सदस्य का प्रश्न है कि

केन्द्र और राज्य प्रदूषण बोर्ड की योजना है, इसमें हाल ही में जैसा मैंने कहा कि राज्य प्रदूषण बोर्ड को सक्रिय करने के लिए, मजबूत करने के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए सदन ने ही एक बिल पास किया है जिस आधार पर उनके रिसोर्सेज और बढ़ जायेंगे ।

श्री शंकर सिंह वाघेला : राज्य प्रदूषण बोर्ड आपके कन्ट्रोल में है या नहीं ?

श्री कमल नाथ : जहां तक राज्य प्रदूषण बोर्ड का सवाल है उनसे हमारी चर्चा होती रहती है और कानून में भी यह एक कंक्रीट लिस्ट है और इसके कारण केन्द्र प्रदूषण बोर्ड है वह राज्य प्रदूषण बोर्ड को निर्देश दे सकता है ।

[अनुवाद]

श्री के० पी० सिंह देव : महोदय, माननीय मन्त्री महोदय के उस वक्तव्य को देखते हुए, जिसमें उन्होंने बीस प्रशंसनीय पहल की हैं, यह तथ्य है कि बड़ी संख्या में नदियां अभी भी प्रदूषित हो रही हैं । उन्होंने अभी-अभी यह आश्वासन दिया था कि यदि हम यह बात उनके ध्यान में लाएं, तो वे कार्यवाही करेंगे । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उड़ीसा की ब्राह्मणी, रशीकुलया और वंसधारा नदियों के प्रदूषण पर कोई अध्ययन किया गया है और क्या पीने के लिए सुरक्षित पानी प्रभावित हो रहा है ? मैं यह भी जानना चाहूंगा कि इस बारे में क्या कदम उठाए जा रहे हैं और क्या दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कोई दण्डात्मक कार्यवाही की गई है ?

श्री कमल नाथ : महोदय, यह एक बहुत अहम् प्रश्न है, परन्तु मैं उत्तर देना चाहूंगा······

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : अब वे सामान्य से अहम् प्रश्न पर हैं । यह उस नीति के बारे में था, वे नदी के बारे में पूछ रहे थे ।

श्री कमल नाथ : महोदय, उन तीन नदियों में से जिनका माननीय सदस्य ने जिक्र किया है, रशीकुलया नदी एक रसायन कम्पनी के बहिस्राव के विसर्जन से प्रदूषित होती है । वंसधारा नदी में कोई औद्योगिक बहिस्राव-विसर्जित होकर नहीं आता है, परन्तु निकटवर्ती छोटे शहरों जैसे मुम्बर, गुहाटी और कांशीनगर से विसर्जित-बहिस्राव उसमें आता है । इसी प्रकार गंजम आदि से विसर्जित घरेलू बहिस्राव भी इसमें आता हैं ।

ब्राह्मणी नदी के सम्बन्ध में शिकायतें थीं और हमने पाया कि तालचर थर्मल पॉवर स्टेशन और उर्वरक प्लांट इस नदी को प्रदूषित कर रहे हैं । हम कार्रवाई कर रहे हैं ।

रसायन इकाई को कुछ नोटिस दिए गए थे और एक केस भी दायर कर दिया था । उन्होंने आश्वासन दिया है कि ऐसा किया जा रहा है । यह सुनिश्चित करने के लिए कि उपचारात्मक उपाय किए गए हैं, हम आवश्यक कदम उठा रहे हैं ।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं एक विशेष प्रश्न पूछना चाहता हूं । दामोदर नदी ··· (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया ध्यान रहे कि यह प्रश्न पृथ्वी, पानी और हवा का प्रदूषण रोकने से सम्बन्धित तैयार की गई नीति पर है, न कि विशेषकर नदियों पर ।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं पानी के प्रदूषण के बारे पूछ रहा हूं। दामोदर नदी यदि गंगा से अधिक नहीं, तो उतनी ही प्रदूषित है क्योंकि वहां ताप विद्युत संयंत्र, कोयला-धोवनशालाएं, उवर्रक, संयंत्र, दो बड़े इस्पात संयंत्र जैसे उनके उद्योग नदी के किनारों पर स्थित हैं ! पिछले वर्ष, जब बोकारो इस्पात संयंत्र से भट्टी-तेल छोड़ा गया था और बोकारो से दुर्गापुर तक समूचा पानी प्रदूषित हो गया था, तब इस पर सभा में चर्चा हुई थी । क्या मैं मन्त्री महोदय से यह जान सकता हूं कि क्या सरकार सार्वजनिक-क्षेत्र के उपक्रमों से समन्वय कर दमोदर नदी का प्रदूषण रोकने के लिए एक विशेष परियोजना तैयार करने पर विचार कर रही है क्योंकि दामोदर नदी के किनारों पर अधिकतर उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के हैं ?

अध्यक्ष महोदय : आप नीति पर प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं ।

श्री कमल नाथ : महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से बिल्कुल सहमत हूं कि दामोदर नदी का धनबाद से हल्दिया तक का क्षेत्र सबसे अधिक प्रदूषित क्षेत्र है । इस समय इसे 'घ' और 'ङ' श्रेणी में रखा गया है । यह उन नदियों में से एक है जिन्हें राष्ट्रीय नदी कार्य योजना और गंगा कार्ययोजना चरण-II योजना में शामिल किया जाना है । यहां पर पानी में बीडीओ में घूलित ऑकस्जिन और पानी में इनकी अधिकता दोनों ही समस्याएं हैं । जैसाकि माननीय सदस्य ने बताया है, यह मुख्यतः औद्योगिक-विसर्जन और नदी के नजदीक के बड़े उद्योगों से बढ़ रही है । हम इसे शामिल करने की योजना बना रहे हैं । इसका पता लगा लिया गया है । वहां पर पानी का सर्वेक्षण कर लिया गया है और इसे हम आगामी कार्यक्रम में सम्मिलित करने की योजना बना रहे हैं, जोकि आने ही वाला है ।

जनसंख्या वृद्धि पर विश्व बैंक की रिपोर्ट

*366. **श्री मोहन सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने अपनी हाल ही की रिपोर्ट में भारत की जनसंख्या में वृद्धि की दर के बारे में टिप्पणी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) राज्यों तथा स्वयंसेवी संगठनों की सहायता से जन्म दर कम करने के लिए अब तक क्या ठोस प्रयास किए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क), (ख) और (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित नवीनतम "वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, 1991" के अनुसार 1989-2000 के दौरान भारत की जनसंख्या की अनुमानित औसत वार्षिक वृद्धि दर 1.7 प्रतिशत तथा सन 2000 ई० में जनसंख्या 100 करोड़ 70 लाख है। विश्व बैंक के दूसरे प्रकाशन अर्थात "वर्ल्ड पापुलेशन प्रोजेक्शन (1989-90 संस्करण)—शार्ट एण्ड लोंग टर्म एस्टिमेट्स" से भी 1990-95 के दौरान औसत वार्षिक वृद्धि दर 1.86 प्रतिशत तथा 1995-2000 के दौरान 1.65 प्रतिशत होने तथा सन 2000 ईसवी में जनसंख्या 101 करोड़ 8 लाख तक पहुंचने के अनुमान का पता चला है। दूसरी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ इस बात पर चिन्ता व्यक्त की गयी है कि इस समय चीन अथवा अन्य किसी देश की तुलना में भारत का विश्व जनसंख्या वृद्धि में अधिक योगदान है और वर्ष 2150 तक यह प्रवृत्ति जारी रहेगी। अन्ततः इसकी स्थिर जनसंख्या इसकी 1985 की जनसंख्या (विश्व बैंक द्वारा अनुमानित 76 करोड़ 51 लाख) की 2.3 गुनी होने का अनुमान है।

योजना आयोग द्वारा नियुक्त जनसंख्या अनुमान के बारे में विशेषज्ञों की स्थाई समिति ने 1989 में जनसंख्या अनुमान तैयार किए थे। इसके अनुसार सन् 2001 ईसवी तक भारत की जनसंख्या की अनुमानित वृद्धि दर 1.6 प्रतिशत तथा सन 2000 ईसवी तक जनसंख्या 98 करोड़ 70 लाख होगी।

अब तक, विशेषज्ञों की इस स्थाई समिति के अनुमान वर्ष 1991 के बारे में (84 करोड़ 36 लाख) वास्तविक नवीनतम अनन्तिम जनगणना (1991) के 84 करोड़ 43 लाख के आंकड़ों के बहुत नजदीक पाए गए हैं।

यद्यपि 1991 के जनगणना के आंकड़ों से 1981-91 दशक के दौरान 2.11 प्रतिशत वार्षिक घातीय वृद्धि दर का पता चला है जो इसके पिछले दशक (1971-81) के दौरान के 2.22 प्रतिशत के आंकड़ों से थोड़ी ही कम है, फिर भी जनसंख्या वृद्धि दर अभी भी काफी अधिक समझी जाती है जोकि चिन्ता का विषय है।

जनसंख्या समस्या को मुख्यतया राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के माध्यम से हल किया जाता है। यह कार्यक्रम शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्राप्त है और इसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से चलाया जाता है। कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में स्वैच्छिक संगठनों तथा अन्य गैर-सरकारी एजेंसियों की भूमिका पर बल दिया जाता है। परिवार कल्याण कार्यक्रम के कार्यान्वयन से देश में जन्म दर जो 1951-61 में 41.7 प्रति हजार थी, वर्ष 1990 में कम होकर 29.9 प्रति हजार (नमूना पंजीयन अनुमान) हो गई है। जन्म दर में कमी लाने के लिए कार्यक्रम के कार्यनिष्पादन में सुधार लाने के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने जो जवाब दिया है, उससे लगता है कि भारत की आबादी का जो अनुपात है, पूरे विश्व में बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है और ऐसा लगता है, ऐसा लोगों का अनुमान है कि सन 2050 तक चीन को भी भारत ओवरटेक कर लेगा जिस गति से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है।

मैं माननीय मन्त्री जी से सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि राज्य सरकारों के माध्यम से ही परिवार नियोजन के कार्यक्रम और आबादी को नियन्त्रित करने के कार्यक्रम केन्द्र सरकार संचालित कराती है और उसकी फंडिंग केन्द्र सरकार से होती है। अभी तक के जो आंकड़े हैं, वे यह बताते हैं कि जिस हिसाब से लक्ष्यों की पूर्ति हुई है, उसी अनुपात में आबादी भी बढ़ी है। यह अपने आप में इस बात का दुष्प्रमाण है कि परिवार नियोजन के सारे कार्यक्रम आपके विफल रहे हैं। इस मौजूदा स्थिति में क्या केन्द्र सरकार अपने परिवार नियोजन के पुराने तौर-तरीकों में और नसबन्दी के पुराने तौर-तरीकों में और आबादी को नियन्त्रित करने की इनकी जो गाइडलाइन थी, उसमें परिवर्तन करने के लिए राज्यों को निर्देश देने के लिए कोई व्यापक योजना बना रही है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : माननीय सदस्य का यह कहना बिल्कुल सही है कि देश में आबादी बहुत बढ़ रही है लेकिन यह कहना दुरुस्त नहीं है कि इसका नियन्त्रण नहीं किया जा रहा है। हम इस मामले में किसी भी प्रदेश सरकार को कोई आदेश देना नहीं चाहते हैं क्योंकि यह स्टेट सब्जेक्ट है और जो कुछ भी किया जाएगा वह प्रदेश सरकारों के मशवरे से किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि यह जो प्रोग्राम है, वह सिर्फ हैल्थ एण्ड फैमिली वैल्फेयर मिनिस्ट्री का ही प्रोग्राम नहीं है. यह मात्र सभी प्रदेश सरकारों का, भारत सरकार का ही प्रोग्राम नहीं है बल्कि देश के तमाम लोगों का सवाल है क्योंकि देश में जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, इसलिए यह हम सब के लिए चैलेंज है, चाहे हम सरकार में हैं या अपोजीशन में हैं। आबादी के नियन्त्रण के लिए काफी कुछ किया जाना है। में आपसे यहां फिर आग्रह करूंगा कि पीछे जो कुछ किया गया है, उसमें थोड़ा बहुत रिवैम्पिंग और री-स्ट्रक्चरिंग करना जरूरी है।

इसके लिए हम जल्दी ही कुछ कदम उठा रहे हैं, राज्य सरकारों से पूछ कर, अपोजीशन के लीडर्स से पूछ कर, ताकि हमारा जो परिवार नियोजन का कार्यक्रम है, वह जनता का कार्यक्रम बने, प्यूपल्स मूवमैंट बने ताकि इस पर पूरा नियन्त्रण किया जा सके।

श्री मोहन सिंह : अध्यक्ष जी, मैं माननीय मन्त्री जी को उनके उपदेशात्मक भाषण के लिए धन्यवाद देता हूं और यह जानना चाहता हूं कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जनसंख्या नियन्त्रण के लिए केन्द्रीय शासन ने राज्य सरकारों को कितनी अनुदान राशि दी, और उसकी उपलब्धि की रिपोर्ट क्या है। राज्य सरकारों से इन्हें जो उपलब्धि रिपोर्ट प्राप्त हुई है, उसके आधार पर क्या केन्द्र सरकार ने कोई छानबीन कराई कि जो उपलब्धि की सूचना राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार को भेजी है, उसमें कितनी सच्चाई है और वह कितनी सत्य नहीं है। यदि उसमें सच्चाई नहीं है…

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न बहुत बड़ा हो रहा है, संक्षेप में कीजिए।

श्री मोहन सिंह : जी हां, संक्षेप में मैं जानना चाहता हूं कि सातवीं पंचवर्षीय योजना की उपलब्धियों के बारे में, माननीय मन्त्री जी बताने का कष्ट करें।

श्री एम० एल० फोतेदार : मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में जो टार्गेट रखा गया था, वह बर्थ रेट के मुताबिक 29.1 था और उसका एचीवमैंट 29.9 हुआ है। किसी प्रदेश में उपलब्धि हुई हैं और किसी में उपलब्धि नहीं हुई है लेकिन हमारा यह निश्चय है, और निश्चय ही नहीं बल्कि दृढ़ संकल्प है…(**व्यवधान**)…हमारा दृढ़ संकल्प है कि इस पर बहुत कुछ किया

जाना चाहिए । इस विषय पर हम कोई कैफेटेरिया एप्रोच नहीं लेना चाहते बल्कि हमारा जो नया प्लान बन रहा है, वह रिजल्ट ओरियेन्टेड प्रोग्राम बनेगा जिसमें जन साधारण को पूरी तरह से इन्वाल्व किया जाएगा, हर सतह पर, पंचायत लेवल से, टाउन लेवल से लेकर, ऊपर पार्लियामेंट लेवल तक, उन्हें पूरी तरह इसमें सम्मिलित किया जाएगा ।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष जी, माननीय मन्त्री जी ने मूल प्रश्न के उत्तर में जो वक्तव्य दिया है, वह वास्तव में इस समस्या के बहुत गम्भीर पहलुओं को प्रकाशित करता है, उजागर करता है। इनका कहना है कि आज हमारी जनसंख्या लगभग 85 करोड़ है और इस शताब्दी के अन्त तक विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, अनुमान के अनुसार, 100 करोड़ हो जाएगी । हमारे योजना आयोग का अनुमान है कि वह 98.7 करोड़ हो जाएगी। बहुत गम्भीर स्थिति है, लेकिन जो दोनों उत्तर दिए गए हैं, उसमें कोई ऐसा संकेत या लक्षण नहीं है कि सरकार को इसकी गम्भीरता का आभास है । यहां तक कि यद्यपि वित्तीय दृष्टि से परिवार नियोजन का सारा दायित्व केन्द्र रखता है फिर भी इन्होंने कह दिया कि यह प्रदेशों पर निर्भर है। अगर किसी मामले में राष्ट्रीय नीति की प्रथम आवश्यकता है तो वह परिवार नियोजन और जनसंख्या की नीति के बारे में है । मैं जानना चाहूंगा, प्रधानमन्त्री जी भी यहां उपस्थित हैं, अनेक मामलों में महत्वपूर्ण विषय को, जिसको सरकार समझती है, सर्वदलीय बैठक बुलाकर उनसे सलाह-मशविरा होता है। क्या जनसंख्या नीति के बारे में कोई प्रस्ताव है कि हम सभी दलों से राय करके, उनके सामने हमारे क्या-क्या विकल्प हैं यह देखकर फिर एक समन्वित जनसंख्या नीति राष्ट्रीय स्तर पर बनाएंगे ?

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री महोदय (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : महोदय, सर्वदलीय बैठक से पूर्व हम इस पर हम सभा में विस्तृत बहस कर सकते हैं । मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है, श्रीमान, क्योंकि हमारे पास सभा को बताने के लिए बहुत कुछ है, अन्य सदस्यों से सुनने के लिए बहुत कुछ है । मैं जल्द-से-जल्द इस पर बहस करवाना चाहूंगा । यह एक ऐसा मुद्दा है, एक ऐसी समस्या है, जिस पर राष्ट्रीय बहस की जरूरत है और उस बहस से पूर्व संसद में बहस की जरूरत है । तब निःसंदेह, सभी पार्टियां यहां पर होंगी, हम निश्चित रूप से इसे ले सकते हैं । (व्यवधान)

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत खुशी है कि प्रधानमन्त्री महोदय राष्टीय-स्तर पर चर्चा के लिए सहमत हुए हैं । मैं माननीय मन्त्री महोदय से विशेष रूप से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार एक प्रोत्साहनों और हतोत्साहन प्रणाली लागू करेगी ताकि जनता परिवार नियोजन कार्यक्रमों की ओर और अधिक आकर्षित हों, जिनमें उनके बच्चों को शैक्षणिक-संस्थानों एवं छात्रवृत्तियों के मामलों, और स्व-रोजगार कार्यक्रमों, आई० आर० डी० पी० जैसे और अन्य कार्यक्रमों में प्राथमिकता दी जा सके । जो कुछ चीन में हो रहा है, उसका स्पष्ट बहिष्कार होना चाहिए ।

श्रीमान जी, राजनैतिक दलों से सहयोग मांगने के साथ-साथ, मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह भी पूछना चाहूंगा कि क्या यह सरकार विभिन्न धर्मों के नेताओं को भी इसमें आमन्त्रित करेगी क्योंकि इण्डोनेशिया, जो 90 प्रतिशत मुस्लिम जनसंख्या वाला देश है, उसमें भी धार्मिक नेता प्रचार कर रहे हैं और सरकार को जनसंख्या वृद्धि को कम करने में सहयोग प्रदान कर रहे हैं । मैं जानना चाहूंगा कि क्या

हमारी सरकार भी धार्मिक नेताओं को आमन्त्रित कर उनसे भी सहयोग मांगेगी । मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह स्पष्ट रूप से जानना चाहूंगा ।

श्री एम० एल० फोतेदार : श्रीमान जी, मैं माननीय मन्त्री महोदय को यह अवश्य अवगत करा दूं कि हम इतिहास की एक ऐसी अवस्था में पहुंच गए हैं, जहां जन्म एक घटना नहीं होगा, बल्कि जान-बूझकर किया गया एक कार्य होगा ।

———

[अनुवाद]

प्रधानमन्त्री ने जो कहा है उसके सन्दर्भ में मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार इस समस्या के बारे में काफी चिन्तित है, प्रधानमन्त्री ने इसकी ओर ध्यान दिया है और हम राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में इस मामले पर चर्चा करेंगे, जो इस महीने 23 और 24 तारीख को हो रही है, जिसमें सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व होगा । इसके अतिरिक्त भारत के राष्ट्रपति ने भी इस मामले मे पहल की है और वे राज्यपालों के सम्मेलन में इस मामले पर विचार-विमर्श करने वाले हैं । हमने भी पहल की है, इस समस्या पर विचार-विमर्श करने के लिए हमने 6 और 7 तारीख को सभी राज्यों के स्वास्थ्य मन्त्रियों की बैठक आयोजित की थी और हमने उन्हें विचारार्थ एक प्रारूप कार्य योजना भेजी है । मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि प्रधानमन्त्री उस बैठक में उद्घाटन अभिभाषण देंगे और हमें इस पर कतई कोई आपत्ति नहीं है और यह आपत्ति न होने का मामला नहीं है, यह इस राष्ट्रीय आवश्यकता का प्रश्न है कि सभी राजनीतिक दलों, हरेक स्तर पर मताभिव्यक्ति देने वालों को इससे सम्बद्ध होना होगा । माननीय सदस्य ने कुछ बातों की ओर ध्यान दिलाया है हम इसे समुदाय के आधार पर लागू नहीं करना चाहते हैं, इसे जनसंख्या और गांव के आधार पर लागू करना होगा । हमें इन बातों को इसमें शामिल नहीं करना चाहिए ।

जहां तक चीन के प्रश्न का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य जानते हैं कि भारत में हम लोक सहमति से शासित होते हैं । हमें वे कदम उठाने होते हैं जो विश्वासोत्पादक हों । हमने 1977 में अपने कटु अनुभव से सबक लिया हैं और हमारा इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में समाज के सभी वर्गों को शामिल करने का विचार है । मैं किसी भी राज्य सरकार को दोष नहीं दे रहा हूं । मैं जानता हूं कि यह कार्यक्रम केन्द्र का है, लेकिन इसे राज्यों द्वारा कार्यान्वित किया जाना है । हम उन्हें जरूरी मार्गनिर्देश देंगे और राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा कार्ययोजना के कागजातों को अनुमति दे देने के बाद मुझे उस पर सदन में चर्चा करने पर अति प्रसन्नता होगी ताकि मैं इसके कार्यान्वयन के लिए सदन की सहमति प्राप्त कर सकूं ।

श्रीमती चन्द्रप्रभा अर्स : अध्यक्ष महोदय, यद्यपि परिवार नियोजन कार्यक्रम केन्द्र द्वारा समर्पित है, फिर भी इसे राज्य सरकारों द्वारा ही कार्यान्वित किया जाना है । विगत वर्षों में इसे बिल्कुल व्यवस्थित रूप से कार्यान्वित किया गया था लेकिन अब यह धारणा बन गई है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाये जा रहे हैं और सरकार द्वारा जो प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं वे सभी स्तरों के गरीब वर्गों तक नहीं पहुंचते हैं । हरेक विकासात्मक कार्य जनसंख्या वृद्धि से जुड़ा हुआ है, इस अवसर पर जब हमारा देश एक राष्ट्रीय कार्यक्रम कार्यान्वित करने जा रहा है, मैं जानना चाहता हूं कि मन्त्रालय द्वारा राज्यों के लिए लक्ष्य निर्धारित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि उन्हें इस दिशा में समुचित प्रोत्साहनों सहित जनता को सम्मिलित करने के लिए एक व्यवस्थित कार्यक्रम दिया जा सके ।

श्री एम० एल० फोतेदार : महोदय, मैं विनम्रतापूर्वक अर्ज करना चाहता हूं कि मैं नसबन्दी के लिए लक्ष्य निर्धारित नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि कार्यक्रम सोद्देश्य हो और इसके परिणाम सामने आएं, इसके नतीजों से ही लक्ष्यों का पता चलेगा। लक्ष्य नसबन्दी के लिए नहीं बल्कि जन्मदर को कम करने के लिए निर्धारित किए जाने चाहिए। माननीय सदस्य ने पूछा है कि इसके क्या कोई प्रणालीबद्ध दृष्टिकोण हैं। मैं कहता हूं कि इसके लिए एक व्यवस्थित कार्यक्रम बनाना होगा। पूरे कार्यक्रम को फिर से बनाना होता ताकि यह जन आंदोलन बन जाए।

[हिन्दी]

श्री हरि किशोर सिंह : अध्यक्ष जी, यह सवाल बहुत ही गंभीर है और राष्ट्र के भविष्य से संबंध रखता है। जिस प्रकार से मन्त्री जी इस सवाल का संक्षिप्त उत्तर बार-बार दे रहे हैं, उससे ऐसा नहीं लगता है कि वह इसको गम्भीरता से ले रहे हैं। दो पक्ष हैं, एक पक्ष है जिसकी संकोचवश आडवाणी जी ने यहां चर्चा नहीं की। मेरा सुझाव है कि सरकार प्रत्येक व्यक्ति पर दो से अधिक सन्तान पैदा करने पर पाबन्दी लगा दे। चीन के प्रधानमन्त्री अभी आए थे, वहां ऐसा किया गया...(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पर आइए।

श्री हरि किशोर सिंह : क्या सरकार ऐसी राष्ट्रीय जनसंख्या नीति बनाने का प्रयास करेगी जिसमें एक आदमी दो से अधिक सन्तान पैदा न कर सके। आखिर इसमें दिक्कत भी क्या है।

श्री गुमान मल लोढा : फिर लालू प्रसाद का क्या होगा ?

श्री हरि किशोर सिंह : प्रधानमन्त्री बैठे हुए हैं। हमारे प्रधानमन्त्री और हमारे मुख्यमन्त्री जी वे दो आदमी हैं जिनकी सन्तान...(**व्यवधान**)...

अध्यक्ष महोदय : आप बहुत टाइम ले रहे हैं, आप प्रश्न पर आइए।

श्री हरि किशोर सिंह : मेरा आपसे आग्रह है कि हमारे देश के प्रधानमन्त्री और मुख्यमन्त्री की अध्यक्षता में एक आयोग बना दिया जाए कि परिवार नियोजन कैसे चलता है ? इसके साथ-साथ क्या राजनीतिज्ञों पर पाबन्दी होगी कि जिसकी दो से अधिक सन्तान होगी, उसको कोई मन्त्रिपद नहीं दिया जाएगा ?

[अनुवाद]

श्री राम नाईक : इसे भूतलक्षी प्रभाव से लागू कर।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे करूंगा।

श्री एम० एल० फोतेदार : क्या अब मैं प्रश्न का जवाब दूं ? माननीय सदस्य ने पूछा कि क्या इस सम्बन्ध में कोई प्रतिबन्ध होगा। मैं व्यक्तिगत रूप से कहना चाहता हूं कि जहां तक "हम दो हमारे दो" नारे का सम्बन्ध है में "हम दो हमारा एक" कहना पसन्द करूंगा। लेकिन यह ऐसा मामला है जिसे जबर्दस्ती लागू नहीं किया जा सकता है, इसके लिए प्रेरणा जगानी होगी। हम लोकतन्त्र के वासी हैं और किसी लोकतन्त्रात्मक व्यवस्था में पहली बात यह है कि जन इच्छा को भी समझना होता है।

दूसरी बात यह है कि माननीय सदस्य ने पूछा है कि उन लोगों के बारे में भी कुछ किया जाएगा जो इस देश या राज्यों अथवा पंचायतों का शासन चलाते हैं, मैंने कई बार कहा है कि हमें इस देश में जिम्मेदार नेतृत्व बनाना होगा । यह मेरा निजी विचार है कि पंचायत से लेकर संसद तक हमारी एक प्रणाली होनी चाहिए ताकि हरेक व्यक्ति छोटे परिवार के मानदण्ड को अपनाए । केवल वे ही लोग राज्य या पंचायत अथवा जिला परिषद के शासन को चलाएं जो छोटे परिवार का मानदण्ड अपनाएं ।

[अनुवाद]

मैं माननीय सदस्य को यह अवश्य बताना चाहूंगा कि यह प्रभावशाली ढंग से किया जाएगा । मैं माननीय सदस्य को यह बता दूं कि बिहार के मुख्यमन्त्री महोदय ने ही मुझे स्वयं को पूर्णतया इस कार्यक्रम से जोड़े रखने के बारे में कहा था ताकि इस देश का भविष्य सुरक्षित रहे ।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि कई माननीय सदस्य इस मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं और हमारे सम्मुख एक प्रस्ताव है कि इस पर सभा में चर्चा की जाए । इसके लिए हम उचित समय निकालने का प्रयत्न करेंगे, यदि इस सत्र में नहीं, तो अगले सत्र में हम इस पर चर्चा अवश्य करेंगे ।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैं एक छोटा-सा पूरक प्रश्न पूछना चाहती हूं मैं आप ही के राज्य से आ रही हूं और यह कहना चाहती हूं कि औरतों को मियाद समाप्त गर्भ-निरोधक गोलियां दी गई हैं । कल ही एक मोर्चे में मुझे पता लगा है कि जो गर्भ-निरोधक गोलियां स्त्रियों को दी गई थीं उनकी अवधि समाप्त हो चुकी थी । क्या आप इस मामले की जांच करेंगे ।

श्री एम० एल० फोतेदार : मैं इस मामले की जांच करूंगा ।

रक्त बैंक खोलना

*367. **श्री सुधीर सावंत** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आम आदमी के जीवन स्तर को सुधारने के लिए प्रत्येक जिले में रक्त बैंक खोलने के लिए सहायता देने का है;

(ख) क्या "एड्स" रोग का मुकाबला करने के लिए ऐसे रक्त बैंकों की स्थापना करने हेतु संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष, विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी अथवा विश्व बैंक जैसी किसी अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसी से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में ऐसी सुविधा उपलब्ध कराने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (ङ) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

सरकार रक्त बैंकों के विकास के लिए एक योजना चरणवार ढंग से क्रियान्वित कर रही है। जिला रक्त बैंक को सुदृढ़ करने का कार्य भी इस योजना का एक घटक है। देश में चलाये जा रहे 608 सरकारी रक्त बैंकों में से 62 रक्त बैंकों के विकास के लिए 31 मार्च, 1991 तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को धन प्रदान किया गया था। वर्ष 1991-92 के दौरान 84 रक्त बैंकों के विकास के लिए धन प्रदान किया जा रहा है। एड्स निवारण एवं नियन्त्रण परियोजना के अन्तर्गत, जिस पर अब विश्व बैंक द्वारा विचार किया जा रहा है, 90 और रक्त बैंकों को सुदृढ़ किया जाएगा। शेष 372 रक्त बैंकों को, जिनमें अधिकांश जिला मुख्यालयों में स्थित है, वर्ष 1992-93 के दौरान सुदृढ़ किया जाएगा।

एच० आई० वी० संक्रमण (मानव रोग प्रतिरक्षा-ह्रास विषाणु) परीक्षण की सुविधाएं 97 रक्त बैंकों में स्थापित की गई हैं। अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी से 1.3 मिलियन अमरीकी डालर की सहायता से 52 और रक्त बैंकों में सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।

महाराष्ट्र सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार सिन्धुदुर्ग जिला सिविल अस्पताल में एच० आई० वी० संक्रमण परीक्षण परीक्षण सुविधाओं की व्यवस्था की जा चुकी है।

श्री सुधीर सावंत : मैं कहना चाहूंगा कि स्वास्थ्य-सेवाओं में रक्त-बैंकों का एक अहम् स्थान है, पिछड़े और पहाड़ी जिलों में यह समस्या बहुत विकट है और कई स्थानों पर लोगों को रक्त-बैंक की सुविधा प्राप्त करने के लिए 48 घंटे का सफर तय करना पड़ता है।

मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि सरकार ने क्या कारंवाई की है, ताकि दिक्कत कम हो जाए और रक्त-बैंक स्थानीय जनसंख्या की, विशेषकर पहाड़ी, पिछड़े और दूरस्थ क्षेत्रों में निकट-परिधि में स्थापित किए जाएं।

स्वास्थ्य और परिवार-कल्याण मन्त्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : हमने प्रथम चरण में लगभग देश के सभी भागों में रक्त-बैंकों को विकसित करना प्रारम्भ किया था। परन्तु यह बड़े चरणबद्ध तरीके से किया जाना है। पहले हमने दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में यह कार्य शुरू किया था। फिर हमने इसका दूसरा चरण शुरू किया। हमें देश के उन बड़े शहरों जिनकी जनसंख्या पांच लाख से अधिक है के रक्त-बैंकों से सहायता प्राप्त होती है।

तीसरी बात यह है कि इस वर्ष देश में हमारे पास 84 नए रक्त-बैंक होगे। जहां तक इस क्षेत्र का सम्बन्ध है, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि सिंधुदुर्ग में भी हमारा एक रक्त-बैंक है और मुझे बताया गया है कि यह अच्छा कार्य कर रहा है।

श्री सुधीर सावंत : मेरा दूसरा पूरक प्रश्न निर्वाचन क्षेत्र से सम्बन्धित है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार सिंधुदुर्ग के सिविल हस्पताल में एच-IV संक्रमण के परीक्षण की सुविधा पहले ही स्थापित की जा चुकी है। सर्वप्रथम तो मेरे जिले में कोई भी सिविल हस्पताल नहीं है क्योंकि यहां पर 100 बिस्तरों की क्षमता का एक ग्रामीण हस्पताल है। परन्तु वास्तव में यहां 50 बिस्तरों की व्यवस्था की गई है। प्रस्तावित सिविल हस्पताल एक नए स्थान पर है, जोकि अभी चालू होना है।

दूसरी बात, मेरे जिले में कोई रक्त बैंक नहीं है। मैं माननीय मन्त्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं कि यहां पर कोई रक्त बैंक नहीं है। मैं मन्त्री महोदय से पूछता हूं कि सिविल हस्पताल स्थापित करने और दूसरे रक्त-बैंक जोकि अभी तक नहीं हैं को जल्द-से-जल्द प्रदान करने के बारे में सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है।

श्री एम० एल० फोतेदार : महाराष्ट्र सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, सिंधुदुर्ग जिले के 'ओरस' में एक सिविल हस्पताल है। वहां एक रक्त-बैंक है। यह कार्य कर रहा है और खून की जांच का कार्य कर रहा है। परन्तु रक्त-दान करने वालों की संख्या बहुत कम है। जहां तक इन क्षेत्रों, पिछड़े इलाकों अथवा छोटे रक्त-बैंकों अथवा छोटे अस्पतालों का सम्बन्ध है, हम तुरन्त नैदानिक परीक्षण के नाम से एक नई प्रणाली शुरू करने पर विचार कर रहे हैं। यह काफी सस्ती होगी और यह जरूरी नहीं है कि एक साथ 20-30 दानकर्त्ताओं के लिए रक्त-बैंक हैं। एक बार में एक ही व्यक्ति आ सकता है, उसकी जांच की जाती है और रक्त लिया जाता है। और आगे यह आवश्यक नहीं है कि वह एक बहुत निपुण व्यक्ति हो। इसपर सप्ताह या 10 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है। सिंधुदुर्ग जैसे इलाकों में ये परीक्षण किए जा सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं, क्या भारत के सभी जिलों में ब्लड-बैंक की स्थापना कर दी गई है? यदि नहीं, तो कब तक कर दी जाएगी? मेरा दूसरा प्रश्न है, क्या यह सही है कि जो रक्त लिया जा रहा है, वह गरीब व्यक्तियों का परचेज करके लिया जा रहा है, जिसका ठीक प्रकार से परीक्षण न होने के कारण एड्स रोग में दिन-प्रतिदिन की वृद्धि हो रही है? इसको रोकने के लिए आप क्या समुचित व्यवस्था करेंगे? रक्त-दान करने के लिए आप कितना प्रोत्साहन दे रहे हैं? मैं यह कहना चाहता हूं कि आप प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं। रक्त-दान एक महा दान हैं, लोग रक्त दान करें, इस बारे में आप क्या विचार करेंगे?

[अनुवाद]

श्री एम० एल० फोतेदार : मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि 372 जिलों को इसके अन्तर्गत लाया जाएगा जहां 1992-93 से प्रारम्भ किए जाने वाले तीसरे चरण में हमारे पास रक्त बैंक होंगे। इस वर्ष, मार्च के अन्त तक, जैसाकि मैंने पहले कहा था, हमारे पास 84 और रक्त-बैंक होंगे। जहां तक व्यावसायिक दानकर्त्ताओं का सम्बन्ध है, वे इस श्रेणी में नहीं आते हैं। सरकारी हस्पतालों की तरह ही, स्वैच्छिक संगठन और अन्य संगठन इस श्रेणी में आते हैं। हम किसी भी दानकर्ता से तब तक रक्त नहीं लेते जब तक यह प्रमाणित न हो जाए कि ऐसा करना सुरक्षित है और प्रत्येक स्थान पर एच-IV धनात्मक परीक्षण किए जाते हैं।

श्री ए० चार्ल्स : महोदय, जीवन के लिए जूझ रहे रोगियों के जीवन की रक्षा करने में रक्त-बैंकों का कार्य बहुत महत्वपूर्ण हैं। उनका ध्यानपूर्वक निगरानी और संरक्षण करना पड़ेगा। अभी दो हफ्ते पूर्व ही एक दुखद समाचार प्रकाशित हुआ था जिसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट लिखी गई थी। उस रिपोर्ट में लिखा था कि 2000 ई० पू० के अन्त तक इस देश के 25 प्रतिशत लोग

'एड्स' से प्रभावित हो जाएंगे । उसमें एक मुख्य कारण यह बताया गया था कि रक्त-बैंकों को संक्रमित-रक्त की अन्धाधुन्ध आपूर्ति होती है । मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार-चलित रक्त-बैंकों और नीति रक्त बैंकों के माध्यम से असंक्रमित रक्त प्रदान करने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए जाएंगे । मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या एक ही बार प्रयोग में आने वाली सुईयां व्यापक-टीकाकरण-कार्यक्रम में प्रयुक्त की जाती हैं । यह एक अन्य कारण है । मैं माननीय मन्त्री की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं ।

———

[अनुवाद]

श्री एम० एल० फोतेदार : मैं माननीय सदस्य जी से यह अवश्य बता दूं कि हमें यकायक तेजी से फैल रहे एड्स रोग के प्रति सचेत हैं । इसलिए, इसकी रोकथाम के लिए हमने एक व्याएक योजना तैयार की है । विश्व बैंक से हमें विभिन्न कार्यक्रमों के लिए लगभग 260 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। जहां तक परीक्षण का सम्बन्ध है, जो भी व्यक्ति किसी भी बैंक में अपना रक्त देता है, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि एच० आई० वी० पॉजिटिव जांच भी अवश्य की जाए जिससे कि संक्रामण न हो और ये संक्रामण अन्य स्थानों में न फैले ।

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय : अध्यक्ष जी, मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि देश में कई ऐसी चिकित्सा संस्थाएं हैं जो स्वतन्त्र रूप से कार्य करती हैं और ब्लड इकट्ठा करने के लिए ब्लड बैंक बनाए हुए हैं, लेकिन उनके पास ठीक से उपकरण नहीं हैं, साधन नहीं हैं और वैज्ञानिक प्रयोग-शालाएं ठीक से नहीं हैं । इस कारण जो ब्लड बैंक बने हुए हैं वहां से अगर किसी को ब्लड लेना है तो उससे कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं क्या इसके लिए आपने कुछ मानदण्ड ऐसे स्थापित किए हैं, जिसके कारण उन संस्थाओं को ब्लड बैंक बनाने के पहले उनकी पूर्ति करना आवश्यक है अन्यथा आप उनको ब्लड बैंक की अनुमति नहीं देंगे और उसके बाद भी अगर उनको अनुमति दी जाती है तो निश्चित रूप से एड्स व अन्य प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं । इसके बारे में आपका क्या ख्याल है ?

श्री एम० एल० फोतेदार : मैंने माननीय सदस्य के सुझाव को नोट कर लिया है ।

कालाजार के उपचार हेतु नई औषधि

*368. **श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद** :
श्री जार्ज फर्नान्डीज :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में कालाजार के उपचार के लिए एक नई औषधि का जो अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी है, भारत में परीक्षण करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (ग) विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता से कालाजार-रोधी औषध एम्फोटेरिसिन बी लिपिड काम्पलैक्स पर नैदानिक परीक्षण करने की एक परियोजना पटना मेडिकल कालेज तथा किंग एडवर्ड मेमोरियल हास्पिटल, बम्बई में चल रही है। इस औषध की प्रभावकारिता और सुरक्षा इन परीक्षणों के आधार पर निर्धारित की जा सकेगी।

श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, कालाजार एक भयानक रोग है। इसे प्राण घातक ज्वर भी कहा जाता है और ये मलेरिया से भी अधिक घातक रोग है। वस्तुतः द्वितीय विश्व युद्ध से पहले तथा उसके बाद भी कई लोग इससे प्रभावित हुए थे। उस समय ऐसे घातक रोग की रोकथाम के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं थे। तब महान समाजसेवी डा० यू० एन० ब्रह्मचारी ने कालाजार के प्रभाव को रोकने के लिए भारतीय जड़ी-बूटियों से एक औषधि का आविष्कार किया। इसलिए, मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि कालाजार के इलाज के लिए कर्मठ समाजसेवी स्वर्गीय डा० यू० एन० ब्रह्मचारी ने जो औषधि तैयार की थी क्या सरकार के पास उसका कोई रिकार्ड है?

अध्यक्ष महोदय : यदि आपके पास कोई जानकारी हो तो आप दे सकते हैं। यदि न हो, तो आप जानकारी हासिल करके दे सकते हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : मैं हासिल करके सारी जानकारी माननीय सदस्य को दे दूंगा।

श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद : विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कालाजार की औषधि के परीक्षण के लिए भारत, केन्या व सूडान, तीन देशों को चुना है। दि ब्रिस्टल स्किवब फर्मास्यूटिकल्स कम्पनी ने उनके परीक्षण क्षेत्र के लिए पटना को चुना है।

इसलिए, मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि किन कारणों से सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को अमरीका में तैयार औषधि के परीक्षण के लिए भारत को परीक्षण क्षेत्र के रूप में चुनने की अनुमति दी जबकि अमरीका में ही किसी भी तरह के परीक्षण की अनुमति नहीं दी गई। परीक्षण के लिए उन्होंने भारत को ही क्यों चुना?

श्री एम० एल० फोतेदार : शायद माननीय सदस्य एम्फोटेरिसिन के विषय में जानना चाहते हैं।

श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद : जी नहीं······

श्री एम० एल० फोतेदार : यदि माननीय मन्त्री जी एम्फोटेरिसिन के विषय में जानना चाहते हैं, मैं इसका जवाब दूंगा। जहां तक किसी अन्य औषधि का सम्बन्ध है और इस प्रश्न का सम्बन्ध है हम उस पर क्यों प्रयोग कर रहे हैं, इसके दो कारण हैं। पहला कारण ये हो सकता है कि ये सस्ती औषधि है। दूसरा कारण ये है कि कालाजार रोग भारत में है। कुछ राज्यों में लोग इससे ग्रस्त हैं। यह एक राष्ट्रीय समस्या बन गई है। यदि हम कोई प्रयोग करते हैं तब मैं सोचता हूं कि इसका विरोध नहीं होना चाहिए क्योंकि कुछ औषधियां यहां पर मिल रही हैं और हम कुछ औषधियों को बाहर से मंगा

रहे हैं। यदि कम कीमतों पर नई औषधि मिलती हों, तथा यदि भारत में यह प्रयोग सफल हो जाता है, तो मैं सोचता हूं कि इसका विरोध नहीं होना चाहिए।

श्री राम नगीना मिश्र : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं और निवेदन भी कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : निवेदन नहीं, प्रश्न करिए।

श्री राम नगीना मिश्र : मैं प्रश्न भी कर रहा हूं और प्रश्न के साथ-साथ निवेदन भी कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय यह बीमारी गोरखपुर और देवरिया में इतनी बुरी तरह से फैली हुई है कि हजारों आदमी मर रहे हैं। इस ओर मैंने मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना था और मंत्री महोदय ने कहा था कि मैं उस क्षेत्र का दौरा करूंगा। गोरखपुर और देवरिया का क्षेत्र जो इस बीमारी से सबसे अधिक ग्रस्त है, जिन नई औषधियों का आविष्कार किया जा रहा है, क्या उनका प्रयोग इस क्षेत्र में इस बीमारी की रोकथाम के लिए कराने का प्रयास करेंगे।

श्री एम० एल० फोतेदार : मैं माननीय सदस्य से यह वादा करता हूं कि पार्लियामेंट के सेशन के बाद नए साल के पहले ही महीने में मैं ईस्टर्न यू० पी० का दौरा करूंगा। मैंने इस क्षेत्र में एन० आई० सी० की टीम भेजी है और वह निरीक्षण कर रही है। इसके लिए जितना भी हो सकेगा, सरकार सहायता करने के लिए तैयार हैं।

श्री राम नगीना मिश्र : मैं गोरखपुर और देवरिया के बारे में कह रहा हूं।

श्री एम० एल० फोतेदार : मैं गोरखपुर, देवरिया या आजमगढ़, हर उस जगह पर जाऊंगा जहां ऐसी समस्या है।

श्री दिग्विजय सिंह : एक विशेष प्रकार के मच्छर के कारण कालाजार रोग होता है। माननीय मंत्री जी ने इलाज की पद्धति की बात कही है। क्या माननीय मन्त्री जी मच्छर के जैविक नियंत्रण की बात सोच रहे हैं जिससे कि ये घटना फिर से न दोहराई जाए। बिहार में इस रोग से सर्वाधिक व्यक्ति ग्रस्त हुए। क्या माननीय मन्त्री जी इस बारे में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे, कि राज्य सरकार ने जिम्मेदारी की भावना से कार्रवाई की अथवा नहीं ?

अध्यक्ष जी : जब तक मन्त्री जी असंक्राम्य नहीं हो जाते, मैं उनके कहीं के भी दौरे पर रोक लगा दूंगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मच्छर मन्त्रियों से डरते हैं।

श्री एम० एल० फोतेदार : मैं मनुष्यों के कष्टों को समझता हूं। मुझे उनके लिए कुछ कहने की इच्छा है और मैं हर रोग से असंक्राम्य हो गया हूं।

जहां तक बिहार का प्रश्न है, मैं इस सन्दर्भ में कोई विरोधी टिप्पणी नहीं देना चाहता। मैंने बिहार के मुख्यमन्त्री के सामने ही कहा था कि बिहार सरकार द्वारा जो प्रबन्ध किया गया था वे पर्याप्त नहीं थे। संभवतः इसे नियंत्रित किया जा सकता था।

श्री हरि किशोर सिंह : आप राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के विषय में आपकी क्या राय है ?

श्री एम० एल० फोतेदार : बेबाक हो कहा जाए तो मुख्यमन्त्री जी ने स्वीकार किया था कि कालाजार को नियंत्रित करने में राज्य सरकार की ओर से चूक हुई। उसके बाद हमने इस समस्या पर और विचार करने का निर्णय लिया। मैंने बिहार के मुख्यमन्त्री जी को आश्वासन दिया कि राज्य को डी० डी० टी० दी जाएगी जिससे कि समय पर उसका छिड़काव किया जा सके। हमने एक समझौता किया था कि इस महीने के अंत तक डी० डी० टी० भेजी जाएगी। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि हमने जो भी वायदा किया था उसे पूरा किया है।

हमारा दूसरा वायदा यह था कि हम स्थानीय औषधि के लिए प्रतिपूर्ति करें। हम और एक कदम आगे बढ़े और हमने कम्पनी से कहा कि वह हमें औषधि दे दे और हम कम्पनी को धन देंगे लेकिन बिहार सरकार को यह औषधि मुफ्त में उपलब्ध करानी चाहिए। ये बिहार सरकार का कार्य है कि वह इस रोग के रोकथाम के लिए इस औषधि का प्रयोग करें।

उस समय प्रधानमन्त्री जी ने अपनी सहायता का परिचय देते हुए बिहार को बाहर से आयात किए गए 'पेन्टामिन वाइल्स' मुफ्त में देने की बात कही थी, मैं भी यही चाहता हूं कि बिहार को ये मुफ्त में देना चाहिए। हमने अपने वायदे को पूरा किया है।

मेरे समक्ष, 1 अक्तूबर, 1991 को बिहार के मुख्यमन्त्री जी ने सार्वजनिक एलान किया था कि इस रोग को अधिसूचनीय रोग घोषित किया जाएगा। उन्होंने हमें यह आश्वासन दिया कि 2 अक्तूबर को सरकार एक बैठक करेगी और निर्णय लेगी। पर मुझे आश्चर्य व निराशा हो रही है कि अब तक मुख्यमन्त्री जी ने इस सन्दर्भ में कोई रचनात्मक कार्य नहीं किया। बिहार के मुख्यमन्त्री द्वारा इस रोग को अधिसूचनीय रोग घोषित कराने के लिए मैं सदन तथा बिहार के सदस्यों का हस्तक्षेप चाहूंगा जिससे कि हमें कालाजार से पीड़ित रोगियों की संख्या ज्ञात हो सके और हम पर्याप्त प्रबन्ध कर सके। उन्हें अन्य वायदे पूरे करने हैं। उसकी सूची यह है। राज्य सरकार स्वास्थ्य सचिव और राज्य मुख्य सचिव के बीच तथा मेरे और मुख्यमन्त्री के बीच हुई संयुक्त मीटिंग में लिए गए निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए मूलभूत ढांचा तैयार करने के वायदे को भी पूरा करने में समर्थ नहीं हुई हो।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, 1977 में सबसे पहले, कालाजार को कोई जानता नहीं था, मैंने इसी सदन में, जब मैं उस तरफ था, इस मामले को उठाया था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, राज नारायण जी को, वे अब नहीं हैं, उस समय वे स्वास्थ्य मंत्री थे। उस समय हमने डब्ल्यू० एच० ओ० की सहायता से कालाजार पर कुछ हद तक रोक लगाने का काम किया था। लेकिन बाद में सरकार सीरियस नहीं हुई। नतीजा यह हुआ कि कालाजार बढ़ता चला गया। जैसे दिग्विजय सिंह जी ने कहा, यह बात सही है कि हजारों आदमी कालाजार के शिकार हो गए हैं। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं, मैं इनसे मिला भी था बिहार के स्वास्थ्य मन्त्री के साथ, इनसे बातचीत भी हुई थी। इनकी भावना मैं समझ सकता हूं कि ये चिन्तित हैं और बिहार में इन्होंने दौरा भी किया है। लेकिन

दोनों सरकारों के आरोप-प्रत्यारोप में मरीज मारे जा रहे हैं मैं समझता हूं कि आरोप-प्रत्यारोप करने से काम नहीं चलेगा। भारत सरकार की भी जवाबदेही है कि सरकार कैसे इस पर रोक लगाएगी। मैं जानना चाहता हूं कि पिछले दो सालों में···(व्यवधान)···मैं कितनी बढ़िया बात कर रहा हूं, मैं कोई वैसी बात नहीं कर रहा हूं···(व्यवधान)···आपको कुछ समझ भी आ रहा है कि नहीं ? मैं सरकार से सीधे प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पिछले दो सालों में बिहार में कितने लोग कालाजार से मर चुके हैं और भारत सरकार द्वारा अभी तक कालाजार को रोकने के लिए बिहार सरकार को क्या-क्या सहायता दी गयी है। जिससे कालाजार रोगी को न सिर्फ मदद पहुंचाएं बल्कि कालाजार का उन्मूलन भी हो सके ?

श्री एम० एल० फोतेदार : अध्यक्ष महोदय, मैं किसी सरकार पर आरोप नहीं लगाना चाहता हूं।

[अनुवाद]

मैं तथ्य बता रहा हूं, चाहे जो भी तथ्य रहे हों, मैं उन तथ्यों को संसद से छिपाना नहीं चाहता। माननीय सदस्य स्वयं जानते हैं कि जब बिहार के स्वास्थ्य मंत्री उनकी उपस्थिति में मुझसे मिले थे, तो उन्होंने राज्य सरकार की असफलता को स्वीकार किया था। श्री पासवान जी मेरे विचार से आप मुझ से सहमत होंगे कि उन्होंने आपकी उपस्थिति मे स्वीकार किया था और कहा था कि राज्य सरकार असफल रही थी।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : कितने लोग हताहत हुए हैं और क्या मदद दी।

[अनुवाद]

श्री एम० एल० फोतेदार : प्राप्त सूचना के अनुसार, 44,432 मामलों का पता चला है। इसी कारण से मैंने कहा था कि इस बीमारी को सूचनीय बीमारी घोषित किया जाना चाहिए जिससे कि गांव में प्रत्येक व्यक्ति को वह अधिकार मिल जाए कि वह नीम हकीम को या डाक्टर को इस बीमारी की सूचना दे सके। कानून के तहत, वे रिपोर्ट कर सकते हैं। यह मामले केवल दर्ज किए हुए मामले हैं लेकिन ऐसे और भी मामले हो सकते हैं। इस वर्ष के दौरान, मरने वालों की संख्या 652 है। 1990 में, 54,480 मामलों की सूचना दर्ज करवाई गई थी और मृतकों की संख्या 589 थी। 1989 में, 30,903 मामले दर्ज कराए गए और मृतकों की संख्या 477 थी।

हमें करना यह है कि फरवरी-मार्च के महीनों में, हमें उन क्षेत्रों में दवा का प्रभावशाली कराना होगा जहां कालाजार के कारण महामारी फैली है, दूसरा छिड़काव अप्रैल-मई के दौरान कराना होगा; ताकि छिड़काव से 'सैंडफ्लाई' मर जाए। एक बार सैंडफ्लाई के मर जाने पर फिर कालाजार नहीं फैलेगा। जहां तक इलाज का सम्बन्ध है, हमने राज्य सरकार को बता दिया है कि चाहे कितना भी खर्च आए, हम उस खर्च को वहन करेंगे, लेकिन इसे लागू करने के लिए उन्हें आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करानी होंगी।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी जब बिहार गए थे तो इन्होंने अस्पताल देखने के बाद कहा कि ये स्लाटर हाउस हैं। इनका स्टेटमेंट आया था कि बिहार के अस्पताल स्लाटर हाउस हैं। कालाजार से बहुत लोगों की मृत्यु हुई है। मैं चैलेंज करती हूं कि ये गलत फिगर्ज दे रहे हैं। क्या सरकार इसकी जांच करवाएगी और एक महीने के अन्दर प्रतिवेदन को यहां उपस्थापित करेगी? इन्होंने जो आंकड़े दिए हैं उससे 10 गुणा ज्यादा मृत्यु हुई हैं। ···(**व्यवधान**) दस गुना ज्यादा मृत्यु हुई है। जितना बता रहे हैं उससे दस गुना ज्यादा लोग प्रभावित थे। जितने पैसे दिए गए हैं तो बिहार के पदाधिकारियों की तन्ख्वाह में बांट दिए गए हैं। क्या आप इसकी जांच करवायेंगे।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मृत्यु होने वालों की संख्या ज्यादा है तो क्या आप उसकी जांच करवायेंगे।

(**व्यवधान**)

श्रीमती कृष्णा साही : जांच करवाकर रिपोर्ट देंगे या नहीं।

[अनुवाद]

श्री एम० एल० फोतेदार : महोदय, उन्होंने पूछा है कि क्या मैंने कहा था कि बिहार में कुछ अस्पताल स्लम जैसे हैं। मुख्य मंत्री जी की उपस्थिति में मैंने जो कुछ कहा था उसे मुझे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, यहां कहने की आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

लेकिन उन्होंने कहा है कि क्या वह जांच करवायेंगे। जांच करवाने की जरूरत से पहले बीमारी को रोकना जरूरी है, बाद में जांच करवायेंगे।

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो लम्बा उत्तर दिया है तो मैं उनके आंकड़ों को चुनौती देता हूं इस मामले में और जो शिकार हुए हैं कालाजार के मामले में। लेकिन मंत्री जी ने कहा कि केन्द्र सरकार हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है। राज्य सरकार के पास इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं है और राज्य सरकार ने डिमांड नहीं रखी, यह बात इन्होंने कही है। 1982-83 में प्लानिंग कमीशन का एक एक्शन ग्रुप था, उसने एक एक्शन प्रोग्राम बनाया था। डा० हरचरण सिंह उसके संयोजक थे। उन्होंने बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश तथा कालाजार से प्रभावित प्रदेशों के लिए अलग-अलग एक्शन प्रोग्राम बनाया था। उसमें बिहार के लिए दस करोड़ रुपए कालाजार से प्रभावित हुए लोगों के लिए दवा उपलब्ध कराने के लिए···(**व्यवधान**) यह बीमारी सन् 80 से बड़े पैमाने पर फैल रही है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब आप प्रश्न पर आइए।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : एक्शन ग्रुप प्लानिंग कमीशन का था, उसका इम्पलीमेंटेशन नहीं हुआ। ...(व्यवधान) मैं सदन के सामने तथ्य रखना चाहता हूं कि उसमें नेगलीजेंस हुआ है। यह स्थिति आ गई है कि लाखों की संख्या में मरीज हैं। जितने मरीज अस्पताल में भर्ती हैं उनके लिए पैंटामिन कितनी दवा उपलब्ध है और कितनी बिहार को इम्पोर्ट करके दे रहे हैं।...(व्यवधान) कालाजार के उन्मूलन के लिए कितनी मात्रा में डी० डी० टी० और पैंटामिन देने जा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री एम० एल० फोतेदार : इन्फ्रास्ट्रक्चर राज्य सरकार को प्रोवाइड करना है। कहीं पर डाक्टर और कहीं पर कम्पाउन्डर हैं...(व्यवधान) आप घबराइए नहीं, आपको संतुष्ट करूंगा। 28400 मीट्रिक टन उनको जरूरी था। वह हमने पहुंचा दिया है। फरवरी और मार्च में उनको स्प्रे करना है। हम बिहार सरकार से इतना जानना चाहते हैं कि उन्होंने नोटिफाई डिसीज को डिक्लेयर किया या नहीं। दूसरा सवाल एस० एस० जी० का है...(व्यवधान) हम उनको 31 मार्च 1992 तक दे देंगे। उसके अलावा और भी जरूरत होगी तो हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अपनी सरकार को एक्टीवाइज करें।

कोनडिन्या वन्यजीव अभयारण्य

***369. श्री महासमुद्रम गजेन्द्र रेड्डी** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कोनडिन्या वन्यजीव अभयारण्य को हाथी संरक्षण परियोजना में शामिल करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) हाथियों के रहने के लिए दूषित हुए प्राकृतिक वातावरण को पुनः अनुकूल बनाने हेतु अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन राज्यमन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(क) और (ख) कोनडिन्या वन्यजीव अभयारण्य में रह रहे हाथी "हाथी परियोजना" के तहत प्रस्तावित नीलगिरि पूर्वीघाट हाथी रिजर्व के हाथियों में शामिल हैं। इस रिजर्व में शामिल किये जाने वाले क्षेत्रों के ब्यौरों के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लेते समय कोंडिन्या क्षेत्र को इसमें शामिल किए जाने के प्रश्न पर समुचित विचार किया जाएगा।

(ग) हाथियों के वास स्थलों में आई गिरावट की बहाली के लिए "हाथी परियोजना" के तहत निम्नलिखित कारंवाई करने का प्रस्ताव है :—

(1) जैविक दबावों में कमी तथा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर हाथियों के आवास-स्थलों का संरक्षण और सुरक्षा;

(2) विगत में हाथियों द्वारा अपने प्रवास के लिए इस्तेमाल किए जा रहे पारम्परिक कॉरीडोरों के साथ आवास स्थलों को शामिल करके उनकी बहाली;

(3) लोगों की वनों पर निर्भरता में कमी और पारि-विकास गतिविधियों के जरिये उनके जीवनस्तर में सुधार करना; और

(4) मानव-हाथी के बीच संघर्ष को कम करना और संरक्षण उपायों में जन-सहयोग सुनिश्चित करना।

श्री महासमुदम ज्ञानेन्द्र रेड्डी : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकार हाथियों के खतरे के शिकार व्यक्तियों को मुआवजा देने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना में राज्य सरकार को सहायता प्रदान करने का कोई प्रावधान है।

यदि हां, तो इसकी राशि और इस राशि को निर्धारित करने के लिए मानदण्ड सहित इसका ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं तो इसके कारण है।

श्री कमल नाथ : जंगली हाथियों के हमले के शिकार हुए व्यक्तियों को मुआवजा देने के लिए एक योजना है और इस मामले में कुछ राशि का भुगतान कर दिया गया है। 1989-90 में 1,01,000 रुपए का और 1990-91 में 38,960 रुपए के मुआवजे का भुगतान किया गया था। आंध्र प्रदेश सरकार हाथियों द्वारा मारे गए व्यक्तियों के निकट सम्बन्धियों को 10,000 रुपए का भुगतान करती है और आंध्र प्रदेश सरकार मुआवजे के रूप में 2,90,000 रुपए का भुगतान पहले ही कर चुकी है।

श्री महासमुदम ज्ञानेन्द्र रेड्डी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ जिले विशेष रूप से हाथियों के झुण्ड से हुए विभिन्न प्रकार के नुकसान को रोकने के लिए दीर्घकालिक तथा अल्पकालिक उपाय किए हैं। यदि हां, तो अपनाए गए तरीकों को ध्यान में रखते हुए तमिलनाडु और कर्नाटक के जंगलों से आंध्र प्रदेश में आने वाले लोगों को रोकने के लिए किए गए उपायों, परम्परागत हाथी निवास के पुनर्वास के प्रयासों आदि का ब्यौरा क्या है ?

श्री कमल नाथ : महोदय, आंध्र प्रदेश का अल्लीपारी और कल्याणी के बीच तिरुमल पहाड़ियों पर हाथी सफारी करने का प्रस्ताव किया है। समूचा क्षेत्र लगभग 26 कि० मी० लम्बी हाथीरोधक दीवार व खाई से घिरा हुआ होगा। हाथियों के निवास में सुधार तथा पानी की सप्लाई में वृद्धि के भी उपाय किए जाने होंगे। परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 4.1 करोड़ रुपए है। हाथी निवास के संरक्षण के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत अन्य उपाय भी हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

विश्वविद्यालयों के प्रशासन में एकरूपता

*370. श्री पी० एम० सईद : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न विश्वविद्यालयों के प्रशासन में एकरूपता लाने का है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ तैयार की गई योजना का ब्योरा क्या है; और

(ग) प्रस्तावित योजना कब तक कार्यान्वित किए जाने की सम्भावना है?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) केन्द्रीय सरकार विश्वविद्यालयों के प्रशासन में एकरूपता लाने के लिए किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

मिलावटी गुलाल

*371. **मदन लाल खुराना :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 27 फरवरी, 1991 के "इण्डियन एक्सप्रेस" में "गुलाल कैन डेमेज दि आईज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं;

(ग) यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है कि बाजार में केवल शुद्ध गुलाल की ही बिक्री हो;

(घ) वर्ष 1991 में गुलाल के कितने नमूने लिए गए थे और उनमें से कितने मिलावटी पाए गए थे; और

(ङ) बाजार में मिलावटी गुलाल की सप्लाई करने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) से (ङ) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय दृष्टिहीनता निवारण सोसायटी से उपलब्ध सूचना के अनुसार गुलाल जब बाजार में बेचा जाता है तो उससे अभ्रक समाविष्ट होता है और साधारणतया इसमें रेत, ईंट का चूरा आदि मिला होता है। होली खेलते समय गुलाल डालने पर यह रंगीन पाऊडर आंखों में घुस जाता है और कार्निया को नुकसान पहुंचा सकता है जिससे खराश होती है जिसकी वजह से नजर जा सकती है।

(ग) से (ङ) औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम में दी गई परिभाषा के अनुसार गुलाल कोई प्रसाधन सामग्री नहीं है। इसलिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय खुले बाजार में गुलाल की बिक्री को नियंत्रित नहीं करता। इसके प्रयोग के खतरनाक पहलुओं के लिए जन-शिक्षा और जागरूकता की जरूरत है।

मेडिकल कालेजों में प्रवेश

***372. प्रो० के० वी० थामस :**
श्री जे० चोक्का राव :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने-कितने मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेज हैं;

(ख) ऐसे कालेजों की संख्या कितनी है जो विशेषरूप से गैर-सरकारी संगठनों/न्यासों अथवा व्यक्तियों द्वारा चलाए जा रहे हैं;

(ग) विभिन्न कालेजों में प्रवेश हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है;

(घ) क्या ऐसे कालेजों में प्रवेश हेतु कोई एक समान प्रक्रिया बनाई गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(च) प्रवेश के लिए कैपिटेशन शुल्क अथवा बढ़ाकर शुल्क लेने वाले मेडिकल कालेजों का ब्यौरा क्या है; और

(छ) मेडिकल कालेजों द्वारा किए जा रहे इस कदाचार को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) देश में 116 मान्यता-प्राप्त मेडिकल कालेज हैं जिनका ब्यौरा इस प्रकार हैं :—

राज्य	मान्यताप्राप्त कालेजों की संख्या
1	2
आंध्र प्रदेश	9
असम	3
बिहार	9
गोवा	1
गुजरात	5
हरियाणा	1
हिमाचल प्रदेश	1

1	2
जम्मू और कश्मीर	2
कर्नाटक	13
केरल	5
मध्य प्रदेश	6
महाराष्ट्र	15
मणिपुर	1
उड़ीसा	3
पंजाब	5
राजस्थान	5
तमिलनाडु	11
उत्तर प्रदेश	9
पश्चिम बंगाल	7
संघ राज्य क्षेत्र	
दिल्ली	4
पांडिचेरी	1
कुल :	116

(ख) 16 मान्यताप्राप्त प्राइवेट मेडिकल कालेज हैं।

(ग) से (ङ) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् ने स्नातक आयुर्विज्ञान शिक्षा सम्बन्धी अपनी सिफारिश में मेडिकल कालिजों में दाखिले हेतु उम्र, न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं, मेरिट का निर्धारण करने की प्रक्रिया से सम्बन्धित मानदण्ड निर्धारित किए हैं।

उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार देश के मान्यताप्राप्त मेडिकल/डेंटल कालेजों में 15% एम० बी० बी० एस०/बी० डी० एस० सीटें तथा 25% स्नातकोत्तर सीटें पूर्ण रूप से क्रमशः सी० बी० एस० ई० तथा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के आधार पर निर्धारित मेरिट के आधार पर भरी जाती हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हताओं आदि से सम्बन्धित मानदण्डों के अनुरूप प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की अपने नियंत्रणाधीन मेडिकल कालेज में दाखिले हेतु अपनी क्रियाविधि है। केन्द्र पूल से आबंटित सीटों पर उम्मीदवारों का चयन लाभार्थी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/केन्द्रीय मन्त्रालयों द्वारा अपने-अपने मानदण्डों और क्रियाविधि के अनुसार किया जाता है।

(च) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के अनुसार देश में 25 मेडिकल कालेज केपिटेशन फीस/बढ़ाकर फीस वसूल कर रहे हैं।

(छ) सरकार का भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम में उपयुक्त संशोधन करने हेतु संसद में एक विधेयक लाने का विचार है।

स्टेडियमों की हालत

***373. कुमारी दीपिका चिखलिया :**
श्री चेतन पी० एस० चौहान :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों और स्वायत्त निकायों के अनेक खेल स्टेडियम बहुत ही खस्ता हालत में हैं;

(ख) क्या इन स्टेडियमों के ठीक रख-रखाव तथा खिलाड़ियों को उचित सुविधाएं देने के लिए सरकार इन्हें प्राइवेट पार्टियों को सौंपने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इन खेल स्टेडियमों के उचित रख-रखाव और उपयोग हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाएंगे ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) खेल विषय भारतीय संविधान की राज्य सूची में रखा गया है और संघ सरकार का, राज्य सरकारों और स्वायत्त निकायों द्वारा निर्मित खेल स्टेडियमों के रखरखाव पर सीधा नियन्त्रण नहीं है। संघ सरकार या भारतीय खेल प्राधिकरण का कोई भी स्टेडियम खस्ता हालत में नहीं है।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) रखरखाव का उत्तरदायित्व संस्थानों का है, जिनका स्टेडियमों पर स्वामित्व है।

राष्ट्रीय महिला आयोग

***374. श्रीमती गीता मुखर्जी :**
श्री कमला मिश्र मधुकर :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में महिलाओं की वास्तविक स्थिति का पता लगाने और उनके अधिकारों की रक्षार्थ उपायों का सुझाव देने के लिए दो राष्ट्रीय महिला आयोगों की स्थापना करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये आयोग राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के अन्तर्गत स्थापित किए जा रहे हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई अन्य आयोग नियुक्त किया जाएगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के अन्तर्गत राष्ट्रीय महिला आयोग स्थापित करने और महिला अधिकार आयुक्त की भी स्थापना करने का निर्णय लिया है। इस आयोग में एक अध्यक्ष, 5 सदस्य और एक सदस्य-सचिव होगा। आयोग के मुख्य कार्यों में, अन्य बातों के साथ-साथ, महिलाओं के लिए उपलब्ध कराए गए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षोपायों सम्बन्धी सभी मामलों की जांच करना, जहां आवश्यक हो मौजूदा कानूनों की संवीक्षा करना और शिकायतों की जांच करना तथा महिला अधिकारों की वंचना से सम्बन्धित मामलों पर स्वप्रेरणा से ध्यान देना, महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास की आयोजना प्रक्रिया में भाग लेना और परामर्श देना तथा महिलाओं के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करने जैसे कार्य शामिल होंगे। महिला अधिकार आयुक्त के सम्बन्ध में ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

कोंकण रेल परियोजना का वित्तपोषण

*375. **डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय :**
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोंकण रेल निगम लिमिटेड ने बांड जारी करके कोंकण रेल परियोजना के लिए धन जुटाने का प्रस्ताव किया था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ग) महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल की राज्य सरकारों तथा केन्द्र सरकार ने अब तक इस मामले में क्या-क्या योगदान दिया है;

(घ) क्या यह योगदान निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) इस परियोजना के पूरा होने की निर्धारित समयावधि क्या है ?

रेल मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी, हां।

(ख) वित्त मन्त्रालय ने प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है, अभी तौर-तरीकों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) राज्य सरकारों तथा केन्द्र सरकार द्वारा अब तक किया गया अंशदान इस प्रकार है :—

महाराष्ट्र	:	44.0 करोड़ रुपए
गोवा	:	8.7 करोड़ रुपए
कर्नाटक	:	25.0 करोड़ रुपए
केरल		7.0 करोड़ रुपए
रेल मन्त्रालय		121.0 करोड़ रुपए

(घ) से (च) वर्ष 1991-92 के लिए राज्य सरकारों द्वारा अभी निम्नलिखित राशि का और अंशदान किया जाना है : —

गोवा		3.3 करोड़ रुपए
कर्नाटक	:	5.0 करोड़ रुपए
केरल	:	5.0 करोड़ रुपए

(छ) अप्रत्याशित परिस्थितियों को छोड़कर, इस परियोजना के लगभग 4 वर्षों में पूरा हो जाने की सम्भावना है।

राजगंगपुर में क्षयरोग से ग्रस्त आदिवासी

*376. **कुमारी फ्रिडा तोपनो** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उड़ीसा सीमेंट लिमिटेड फैक्ट्री, राजगंगपुर के निकट रहने वाले अधिकांश आदिवासी क्षयरोग से ग्रस्त हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) से (ग) राज्य सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार इस समय राजगंगपुर में क्षयरोग के 654 रोगियों का उपचार चल रहा है और क्षय रोग की मौजूदा व्याप्तता दर 2.5 प्रतिशत है। विशेषज्ञ की राय के अनुसार जिन कामगारों के मुंह से सीमेंट का गर्दा अन्दर चला जाता है उन्हें श्लेष्मा अतिस्राव और अवरोधी वायु-पथ रोग हो जाता है क्योंकि इस गर्द में खतरनाक सिलिकेट के कण होते हैं जिनसे सिलकोसिस रोग होता है।

क्षयरोग की रोकथाम के लिए एक क्षयरोग क्लीनिक के साथ-साथ 10 क्षयरोग पलंग उपलब्ध हैं तथा उप-मंडलीय अस्पताल, राजगंगपुर में एक्सरे की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त,

कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, राजगंगपुर में क्षय रोगियों के लिए 16 पलंग उपलब्ध हैं। प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, उड़ीसा ने उत्पादन विधियों में परिवर्तन करने के साथ-साथ प्रदूषण नियन्त्रण विधियां अपनाने का सुझाव दिया है। सीमेंट फैक्टरी ने निर्देशों का पालन नहीं किया है जिसके लिए प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, उड़ीसा द्वारा सब-डिवीजनल न्यायिक मजिस्ट्रेट, सुन्दरगढ़ के न्यायालय में एक मामला दर्ज किया गया है। यह मामला न्यायाधीन है।

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को विमान सेवा से जोड़ा जाना

***377. श्री सी० पी० मुदालगिरियप्पा :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम क्या हैं जिन्हें अभी तक विमान सेवा से नहीं जोड़ा गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार इन्हें निकट भविष्ट में विमान सेवा से जोड़ने का हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) इस समय हरियाणा, सिक्किम और दादर तथा नागर हवेली व दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र हवाई मार्ग से जुड़े हुए नहीं हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) वाणिज्यिक और परिचालनात्मक कारणों से इस समय इन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को हवाई संपर्क से जोड़ना व्यवहार्य नहीं है।

दवाओं की खरीद

***378. श्री सनत कुमार मंडल :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 23 नवम्बर, 1991 के नई दिल्ली से प्रकाशित "द स्टेट्समैन" में दवाओं की खरीद से सम्बन्धित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं;

(ग) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में ऐसा कौनसा तन्त्र है जो बल्क क्रयादेश देने से पहले सप्लाईकर्ताओं की यह जांच करता है कि क्या उनमें निर्धारित मानदंडों के अनुसार औषधियां बनाने की योग्यता है;

(घ) क्या औषधि-निर्माता एककों से दवाएं खरीदने से पहले उनका परीक्षण किया जाता है;

(ङ) यदि हां, तो यह परीक्षण कहां तथा किसकी देखरेख में किया जाता है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) जी, हां ।

(ख) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय का चिकित्सा सामग्री भंडार संगठन, पूर्ति और निपटान महान्दिेशालय के जरिए औषधों की बल्क मात्रा में खरीद करने के अलावा उन विनिर्माताओं के पंजीकरण के लिए निर्धारित एवं सुस्थापित पद्धति का अनुपालन करता है जिनसे औषधें प्रतियोगी मूल्य पर खरीदी जाती हैं ।

(ग) विशिष्टियों के अनुसार औषधों का विनिर्माण करने के लिए आपूर्तिकर्ताओं की क्षमता का समुचित सत्यापन करने हेतु चिकित्सा सामग्री भंडार संगठन में तकनीकी रूप से अर्हताप्राप्त कार्मिक तथा जांच सुविधाएं हैं ।

(घ) जी, हां ।

(ङ) और (च) चिकित्सा सामग्री भंडार संगठन द्वारा खरीदी गई औषध के प्रत्येक बैच की जांच उसे स्वीकार करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन करनी होती है ।

बिहार में स्टेडियम और खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्रों का निर्माण

***379. श्री छेदी पासवान : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या बिहार सरकार ने राज्य में स्टेडियम और खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्रों का निर्माण करने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है;

(ग) ऐसे स्टेडियम और केन्द्र किन-किन स्थानों पर बनाये जाने की संभावना है; और

(घ) इन पर कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) गत तीन वर्षों में बिहार सरकार से 5 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं । एक विस्तृत विवरण संलग्न है ।

विवरण

क्रम सं०	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4
1.	डाल्टन गंज, जिला प्लामऊ में खेल परिसर	73.00 लाख रुपए	जांच करने पर कमियां पाई गई। राज्य सरकार को कमियां दूर करने के लिए सूचित किया गया है।
2.	संडीस कम्पाउन्ड भागलपुर में स्टेडियम का निर्माण	15.81 लाख रुपए	—यथोपरि—
3.	आर०के० मिशन विद्यापीठ, देवगढ़ में इंडोर स्टेडियम (जिम्नाजियम)	4.37 लाख रुपए	कुल स्वीकार्य वित्तीय सहायता 2.18 लाख रुपए दे दी गई है।
4.	गुम्ला में खेल परियोजना विकास क्षेत्र	46.07 लाख रुपए	केन्द्रीय सरकार ने सैद्धान्तिक रूप में परियोजना का अनुमोदन कर दिया है।
5.	बोकारो स्टील सिटी में स्टेडियम	37.00 लाख रुपए	परियोजना हमारे वर्तमान मापदण्डों के अनुसार व्यवहार्य नहीं पाई गई, इसलिए केन्द्रीय सहायता के लिए विचार नहीं किया गया। बिहार की राज्य सरकार को परियोजना में परिवर्तन करने तथा पुनः भेजने के लिए सूचित कर दिया गया है।

रेलगाड़ियों में डकैती और हत्याओं की घटनाएं

*380. **श्रीमती सुमित्रा महाजन :**
श्री राम नारायण बैरवा :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलगाड़ियों में डकैती और हत्या की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इन घटनाओं की, जोन-वार, संख्या कितनी है;

(ग) क्या इस बारे में कोई जांच कराई गई है;

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ङ) इन घटनाओं के शिकार हुए लोगों को यदि कोई मुआवजा-राशि दी गयी है, तो वह कितनी है ?

रेल मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ) ऐसे सभी मामलों की रिपोर्ट राजकीय रेलवे पुलिस के पास की जाती है, जो उन्हें दर्ज करती है तथा उनकी छानबीन करती है। राजकीय रेलवे पुलिस सम्बन्धित राज्य सरकारों के अधीन कार्य करती है।

(ङ) ऐसे मामलों में रेलवे प्रशासन द्वारा किसी प्रकार के मुआवजे का भुगतान नहीं किया जाता।

सामाजिक वानिकी कार्यक्रमों पर व्यय

*381. **श्री गंगाधरा सानीपल्ली** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष सामजिक वानिकी कार्यक्रमों पर, राज्य-वार कितनी राशि व्यय की गई है;

(ख) क्या प्राप्त परिणामों का निर्धारित उद्देश्यों और लक्ष्यों के संदर्भ में कोई मूल्यांकन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो यदि कोई कमियां हैं तो उन्हें दूर करने हेतु क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है अथवा करने विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) पिछले तीन वर्षों (अर्थात 1988-89, 1989-90 और 1990-91) के दौरान सामाजिक वानिकी सहित 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत वनीकरण/वृक्षारोपण कार्यकलापों के लिए धनराशि का राज्यवार उपयोग संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) विभिन्न राज्यों में सामाजिक वानिकी कार्यकलापों के सम्बन्ध में किए गए अध्ययनों और मूल्यांकन से पता चलता है कि इन कार्यकलापों के परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में बायोमास के उत्पादन, रोजगार के अवसरों तथा आय में वृद्धि हुई है, निजी भूमि पर फार्म वानिकी/कृषि वानिकी को बढ़ावा मिला है, कार्यकलापों में महिलाओं और स्वैच्छिक एजेंसियों की भागीदारी में वृद्धि हुई है तथा वन विभागों की अन्तः संरचना सुदृढ़ हुई है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सभी राज्यों के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत वनीकरण/वृक्षारोपण का समग्र लक्ष्य तथा उपलब्धि निम्न प्रकार है :—

लक्ष्य	उपलब्धि
8.6 मि० हैक्टेयर	8.8 मि० हैक्टेयर

वनीकरण/वृक्षारोपण कार्यकलापों की अनुवीक्षा और मूल्यांकन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है जिनके पास इस प्रयोजन हेतु अपनी व्यवस्थाएं मौजूद हैं। राज्य सरकारों को बेहतर परिणाम सुनिश्चित करने के लिए अनुवीक्षण कार्यतन्त्र को मजबूत बनाने की सलाह दी है। इसके अतिरिक्त, क्षेत्र में किए गए रोपण कार्यों की नमूना जांच करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

विवरण

20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत वनीकरण/वृक्षारोपण कार्यकलापों के लिए धनराशि का राज्यवार उपयोग

(लाख रुपयों में)

क्रम सं०	राज्य/संघ शा० प्रदेश	1988-89	1989-90	1990-91
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	3538.00	2175.00	2195.92
2.	अरुणाचल प्रदेश	451.75	315.85	336.05
3.	असम	2128.00	1354.96	343.57*
4.	बिहार	5298.00	2085.37	3519.42
5.	गोवा	118.00	130.15	117.91
6.	गुजरात	3168.00	4530.62	4754.08
7.	हरियाणा	1921.50	2347.41	3780.49
8.	हिमाचल प्रदेश	2257.50	1619.05	2023.27
9.	जम्मू और कश्मीर	1124.63	1140.77	1719.43
10.	कर्नाटक	2710.50	3938.32	3809.13
11.	केरल	2374.00	942.74	981.54
12.	मध्य प्रदेश	4672.00	2833.84	4954.37
13.	महाराष्ट्र	4194.25	5008.24	4282.57

1	2	3	4	5
14.	मणिपुर	403.50	393.32	402.00
15.	मेघालय	756.00	532.32	630.33
16.	मिजोरम	658.00	526.50	466.20
17.	नागालैंड	518.00	228.36	0.00**
18.	उड़ीसा	2667.25	2718.62	2546.50
19.	पंजाब	1035.25	1084.22	989.01
20.	राजस्थान	3202.00	3770.90	6899.04
21.	सिक्किम	235.00	267.52	424.47
22.	तमिलनाडु	3479.50	2329.61	3885.32
23.	त्रिपुरा	462.75	550.71	644.22
24.	उत्तर प्रदेश	7589.75	7804.37	8831.19
25.	पश्चिम बंगाल	3292.88	1468.44	2304.37
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	259.50	112.95	96.21
27.	चंडीगढ़	23.50	14.00	14.00
28.	दादर और नगर हवेली	111.25	96.76	107.10
29.	दिल्ली	45.00	275.99	109.48
30.	दमन व द्वीव	85.50	14.53	13.95
31.	लक्षद्वीप	7.25	10.50	18.60
32.	पांडिचेरी	48.00	58.60	86.17
	योग :	58836.01	50687.54	61285.91

*अनन्तिम (अर्थात फरवरी 91 तक)

**राज्य सरकार ने सूचित नहीं किया है ।

"आपरेशन ब्लैक बोर्ड" योजना

*382. श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी :

डा० जयन्त रंगपी :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने देश में "आपरेशन ब्लैक बोर्ड" योजना कार्यान्वित करने के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्षवार और राज्यवार कुल कितना व्यय किया है;

(ख) पढ़ाई बीच में छोड़ जाने वाले छात्रों की प्रतिशतता क्या है और इसे रोकने के लिए सरकार का राज्यवार क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा किए जाने वाले कुल प्रस्तावित व्यय का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) सूचना विवरण-I में दी गई है।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार देश में वर्ष 1987-88 में पहली कक्षा से पांचवीं कक्षा के बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों की औसत दर 46.97% थी। बीच में पढ़ाई छोड़ने वालों के राज्यवार आंकड़े विवरण-II में दिए गए हैं। बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों की दर कम करने के लिए उठाए गए मुख्य कदम इस प्रकार है :—

(I) आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अधीन अन्य सुविधाओं के साथ-साथ, प्राथमिक स्कूलों में सुविधाओं में सुधार;

(II) स्कूल छोड़ने वाले छात्रों, लड़कियों, कामकाजी बच्चों, जो पूर्णकालिक स्कूलों में पढ़ाई नहीं कर सकते तथा उन बस्तियों, जिनमें स्कूल नहीं हैं, के बच्चों के लिए अंशकालिक अनौपचारिक शिक्षा का प्रावधान;

(III) अध्यापकों की प्रभाविता में सुधार लाने के लिए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना;

(IV) 300 की जनसंख्या वाली सभी बस्तियों में तथा अ० जा०/अ० ज० जा० की बस्तियों के मामले में, 200 की जनसंख्या वाली बस्तियों में एक किलोमीटर की दूरी के भीतर प्राईमरी स्कूलों का प्रावधान; तथा

(V) सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हुए बच्चों को निःशुल्क वर्दी, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें, लड़कियों के लिए उपस्थित छात्रवृत्ति और मध्याह्न भोजन की व्यवस्था आदि प्रोत्साहनों का प्रावधान।

(ग) जब प्रस्ताव राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों से प्राप्त होते हैं और मंजूर कर दिए जाते हैं तो राज्यवार आबंटन किया जाता है। वर्ष 1991-92 के दौरान आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है।

विवरण I

1987 से 1991 के दौरान किया गया खर्च

राज्य/संघ शासित प्रदेश	87-88	88-89	89-90	90-91	कुल
1	2	3	4	5	6
आन्ध्र प्रदेश	621.62	1590.77	1209.29	2095.00	5516.68
अरुणाचल प्रदेश	63.17	71.81	46.76	82.16	263.90
असम	826.69	0.00	692.41	0.00	1519.10
बिहार	1868.41	2151.64	1407.66	1684.02	7111.73
गोआ	12.03	23.62	37.32	47.47	120.44
गुजरात	466.43	0.00	727.44	503.10	1696.97
हरियाणा	62.93	117.33	111.39	0.00	291.65
हिमाचल प्रदेश	148.75	280.94	458.09	297.03	1148.81
जम्मू व कश्मीर	156.90	347.04	0.00	0.00	503.94
कर्नाटक	168.67	853.09	537.08	717.54	2276.38

1	2	3	4	5	6
केरल	151.11	223.44	0.00	156.12	530.67
मध्य प्रदेश	1194.10	1981.26	0.00	1344.78	4520.14
महाराष्ट्र	545.03	0.00	788.33	612.22	19 5.58
मणिपुर	38.03	98.78	0.00	47.88	184.69
मेघालय	78.37	0.00	0.00	100.49	178.86
मिजोरम	11.80	22.88	8.74	8.87	52.29
नागालैंड	25.66	24.67	42.98	5.85	99.16
उड़ीसा	753.00	1105.45	864.25	1818.32	4541.02
पंजाब	334.11	384.25	115.69	219.29	1053.34
राजस्थान	1175.55	1123.68	1568.63	3456.83	7324.69
सिक्किम	41.57	9.06	0.00	15.36	65.99
तमिलनाडु	480.80	856.92	1213.02	510.24	3060.98
त्रिपुरा	42.12	0.00	49.59	7.70	99.41
उत्तर प्रदेश	1759.43	1893.44	2757.26	860.94	7271.07
पश्चिम बंगाल	0.00	384.34	0.00	349.46	733.80
*अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	8.27	0.00	8.27
चण्डीगढ़	0.00	0.00	1.17	0.00	1.17

1	2	3	4	5	6
दादरा नागर हवेली	1.99	0.00	0.00	4.14	6.13
दमन और द्वीव	0.00	1.19	0.00	0.00	1.19
दिल्ली	32.39	0.00	32.39	53.59	118.37
लक्षद्वीप	0.48	0.00	0.00	0.00	0.48
पांडिचेरी	0.00	27.20	20.32	10.72	58.24
भारत :	11061.14	13572.80	12698.08	15009.12	52341.14

विवरण-II

प्राथमिक स्तर पर छात्रों द्वारा स्कूल छोड़ने की दर

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	1987-88
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	55.03
2.	असम	55.01
3.	बिहार	65.63
4.	गुजरात	41.92
5.	हरियाणा	27.32
6.	हिमाचल प्रदेश	28.63
7.	जम्मू और कश्मीर	33.44
8.	कर्नाटक	50.16
9.	केरल	4.39
10.	मध्य प्रदेश	41.04
11.	महाराष्ट्र	39.82
12.	मणिपुर	71.67
13.	मेघालय	32.35
14.	नागालैण्ड	35.45
15.	उड़ीसा	38.97
16.	पंजाब	37.27
17.	राजस्थान	52.25
18.	सिक्किम	59.86
19.	तमिलनाडु	21.78
20.	त्रिपुरा	58.65
21.	उत्तर प्रदेश	47.65
22.	पश्चिम बंगाल	63.81
23.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	20.54

1	2	3
24.	अरूणाचल प्रदेश	58.63
25.	चंडीगढ़	4.78
26.	दादरा और नागर हवेली	36.14
27.	दिल्ली	19.76
28.	गोवा, दमन और दीव	5.33
29.	मिजोरम	37.98
30.	लक्षद्वीप	4.02
31.	पांडिचेरी	5.59
	कुल :	46.97

नवोदय विद्यालय

*383. प्रो० मालिनी भट्टाचार्य : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष देश में नवोदय विद्यालय खोलने पर कुल शिक्षा बजट का कितना प्रतिशत खर्च किया गया;

(ख) उपरोक्त अवधि में प्रत्येक राज्य में गरीबी-रेखा से नीचे रह रहे कितने बच्चे नवोदय विद्यालयों में भर्ती किए गए; और

(ग) ग्रामीण गरीबों में इस योजना को लोकप्रिय बनाने तथा उनके बच्चों को नवोदय विद्यालयों में भर्ती करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान शिक्षा पर कुल केन्द्रीय बजट में से नवोदय विद्यालय योजना पर किए गए व्यय की प्रतिशतता निम्नलिखित है :—

वर्ष	प्रतिशतता
1988-89	5.01
1989-90	5.11
1990-91	5.86

(ख) वर्ष 1989-90 में 223 नवोदय विद्यालयों से एकत्र की गयी सूचना के अनुसार, लगभग 40 प्रतिशत छात्र ऐसे परिवारों से आए जिनकी वार्षिक आय 6,000/- रु० से कम है ।

(ग) इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों से कम-से-कम 75 प्रतिशत बच्चों को नवोदय विद्यालयों में दाखिल करने की परिकल्पना है । ग्रामीण क्षेत्रों से प्रतिभाशाली बच्चों को इस योजना के प्रति आकर्षित करने के लिए और उन्हें इसकी जानकारी देने के लिए विभिन्न माध्यमों से इसका व्यापक प्रचार किया जाता है ।

इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा विमानों में दिया जाने वाला भोजन

[हिन्दी]

*384. **श्री यशवन्तराव पाटिल :**
श्री कड़िया मुण्डा :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा विमानों में दिया जाने वाला भोजन घटिया किस्म का होता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में प्रतिस्पर्धा के आधार पर निविदाएं आमंत्रित की हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा भोजन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) इण्डियन एयरलाइन्स की उड़ानों पर परोसे गए भोजन के लिए ठेकों को, टेंडरों की समीक्षा के आधार पर प्राप्त दरों और तत्पश्चात् आवश्यक समझे जाने पर, कीमत निर्धारण के लिए की गई बातचीत के आधार पर की अन्तिम रूप दिया जाता है ।

(घ) भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दृष्टि से इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं :—

(1) गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने की दृष्टि से अर्हता प्राप्त खान-पान कर्मचारियों द्वारा उड़ान-पूर्व गुणवत्ता जांच और खान-पान संस्थापनों का आवधिक निरीक्षण किया जाता है;

(2) जिन स्थानों पर भोजन तैयार किया जाता है, स्टोर किया जाता है, पूर्व-व्यवस्थित किया जाता है और लादा जाता है वहां समुचित स्वच्छता की स्थितियां सुनिश्चित करने की दृष्टि से इण्डियन एयरलाइन्स के चिकित्सा अधिकारियों द्वारा खान-पान संस्थापनों/यूनिटों का आवधिक निरीक्षण किया जाता है; और

(3) जब भी खामियां ध्यान में आती हैं खान-पान प्रबन्धकों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाती है ।

दिल्ली के स्कूलों में राष्ट्र-गान गाना

[अनुवाद]

*385. श्री गुरुदास कामत : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने अपने सभी स्कूलों को कक्षाएं प्रारम्भ करने से पहले राष्ट्र गान गाने के निदेश दिए हैं;

(ख) क्या इस निदेश का सभी स्कूलों द्वारा पालन किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस निदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) दिल्ली प्रशासन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उन्हें निर्देश को कार्यान्वित न करने के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट नहीं मिली है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

हुमनाबाद तथा हैदराबाद के मध्य सीधी रेल लाइन

4059. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हुमनाबाद से हैदराबाद तक सीधी रेलवे लाइन का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इसे कब तक शुरू किया जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

कोडरमा-गया लाइन पर रेल दुर्घटना

[हिन्दी]

4060. **श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोडरमा और गया के बीच ग्रांड कोर्ड रेल लाइन पर विशेषकर गझन्डी और गुरपा में प्रति माह एक या दो रेल दुर्घटनायें होती रहती हैं;

(ख) क्या कोई माफिया ग्रुप प्रत्येक दुर्घटना में लाखों रुपए के रेलवे के सामान की लूटमार करता है जिसके परिणामस्वरूप रेलवे को प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए का घाटा होता है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने तथा रेलवे को घाटे से बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं। चालू वित्त वर्ष के पहले आठ महीनों के दौरान ग्रांड कार्ड खंड पर गुझन्डी और गुड़ापा स्टेशनों के बीच गाड़ी के पटरी से उतरने की केवल 4 घटनायें हुई थीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) अन्यथा किए जा रहे कुछ महत्वपूर्ण उपाय हैं—मानवीय तत्व की सहायता के तकनीकी उपकरणों का उपयोग नाजुक संस्थापनाओं की गहन तथा बार-बार जांच करना, ड्राइवरों, गार्डों तथा स्टेशन मास्टरों जैसी महत्वपूर्ण संरक्षा कोटियों के कार्य निष्पादन पर नजर रखना और रेलपथ पर गश्त लगाना आदि।

उत्तर रेलवे में तकनीकी पर्यवेक्षकों के वेतन का पुनर्निर्धारण

[अनुवाद]

4061. **श्री तेजनारायण सिंह :**
श्री वी० एस० विजयराघवन :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तरी रेलवे के जल आपूर्ति विभाग में तकनीकी पर्यवेक्षकों की कुल संख्या क्या है;

(ख) क्या इन पर्यवेक्षकों को उत्तरी रेलवे के अन्य विभागों में अपने समकक्ष अधिकारियों से कम वेतन मिलता है;

(ग) क्या इन पर्यवेक्षकों के वेतन के पुनर्निर्धारण का कोई मामला काफी समय से लम्बित पड़ा हुआ है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस मामले में कब तक निर्णय ले लिए जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 5(1600-2600 के वेतनमान में 2 निर्माण निरीक्षक ग्रेड-II और 1400-2300 के वेतनमान में 3 निर्माण निरीक्षक ग्रेड-III)।

(ख) और (ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

कंटेनर निगम लिमिटेड द्वारा अर्जित लाभ

4062. **श्री एस० बी० सिदनाल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड ने 1989-90 में स्थापना के बाद से अब तक कितना लाभ अर्जित किया है;

(ख) भारतीय कंटेनर निगम ने 1989-90 तथा 1990-91 के वर्षों के दौरान कितना कारोबार किया; और

(ग) भारतीय कंटेनर निगम द्वारा अधिगृहीत अन्तर्देशीय कंटेनर डिपुओं का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड द्वारा कर उपरान्त अर्जित किया गया लाभ 1989-90 में 14.05 लाख रुपए और 1990-91 में 541.49 लाख रुपए था।

(ख) भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड ने 1989-90 के दौरान (नवम्बर, 1989 से मार्च, 1990 तक) 9.97 करोड़ रुपए और 1990-91 के दौरान 32.23 करोड़ रुपए का कारोबार किया।

(ग) भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड द्वारा भारतीय रेलों से 1-11-1989 से गुन्टूर, दिल्ली, बेंगलूर, अनपर्ती, अमीनगांव, कोयम्बत्तूर और लुधियाना में स्थित सात अन्तर्देशीय कंटेनर डिपुओं के परिचालन और प्रबन्ध का काम अपने हाथ में ले लिया गया था।

अधिकारियों के विरुद्ध जांच

4063. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 अक्तूबर, 1991 के "इण्डियन एक्सप्रेस" में "वाइफ्स डैथ ड्यू टु कैलसनेस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) जी हां। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक जांच की थी। जांच रिपोर्ट मे चिकित्सीय सहायता प्रदान करने में स्थानीय प्रशासन की ओर से कोई कठोरता या लापरवाही प्रकट नहीं होती है।

डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल ने सूचित किया है कि आक्सीजन के अभाव के सिलसिले में न्यायाधीश कुलदीप सिंह की कोई शिकायत नहीं थी।

मुख्य न्यायाधीश पी० एन० भगवती के मामले में, यह सूचित किया गया है कि रक्त में शर्करा

सम्बन्धी एक ही रिपोर्ट से किसी के बारे में मधुमेह का रोगी होने या न होने के बारे में घोषणा नहीं की जा सकती क्योंकि रक्त निकालने का समय, रक्त शर्करा का मूल स्तर, औषध देने का समय और संभावित संक्रमण आदि से पीड़ित किसी सम्बद्ध रोग की स्थिति, होने के विभिन्न घटकों के कारण रक्त में शर्करा की मात्रात्मक स्थिति घट-बढ़ सकती है ।

वायुदूत में घोटाला

[हिन्दी]

4064. **श्री सन्तोष कुमार गंगवार : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार का ध्यान 31 अक्तूबर, 1991 के दैनिक "जनसत्ता" में वायुदूत में घोटाले सम्बन्धी प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां ।

(ख) वायुदूत लिमिटेड के कुछ अधिकारियों के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की प्रबन्धकर्ता ने जांच की है । आरोप केवल एक "अनापत्ति प्रमाण-पत्र" जारी करने के सम्बन्ध में ही साबित हुए हैं जिसके लिए सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की गयी है ।

स्वतन्त्रता सेनानियों के लिए चिकित्सा सुविधाएं

[अनुवाद]

4066. **श्री भुवन चन्द्र खन्डूरी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या स्वतन्त्रता सेनानियों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० ताराबेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों में स्वतन्त्रता सेनानियों और उनके आश्रितों को पहले ही नि:शुल्क चिकित्सीय सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं । सभी राज्य सरकारों से भी, उनके द्वारा चलाए जा रहे अस्पतालों में स्वतन्त्रता सेनानियों को इसी प्रकार की सुविधायें प्रदान करने का अनुरोध किया गया है । स्वतन्त्र सैनिक सम्मान पेंशन योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय पेंशन प्राप्त कर रहे स्वतन्त्रता सेनानियों और उनके परिवार के सदस्यों को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधायें भी दी गई हैं ।

चिकित्सा उप-केन्द्रों की स्थापना

4067. **कुमारी विमला वर्मा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गए चिकित्सा उप-केन्द्रों की राज्यवार संख्या क्या है; और

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधायें देने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में 46,337 उपकेन्द्र खोले गए थे। राज्यवार स्थिति को दर्शाने वाला विवरण-I के रूप में संलग्न है ।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 9831 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 1090 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले गए थे । सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान खोले गए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या की राज्यवार स्थिति विवरण-II में दी गई है ।

मैदानी क्षेत्रों में 5000 की जनसंख्या और पहाड़ी तथा आदिवासी क्षेत्रों में 3,000 की जनसंख्या के लिए एक-एक उपकेन्द्र; मैदानी क्षेत्रों में प्रत्येक 30,000 की जनसंख्या और पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों में 20,000 की जनसंख्या के लिए एक-एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 80,000 से 1,20,000 की जनसंख्या के लिए एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का प्रस्ताव किया गया था । ग्रामीण स्तर पर प्रत्येक 1000 की जनसंख्या के लिए एक ग्रामीण स्वास्थ्य गाइड और इतनी ही जनसंख्या के लिए एक परम्परागत जन्म परिचारिका (दाई) नियुक्त करने का प्रस्ताव किया गया था ।

1991-92 के दौरान 795 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 168 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का लक्ष्य है । वित्तीय कठिनाइयों के कारण 1991-92 के दौरान और उप-केन्द्र मंजूर नहीं किए जा सके । ग्रामीण स्तर पर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवाएं प्रदान करने के लिए 1991-92 के दौरान 10,000 दाइयों को प्रशिक्षित करने का भी प्रस्ताव है ।

विवरण-I

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	728	19
2.	अरुणाचल प्रदेश	28	6
3.	असम	203	44

1	2	3	4
4.	बिहार	1205	46
5.	गोवा	7	2
6.	गुजरात	396	113
7.	हरियाणा	203	39
8.	हिमाचल प्रदेश	84	7
9.	जम्मू व कश्मीर	143	14
10.	कर्नाटक	768	48
11.	केरल	687	50
12.	मध्य प्रदेश	501	114
13.	महाराष्ट्र	107	136
14.	मणिपुर	37	3
15.	मेघालय	39	—
16.	मिजोरम	16	4
17.	नागालैंड	12	2
18.	उड़ीसा	440	25
19.	पंजाब	330	58
20.	राजस्थान	600	110
21.	सिक्किम	2	निल
22.	तमिलनाडु	950	42
23.	त्रिपुरा	17	5
24.	उत्तर प्रदेश	1934	143
25.	पश्चिम बंगाल	372	64
26.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	10	2
27.	चण्डीगढ़	—	—
28.	दादरा और नागर हवेली	2	—
29.	दमन और दीव	2	—

1	2	3	4
30.	दिल्ली	—	—
31.	लक्षद्वीप	—	—
32.	पांडिचेरी	8	—
	योग :	9831	1096

स्रोत : भारत में ग्रामीण स्वास्थ्य सम्बन्धी आंकड़ों का जून, 1991 को समाप्त तिहाई का बुलेटीन, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ।

विवरण-II

7वीं पंचवर्षीय योजनावधि में ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गए उप-केन्द्रों की राज्यवार संख्या को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उप-केन्द्रों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	1765
2.	अरुणाचल प्रदेश	100
3.	असम	3399
4.	बिहार	6500
5.	गोआ	10
6.	गुजरात	1564
7.	हरियाणा	708
8.	हिमाचल प्रदेश	550
9.	जम्मू व कश्मीर	851
10.	कर्नाटक	2829
11.	केरल	2824
12.	मध्य प्रदेश	5295
13.	महाराष्ट्र	119
14.	मणिपुर	2857

1	2	3
15.	मेघालय	119
16.	मिजोरम	98
17.	नागालैंड	58
18.	उड़ीसा	68
19.	पंजाब	1299
20.	राजस्थान	250
21.	सिक्किम	4210
22.	तमिलनाडु	50
23.	त्रिपुरा	2821
24.	उत्तर प्रदेश	242
25.	पश्चिम बंगाल	6000
26.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	1773
27.	चण्डीगढ़	—
28.	दादरा और नगर हवेली	15
29.	दमन और दीव	16
30.	दिल्ली	—
31.	लक्षद्वीप	—
32.	पांडिचेरी	—
	योग :	46·37

स्रोत : भारत में ग्रामीण स्वास्थ्य सम्बन्धी आंकड़ों का जून, 1991 को समाप्त तिमाही का बुलेटीन, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय।

राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास परियोजना

4068. श्री चित्त बसु :
कुमारी विमला वर्मा :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंजर भूमि के विकास के लिए निगमित क्षेत्र, व्यापारियों और एजेंसियों को आमंत्रित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विभिन्न राज्यों में विशेषकर मध्य प्रदेश में इस समय बंजर भूमि में खेती करने वाले भूमिहीन व्यक्तियों को आवश्यक सहायता देने के लिए सरकार की योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) वर्ष 1988 में अपनाई गई राष्ट्रीय वन नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य, समस्त वनस्पति रहित, अवक्रमित तथा अनुपजाऊ भूमि विशेष पर वनीकरण और सामाजिक वानिकी के व्यापक कार्यक्रमों के माध्यम से देश में वन तथा वृक्ष आवरण में पर्याप्त वृद्धि करना है। नीति में यह भी निर्धारित किया गया है कि व्यक्तियों और संस्थाओं को उनकी अपनी भूमि पर वृक्ष खेती शुरू करने के लिए प्रेरित किया जाए और उन्हें सहायता उपलब्ध कराई जाए, और जहां तक सम्भव हो वनों पर आधारित उद्योग कच्चे माल की अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए वृक्षारोपण करें, जिसके लिए उन व्यक्तियों के साथ सीधे सम्बन्ध स्थापित किए जाएं जो कच्चा माल प्रदान करने वाले वृक्ष उगा सकें और इसके लिए उन्हें ऋण, तकनीकी सलाह, कटाई तथा परिवहन सेवाएं आदि प्रदान की जाएं।

2. नीति के उपबन्धों के अनुपालन में निम्नलिखित के सम्बन्ध में कार्रवाई शुरू की गयी है :—

(i) घरेलू और औद्योगिक तथा शहरी जरूरतों को पूरा करने की दृष्टि से लोगों को उनकी अपनी भूमि पर फार्म वानिकी/कृषि वानिकी को बढ़ावा देना।

(ii) ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार उपलब्ध कराने तथा लोगों को अपेक्षित स्थानीय प्रजातियों की अच्छी किस्म की पौध उपलब्ध कराने के लिए विकेन्द्रित जन-पौधशालायें स्थापित करना।

(iii) निजी भूमि पर उगाए गए वृक्षों की कटाई और परिवहन पर लगे मौजूदा प्रतिबन्धों की समुचित रूप से समीक्षा करने और उनमें छूट दिए जाने के लिए राज्य सरकारों को सलाह देना।

(iv) उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, आन्ध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा तथा कर्नाटक राज्यों में वृक्ष उत्पादकों की सहकारिताएं तथा फार्म वानिकी सहकारिताएं स्थापित करना।

(v) निजी भूमि पर वनीकरण/वृक्षारोपण कार्यकलाप चलाने के लिए संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने में मदद देना।

(vi) वनीकरण और परती भूमि विकास के राष्ट्रीय प्रयास में जन भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु एक कार्यतन्त्र तैयार करने के लिए राष्ट्रीय वनीकरण कोष स्थापित करना। (इसमें किए गए अंशदान से कर में छूट दी जाती है)।

(vii) जिन अवक्रमित वन-भूमियों की सुरक्षा और विकास के लिए ग्रामीण समुदाय राजी होते हैं उन वन भूमियों से प्राप्त वनोपज में उन्हें भागीदार बनाना।

(viii) निजी और सार्वजनिक भूमि पर वनीकरण और परती विकास कार्यकलाप चलाए जाने हेतु स्वैच्छिक एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) में उल्लिखित कार्यकलापों सहित वनीकरण/वृक्षारोपण तथा परती भूमि विकास कार्यकलापों से भूमिहीनों की मदद मिलती है, विशेषकर कार्य करने के लिए श्रमिकों को लगाकर रोजगार दिलाया जाता है। जिन अवक्रमित वन भूमियों की सुरक्षा और विकास के लिए ग्राम समुदाय राजी होते हैं उन भूमियों से प्राप्त वनोपज में उन्हें भागीदार बनाया जाता है और भूमिहीन व्यक्तियों को लाभ प्रदान किए जाते हैं। आठवी पंचवर्षीय योजना, जिसे कि अन्तिम रूप दिया जा रहा है, के दौरान ऐसे कार्यकलापों का व्यापक विस्तार किया जाना प्रस्तावित हैं जिसमें रोजगार उपलब्ध कराने पर बल दिया जाएगा।

कांगड़ा घाटी में रेलवे फाटक

4069. श्री डी० डी० खनोरिया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे के कांगड़ा घाटी में रेलवे फाटक खोलने हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस सेक्शन मे जहां कि सड़कों का निर्माण हो चुका है कि कितने रेलवे फाटक खोले जाएंगे; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकार ने ग्यारह स्थानों पर फाटकों के लिए अनुरोध किया है।

(ग) राज्य सरकार द्वारा प्रारम्भिक और आवर्ती लागत वहन करने की सहमति देने तथा आवश्यक निक्षेप जमा करने के पश्चात ही रेलें वांछित सुविधा की व्यवस्था करेंगी।

अस्पतालों का आधुनिकीकरण और विस्तार

4070. श्री धर्मभिक्षम :
श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक की सहायता से कुछ चुने हुए राज्यों में कुछ अस्पतालों के आधुनिकीकरण तथा विस्तार का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) सरकार को आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्य

सरकारों में जिला/ताल्लुक स्तर के मध्यम स्तरीय अस्पतालों के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए विश्व बैंक सहायता प्राप्त करने हेतु, प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। विश्व बैंक सहायता से प्रस्तावित राशि और कार्यकलापों का राज्यवार विवरण इस प्रकार है :

क्रम सं०	राज्यों का नाम	मांगी गई सहायता (करोड़ रुपए)	प्रस्तावित कार्यकलाप
1.	आन्ध्र प्रदेश	236.70	मध्यम स्तरीय अस्पतालों, 10 बेस अस्पतालों, एक आपदा राहत प्रशिक्षण केन्द्र और एक क्षय रोग अस्पताल का विकास।
2.	कर्नाटक	172.00	13475 अतिरिक्त पलंगों की व्यवस्था करके तथा 30 पलंगों वाले प्रसूति अस्पतालों की स्थापना करके मध्यम स्तरीय अस्पतालों का विकास।
3.	मध्य प्रदेश	263.00	21370 अतिरिक्त पलंगों की व्यवस्था करके मध्यम स्तरीय अस्पतालों का विकास।
4.	उत्तर प्रदेश	169.75	छह जिलों में नए मध्यम स्तरीय अस्पतालों और 7 अपूर्ण अस्पतालों को पूरा करना।
5.	पश्चिम बंगाल	200.03	मध्यम स्तरीय अस्पतालों का दर्जा बढ़ाना तथा चुने हुए जिलों के उपसंभागीय अस्पतालों में सेवाओं और नैदानिक सुविधाओं में सुधार।

डिब्बों/वैगनों के निर्माण के लिए अनिवासी भारतीयों से सहायता

4071. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अनिवासी भारतीयों के निवेश से डिब्बों और वैगनों के निर्माण का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो अनिवासी भारतीयों की सहायता से प्रतिवर्ष कुल कितने-कितने डिब्बों और वैगनों के निर्माण का विचार है;

(ग) क्या इसके बारे में अनिवासी भारतीयों ने कोई प्रतिक्रिया जाहिर की है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

उद्योगों से होने वाला प्रदूषण

[हिन्दी]

407?. **श्री गोविन्दराव निकाम** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पर्यावरण सम्बन्धी प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों का कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार उनकी संख्या कितनी है;

(ग) पर्यावरण सम्बन्धी सन्तुलन बनाए रखने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है;

(घ) क्या पर्यावरण सम्बन्धी असन्तुलन के कारण तापमान में वृद्धि हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार का विचार इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का है ?

पर्यावरण और वन राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख. जी, हां । अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले 17 किस्म के उद्योगों का एक सर्वेक्षण किया गया है । इनका राज्यवार ब्यौरा इस प्रकार है :—

1. आंध्र प्रदेश	303
2. बिहार	67
3. हरियाणा	101
4. गोवा	7
5. गुजरात	183
6. हिमाचल प्रदेश	37
7. कर्नाटक	79
8. केरल	32
9. मध्य प्रदेश	98

10.	महाराष्ट्र	411
11.	मेघालय	1
12.	उड़ीसा	34
13.	पंजाब	48
14.	राजस्थान	49
15.	तमिलनाडु	129
16.	उत्तर प्रदेश	308
17.	पश्चिमी बंगाल	70
18.	संघशासित प्रदेश पांडिचेरी	11
19.	संघशासित प्रदेश दिल्ली	5
20.	संघशासित प्रदेश दमन, दीव, दादर और नागर हवेली	6

(ग) पर्यावरणीय सन्तुलन बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्रवाई में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत बहिस्राव और उत्सर्जन मानक निर्धारित किए गए हैं।

(2) परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक तैयार किए गए हैं।

(3) परिवेशी वायु और जल गुणवत्ता निगरानी केन्द्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है।

(4) उद्योगों के स्थान निर्धारण और प्रचालन के लिए पर्यावरणीय दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं।

(5) उद्योगों को बहिस्रावों के विसर्जनों और उत्सर्जनों को निर्धारित सीमाओं के अन्दर रखने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की सहमति अपेक्षाओं का पालन करने के लिए कहा जाता है।

(6) उद्योगों को समयबद्ध आधार पर जरूरी प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने के निदेश दिए गए हैं और दोषी इकाइयों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाती है।

(7) अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की 17 श्रेणियों की शिनाख्त की गई है और राज्य सरकारों ने इन उद्योगों को निश्चित अवधि के अन्दर बहिस्राव उत्सर्जन मानकों का अनुपालन करने के लिए कहा है।

(8) मल-जल/जल निकासी प्रणाली के निर्माण/वृद्धि करने और मल-जल शोधन की स्कीमें शुरू की गई हैं।

(9) साझे बहिस्राव शोधन संयंत्रों की स्थापना के लिए लघु औद्योगिक इकाइयों के समूह को सहायता देने की एक स्कीम शुरू की गई है।

(10) प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने और प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों से शिफ्ट करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं।

(11) मोटर वाहन नियमावली, 1989 के अन्तर्गत सभी वाहनों के लिए समग्र और व्यापक उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए गए हैं।

(12) जन-जागरूकता अभियान चलाए गए हैं।

(घ) पर्यावरणीय असन्तुलन के कारण भारत में तापमान में वृद्धि हुई है इस आशय का कोई वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

भोपाल में गैस पीड़ितों के लिए नौकरियों में आरक्षण

4073. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैस पीड़ितों के लिए भोपाल कोच रिपेयर फैक्टरी में 30 दिसम्बर, 1990 तक नौकरियों में आरक्षण का कोई प्रावधान था;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का आरक्षण की अवधि को बढ़ाने का विचार है क्योंकि भोपाल शहर अभी भी गैस से प्रभावित है; और

(ग) यदि हां, तो आरक्षण कितनी अवधि के लिए बढ़ाया जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) जी हां। हाल ही में इन आरक्षण आदेशों की वैधता 31-12-91 तक बढ़ा दी गई है।

राजस्थान में खेलों के विकास की योजनाएं

4074. **श्री कुन्जी लाल** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान सरकार तथा अन्य संगठनों से पिछले एक वर्ष के दौरान खेलों को प्रोत्साहन देने के सम्बन्ध में कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) इस सम्बन्ध में अब तक कितनी योजनाएं मंजूर की गयी हैं और कितनी योजनाएं अभी भी विचाराधीन हैं;

(ग) क्या सवाई माधोपुर जिले के लिए भी कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) आठ।

(ख) शून्य। सभी आठ मामलों में पायी गयी कमियों में सुधार हेतु राजस्थान सरकार को सूचित कर दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्तर पश्चिम दिल्ली में के० स्वा० यो० औषधालय

407**5**. **श्री सोमाभाई पटेल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर-पश्चिम दिल्ली, संसद विहार, दिल्ली में दस नव-निर्मित आवास समितियों के निवासियों के लाभ हेतु केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को किसी सरकारी समूह आवास समिति की ओर से इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार इस दिशा में क्या कदम उठा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी, नहीं।

(ख) किसी क्षेत्र में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की संख्या के आधार पर लक्ष्य आबंटन के अनुसार केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय खोलने को प्राथमिकता दी जाती है। वित्तीय कठिनाइयों के कारण संसद बिहार में सी० जी० एच० एस० औषधालय खोलने पर विचार करना सम्भव नहीं है।

(ग) जी, हां।

(घ) ऊपर (ख) में बताई गई स्थिति को देखते हुए संसद बिहार में तत्काल औषधालय खोलना सम्भव नहीं है।

अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में विद्यार्थियों की संख्या

[अनुवाद]

4076. **श्री मनोरंजन भक्त** :
श्री गुमान मल लोढ़ा :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 अक्तूबर, 1991 को संघ राज्य क्षेत्र अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में प्राथमिक,

माध्यमिक, उच्च माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा माध्यमवार विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या इन वर्गों के विद्यालयों में से किसी में अध्यापकों की कमी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अस्पताल के भवन के लिए घटिया निर्माण सामग्री

4077. **श्री जीवन शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 सितम्बर, 1991 के "ट्रिब्यून" में प्रकाशित "सब स्टैंडर्ड मैटीरियल फार हास्पिटल बिल्डिंग" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) जी, हां। तथापि रिपोर्ट में कोई सार नहीं है।

संजय गांधी राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, मुम्बई

4078. **श्री राम नाईक** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी उद्यान को राष्ट्रीय प्राणी उद्यान घोषित करने हेतु क्या मानदण्ड हैं; और

(ख) मुम्बई के निकट बोरीवली में संजय गांधी प्राणी उद्यान को राष्ट्रीय प्राणी उद्यान घोषित न करने के क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत राज्य सरकारें किसी क्षेत्र को उसकी परिस्थितिकीय प्राणिजातीय वनस्पतिजातीय, भू-आकृतिविज्ञानीय या प्राणि-विज्ञान गुण या महत्व के कारण उसमें वन्यजीवों या उसके पर्यावरण की सुरक्षा करने, संवर्धन करने के प्रयोजन से राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित कर सकती है।

(ख) महाराष्ट्र सरकार ने वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1973 की धारा 35 के अन्तर्गत जारी की गई दिनांक 4 फरवरी, 1983 की अधिसूचना के द्वारा बम्बई उपनगरीय तथा थाणे जिलों में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, बोरिवली को राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने का अपना इरादा घोषित कर दिया है। अधिनियम की उपरोक्त धारा के अन्तर्गत अन्तिम अधिसूचना, जो अभी जारी नहीं की गई है, राज्य सरकार द्वारा तभी जारी की जा सकती है जबकि राष्ट्रीय उद्यान के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र अधिकारों की जांच कर ली गई हो और उन्हें समाप्त कर दिया गया हो।

औषध कम्पनियों द्वारा गुणवत्ता नियन्त्रण

1079. श्री अर्जुन चरण सेठी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन तैयार दवाओं के क्या नाम हैं जिनके लिए अनेक कम्पनियों को निर्माण ऋण लाइसेंस दिया गया था;

(ख) क्या इनमें से प्रत्येक एकक के पास अप्रयुक्त निर्माण क्षमता है;

(ग) क्या लघु एककों के पास वांछित गुणवत्ता नियन्त्रण और जांच सुविधाएं नहीं हैं;

(घ) क्या ऐसे मामले सरकार की जानकारी में आए हैं, और यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है;

(ङ) क्या सरकार और राज्य के औषध प्राधिकरणों ने इन एककों पर ऋण लाइसेंस देने के पूर्व कोई कर लगाया है; और

(च) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० ताराबेवी सिद्धार्थ) : (क) औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और उसके अन्तर्गत बनाए नियमो के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य, औषध नियन्त्रक लाइसेंस देने के प्राधिकारी होते हैं वे ऋण लाइसेंसधारियों को निष्पन्न औषध योगों के निर्माण करने की अनुमति देते हैं। देश में लगभग 8,000 ऋण-लाइसेंसधारी हैं।

(ख) अन्य बातों के साथ-साथ औषध-योगों को तैयार करने के लिए मूल निर्माता की अनुपयोजित क्षमता को विचार में रखते हुए लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा ऋण लाइसेंस दिया जाता है।

(ग) और (घ) औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1945 के प्रावधानों के अन्तर्गत, प्रत्येक निर्माता फर्म के पास कच्ची सामग्री और अपने तैयारशुदा उत्पादों के परीक्षण के लिए उनके पास अपनी परीक्षण प्रयोगशाला होनी अपेक्षित है। राज्य के लाइसेंस देने वाले प्राधिकारी को लाइसेंस देने या उसके नवीनीकरण से पूर्व परिसर का निरीक्षण करके स्वयं सन्तुष्ट होना अपेक्षित है। राज्य औषध निरीक्षक यादृच्छिक नमूने लेकर अपने राज्यों में तैयार औषधों की गुणवत्ता की जांच करते हैं।

जब कभी भी निरीक्षण करने पर औषधि घटिया किस्म की पाई जाती है तो लाइसेंस को निलम्बित/रद्द करने जैसी कारंवाई की जाती है और या औषध और प्रशासन सामग्री अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राज्य औषध नियन्त्रक द्वारा शुरू किए गए अभियोग लगाए जाते हैं।

(ङ) और (च) औषध निर्माता को क्षेत्र का निरीक्षण करके और इससे सन्तुष्ट होने के पश्चात् कि लाइसेंस की सभी शर्तें आवेदक द्वारा पूरी की जा रही है, लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा लाइसेंस प्रदान किया जाता है।

महालक्ष्मी एक्सप्रेस का समय

4081. **श्री प्रकाश बी० पाटिल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मुम्बई से मीराज के बीच चलने वाली महालक्ष्मी एक्सप्रेस के आगमन तथा प्रस्थान के समय के बारे में पुनर्विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) वर्तमान उपयोगकर्ताओं को महालक्ष्मी एक्सप्रेस का वर्तमान समय सुविधाजनक समझा जाता है ।

जनसंख्या सम्बन्धी शिक्षा का पाठ्यक्रम शुरू करना

4082 **श्री बी० वेंकराजन** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार स्कूली शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में परिवार नियोजन विषय शामिल करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) लघु परिवार मानक स्कूल पाठ्यचर्या और प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के प्रयोग की सामग्री में समेकित जनसंख्या शिक्षा के एक विषय के रूप में सम्मिलित किया गया है । इसके अतिरिक्त प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण सामग्रियों में उत्तरदायी अभिभावकत्व, विवाह की उचित आयु, जनसंख्या वृद्धि और पर्यावरण, जनसंख्या और विकास पर संदेश सम्मिलित हैं । हायर सैकेण्डरी स्तर पर व्यावसायिक वर्ग मे स्वास्थ्य सम्बन्धी पाठ्यक्रम प्रदान किए गए हैं ।

गर्भ-निरोधक गोलियां

4083. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में गर्भ-निरोधक सामाजिक विपणन कार्यक्रम के अन्तर्गत महिलाओं के प्रयोग के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की कम खुराक वाली गर्भ-निरोधक आरम्भ की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इससे यदि कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो वह क्या है; और

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में इसे लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत महिलाओं के लिए गर्भ-निरोधक सामाजिक विपणन कार्यक्रम में कम खुराक वाली गर्भ निरोधक गोलियां, जिसमें प्रत्येक गोली में 30 मि० ग्रा० डेलनार थेजेस्ट्रेल तथा 0.03 मि० ग्रा० इथिनिल एस्ट्रेडायल होती है, शुरू की गई हैं। ये गोलियां माला-डी, इक्रोज तथा पर्ल के ब्रांड नामों से उपलब्ध हैं। जहां माला-डी पूरे देश में चुनिंदा फार्मेस्यूटिकल कम्पनियों द्वारा प्रति चक्र 2/- रु० के उपभोक्ता मूल्य पर बेची जाती है वहां कुछ राज्यों में अन्य ब्रांडों की गोलियां चुनिंदा स्वयंसेवी संगठनों द्वारा सम्बन्धित स्वयंसेवी संगठनों द्वारा निर्धारित मूल्यों पर बेची जाती हैं।

इनके कुछ गौण प्रभाव हैं :—मतली, कै होना, चक्कर आना, स्तन मृदुलता, पीठ में दर्द होना, सिर दर्द, मासिक धर्म धब्बों के रूप में आना तथा रुक-रुक कर रक्तस्राव होना। इन लक्षणों में से कुछेक लक्षण इन गोलियों के निरन्तर इस्तेमाल से समाप्त हो जाएंगे।

(ग) पूरे देश में जन-प्रचार माध्यमों में माला-डी का विज्ञापन देने के अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश में बिक्री को बढ़ाने के लिए एसोसिएटिड विपणन कम्पनियों तथा स्वयंसेवी संगठनों को प्रोत्साहित किया जाता है।

इसके अलावा मुफ्त वितरण योजना के अन्तर्गत कम खुराक वाली मुख-सेव्य गर्भ-निरोधक गोलियां माला-एन के ब्रांड से भी उपलब्ध हैं जिन्हें शहरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी तन्त्र अर्थात् परिवार कल्याण केन्द्रों/उपकेन्द्रों/कार्यकर्ताओं तथा कुछेक गैर-सरकारी/स्वयंसेवी संगठनों द्वारा वितरित किया जाता है।

लुमडिंग-बदरपुर सेक्शन का विस्तार

4084. **श्री उद्धव बर्मन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिहाकू क्षेत्र में स्थित लुमडिंग-बदरपुर सेक्शन की जमीन धंस रही है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या लुमडिंग से बदरपुर और आगे सिलचर तक पूरे रेलवे लाइन को सुदृढ़ बनाने की योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) दिहाकू स्टेशन धंस नहीं रहा है, गाड़ी परिचालन सामान्य है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) लाइन पर पड़ने वाले गाड़ी भारों के लिए, रेलपथ को अपेक्षित सुदृढ़ता की स्थिति में बनाए रखा जाता है, इसलिए इस खंड के सुदृढ़ीकरण की कोई योजना नहीं है।

आंध्र प्रदेश में रेल लाइनों को हुई क्षति

4085. श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में प्राकृतिक विपदाओं के कारण अनेक रेल मार्ग प्रभावित हुए और रेल सम्पत्ति को क्षति पहुंची;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी लम्बी रेल लाइनों को क्षति पहुंची और रेल विभाग को कुल कितनी क्षति हुई; और

(ग) इन रेलमार्गों को पुनः चालू हालत में लाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) विभिन्न स्थानों पर कुल 500 मीटर लम्बी रेल लाइन को क्षति पहुंची थी। क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण रेल परिसम्पत्ति को लगभग 2.50 करोड़ रु० की हानि होने का अनुमान लगाया गया है।

(ग) क्षतिग्रस्त रेलपथ का पुनर्स्थापन कर दिया गया है।

"दक्षिण अफ्रीका की टीम बिना वीजा के आई थी" शीर्षक से समाचार

[हिन्दी]

4086. श्री खारे लाल जाटव : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 नवम्बर, 1991 के दैनिक जागरण में "दक्षिण अफ्रीका की टीम बिना वीजा के आई थी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में तथ्य क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेट टीम, मीडियाकारों तथा अन्य शिष्टमण्डलों को 15 दिन के लिए ग्रुप लैंडिंग परमिट प्रदान किया था, ताकि समयाभाव के कारण उनके प्रवेश में सहायता मिल सके।

रांची के आदिवासी लड़कों का हाकी टूर्नामेंट में प्रदर्शन

[अनुवाद]

4087. श्री पीयूष तीरकी :

श्री गोविन्द चन्द्र मुण्डा :

क्या मानव संसाधन विकासमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत पांच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय जूनियर हाकी टूर्नामेंटों में रांची के आदिवासी लड़कों द्वारा दिखाए गए उत्कृष्ट प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए सरकार का रांची में एक हाकी प्रशिक्षण संस्थान/केन्द्र खोलने/स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो आदिवासी लोगों में खेल प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए उक्त संस्थान कब तक कार्य आरम्भ कर देगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) भारतीय खेल प्राधिकरण पहले ही विशेष क्षेत्र खेल योजना के अन्तर्गत हाकी में प्रतिभा खोज और पोषण केन्द्र 1987-88 में रांची में स्थापित कर चुका है।

(ख) और (ग) भारतीय खेल प्राधिकरण की विशेष क्षेत्र खेल योजना के अन्तर्गत भारतीय खेल प्राधिकरण ने छोटा नागपुर क्षेत्र के 24 आदिवासी लड़कों और 18 आदिवासी लड़कियों का चयन किया है तथा उन्हें शैक्षिणिक/व्यावसायिक प्रशिक्षण, भोजन, कोचिंग तथा खेल विज्ञान आदि जैसी सहायता प्रदान कर रहा है।

लिपिक श्रेणी में भर्ती

[हिन्दी]

4088. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे भर्ती बोर्डों द्वारा वर्ष 1990 तथा 1991 में अब तक की अवधि के दौरान आयोजित लिपिक श्रेणी की विभिन्न परीक्षाओं का बोर्डवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन परीक्षाओं के परिणाम अखबारों में प्रकाशित होते हैं; और

(ग) यदि हां, तो उन समाचारपत्रों के नाम और उनकी प्रकाशन तारीख सम्बन्धी ब्यौरा क्या है जिनमें ये परिणाम प्रकाशित हुए हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) (से ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पुरातत्व संग्रहालय में चोरी की घटनाएं

[हिन्दी]

4089. **श्री बाऊ दयाल जोशी** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन स्थानों पर पुरातत्व संग्रहालय स्थित हैं और उनके वर्गीकरण का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष इन संग्रहालयों में हुई चोरियों की संख्या कितनी है; और

(ग) सरकार ने इस बारे में क्या कार्रवाई की है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन पुरातत्व स्थल सग्रहालयों, जो केन्द्रीय संरक्षित स्थलों एव स्मारकों का अभिन्न अंग हैं, की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) नागार्जुनकोंडा और सांची के स्थल संग्रहालयों में पिछले दो वर्षों के दौरान चोरी के दो मामलों की सूचना मिली है ।

नागार्जुनकोंडा से चुराई गई आठ वस्तुएं पुनः प्राप्त कर ली गई हैं। सूचना मिली है कि सांची संग्रहालय से ताम्बे की एक घंटी गुम हो गई है। यह मामला गुप्तचर एजेन्सियों को जांच के लिए सौंप दिया गया है।

विवरण

पुरातत्व संग्रहालयों की सूची

1. भारतीय युद्ध स्मारक संग्रहालय	लाल किला	दिल्ली
2. लाल किला संग्रहालय	—उक्त—	—उक्त—
3. पुराना किला संग्रहालय	नई दिल्ली	नई दिल्ली
4. सारनाथ संग्रहालय	सारनाथ	उत्तर प्रदेश
5. ताजमहल संग्रहालय	आगरा	उत्तर प्रदेश
6. रोपड़ संग्रहालय	पंजाब	पंजाब
7. कालीबंगन संग्रहालय	राजस्थान	राजस्थान
8. सांची संग्रहालय	सांची	मध्य प्रदेश
9. खजुराहो संग्रहालय	खजुराहो	मध्य प्रदेश
10. ग्वालियर संग्रहालय	ग्वालियर	मध्य प्रदेश
11. चंदेरी संग्रहालय	चंदेरी	मध्य प्रदेश
12. नालन्दा संग्रहालय	नालन्दा	बिहार
13. वैशाली संग्रहालय	वैशाली	बिहार
14. बोध गया संग्रहालय	बोध गया	बिहार
15. रत्नागिरि संग्रहालय	रत्नागिरि	उड़ीसा
16. कोणार्क संग्रहालय	कोणार्क	उड़ीसा

17. किला सेंट जार्ज संग्रहालय	मद्रास	तमिलनाडु
18. अमरावती संग्रहालय	अमरावती	आंध्र प्रदेश
19. नागार्जुनकोंडा संग्रहालय	नागार्जुनकोंडा	आंध्र प्रदेश
20. चन्द्रगिरि संग्रहालय	चन्द्रगिरि	आंध्र प्रदेश
21. कोंडापुर संग्रहालय	कोंडापुर	आंध्र प्रदेश
22. मट्टनचेरी महल संग्रहालय	कोचीन	केरल
23. हम्पी संग्रहालय	हम्पी	कर्नाटक
24. बीजापुर संग्रहालय	बीजापुर	कर्नाटक
25. एहोले संग्रहालय	एहोले	कर्नाटक
26. बादामी संग्रहालय	बादामी	कर्नाटक
27. टीपू सुल्तान संग्रहालय	श्रीरंगपट्टन	कर्नाटक
28. हेलीबिड संग्रहालय	हेलीबिड	कर्नाटक
29. वेल्हा गोवा संग्रहालय	गोवा	गोवा
30. लोथल संग्रहालय	लोथल	गुजरात
31. हजारद्वारी महल संग्रहालय	मुर्शिदाबाद	पश्चिम बंगाल

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना

4090. **श्री भीम सिंह पटेल :**
श्री सुशील चन्द्र वर्मा :
श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा :
श्री पीयूष तीरकी :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का वर्ष 1992-93 के दौरान नए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना का विचार है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार ये विश्वविद्यालय किन-किन स्थानों में स्थापित किए जाएंगे तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) असम के सिल्चर और नागालैण्ड के लुमानी में केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए विधान तैयार किया गया है। असम के तेजपुर में भी एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के सम्बन्ध में सिद्धांत रूप से स्वीकृति दे दी गई है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

एयर इण्डिया की लाटरी योजना

[अनुवाद]

4091. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में एयर इण्डिया द्वारा "महालकी राजा योजना" नाम से कोई लाटरी योजना शुरू की गई है;

(ख) यदि हां, तो उस योजना का ब्योरा क्या है और इसे चलाने के लिए क्या नियम बनाये गये हैं;

(ग) इस योजना के अन्तर्गत कितनी धनराशि एयर इण्डिया को प्राप्त हुई है; और

(घ) इस योजना की उपयोगिता के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (घ) जी, हां। 20 सितम्बर से 30 नवम्बर, 1991 तक की अवधि के दौरान एयर इण्डिया से तथा भारत में खरीदी गई टिकटों पर यात्रा करने वाले यात्री इस योजना के अन्तर्गत आते थे। विजेता एयर इण्डिया नेटवर्क पर कतिपय गंतव्य स्थानों के लिए निःशुल्क टिकटों के पात्र थे। यह योजना, एयर इण्डिया की मन्दी की अवधि में यात्रियों के बीच एयर इण्डिया की छवि बढ़ाने के उद्देश्य से प्रारम्भ की गई थी। यह उद्देश्य पूरा हो गया ।

खनिज जल

4092. **प्रो० अशोक आनन्दराव देशमुख** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रजत आयनन प्रक्रिया द्वारा खनिज जल बनाने की प्रक्रिया पर अन्तर्राष्ट्रीय रूप से रोग लगाई गई है क्योंकि इसका स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो रजत आयनन प्रक्रिया द्वारा खनिज जल बनाने वाली कम्पनियों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या इस प्रक्रिया पर रोक लगाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (घ) सभी संगत विषाक्तता सम्बन्धी कारकों पर विचार करने के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पेयजल में रजत आयनन की 0.05 मिग्रा०/ली की अनुमत्य सीमा निर्धारित की है । इस

बारे में भारतीय मानक संहिता ब्यूरो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित अनुमत्य सीमा का पालन करता है ।

पूर्वोत्तर क्षेत्रों में हेलीकाप्टर सेवा

4093. **श्री लाइता उम्ब्रे** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्वतीय स्थानों के लिए हेलीकाप्टर सेवा शुरू करने का है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यह सेवा कब से शुरू किए जाने की संभावना है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) पूर्वोत्तर क्षेत्र में हेलीकाप्टर सेवाएं शुरू करने का इस समय कोई परिशिष्ट परियोजना प्रस्ताव नहीं है । ऐसी सेवायें शुरू करने की संभावना तकनीकी-आर्थिक सक्षमता सुनिश्चित करने पर निर्भर करेगी ।

रेलवे में वेंडरों के लिए कमीशन का प्रतिशत

4094. **श्री सूर्य नारायण सिंह** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का रेलवे खान-पान सेवा के कमीशन वेंडरों के कमीशन का प्रतिशत बढ़ाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) वेंडरों को देय कमीशन भिन्न-भिन्न मदों के बिक्री मूल्य तथा बिक्री की मात्रा से जुड़ा है । मदों के बिक्री मूल्य तथा बिक्री की मात्रा में वृद्धि हो जाने पर वेंडरों का कमीशन स्वतः बढ़ जाता है । बिक्री मूल्यों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है ।

भोपाल से मुम्बई तक नई रेलगाड़ी चलाना

[हिन्दी]

4095. **श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भोपाल और मुम्बई के बीच भारी यात्री यातायात को देखते हुए एक नई रेलगाड़ी चलाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) परिचालनिक कठिनाई तथा संसाधनों की तंगी के कारण।

पठानकोट से मुम्बई तक रेलगाड़ी चलाना

4096. **श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पठानकोट से बरहामपुर होते हुए मुम्बई तक एक नई रेलगाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) परिचालनिक कठिनाई और संसाधनों की तंगी।

आपरेशन ब्लैक बोर्ड

[अनुवाद]

4097. **श्री वी० कृष्ण राव** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क क्या "आपरेशन ब्लैक बोर्ड" द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी प्राथमिक विद्यालयों में आधारभूत सुविधाएं प्रदान कर दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) लक्ष्य को कब तक प्राप्त करने की संभावना है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रारम्भ में इस योजना का लक्ष्य वर्ष 1987-88 के दौरान 20 प्रतिशत ब्लाकों को, वर्ष 1988-89 में 30 प्रतिशत तथा वर्ष 1989-90 के दौरान शेष 50 प्रतिशत ब्लाकों को शामिल करना था; तथापि संसाधनों की कमी के कारण इस योजना अवधि को और आगे बढ़ाना पड़ा, अभी तक, यह योजना देश के 69 प्रतिशत ब्लाकों में लागू की जा सकी है जिसमें 64 प्रतिशत प्राइमरी स्कूल शामिल हैं।

(ग) आठवीं योजना के दौरान शेष सभी ब्लाकों को इसमें शामिल कर लिया जाएगा।

वेतन का निर्धारण

[अनुवाद]

4098. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों के परिणामस्वरूप शिक्षा निदेशालय (उत्तरी जिला), दिल्ली प्रशासन के सरकारी स्कूलों के उपप्रधानाचार्यों के 2000-3500 रु० के वेतनमान के वेतन निर्धारण के बाद कुछ असमानताएं पैदा हो गई हैं; और

(ख) सरकार ने अवकाश प्राप्त प्रभावित कर्मचारियों से सम्बन्धित असमानताओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) दिल्ली प्रशासन उनके वित्त विभाग के परामर्श से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों सहित प्रभावी कर्मचारियों के मामलों पर कार्रवाई कर रहा है ।

कायमकुलम स्टेशन पर यात्री सुविधाएं

4099. श्री टी० जे० अंजलोज : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में कायमकुलम स्टेशन पर छतयुक्त प्लेटफार्मों सहित आवश्यक यात्री सुविधाएं प्रदान करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां ।

(ख) कायनकुलम स्टेशन पर संभाले जाने वाले यातायात के अनुरूप यात्री सुविधाएं कायनकुलम-क्यूल दोहरीकरण कार्य के भाग के रूप में मुहैया कराई जा रही हैं, जो इस समय प्रगति पर हैं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह में चिकित्सा सुविधाएं

4100 श्री गुमान मल लोढा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अण्डमान-निकोबार द्वीपसमूह में कोई पूर्णतया विकसित सामान्य अस्पताल है जहां चिकित्सा एवं शल्य-चिकित्सा की विभिन्न शाखाओं से सम्बन्धित विशेषज्ञों सहित आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या अनेक क्षेत्रों से सम्बन्धित विशेषज्ञों के न होने के कारण अनेक मरीजों को मद्रास/कलकत्ता के अस्पतालों में भेज दिया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो किन-किन क्षेत्रों में विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं हैं तथा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

नीलम्बूर-फेरोक लाइन

4101. **श्री ई० अहमद :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मंजेरी से होकर नीलम्बूर-फेरोक लाइन का निर्माण करने हेतु प्रारम्भिक सर्वेक्षण करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण का कार्य कब तक आरम्भ किए जाने की संभावना है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां ।

(ख) इसे पहले ही शुरू किया जा चुका है ।

बेरोजगार नेत्रहीन विद्वान

[हिन्दी]

4102. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुछ नेत्रहीन विद्वान, जिनके पास एम० फिल तथा पी० एच० डी० की डिग्री है, बेरोजगार हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार इन उच्च शिक्षा प्राप्त नेत्रहीनों के लिए कुछ पद आरक्षित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसे व्यक्तियों की सहायतार्थ उठाए गए अन्य कदमों का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) से (घ) इस समय ग्रुप सी और डी में निर्धारित पदों पर सीधे भर्ती के सम्बन्ध में आंखों से विकलांग व्यक्तियों को एक प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है । तथापि, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण शुरू करने के एक प्रस्ताव पर वे विचार कर रहे हैं, जिससे केन्द्रीय सरकार के ग्रुप-ए और बी पदों में आंखों से विकलांग व्यक्ति भी शामिल होंगे ।

मोरेग्राम और बल्लालपुर (पू० रे०) पर पुल

[अनुवाद]

4103. **श्री जायनल अबेदिन :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या (हावड़ा-फरक्का खंड) राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 34 पर मोरेग्राम और बल्लालपुर पर सड़क उपरि पुलों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो ये कब से चालू हो जायेंगे;

(ग) अगर निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है तो, क्या इसको पूरा करने के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम बनाया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, अभी नहीं ।

(ख) इन ऊपरी पुलों का चालू किया जाना राज्य सरकार द्वारा पुल के पहुंच मार्गों को पूरा किए जाने पर निर्भर करेगा ।

(ग) और (घ) रेलों द्वारा दोनों ऊपरी सड़क पुलों के लिए रेलपथ पर "पुल" खास का निर्माण पहले ही कर दिया गया है । राज्य सरकार द्वारा पुल के पहुंच मार्गों का निर्माण कार्य नीचे लिखी तिथियों तक पूरा किए जाने की संभावना है :

मोरेग्राम	—	31-3-92
बल्लालपुर	—	30-6-92

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के निर्णयों का क्रियान्वयन

4104. **डा० सुधीर राय :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (की प्रधान शाखा) ने गत तीन वर्षों के दौरान कर्मचारियों को जोन-वार कितने मामलों का निपटान किया है;

(ख) उनमें से उन मामलों की जोन-वार संख्या कितनी है जिनको अब तक क्रियान्वित नहीं किया गया है;

(ग) इन निर्णयों के क्रियान्वयन में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इनको कब तक लागू किए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

वन-भूमि विस्तार हेतु केरल को सहायता

4105. **श्री कोडीकुन्नील सुरेश** : क्या **पर्यावरण और वन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार को इस राज्य में वन भूमि का विस्तार करने के लिए सहायता देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की गई है ?

पर्यावरण और वन राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) राज्य सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। फिर भी, विभिन्न स्कीमों के तहत 1991-92 तक राज्य सरकार को प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता इस प्रकार है :

स्कीमों के नाम	**(रुपए लाखों में)**
जलाने की लकड़ी और चारा स्कीम परियोजना	50.00
लघु वन उत्पाद	0.20
बीज विकास स्कीम	16.35
विकेन्द्रित जन नर्सरी	99.38

वरदराजन समिति की रिपोर्ट

[हिन्दी]

4106. **श्री भगवान शंकर रावत** : क्या **पर्यावरण और वन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने वरदराजन समिति की रिपोर्ट स्वीकार कर ली है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इन सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या कार्यवाही की है; और

(ग) यदि अभी तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) आगरा में

ताजमहल तथा अन्य ऐतिहासिक स्मारकों पर प्रस्तावित मथुरा तेलशोधन कारखाने के पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में सरकार को तथा इण्डियन आयल कारपोरेशन को सलाह देने के लिए पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय ने दिनांक 16 जुलाई, 1974 के अपने ज्ञापन के तहत श्री एस० वरदराजन की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। समिति ने निम्नलिखित सिफारिशें की :—

(1) आगरा क्षेत्र में स्थित उत्तर प्रदेश बिजली बोर्ड के 2 कोयला आधारित संयंत्रों (प्रत्येक की क्षमता 10 मे० वा०) को बन्द करना।

(2) आगरा के रेलवे मार्शलिंग यार्ड में कोयला से चलने वाले लोकोमोटिवों को डीजल लोकोमोटिव बनाना।

(3) ताजमहल के उत्तर-पूर्व में प्रदूषण फैलाने वाले किसी नए उद्योग की स्थापना न की जाए।

(4) मौजूदा छोटे उद्योगों विशेषकर फाउन्ड्रियों को ताजमहल से दूर आगरा के दक्षिण-पूर्व में स्थानांतरित किया जाए।

(5) तेलशोधक कारखाने के आस-पास उर्वरक और पैट्रो-रासायनिक जैसे नए बड़े उद्योगों की स्थापना न की जाएं। आगरा में किसी नए उद्योग के स्थान का चयन इस तरह किया जाए ताकि स्मारकों वाले क्षेत्र में पर्यावरणीय प्रदूषण में किसी तरह की वृद्धि न होने पाए।

(6) आगरा क्षेत्र में प्रदूषण स्तर की किसी उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा लगातार अध्ययन किया जाना चाहिए। क्या स्मारकों में कोई खराबी आई है, इस बात का निर्धारण करने के लिए आवधिक अध्ययन किए जाने चाहिए और यदि कोई खराबी आई है तो उसे रोकने के उपाय किए जाने चाहिए। समिति ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा इस तरह के अध्ययन करने की सिफारिश की।

(7) मथुरा तेल-शोधक कारखाने के विद्युत संयंत्र में कोयले के इस्तेमाल को तब तक रोक दिया जाना चाहिए जब तक कि इससे होने वाले उत्सर्जनों को कम करने के लिए कोई प्रौद्योगिकी उपलब्ध न हो जाए।

(8) तेल-शोधक कारखाने और आगरा के मध्य कम से कम तीन परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों की स्थापना की जानी चाहिए।

इन सभी सिफारिशों को कार्यान्वित किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

लाइफलाइन एक्सप्रेस

[अनुवाद]

4107. श्री आर० धनुषकोडी आदित्यन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "लाइफलाइन एक्सप्रेस" नामक गाड़ी पर खोला गया प्रायोगिक अस्पताल देश के विभिन्न भागों में सुदुर क्षेत्रों को चिकित्सा सुविधायें प्रदान करने में सफल पाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार प्रत्येक राज्य में स्थायी तौर पर ऐसी अस्पताल गाड़ियां चलाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० ताराहेवी सिद्धार्थ) : (क) लाइफलाइन एक्सप्रेस ने बिहार के दूरदराज के दो क्षेत्रों का दौरा किया है और अब तक 3789 रोगियों का उपचार किया है।

(ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

एयर इण्डिया की उड़ानों में वृद्धि

[हिन्दी]

4108. **श्री सुरेशानन्द स्वामी** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अन्तर्राष्ट्रीय मार्ग पर एयर इण्डिया की उड़ानों की संख्या बढ़ाने पर विचार कर रही है ताकि और अधिक विदेशी पर्यटकों को प्रोत्साहन दिया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी विस्तृत ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) पर्यटन को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से एयर इण्डिया ने हाल ही में (27-10-1991 से प्रभावी) भारत-सिंगापुर मार्ग पर अपनी प्रति सप्ताह 7 उड़ानों में वृद्धि करके इसे प्रति सप्ताह 10 कर दिया है और भारत-जापान मार्ग पर प्रति सप्ताह 4 से बढ़ाकर प्रति सप्ताह 6 कर दिया है।

आन्ध्र विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा शोध प्रायोजना (प्रोजेक्ट)

[अनुवाद]

4109. **श्री सी० एम० सी० बालयोगी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय के विभिन्न छात्रों द्वारा 1990 और 1991 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को बड़ी संख्या में प्रस्तुत की गई शोध प्रायोजनायें (प्राजेक्ट्स) अनिर्णीत पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और विषयवार प्रायोजनाएं प्रस्तुत किए जाने की तिथियां क्या-क्या हैं;

(ग) प्रायोजनाओं को स्वीकृति में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इन्हें कब तक स्वीकृति मिल जाएगी ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आरक्षित पद

4110. **श्री हरिकेवल प्रसाद :**
श्री सोमजी भाई डामोर :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेल में जोनवार कितने आरक्षित पद विभिन्न श्रेणियों में रिक्त पड़े हैं;

(ख) इन रिक्तियों को न भरने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन पदों को कब तक भरा जाएगा ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) से (ग) कोई आरक्षित पद खाली नहीं रखा जाता। वास्तव में, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार उपलब्ध न होने की स्थिति में, आरक्षित पदों का अनारक्षण करके उन्हें सामान्य उम्मीदवारों द्वारा भर लिया जाता है और आरक्षित बिन्दुओं को अग्रेनीत कर लिया जाता है। लेकिन, भर्ती की कोटियों में, जहां अनारक्षण पर 1-4-1989 से प्रतिबन्ध लगा हुआ है, ऐसा नहीं किया जाता। बहरहाल, 30-4-1991 को क्षेत्रीय रेलों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कोटे में रह गए बकाया नीचे लिखे अनुसार थे :—

30-4- 991 को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कोटे में रह गए बकायों का विवरण

ग्रुप "ए"				ग्रुप "बी"			
भर्ती		पदोन्नति		भर्ती		पदोन्नति	
अ०जा०	अ०ज०जा०	अ०जा०	अ०ज०जा०	अ०जा०	अ०ज०जा०	अ०जा०	अ०ज०जा०
2	2	इस ग्रुप में रिक्तियों को अग्रेनीत करने की कोई व्यवस्था नहीं है।		ये पद ग्रुप "सी" से पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं।		इस ग्रुप में रिक्तियों को अग्रेनीत करने की कोई व्यवस्था नहीं है।	

रेलवे	ग्रुप "सी"				ग्रुप "डी"			
	भर्ती		पदोन्नति		भर्ती		पदोन्नति	
	अ०जा०	अ०ज० जा०	अ०जा०	अ०ज० जा०	अ०जा०	अ०ज० जा०	अ०जा०	अ०ज० जा०
मध्य	33	85	1421	2013	—	—	310	453
पूर्व	6	34	487	880	—	—	29	198
उत्तर	125	102	789	1808	300	524	114	400
पूर्वोत्तर	113	79	998	1728	272	79	469	765
पूर्वोत्तर सीमा	10	54	177	256	21	23	66	128
दक्षिण	40	58	547	2921	13	1	30	743
द० म०	14	28	535	1275	3	13	173	435
द० पूर्व	94	129	1413	1526	119	296	629	989
पश्चिम	227	424	2580	2366	61	195	410	327

भर्ती और पदोन्नति की कोटियों में कमी का मुख्य कारण होता है—अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पात्र/उपयुक्त उम्मीदवारों का, विशेषकर तकनीकी कोटियों के लिए, उपलब्ध न होना। इसके अलावा, ऐसे संवर्गों में, जहां संवर्ग संख्या में अ० जा०/अ० ज० जा० का प्रतिनिधित्व अनुसूचित जाति के मामले में 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति के मामले में 7½ प्रतिशत तक पहुंच गया है, न्यायालय के आदेशों के कारण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की पदोन्नति के लिए आरक्षण की व्यवस्था करने से रेलवे प्रशासनों पर रोक लगा दिए जाने के फलस्वरूप, कतिपय पदोन्नति कोटियों में कमी को पूरा करना सम्भव नहीं हो पाता। बहरहाल, न्यायालय के आदेशों द्वारा लगाए गए प्रतिबन्धों के भीतर कमी को यथासम्भव पूरा करने का भरसक प्रयास किया जा रहा है।

प्रारम्भिक भर्ती और पदोन्नतियों में विभिन्न रियायतें और छूट देकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों के कोटे को यथाशीघ्र भरने का पूरा प्रयास किया जा रहा है।

विमानपत्तनों पर धातु खोजी यंत्र

4111. श्री एम० कृष्णास्वामी : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी विमान-पत्तनों को धातु खोजी यंत्र उपलब्ध करा दिए गए हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार सुरक्षा व्यवस्था में सुधार करने हेतु सभी विमानपत्तनों पर बम या विस्फोटक पदार्थों का पता लगाने के यंत्र स्थापित करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) 74 महत्वपूर्ण हवाई अड्डों पर 131 डोर फ्रेम धातु खोजी यंत्र लगाए गए हैं। सभी 114 हवाई अड्डों पर 460 हस्तधारित धातु खोजी यंत्र सप्लाई किए गए हैं।

(ख) निम्नलिखित संवेदनशील हवाई अड्डों पर विस्फोटक पदार्थों का पता लगाने के लिए यंत्र पहले ही स्थापित किए गए हैं —(1) बम्बई, (2) दिल्ली, (3) मद्रास, (4) कलकत्ता, (5) त्रिवेन्द्रम, (6) त्रिची, (7) चण्डीगढ़, (8) गोवा, (9) हैदराबाद, (10) अमृतसर, (11) वाराणसी, (12) जम्मू और (13) जयपुर।

आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान अन्य 25 विस्फोटक खोजी यंत्र संस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

इण्डियन एयरलाइन्स में टंककों की नियुक्ति

[हिन्दी]

4112. श्री राम नगीना मिश्र :
श्री मोरेश्वर सावे :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइन्स, उत्तर क्षेत्र ने 1989 में टंककों की नियुक्ति के लिए एक पैनल बनाया था;

(ख) यदि हां, तो उसमें से अब तक कितने अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो गई है और शेष अभ्यार्थियों की नियुक्ति कब तक हो जाएगी;

(ग) क्या शेष अभ्यार्थियों में से किसी अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थी की नियुक्ति होनी अभी शेष है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) इण्डियन एयरलाइन्स उत्तरी क्षेत्र द्वारा वर्ष 1989 में दो पैनल—एक अंग्रेजी टंककों के लिए तथा दूसरा द्विभाषिक टंककों के लिए बनाए गए थे।

(ख) से (घ) प्रत्येक पैनल से नियुक्त उम्मीदवारों की संख्या निम्नानुसार है :—

	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
टंकक (अंग्रेजी)	6	—	—
टंकक (द्विभाषिक)	2	2	—

पैनलों में अनुसूचित जातियों के वर्ग से कुछ उम्मीदवार हैं। इस समय टंककों के पद के लिए कोई रिक्ति नहीं है। इन पैनलों की वैधता के दौरान यदि कोई रिक्ति होती है तो पैनल में सूचीबद्ध अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रस्ताव दिए जाएंगे।

मध्य प्रदेश में ललितपुर-सिंगरौली लाइन

[अनुवाद]

4113. **कुमारी उमा भारती :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ललितपुर-सिंगरौली (मध्य प्रदेश) रेल लाइन के निर्माण का सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और अब तक इस पर क्या कार्यवाही की गई है और यह निर्माण कार्य कब प्रारम्भ होगा ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सूरत में राजधानी एक्सप्रेस के रुकने की व्यवस्था

[हिन्दी]

4114. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और मुम्बई के बीच चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस को सूरत में रोकने की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उक्त स्थान पर गाड़ी रोकने की व्यवस्था कब तक कर दी जाएगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है।

कर्नाटक में कारवार में हवाई पट्टी

[अनुवाद]

4115. श्री गुरुदास कामत : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में कारवार में एक हवाई पट्टी बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो परियोजना कब तक पूरी हो जाने की सम्भावना है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

दूरदर्शन कार्यक्रम "एयर अराउन्ड अस"

4116. श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय शैक्षणिक प्रौद्योगिकी सांस्कृतिक संस्थान द्वारा निर्मित कार्यक्रम "एयर अराउन्ड अस" हवा हमारे चारों ओर" ने जापान में विशेष पुरस्कार जीता है;

(ख) यदि हां, तो इस पुरस्कार का नाम क्या है और भारतीय मुद्रा में इसका मूल्य कितना है;

(ग) इस कार्यक्रम के निर्माता और इसमें भाग लेने वाले कलाकारों के पूरे नाम क्या हैं;

(घ) क्या यह सच है कि कलाकारों को न तो इस पुरस्कार की जानकारी थी और न ही पुरस्कार की धनराशि में से उन्हें कोई हिस्सा ही दिया गया;

(ङ यदि हां, तो इन कलाकारों का सम्मान करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, हां । यह कार्यक्रम राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केन्द्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान ने तैयार किया था ।

(ख) "स्पेशल एवार्ड—इन्टरनेशनल एजूकेशनल प्रोग्राम कन्टेस्ट" नामक यह पुरस्कार भारतीय मुद्रा में 6425 रु० का था ।

(ग) इस कार्यक्रम के निर्माता और कलाकारों के नाम नीचे दिए गए हैं :

निर्माता	:	सुश्री आशा देवी
कलाकार	:	पवन कौशिक
		यमन कौशिक
		पूर्णिमा रावल
		मालती कौशिक
		दीपक
		काजल घोष (गीतकार)

इसके अतिरिक्त, इस कार्यक्रम को तैयार करने में 17 अन्य सदस्य भी शामिल थे।

(घ) सिएट ने पुरस्कार और पुरस्कार राशि के बारे में कलाकारों को सूचित किया है। उत्तर के भाग (ग) में उल्लिखित 24 व्यक्तियों में से 20 व्यक्तियों को सिएट द्वारा पुरस्कार राशि प्रदान की गई है और शेष 4 कलाकारों को सिएट ने अपनी पुरस्कार राशि प्राप्त करने के लिए सूचित किया है।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

नवोदय विद्यालयों के अन्तर्गत आने वाली जनसंख्या

4117. **श्री सैयद शाहाबुद्दीन** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री 26 नवम्बर, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 699 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य-वार, विद्यमान नवोदय विद्यालयों के अन्तर्गत आने वाले जिलों एवं जनसंख्या का प्रतिशत क्या है;

(ख) क्या छोटे जिलों के मामले में नवोदय विद्यालयों के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत एक से अधिक जिले को शामिल किया जाता है; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान पूरे देश में नवोदय विद्यालय प्रणाली में अनुसूचित जनजातियों एवं अनुसूचित जनजातियों तथा लड़कियों का औसत वास्तविक अनुपात कितना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) विद्यमान नवोदय विद्यालयों द्वारा शामिल किए गए जिलों की राज्य-वार प्रतिशतता विवरण में दी गई है। जहां तक शामिल की गई जनसंख्या की प्रतिशतता का सवाल है, इस प्रकार के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) दिनांक 30-11-91 की यथास्थिति के अनुसार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं की प्रतिशतता क्रमशः 20%, 11% और 28% है।

विवरण

राज्य-वार-व्याप्ति (कवरेज)

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	जिला	व्याप्ति	प्रतिशतता
1	2	3	4	5
1.	गोवा	02	02	100
2.	जम्मू और कश्मीर	14	14	100
3.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	02	02	100
4.	चण्डीगढ़	01	01	100
5.	दादरा और नगर हवेली	01	01	100
6.	दमन और द्वीव	02	02	100
7.	लक्षद्वीप	01	01	100
8.	पांडिचेरी	04	04	100
9.	उड़ीसा	13	12	92
10.	आंध्र प्रदेश	23	21	91
11.	कर्नाटक	20	18	90
12.	मणिपुर	08	07	88
13.	मेघालय	05	04	80
14.	केरल	14	11	78
15.	हरियाणा	12	09	75
16.	राजस्थान	27	20	74
17.	हिमाचल प्रदेश	12	08	67
18.	मिजोरम	03	02	67
19.	महाराष्ट्र	30	20	67
20.	पंजाब	12	08	67
21.	दिल्ली	03	02	67

1 2	3	4	5
22. मध्य प्रदेश	45	30	07
23. बिहार	39	26	67
24. उत्तर प्रदेश	62	36	58
25. त्रिपुरा	04	02	50
26. गुजरात	19	09	47
27. अरुणाचल प्रदेश	11	05	45
28. नागालैंड	07	02	29
29. सिक्किम	04	01	25
योग :	400*	280	70%

*असम (18), तमिलनाडु (20) और पश्चिम बंगाल (18) को छोड़कर।

पुस्तकालय कर्मचारियों के वेतनमानों सम्बन्धी चट्टोपाध्याय समिति

4118. **श्री अयूब खां** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चट्टोपाध्याय समिति विभिन्न मन्त्रालयों/विभागों में पुस्तकालय कर्मचारियों के वेतनमानों की जांच करने हेतु गठित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को विभिन्न पुस्तकालय कर्मचारी संघों से समिति की रिपोर्ट में विषमताओं के सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इन विषमताओं को दूर करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) रिपोर्ट मार्च, 1989 में प्रस्तुत की गई थी। इसकी विस्तार से जांच की गई थी और कुछ निर्णय लिए गए थे। ये निर्णय केन्द्रीय सरकार के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले सभी पुस्तकालय कर्मचारियों के सम्बन्ध में कार्यान्वित किए जाने के लिए भेज दिए गए हैं।

(घ) जी, हां।

(ङ) यदि इस सम्बन्ध में कोई विसंगतियां हों तो उनके प्रश्न पर उपरोक्त (ग) में उल्लिखित सरकारी निर्णय को लागू किए जाने के बाद ही विचार किया जा सकता है।

किंग जार्ज अस्पताल, गुंटूर को वित्तीय सहायता

4119. **श्री एम० बी० बी० एस० मूर्ति :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में किंग जार्ज अस्पताल, गुंटूर के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) सरकार को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

किराए के मकानों में कार्यरत के० स० स्वा० यो० औषधालय

4120. **श्री पवन कुमार बंसल :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री 26 नवम्बर, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 739 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन भवनों का ब्यौरा क्या है जिनके सम्बन्ध में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की सिफारिशें स्वीकार की गई हैं तथा मकान मालिकों को संशोधित किराए की अनुमति प्रदान की गई है और उन भवनों का ब्यौरा क्या है जिनके सम्बन्ध में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा सिफारिशें स्वीकार नहीं की गई हैं तथा इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या मकान मालिकों को, सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा मूल्यांकन के आधार पर उन्हें किराए की अनुमति देने के स्थान पर पांच वर्षों के पश्चात, दुगुना किराया स्वीकार करने के लिए बाध्य किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० ताराबेवी सिद्धार्थ) : (क) जिन भवनों के बारे में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की सिफारिशें स्वीकार की गई हैं उनका तथा अनुमत्य संशोधित किराया दरों का ब्यौरा और जिन भवनों के बारे में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की सिफारिशें स्वीकार नहीं की गई हैं उनका ब्यौरा उपाबन्ध में दिया गया है।

(ख) और (ग) सामान्य तौर पर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किए गए मूल्यांकन को, यदि वह उपयुक्त है, सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। तथापि, उन मामलों में जहां ऐसे

मूल्यांकन के आधार पर संशोधित किराए में 5 वर्ष की अवधि में 100 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हो जाती है, उक्त मसले की शहरी विकास मन्त्रालय से परामर्श करके और जांच की जाती है। ऐसी पुनर्जांच के पूरा होने तक किराए में अनन्तिम रूप से संशोधन कर दिया गया है और इसे 5 वर्ष की अवधि में 100 प्रतिशत की वृद्धि तक सीमित कर दिया गया है।

उपाबन्ध

(क) (I) जिन भवनों के बारे में सिफारिशें स्वीकार की गई हैं उनका तथा मकान मालिकों को स्वीकृत संशोधित दर का ब्यौरा इस प्रकार है :—

1. पटेल नगर-I
2. करोलबाग
3. इन्द्रपुरी
4. जनकपुरी-I
5. पालम कालोनी
6. जनकपुरी-II
7. अशोक बिहार

(II) जिन भवनों के बारे में सिफारिशें स्वीकार नहीं की गई हैं उनका ब्यौरा इस प्रकार है :—

1. पटेल नगर-II
2. सब्जी मंडी (शक्ति नगर)
3. त्रिनगर
4. रजौरी गार्डन
5. गुड़गांव
6. विवेक विहार।

हिमाचल प्रदेश में वृक्षारोपण योजना

[हिन्दी]

4121. प्रो० प्रेम धूमल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित "वन लगाओ—रोजी कमाओ" योजना को स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को किस प्रकार की वित्तीय तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराएगी; और

(ग) यदि नहीं, तो योजना को स्वीकृति न देने के क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, नहीं ।

(ख) राज्य सरकार ने इस स्कीम के लिए कोई वित्तीय सहायता नहीं मांगी है ।

(ग) इस मामले में अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, वाराणसी

4122. **श्री मृत्युंजय नायक** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी की कुर्की करने की धमकी दी है; और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ख) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

एयर इण्डिया को लाभ

[अनुवाद]

4123. **श्री विजय नवल पाटील** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इण्डिया के व्यवसाय पर खाड़ी युद्ध का क्या प्रभाव रहा है;

(ख) भारतीयों को कुवैत से सुरक्षित लौटाने में एयर इण्डिया द्वारा किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है; और

(ग) एयर इण्डिया को लाभकारिता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) एयर इंडिया के कारोबार पर थोड़ी अवधि के लिए कुवैत तथा कुछ अन्य गंतव्य स्थानों के लिए उड़ानों के रद्द किए जाने तथा इंधन और बीमा दरों में वृद्धि के कारण परिचालनात्मक लागतों में बढ़ोत्तरी का असर पड़ा ।

(ख) एयर इण्डिया ने खाड़ी निष्क्रमण के लिए चार्टर उड़ानें परिचालित की थीं और 180 करोड़ रुपए का बिल बनाया था ।

(ग) एयर इण्डिया ने खाड़ी युद्ध के प्रभाव को राजस्व प्राप्ति में सुधार तथा व्यय में कड़े नियन्त्रण द्वारा दूर किया तथा वर्ष 1990-91 में 81.23 करोड़ रुपए का निवल लाभ अर्जित किया ।

आयोडीन नमक का उत्पादन

[हिन्दी]

4124. श्री साईमन मरांडी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार और उत्तर प्रदेश के अधिकांश क्षेत्र गैर आयोडीकृत नमक के प्रयोग के कारण गलगंड रोग से प्रभावित हैं;

(ख) यदि हां, तो देश में आयोडीनयुक्त नमक का वर्तमान उत्पादन तथा मांग कितनी है;

(ग) बिहार तथा उत्तर प्रदेश को आयोडीनयुक्त नमक सप्लाई करने वाले बच्चों के नाम क्या हैं;

(घ) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश तथा बिहार में कुछ उद्योगों का आयोडीनयुक्त नमक के उत्पादन हेतु स्वीकृति दी है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उत्तर प्रदेश तथा बिहार को आयोडीनयुक्त नमक की सप्लाई सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डा० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी हां। केन्द्रीय घेघा सर्वेक्षण के अनुसार बिहार और उत्तर प्रदेश के अधिकांश क्षेत्र घेघा से प्रभावित हैं। घेघा की समस्याओं पर नियन्त्रण पाने के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों ने अपने-अपने राज्यों में खाने के लिए आयोडीकृत नमक से भिन्न दूसरे नमक की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगा दिया है।

(ख) जिन क्षेत्रों में खाने के लिए गैर-आयोडीकृत नमक की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है वहां आयोडीकृत नमक की वर्तमान वार्षिक मांग का अनुमान 25.27 लाख मिट्रिक टन लगाया गया है। इसके विपरीत वर्ष 1990-91 के दौरान आयोडीकृत नमक का वास्तविक उत्पादन 25.00 लाख मिट्रिक टन था।

(ग) राजस्थान, जामनगर, मद्रास खरघोड़ा क्षेत्रों में बिहार और उत्तर प्रदेश को आयोडीकृत नमक की सप्लाई नमक आयुक्त, भारत सरकार, जयपुर के माध्यम से की जा रही है।

(घ) और (ङ) सम्बन्धित अधिकरणों से सूचना एकत्र की जा रही है।

रेल गाड़ियों में माफिया गिरोहों की गतिविधियां

[अनुवाद]

4125. श्री सोमजी भाई डामोर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुवाहाटी और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच गिरोह रेल कर्मचारियों की मिलीभगत से मेल एक्सप्रेस गाड़ियों में डाकुओं के रूप में सक्रिय हैं;

(ख) क्या इससे आरक्षित डिब्बों में यात्रियों को असुविधा होने की घटनाएं हो रही हैं;

(ग) क्या यात्रियों से इस बारे में शिकायतें मिली हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा गाड़ियों में इन गैर-कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) जी नहीं, बहरहाल, गाड़ियों में यात्रा कर रहे कुछ अनधिकृत फेरीवालों को पकड़ा गया है।

(घ) गाड़ियों में यात्रा कर रहे अनधिकृत फेरीवालों/वेंडरों को पकड़ने के लिए वाणिज्यिक तथा रेलवे सुरक्षा बल/राजकीय रेलवे पुलिस के कर्मियों द्वारा संयुक्त रूप से समय-समय पर अचानक जांच की जाती हैं, इस प्रकार पकड़े हुए व्यक्तियों के विरुद्ध कानून के अनुसार कारंवाई की जाती है।

आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों को अच्छी शिक्षा

4126. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों की स्थिति में सुधार लाने के लिए अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली पर विचार करती है जिससे जाति, पथ, स्थान अथवा लिंग का विचार किए बिना सभी छात्र निर्धारित स्तर तक शिक्षा की सदृश गुणात्मकता तक पहुंच सकें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अनुपालन में सरकार ने आपरेशन ब्लैक बोर्ड, शिक्षक शिक्षा के पुनर्निर्माण और पुनर्संगठन, विज्ञान शिक्षा में सुधार कार्यक्रम, स्कूलों में कम्प्यूटर साक्षरता और शैक्षिक प्रौद्योगिकी जैसी अनेक योजनाएं चलाई हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा किए गए विचार के अनुसार ग्रामीण पृष्ठभूमि के विशेष प्रतिभा अथवा अभिरुचि वाले शब्दों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए नवोदय विद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं।

मुम्बई में एड्स का खतरा

1427. **श्रीमती बासवा राजेश्वरी** :
श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 23 सितम्बर, 1991 के "इंडिया एक्सप्रेस में" एड्स में स्ट्राइक बाम्बे इन थ्री इयर्स,' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) सरकार ने इस समाचार को देखा है।

(ख) महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, 1-11-1991 तक जांचे गए कुल 1,06,910 व्यक्तियों में से 223 व्यक्तियों की जांच एच० आई० वी० सीरो-पॉजिटिव के लिए की गई है। महाराष्ट्र से सूचित किए गए एड्स के रोगियों की कुल संख्या 53 है। जांचे गए 1,06,910 नमूनों में से 4 ,744 नमूनें इतरलिंगी स्वच्छन्द सम्भोगी व्यक्तियों के थे। इस समूह में 1341 नमूने सीरो-पॉजिटिव वाले पाए गए तथा यह संख्या जांचे गए इस समूह के नमूनों की संख्या का लगभग 3% थी।

सरकार ने एड्स की रोकथाम के लिए जो निवारक उपायों के रूप में निम्नलिखित की स्थापना की है :—

(i) उच्च खतरे वाले समूहों के रक्त की जांच करने के लिए 8 निगरानी केन्द्र।

(ii) 43 जोनल रक्त जांच बैंक।

(iii) ग्रांट मेडिकल कालेज तथा जे० जे० अस्पताल, बम्बई में एक एड्स यूनिट जिसके लिए सरकार द्वारा महाराष्ट्र को 12.00 लाख रुपए दिए गए हैं। भारत सरकार ने राज्य सरकार के सहयोग से अत्यधिक खतरे वाले व्यक्तियों के बीच सूचना, शिक्षा तथा संचार कार्यकलापों का पता भी लगाया है तथा जिसके लिए राज्य को आवश्यक केन्द्रीय सहायता भी दे दी गई है।

मध्यकालिक योजना के अन्तर्गत महाराष्ट्र राज्य की कार्यकलाप योजना को सरकार द्वारा पहले ही अनुमोदित कर दिया गया है तथा कार्यकलापों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार को पहले ही धन दे दिया गया है। राज्य स्तर पर कार्यक्रम प्रबन्ध को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार कार्यक्रम कार्यकलापों को कार्यान्वित करने तथा उनका अनुवीक्षण करने के लिए एक पृथक एड्स नियन्त्रण कक्ष स्थापित करने के लिए पहले ही सहमत हो गई है।

स्वस्थ गृह के लिए महिला कांग्रेस की बैठक

4128. **श्री नवल किशोर राय :** क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 17-23 नवम्बर 1991 के सण्डे आबजर्वर में "एन्वायरनमैंट : अर्नेस्ट होंर्डारिग्स अमिडस्ट हाइजिक्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; [और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है और सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यावरण और वन राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) संयुक्त राज्य अमरीका की एक गैर-सरकारी एजेंसी "वीमेन्स एन्वायरंमेंट एण्ड डेवलपमेंट आरगनाइजेशन द्वारा 8-12 नवम्बर, 1991 को मियामी, फ्लोरिडा (सं० रा० अमरीका) में "दी वर्ल्ड वीमेन्स कांग्रेस फार ए हैल्दी प्लेनेट" का आयोजन किया गया। भारत सरकार को इस सम्मेलन से कोई रिपोर्ट अथवा अनुशंसा प्राप्त नहीं हुई है। अतः सरकार द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय पर्यटन विकास निगम के होटलों में कमरे किराए पर देने की दर

4129. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पर्यटन विकास निगम के कुछ होटलों ने अपने कार्य-निष्पादन में सुधार नहीं किया है और न ही कुछ विदेशी फर्मों के साथ संयुक्त व्यापार समझौते के बावजूद इनमें से प्रत्येक ने कमरे किराए पर देने की लक्षित दर को प्राप्त किया है;

(ख) क्या होटल अशोक, नई दिल्ली और बंगलौर भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा कम करने के बावजूद अपने कार्य-निष्पादन में सुधार करने में असफल रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्यों का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) देश के कुछ हिस्सों में गड़बड़ी होने, खाड़ी युद्ध और उसके परिणामस्वरूप हुए प्रतिकूल मीडिया प्रचार से देश में पर्यटन उद्योग को धक्का लगा है। इससे भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों के अधिभोग और वित्तीय निष्पादन पर भी कुप्रभाव पड़ा है जिसमें नई दिल्ली और बंगलौर स्थित अशोक होटल भी सम्मिलित हैं।

राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड की योजनाएं

4130. **श्री शंकर सिंह वाघेला** :
डा० ए० के० पटेल :
श्री मोरेश्वर सावे :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में परती भूमि विकास के लिए क्या योजनाएं बनाई गई हैं;

(ख) बोर्ड ने अपनी योजनाओं में कितनी सफलता प्राप्त की है;

(ग) क्या बोर्ड ने राज्यों को कोई अनुदान दिए हैं; और

(घ) यदि हां, तो अनुदान के रूप में, राज्यवार, कितनी राशि दी है और उस धनराशि की वास्तविक उपयोगिता क्या है ?

पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड द्वारा निम्नलिखित केन्द्र/केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं :—

1. समेकित परती भूमि विकास परियोजनाओं की स्कीम ।
2. ईंधन लकड़ी/चारा परियोजनाओं की स्कीम ।
3. विकेन्द्रित जन-पौधशाला स्कीम ।
4. सीमांत धन (मार्जिन मनी) सहायता स्कीम ।
5. औषधीय पौधों सहित लघु वनोपज पैदा करने की स्कीम ।
6. बीज विकास स्कीम ।
7. हवाई बीजारोपण स्कीम ।
8. अनुदान सहायता स्कीम (स्वैच्छिक ऐजेंसियों के लिए) ।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सभी राज्यों के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत वनीकरण/वृक्षारोपण का कुल समेकित लक्ष्य तथा उपलब्धि निम्न प्रकार है :—

लक्ष्य	उपलब्धि
8.6 मि० हैक्टेयर	8.8 मि० हैक्टेयर

जहां तक बोर्ड की प्लान स्कीमों का सम्बन्ध है, इनमें अधिकतर नई पहलें की गई हैं ताकि वनीकरण, वृक्षारोपण और परती भूमि विकास के चल रहे कार्यक्रमों में गुणात्मक परिवर्तन लाया जा सके और कमियों को पूरा किया जा सके । इनमें अधिकांश स्कीमें सातवीं पंचवर्षीय योजना के बाद वाले भाग के दौरान आरम्भ की गयी थी अतः इस अवस्था में अभी इनकी सफलता का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता ।

(ग) और (घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बोर्ड द्वारा प्रदान की गई धनराशि सहित 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत वनीकरण/वृक्षारोपण कार्यकलापों के लिए धनराशि का राज्यवार आबंटन और उपयोग विवरण में दिया गया है ।

विवरण

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत वनीकरण/वृक्षारोपण कार्यकलापों के लिए राज्यवार वर्षवार आबंटन तथा उपयोग

(लाख रुपयों में)

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	आबंटन	उपयोग
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	14643.85	14324.63

1 2	3	4
2. अरुणाचल प्रदेश	2419.85	1879.41
3. असम	9056.50	8031.08
4. बिहार	18794.32	21222.01
5. गोवा	617.35	580.38
6. गुजरात	15241.87	16131.35
7. हरियाणा	7651.92	8345.19
8. हिमाचल प्रदेश	9700.75	9066.47
9. जम्मू और कश्मीर	4792.13	4784.17
10. कर्नाटक	11069.09	13158.62
11. केरल	9042.90	7738.37
12. मध्य प्रदेश	20231.34	18930.48
13. महाराष्ट्र	18282.62	17301.80
14. मणिपुर	1948.85	1529.68
15. मेघालय	3433.10	2844.11
16. मिजोरम	2601.10	2615.21
17. नागालैण्ड	2150.35	1963.99
18. उड़ीसा	10868.04	11315.96
19. पंजाब	4047.40	4656.49
20. राजस्थान	11925.52	14733.67
21. सिक्किम	1159.60	1055.04
22. तमिलनाडु	15266.30	14237.44
23. त्रिपुरा	2180.75	2162.89
24. उत्तर प्रदेश	29653.24	30817.49
25. पश्चिम बंगाल	12139.37	11047.26
26. अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	906.20	757.55
27. चण्डीगढ़	123.95	109.15
28. दादर व नगर हवेली	397.30	412.13

1　2	3	4
29. दिल्ली	371.62	553.22
30. दमण और दीव	142.50	112.51
31. लक्षद्वीप	19.85	35.57
32. पांडिचेरी	154.27	209.23
योग :	24:033.80	242662.55

समेकित परती भूमि विकास परियोजना

[हिन्दी]

4131 **श्री अर्जुन सिंह यादव : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में समेकित परती भूमि विकास परियोजना के अन्तर्गत कितने जिलों को शामिल किया गया है;

(ख) इस परियोजना के अन्तर्गत गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष निर्धारित किया गया लक्ष्य क्या है तथा इस सम्बन्ध में क्या-क्या उपलब्धियां हैं; और

(ग) आगामी वर्ष किन-किन जिलों को इस परियोजना के अन्तर्गत लाए जाने की सम्भावना है ?

पर्यावरण एवं वन राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) समेकित परती भूमि विकास परियोजनाओं की स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 1989-90 और 1990-91 में उत्तर प्रदेश के नैनीताल, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी, देहरादून, अल्मोड़ा, जालोन तथा झांसी जिलों के लिए परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। वर्ष 1989-90 तथा 1990-91 के लक्ष्य और उपलब्धियां निम्न प्रकार हैं :—

वर्ष	लक्ष्य (क्षेत्र हैक्टेयर में)	उपलब्धि (क्षेत्र हैक्टेयर में)
1989-90	2246	1630
1990- 1	2449	2332

वर्ष 1991-92 के लक्ष्य के लिए 3375 हेक्टेयर है।

(ग) उपर्युक्त जिलों के लिए पहले से स्वीकृत की गई परियोजनाओं का आगामी वर्ष (1992-

9:) के दौरान विस्तार किए जाने का प्रस्ताव है, बलिया और मैनपुरी जिलों के लिए भी परियोजनाएं तैयार की जा रही हैं।

कर्नाटक में "एड्स" का फैलना

[अनुवाद]

4132. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स :**
श्रीमती बसवाराजेश्वरी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में धीरे-धीरे "एड्स" फैल रही है;

(ख) सितम्बर, 1991 तक की स्थिति के अनुसार एड्स के लिए कितने व्यक्तियों की जान्च की गई है और उनमें से कितने लोगों को एच० आई० वी० पाजिटिव से प्रभावित पाया गया;

(ग) कर्नाटक में जनवरी, 1991 से सितम्बर, 1991 के बीच एड्स से कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई है; और

(घ) कर्नाटक में एड्स को फैलने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार अत्यधिक खतरे वाले व्यक्तियों के कुल 49320 नमूनों की जांच की गई है जिसमें से 135 व्यक्ति सीरो-पाजिटिव वाले पाए गए, जिसमें से 63 व्यक्ति वेस्टर्न ब्लाट टेस्ट द्वारा संक्रमित साबित किए गए।

(ग) कर्नाटक राज्य से कोई मौत सूचित नहीं की गई है।

(घ) राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार ने अत्यधिक खतरे वाले सभी समूहों की जांच करने हेतु निम्नलिखित स्थानों पर 4 निगरानी केन्द्र पहले ही स्थापित कर दिए हैं :—

1. बेंगलूर मेडिकल कालेज, बेंगलूर।

2. कस्तूरबा मेडिकल कालेज, मनिपाल।

3. बोरिंग एण्ड एल० सी० हास्पिटल, बेंगलूर।

4. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य तथा तन्त्रिका शल्य चिकित्सा संस्थान, बेंगलूर।

(जिसे अभी कार्य शुरू करना है)

सरकार ने दान किए गए रक्त की जांच करने के लिए 4 जोनल रक्त जांच केन्द्र पहले ही

स्थापित कर दिए हैं नामत :—

1. एच० एस० आई० एस० हास्पिटल, बेंगलूर।

2. के० सी० जनरल हास्पिटल, बेंगलूर।

3. के० एम० इन्स्टीट्यूट आफ आनकोलाजी, बेंगलूर।

4. के० एम० सी० हास्पिटल, हुबली।

उपर्युक्त इन निगरानी केन्द्रों को रक्त बैंकों से प्राप्त सभी रक्त नमूनों की जांच करने के लिए जो नलरक्त जांच केन्द्रों के रूप में निर्धारित किया गया है। भारत सरकार ने बेंगलूर मेडिकल कालेज, बेंगलर में एड्स यूनिट को भी परिलक्षित किया है तथा वर्ष 989-90 के दौरान राज्य सरकार को दस लाख रुपए की राशि पहले ही दे दी गई है। भारत सरकार ने राज्य सरकार के सहयोग से विशिष्ट समूहों के लिए आई० ई० सी० कार्यक्रम को तेज कर दिया है।

भारत में महिलाओं के बारे में विश्व बैंक की रिपोर्ट

4133. **श्री रविराय** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 नवम्बर, 1991 के स्टेट्समैन में 'इण्डियन वीमेन नीड हेल्प, सेज स्टडी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार ने भारतीय महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय बाल कल्याण आयोग

4134. **श्री मुकुल वासनिक** :
श्री राजवीर सिंह :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक उच्चस्तरीय समिति ने बच्चों के विकास की निगरानी करने और उन्हें सभी प्रकार के शोषण से बचाने के लिए राष्ट्रीय बाल कल्याण आयोग गठित करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इसी समिति ने बाल मजदूरी का चरणबद्ध रूप से समाप्त करने की सिफारिश की है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में तैयार की गई कार्य योजना का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बाल विकास योजनाए

4135. **श्री राम टहल चौधरी** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा बाल विकास के लिए चलाई जा रही योजनाओं के नाम क्या हैं;

(ख) बच्चों के विकास के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे तथा इन्हें, राज्यवार, किस सीमा तक प्राप्त किया गया; और

(ग) इन योजनाओं के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई तथा इन पर, राज्यवार, कितनी धनराशि खर्च की गई ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) बच्चों के विकास के लिए सरकार की मुख्य योजनाओं के नाम इस प्रकार हैं :—

1. समेकित बाल विकास सेवा योजना।

2. गेहूं आधारित पोषाहार कार्यक्रम।

3. शिशुगृह, दिवस देखभाल केन्द्र।

4. बालबाड़ी पोषाहार कार्यक्रम।

5. देखभाल और सुरक्षा के जरूरतमन्द बच्चों के कल्याण सम्बन्धी योजनाएं।

6. सार्वजनिक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम।

(ख) और (ग) इन योजनाओं के लिए राज्यवार लक्ष्य, उपलब्धियां, आबंटित धनराशि और वर्ष 1990-91 के दौरान इन पर खर्च हुई धनराशि दर्शाने वाले संलग्न है। विवरण-I से VI।

विवरण-I

1990-91 के दौरान आई० सी० डी० एस० के लिए वित्तीय आबंटन और दी गई धनराशि तथा प्रचालित की जाने वाली आई० सी० डी० एस० परियोजनाओं के सन्दर्भ में लक्ष्य और उपलब्धियां

क्रम सं०	राज्य का नाम	लक्ष्य परिचालित की जाने वाली परियोजनाओं की संख्या	उपलब्धियां प्रचालित की गई परियोजनाओं की संख्या	वित्तीय आबटन	दी गई राशि
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	13	13	1157.95	1157.95
2.	अरूणाचल प्रदेश	6	6	136.80	136.80
3.	असम	1	1	762.91	762.91
4.	बिहार	26	26	2383.01	2983.01
5.	गोवा	1	1	145.05	145.05
6.	गुजरात			1801.49	1801.49
7.	हरियाणा	2	2	444.24	444.24
8.	हिमाचल प्रदेश	2	2	342.05	342.05
9.	जम्मू और कश्मीर	2	2	313.14	313.14
10.	कर्नाटक	14	14	1217.43	1217.43
11.	केरल	5	5	931.50	931.50
12	मध्य प्रदेश	31	31	1814.89	1814.89
13.	महाराष्ट्र	17	17	2444.88	2444.88
14.	मणिपुर	3	3	209.69	209.69
15.	मेघालय	4	4	179.92	179.92
16.	मिजोरम	3	3	229.91	229.91
17.	नागालैण्ड	3	3	231.82	231.82
18.	उड़ीसा	21	21	923.54	923.54
19.	पंजाब	5	5	589.48	589.48

1	2	3	4	5	6
20.	राजस्थान			1270.69	1270.69
21.	सिक्किम			53.12	53.12
22.	तमिलनाडु	13	13	1155.32	1155.32
23.	त्रिपुरा	1	1	120.01	120.01
24.	उत्तर प्रदेश	28	28	2422.89	2422 89
25.	पश्चिम बंगाल	14	14	1693.57	1693.57
	केन्द्र शासित प्रदेश				
26.	अंडमान और निकोबार			27.36	27.36
27.	चण्डीगढ़			24.00	24.00
28.	दादर और नगर हवेली			12.70	12.70
29.	दिल्ली	1	1	373.62	373.62
30.	दमन और दीव			8.00	8.00
31.	लक्षद्वीप			6.42	6.42
32.	पांडिचेरी			70.00	70.00
	योग :	216	216	23 00.00	23500.00

विवरण-II

गेंहू आधारित पोषाहार कार्यक्रम 1990-91 के दौरान राज्यवार वास्तविक और वित्तीय लक्ष्य और उपलब्धियां

क्रम सं०	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	वास्तविक लक्ष्य		वित्तीय	
		लाभ प्राप्तकर्ता (लाखों में)	दी गई धनराशि के अनुसार लाभ प्राप्तकर्ताओं की संख्या	लक्ष्य (लाख रुपयों में)	उपलब्धियां
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	4.17	1.31	197.40	197.40

1	2	3	4	5	6
2.	असम	1.83	0.19	29.61	29.61
3.	बिहार	0.80	0.14	22.20	22.20
4.	दादर और नगर हवेली	0.04	0.02	3.00	3.00
5.	दमन और दीव	0.03	0.006	1.00	1.00
6.	गोवा	0.02	0.21	182.63	182.63
7.	गुजरात	0.75	0.33	49.60	49.60
8.	हरियाणा	0.77	0.61	92.12	92.12
9.	हिमाचल प्रदेश	0.33	0.14	22.20	22.20
10.	*कर्नाटक	1.15	—	—	—
11.	मध्य प्रदेश	2.54	0.29	44.34	44.35
12.	महाराष्ट्र	6.29	5.21	782.63	782.63
13.	*मेघालय	0.03	—	—	—
14.	उड़ीसा	7.29	3.24	487.16	487.16
15.	पांडिचेरी	0.44	0.12	18.00	18.00
16.	राजस्थान	0.98	0.56	84.35	84.35
17.	तमिलनाडु	1.20	0.76	114.35	114.35
18.	उत्तर प्रदेश	3.53	0.22	34.35	34.35
19.	पश्चिम बंगाल	0.83	0,16	24.41	24.41
20.	*मणिपुर	0.37	—	—	—

*धन के लिए कोई रिपोर्ट और अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ।

विवरण-III

शिशुगृह 1990-91

क्रम सं०	राज्य/केन्द्र शा० प्रदेश का नाम	वास्तविक		वित्तीय आबंटन (रु० लाखों में)	व्यय (रु० लाखों में)
		लक्ष्य (यूनिटों की सं०)	उपलब्धियां (यूनिटों की सं०)		
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	1,270	1,270	156.83	156.83

1	2	3	4	5	6
2.	असम	157	157	18.56	61.56
3.	बिहार	460	460	33.53	33.53
4.	गुजरात	755	755	92.77	92.77
5.	हरियाणा	306	306	42.85	42.85
6.	हिमाचल प्रदेश	500	500	53.51	53.51
7.	जम्मू और कश्मीर	108	108	11.09	11.09
8.	कर्नाटक	539	539	74.21	74.71
9.	केरल	698	698	84.67	84.67
10.	मध्य प्रदेश	1,435	1,435	162.08	162.08
11.	महाराष्ट्र	1,167	1,167	116.06	116.06
12.	मणिपुर	146	146	17.36	17.36
13.	मेघालय	128	128	18.08	18.08
14.	नागालैंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
15.	उड़ीसा	585	585	79.07	79.07
16.	पंजाब	179	179	26.92	26.92
17.	राजस्थान	675	665	123.63	123.63
18.	सिक्किम	104	104	13.11	13.11
19.	तमिलनाडु	890	890	114.31	114.31
20.	त्रिपुरा	161	161	21.52	21.52
21.	उत्तर प्रदेश	835	835	116.29	116.26
22.	पश्चिम बंगाल	515	515	74.19	74.19
23.	अरुणाचल प्रदेश	44	44	4.29	4.29
24.	गोवा	35	35	4.80	4.80
25.	मिजोरम	102	102	16.11	16.11
26.	अंडमान निकोबार	44	44	5.14	5.14
27.	चंडीगढ़	29	29	4.10	4.10
28.	दादर नगर हवेली	9	9	1.04	1.04

1	2	3	4	5	6
29.	दिल्ली	282	282	28.74	28.74
30.	लक्षद्वीप	12	12	0.77	0.77
31.	पांडिचेरी	7[illegible]	70	11.75	11.75
32.	दमन व दीव	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

नोट : प्रत्येक यूनिट 0—6 वर्ष के आयु वर्ग के लगभग 5 बच्चों को कवर करता है। यह योजना स्वयं-सेवी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है।

विवरण-IV

बालबाड़ी पोषाहार कार्यक्रम वर्ष 1990-91 के दौरान राज्य केन्द्र शासित प्रदेश-वार हुए खर्च, वास्तविक लक्ष्य और उपलब्धियां दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	राज्य/केन्द्र शासित का नाम	बालबाड़ी पोषाहार केन्द्रों की संख्या		आबंटित धनराशि	किया गया खर्च (रु० लाखों में)
		निर्धारित लक्ष्य	प्राप्त* लक्ष्य		
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	306	306	21.26	21.26
2.	असम	286	286	14.66	14.66
3.	अरूणाचल प्रदेश	76	6	2.58	2.58
4.	बिहार	159	159	8.15	8.15
5.	गुजरात	816	816	61.25	61.25
6.	हरियाणा	167	167	15.40	15.40
7.	हिमाचल प्रदेश	45	45	2.87	2.87
8.	जम्मू और कश्मीर	33	33	2.21	2.21
9.	केरल	181	181	13.56	13.56
10.	कर्नाटक	251	251	26.36	26.36
11.	मध्य प्रदेश	310	310	16.49	16.49

1	2	3	4	5	6
12.	महाराष्ट्र	957	957	46.86	46.86
13.	मणिपुर	77	77	5.19	5.19
14.	मेघालय	58	58	2.08	2.08
15.	नागालैण्ड	28	28	1.69	1.69
16.	उड़ीसा	217	217	14.55	14.55
17.	पंजाब	95	95	9.15	9.15
18.	राजस्थान	208	208	12.28	12.28
19.	तमिलनाडु	160	160	7.98	7.98
20.	त्रिपुरा	132	132	7.55	7.55
21.	उत्तर प्रदेश	445	445	34.05	34.05
22.	पश्चिम बंगाल	301	301	17.36	17.36
23.	मिजोरम	57	57	2.80	2.80
24.	गोवा	55	55	1.50	1.50
25.	सिक्किम	—	—	—	—
26.	चंडीगढ़	69	69	0.99	0.99
27.	दादर नगर हवेली	4	4	0.35	0.35
28.	दिल्ली	147	147	16.35	16.35
29.	पांडिचेरी	1	1	0.04	0.04

नोट* : प्रत्येक केन्द्र में 3—6 वर्ष की आयु वर्ग के लगभग 40 बच्चे होते हैं। यह योजना स्वयंसेवी संगठन के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है।

विवरण-V

देखभाल और सुरक्षा के जरूरतमन्द बच्चों के कल्याण के लिए योजना

क्रम सं०	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	1990-91 दी गई धनराशि
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	10,40,026

1　2	3
2. असम	9,69,570
3. बिहार	8,24,850
4. गुजरात	20,92,500
5. हरियाणा	5,80,448
6. हिमाचल प्रदेश	90,451
7. कर्नाटक	53,88,127
8. केरल	16,13,709
9. मध्य प्रदेश	6,41,250
10. महाराष्ट्र	48,37,500
11. मणिपुर	2,56,950
12. मेघालय	7,17,638
13. नागालैण्ड	6,29,460
14. उड़ीसा	49,61,310
15. राजस्थान	11,81,867
16. पंजाब	1,18,200
17. तमिलनाडु	1,30,44,956
18. उत्तर प्रदेश	8,888
19. त्रिपुरा	6,26,400
20. सिक्किम	1,35,000
21. पश्चिम बंगाल	68,92,613
22. अरुणाचल प्रदेश	2,59,200
23. गोआ	6,43,240
24. मिजोरम	33,750
25. दिल्ली	7,02,000
26. अण्डमान और निकोबार	2,97,000
27. पांडिचेरी	14,99,184

*कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं।

विवरण-VI

सार्वजनिक रोगनिरोधन कार्यक्रम

राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	शिशु लक्ष्य 190-91	रिपोर्टिड कवरेज लेवल (अनन्तिम) लक्ष्यों का प्रतिशत :— 1990-91					
		गलघोंटू काली खांसी धनुकबाय (डी०पी०टी०)	मौखिक पोलियो टीका (ओ०पी०वी०)	क्षयरोग (बी० सी० जी०)	खसरा (बी० एस० एल०)	आबंटन (रु० लाखों में)	सूचित किया गया व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
आन्ध्र प्रदेश	1346284	121	121	126	108	76.53	31..6
असम	748368	85	85	96	77	47.43	36.97
बिहार	2731236	93	91	81	81	102.85	—
गुजरात	1010145	104	105	106	101	61.69	66.09
हरियाणा	432833	104	104	117	89	24.65	28.10
कर्नाटक	1201700	87	96	102	83	59.56	46.08

1	2	3	4	5	6	7	8
केरल	581837	101	104	112	82	48.18	38.46
मध्य प्रदेश	1835422	96	97	107	95	99.56	71.31
महाराष्ट्र	1675474	112	117	116	102	102.12	92.59
उड़ीसा	794126	94	94	104	88	45.70	44.01
पंजाब	429786	120	121	119	110	30.40	32.05
राजस्थान	1482533	92	92	91	86	76.56	66.29
तमिलनाडु	1197300	105	106	107	101	65.95	72.75
उत्तर प्रदेश	4410002	101	98	97	91	160.31	137.79
पश्चिम बंगाल	1617305	85	87	101	69	68.93	—
हिमाचल प्रदेश	132559	85	85	97	97	22.19	15.75
जम्मू और कश्मीर	203283	63	62	76	46	26.25	—
मणिपुर	41870	77	78	88	64	11.88	12.95
मेघालय	35000	97	99	106	46	9.57	7.97
नागालैंड*	23777	31	29	44	29	11.98	6.64
सिक्किम	12169	81	69	86	48	6.37	1.76
त्रिपुरा	58288	74	75	134	62	7.29	5.39
अंडमान और निकोबार	6941	99	103	102	84	4.73	3.88
अरुणाचल प्रदेश	23155	65	65	64	40	10.18	7.06

1	2	3	4	5	6	7	8
चण्डीगढ़	15585	80	86	113	64	2.77	1.07
दादर नगर हवेली	4530	114	188	127	95	2.74	1.45
दिल्ली	230400	88	88	118	80	8.86	4.59
गोवा	18888	104	106	109	87	4.15	0.72
दमन और दीव	1596	165	172	154	140	2.55	—
लक्षद्वीप	1403	116	122	110	117	2.70	0.03
मिजोरम	21140	77	77	100	65	7.56	7.39
पांडिचेरी	14138	143	209	201	135	7.38	2.74

*जनवरी, 1991 तक उपलब्ध कराए गए आंकड़े ।

खेल राज्य मन्त्रियों का सम्मेलन

4136. धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :
श्रीमती वसुन्धरा राजे :
श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक :
श्री हन्नान मोल्लाह :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युवा मामलों और खेल के राज्य मन्त्रियों का चौथा राष्ट्रीय सम्मेलन अभी हाल ही में नई दिल्ली में हुआ था;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रत्येक सिफारिश पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई/करने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मन्त्रियों का चतुर्थ राष्ट्रीय सम्मेलन 18 नवम्बर, 1991 को नई दिल्ली में हुआ था। इसमें की गई सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गई हैं। इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकारों के परामर्श से संभावित आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

विवरण

18 नवम्बर, 1991 को नई दिल्ली में आयोजित युवा कार्यक्रम और खेल मन्त्रियों के चतुर्थ सम्मेलन की सिफारिशों की सूची

युवा कार्यक्रम

नेहरू युवा केन्द्रों के कार्यकलापों के उचित समन्वय के लिए नेहरू युवा केन्द्र संगठन की स्वायत्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य स्तरीय समन्वय के लिए प्रबन्ध किया जाना चाहिए।

2. खेल, संस्कृति और लोक कला क्षेत्र को विशिष्ट प्रतिनिधित्व देने के लिए नेहरू युवा केन्द्र कार्यक्रमों की जिला स्तरीय आयोजन समितियों को और अधिक सुदृढ़ बनाना चाहिए।

3. प्रत्येक जिले में तथा जो जिले क्षेत्रफल और जनसंख्या में बड़े हैं वहां ब्लाकों में भी कम से कम एक नेहरू युवा केन्द्र खोला जाना चाहिए।

4. राष्ट्रीय सेवा योजना (एन० एस० एस०) कार्यक्रमों को सुदृढ़ करने के लिए धनराशि सीधे ही कालेज को दी जानी चाहिए। राज्य सरकारें उनके पास अनुपयुक्त राशि की शीघ्र जांच करेंगी तथा धनराशि को सीधे जानकारी करने की प्रक्रिया की सलाह देने के लिए केन्द्रीय सरकार को प्रस्ताव भेजेगी।

5. राष्ट्रीय सेवा योजना और राष्ट्रीय कैडेट कोर योजना को सुदृढ़ किया जाए और युवाओं के लाभार्थ सभी कालेजों तथा विश्वविद्यालयों तक इसका विस्तार किया जाए।

6. युवाओं में स्व-रोजगार का संवर्धन करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रयोजनार्थ राज्य सरकारें युवाओं द्वारा अपना उद्योग शुरू करने और स्व-रोजगार कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए उन्हें आसानी से ऋण देने के प्रश्न पर बैंकों और वित्तीय संस्थानों से बातचीत करेगी।

7. युवा कल्याण के संवर्धन के लिए कार्यरत विविध एजेंसियों के कार्यकलापों का समन्वय करने के लिए प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा एक राज्य स्तरीय देखरेख/समन्वय समिति गठित की जाएगी। इसे युवा परिषद के नाम से जाना जाए, जिसमें सभी सम्बन्धितों का प्रतिनिधित्व हो।

खेल

1. राज्य स्तर पर खेलों के संवर्धन के लिए राज्य, एक एजेंसी हेतु खेल प्राधिकरण की स्थापना पर विचार कर सकते हैं।

2. केवल उन परियोजनाओं की केन्द्रीय सहायता में वृद्धि के अनुरोध पर प्रत्येक विषय के आधार पर अलग से विचार किया जाएगा, जहां केवल सहायता की प्रथम किस्त का लाभ उठा लिया गया है, बशर्ते आगे निवेश केवल आवश्यक खेल सुविधाओं पर प्रस्तावित हो।

3. ग्रामीण स्कूलों को अनुदान की योजना के अन्तर्गत अनुदानग्राही संस्थान द्वारा सुविधाओं के अनुरक्षण के लिए अपेक्षित 15,000/- रुपए के प्रावधान में कमी की जाए।

4. रुपए के अवमूल्यन को ध्यान में रखते हुए सिंथेटिक ट्रैक और कृत्रिम सतह बिछाने के लिए सहायता की मात्रा में कमी की जानी चाहिए।

5. विभिन्न राज्यों में अधिक से अधिक एस० पी० डी० ए० केन्द्रों को कार्यात्मक बनाया जाना चाहिए।

6. राज्य स्तर पर खेल टूर्नामेंटों के आयोजन के लिए बढ़ाई गई केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

7. ग्रामीण विद्यालयों से धनराशि उपलब्ध कराई जानी चाहिए, ताकि वे नेहरू युवा केन्द्रों द्वारा आयोजित किए जाने वाली खेल प्रतियोगिताओं में भाग ले सकें। जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं में द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यालयों को भी प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

8. जूनियर खिलाड़ियों की कोचिंग तथा प्रशिक्षण सम्बन्धी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राज्य सरकारों को अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम आरम्भ करने चाहिए तथा उनके लिए भा० खे० प्रा० की सहायता जारी रखनी चाहिए।

9. शहरी और ग्रामीण खेलों के बीच की खाई को समाप्त करने के लिए खेल-नीति की समीक्षा की जानी चाहिए।

10. आइस-स्कैटिंग, आइस-हॉकी जैसे साहसिक खेलों को मान्यता दी जानी चाहिए और इन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। शीतकालीन खेलों को न केवल पर्यटन के विषय के रूप में ही माना जाए बल्कि खेल विभाग को चाहिए कि वह स्कैइंग को भी खेल का दर्जा दें।

11. प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय अध्यापक को खेल तथा सिफारिश शिक्षा दिग्विन्यास दिया जाना चाहिए।

12. प्रत्येक राज्य को 1 या 2 खेल विधाओं को अपनाना चाहिए और उन खेलों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

13. खेल मैदानों के लिए भूमि आरक्षित की जानी चाहिए।

14. केन्द्रीय युवा कार्यक्रम और खेल विभाग तथा भा० खे० प्रा० को खेल की बुनियादी सुविधाओं के सृजन द्वारा खेलों के संवर्धन पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। अन्य मामलों को राज्य खेल एसोसियेशनों तथा राष्ट्रीय खेल संघों पर छोड़ दिया जाना चाहिए।

15. राष्ट्रीय खेल संघों को अपने कार्यकलापों के लिए अपने संसाधनों में वृद्धि करनी चाहिए।

लखनऊ आने वाली रेलगाड़ियों में अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराना

[हिन्दी]

4137. **श्री चिन्मयानन्द स्वामी** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पूर्वोत्तर रेलवे की लखनऊ जाने वाली गाड़ियों के डिब्बों में वातानुकूलित तथा शयनयान सुविधाएं प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) शयनयान और वातानुकूलित सवारी डिब्बों की व्यवस्था करना एक सतत प्रक्रिया है जो उत्पादन यूनिटों से ऐसे सवारी डिब्बों की उपलब्धता पर निर्भर करती है।

फाफामऊ और प्रयाग के बीच दोहरी रेल लाइन

4138. **श्री रामपूजन पटेल** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फाफामऊ और प्रयाग के बीच रेल लाइन को दोहरा करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति दिए जाने और कार्यान्वित किए जाने की संभावना है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आन्ध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में अस्पतालों की स्थापना करना

[अनुवाद]

4139. **श्री रामकृष्ण कोंताला** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राकृतिक आपदाओं के शिकार लोगों का इलाज करने के लिए आन्ध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में अस्पतालों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन्हें कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डॉ० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (ग) जी, हां। आंध्र प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि आन्ध्र प्रदेश में विपदा राहत के लिए एक दीर्घकालीन कार्यनीति के रूप में 10 बेस अस्पतालों की स्थापना का प्रस्ताव है।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन में कथित अनियमितताएं

4140. **प्रो० रासासिंह रावत :**
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :
श्री रविराय :
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :
श्री मुही राम सैकिया :
डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :
श्री सन्तोष कुमार गंगवार :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ध्यान दिनांक 14, 15 और 17 नवम्बर, 1991 के "राष्ट्रीय सहारा" में केन्द्रीय विद्यालय संगठन में कथित व्याप्त विभिन्न किस्म की अनियमितताओं के बारे में प्रकाशित समाचार रिपोर्टों की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य एवं ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या उपचारात्मक कदम उठाए हैं/उठाने का विचार किया है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (घ) "राष्ट्रीय सहारा" में 14 से 17 नवम्बर, 1991 के बीच प्रकाशित मामले उच्चतर प्राथमिकता वाले बच्चों की कीमत पर विशेष छूट के अन्तर्गत दाखिलों और विभिन्न दिन प्रतिदिन के प्रशासनिक मामलों से सम्बन्धित है।

जहां तक विशेष छूट के अन्तर्गत दाखिलों में सम्बन्ध है, ये अनुमत्य कक्षा-सीमा के अतिरिक्त दिए जाते हैं और इसलिए, बच्चों की पात्र श्रेणी पर प्रभाव नहीं पड़ता ।

विशेष छूट पर दाखिले वर्ष 1987-88 में बन्द कर दिए गए थे। तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा जुलाई, 1988 में स्थिति की पुनरीक्षा की गई थी और यह निर्णय लिया गया था कि विशेष छूट पर दाखिले व्यापक सामाजिक विचार-विमर्शों में सम्भव होने चाहिए । यह निर्णय लिया गया था कि जनता के प्रतिनिधियों के साथ-साथ सरकारी कर्मचारियों और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों से सम्बन्धित अनुरोधों पर यथोचित विचार किया जाएगा । जबकि अपेक्षित अनुकम्पा वाले मामलों पर सहानुभूति-पूर्वक विचार किया जाएगा ।

विशेष छूट के अन्तर्गत दाखिला देना अप्रैल-दिसम्बर, 1990 में पुनः बन्द कर दिया गया था। केन्द्रीय विद्यालय संगठन के तत्कालीन अध्यक्ष ने दिसम्बर, 1990 में पुनः यह देखते हुए कि संसद के माननीय सदस्यों की सिफारिशों को यथोचित महत्व दिया जाना है क्योंकि उन्हें ये जनहित में करना होता है, विवेकाधीन अधिकारों का प्रयोग करने के प्रावधान की पुनरीक्षा की।

अब यह निर्णय लिया गया है कि विशेष छूट अध्यक्ष के पूर्व-अनुमोदन से आयुक्त द्वारा योग्य मामलों में दी जानी जारी रहेगी । तथापि, अगला शैक्षिक सत्र आरम्भ होने से पूर्व एक बार पुनः समस्त मामलों की पुनरीक्षा की जा रही है ।

अन्य सन्दर्भ दिन प्रतिदिन के प्रशासनिक मामलों के हैं। सरकार केन्द्रीय विद्यालय संगठन कर्मचारी संघ की उचित शिकायतों की जांच करने को ध्यान में रखते हुए, उनके साथ मामलों पर चर्चा करने के लिए सदैव तैयार है ताकि उनका उपयुक्त समाधान किया जा सके। केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अध्यक्ष ने हाल ही में केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न संघों के साथ बैठकें आयोजित की हैं ।

डिंडिगुल और बंगलोर के बीच रेलगाड़ी

4141. **डा० बी० राजेश्वरन** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिंडिगुल और बंगलोर के बीच यात्रियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक रेलगाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) वाणिज्यिक औचित्य न होने के कारण ।

दिल्ली से उदयपुर तक एयरबस सेवा

[हिन्दी]

4142. **श्री भेरू लाल मीणा :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन समस्याओं में सुधार के लिए दिल्ली से जयपुर और उदयपुर के लिए एयरबस सेवा आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) जयपुर और उदयपुर हवाई अड्डे एयरबस विमान परिचालनों के लिए उपकरणों से सज्जित नहीं हैं। दिल्ली-जयपुर और दिल्ली-उदयपुर सैक्टरों पर इस समय प्रदान की गई क्षमता इन सैक्टरों के लिए पर्यटकों की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

तिरुवनन्तपुरम हवाई अड्डे का अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकास

[अनुवाद]

4143. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन :**
श्री कोडीकुन्नील सुरेश :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि तिरुवनन्तपुरम हवाई अड्डे का एक अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकास करने के लिए वर्ष 1991-92 में कितनी राशि आवंटित की गई ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : तिरुवनन्तपुरम हवाई अड्डे का अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकास करने के लिए वर्ष 1991-92 में 7.93 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

कन्या कुमारी में हवाई अड्डा

4144. **श्री एन० डेनिस :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कन्या कुमारी, तमिलनाडु में एक हवाई अड्डा खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आयुर्वेद कालेजों/अस्पतालों को सहायता

[हिन्दी]

4145. **श्री रामलखन सिंह यादव :**
श्री हरि केवल प्रसाद :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फिलहाल राज्यवार कार्यरत आयुर्वेद चिकित्सा कालेजों और अस्पतालों की संख्या क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान आयुर्वेद चिकित्सा कालेजों और अस्पतालों को राज्यवार कितना वित्तीय अनुदान दिया गया है;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में नए आयुर्वेद अस्पताल और कालेज खोलने तथा चालू आयुर्वेद अस्पतालों तथा कालेजों के विस्तार हेतु निवेदन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) संलग्न विवरण के अनुसार (उपाबन्ध-I)

(ख) संलग्न विवरण के अनुसार (उपाबन्ध-II)

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण-I

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कालेजों की संख्या (आयुर्वेदिक)	आयुर्वेदिक अस्पतालों की संख्या
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	4	8
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	2
3.	असम	1	2
4.	बिहार	9	9

1	2	3	4
5.	गोवा	—	—
6.	गुजरात	9	44
7.	हरियाणा	4	6
8.	हिमाचल प्रदेश	1	13
9.	जम्मू व कश्मीर	—	2
10.	केरल	9	18
11.	कर्नाटक	4	104
12.	मध्य प्रदेश	7	33
13.	महाराष्ट्र	20	29
14.	मणिपुर	—	—
15.	मेघालय	—	†
16.	मिजोरम	—	†
17.	नागालैंड	—	†
18.	उड़ीसा	6	8
19.	पंजाब	4	9
20.	राजस्थान	5	87
21.	सिक्किम	—	1
22.	तमिलनाडु	2	2
23.	त्रिपुरा	—	—
24.	उत्तर प्रदेश	10	1139
25.	पश्चिम बंगाल	1	4
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	—	—
27.	चंडीगढ़	1	1
28.	दादरा एवं नगर हवेली	—	—
29.	दमन व दीव	—	—

1	2	3	4
30.	दिल्ली	1	6
31.	लक्षद्वीप	—	—
32.	पांडिचेरी	—	—
	अखिल भारत :	98	1527

टिप्पणी : — = शून्य सूचना।

†=सूचना प्राप्त नहीं हुई।

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य-वार आयुर्वेदिक मेडिकल कालेजों और अस्पतालों को दिया गया सहायता अनुदान

क्रम सं०	संस्थान का नाम राज्यवार	1988-89	1989-90	1990-91
1	2	3	4	5
1.	स्वामी कल्याण देव राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, रामपुर, उत्तर प्रदेश	—	1.60 लाख	—
2.	आर० ए० पोद्दार आयुर्वेदिक चिकित्सा कालेज, एम० ए० पोद्दार अस्पताल, वर्ली, बम्बई	—	—	6 लाख
3.	वसन्त दादा पाटिल आयुर्वेदिक चिकित्सा कालेज, सांगली, महाराष्ट्र	—	—	1.60 लाख
4.	राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सा कालेज, पपरोला, जिला कांगड़ा, हि० प्र०	—	—	1,35,750 10,00,000 11,35,750

1	2	3	4	5
	5. श्रीकृष्ण राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, कुरुक्षेत्र, हरियाणा	—	—	8 लाख
	6. गौड़ ब्राह्मण वैद्य पंचमी सभा, रोहतक, हरियाणा	1.60 लाख	—	—
	7. एस० एस० एन० आयुर्वेदिक कालेज एवं अनुसंधान, पंकमल, उड़ीसा	1.60 लाख	—	—
	8. गोपबन्धु आयुर्वेदिक महाविद्यालय, पुरी, जिला पुरी, उड़ीसा	—	—	10 लाख
	9. राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, पटियाला पंजाब	—	—	5 लाख
	10. राजकीय भारतीय चिकित्सा कालेज, सयाजी राव रोड, विश्वेशरैया सर्कल, मैसूर, कर्नाटक	—	—	8 लाख
	11. आयुर्वेदिक एवं यूनानी तिब्बिया कालेज एवं सहायक यूनिटें, करोलबाग, नई दिल्ली	—	—	8 लाख
	12. एम० एम० मालवीय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर, राजस्थान	—	—	8 लाख
	13. श्री भंवर लाल डूंगर आयुर्वेद विश्वभारती, सरदार सहर, राजस्थान, जिला चूरू	1.60 लाख	—	—
	14. गुलाब कुंवरबा आयुर्वेदिक कालेज, धनवन्तरी नगर, जामनगर, गुजरात	—	—	8 लाख
	15. आयुर्वेद कालेज, पातंजलि, पुरी (पो० थाडगाम, वाया कोयम्बटूर, तमिलनाडु	—	—	10 लाख

1	2	3	4	5
	16. आयुर्वेद आर्य वैद्यन राम वरियर शिक्षा प्रतिष्ठान, कोयम्बटूर, तमिलनाडु	1.60 लाख	—	—
	17. जे० बी० रे० राज्य आयुर्वेदिक चिकित्सा कालेज एवं अस्पताल कलकत्ता, पश्चिम बंगाल	—	—	10 लाख
	18. केरल आयुर्वेदिक एवं अनुसंधान सोसायटी, कोट्टाकल, केरल	1.60 लाख	—	—

जबलपुर-गोंदिया-चन्द्रपुर लाइन को बदलना

[अनुवाद]

4146. **श्री प्रफुल पटेल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जबलपुर-गोंदिया-चन्द्रपुर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या निस्कर्ष निकला और उस पर क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) सर्वेक्षण कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है।

(ख) आगे की कारंवाई सर्वेक्षण के परिणामों तथा आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

दिल्ली में लघु उद्योग एककों द्वारा प्रदूषण

4147. **श्री आनन्द रत्न मौर्य** :
श्री राजवीर सिंह :

क्या **पर्यावरण और वन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में पंजीकृत ऐसे लघु उद्योग एककों तथा पार्थक्य क्षेत्रों (नान-कन्फोर्मिंग एरियाज) में कार्यरत गैर-पंजीकृत एककों की संख्या क्या है जिन्हें प्रदूषण नियन्त्रण अधिनियम के अन्तर्गत स्वीकृति दी गई है;

(ख) इनमें एककों की संख्या क्या है जिन्होंने गत तीन वर्षों के दौरान प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाए हैं; और

(ग) क्या लघु उद्योगों के जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम के प्रावधानों के दायरे से बाहर रखने का कोई प्रस्ताव है ?

पर्यावरण और वन राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ख) लगभग 25,000 लघु औद्योगिक इकाइयों ने उद्योग विभाग, दिल्ली प्रशासन से पंजीकरण की मांग की है। दिल्ली के पार्थक्य क्षेत्रों (नान-कन्फोर्मिग एरियाज) में 620 औद्योगिक इकाइयों को स्वीकृति प्रदान की गई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान लगभग 200 इकाइयों ने प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाए हैं।

(ग) जी, नहीं।

उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएं

4148. **श्री के० प्रधानी :**
श्री अर्जुन चरण सेठी :
श्री भीष्म सिंह पटेल :
कुमारी विमला वर्मा :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा एवं मध्य प्रदेश में ग्रामीण निर्धन जनता व विशेषकर अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार करने के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे;

(ख) अब तक इन लक्ष्यों की प्राप्ति किस सीमा तक कर ली गई है; और

(ग) चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं या उठाने का विचार है ताकि इन लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) भारतीय संविधान के अन्तर्गत स्वास्थ्य एक राज्य विषय है। विभिन्न ग्रामीण स्वास्थ्य आधारभूत ढांचे अर्थात प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, उप केन्द्रों, दाइयों के प्रशिक्षण के माध्यम से अनुसूचित जातियों के लिए जनजातीय उप-योजना तथा विशेष घटक योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के निर्धन व्यक्तियों और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

(ख) सातवीं योजना के दौरान मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्यों द्वारा निम्नलिखित लक्ष्यों तथा उपलब्धियों की सूचना दी गई :—

क्रम सं०	संस्था का नाम	मध्य प्रदेश			उड़ीसा		
		लक्ष्य	उपलब्धियां	%	लक्ष्य	उपलब्धियां	%
1.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	801	501	62.5	528	440	83.0
2.	सामुदायिक स्वास्थ्य विभाग	91	114	125.0	74	25	34.0
3.	उपकेन्द्र	4666	5295	113.0	1800	1299	72.0

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

नोट : % लक्ष्य पर प्रतिशत उपलब्धि।

नए विषय प्रारम्भ करना

[हिन्दी]

4149. श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव :
श्री राम टहल चौधरी :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत चालू शैक्षिक वर्ष से विद्यालयों के छात्रों के लिए नए विषय जैसे वाणिज्यिक शिक्षा, अन्तरिक्ष शिक्षा आरम्भ करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वाणिज्य, उच्चतर माध्यमिक स्तर पर पहले से ही पृथक वर्ग है जिसके अन्तर्गत छात्रों को बारहवीं कक्षा के अन्त में ली जाने वाली बोर्ड की परीक्षा में तीन ऐच्छिक वाणिज्यिक विषय लेने होते हैं। वाणिज्य, उच्चतर माध्यमिक स्तर पर वाणिज्यिक वर्ग में व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी हैं। जहां तक अन्तरिक्ष शिक्षा का प्रश्न है, इसे स्कूल स्तर पर विषय के रूप में प्रारम्भ करना उचित नहीं होगा।

ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाओं का क्रियान्वयन

[अनुवाद]

4150. श्री राम टहल चौधरी :
श्री श्रीकांत जेना :
श्री हरिकेवल प्रसाद :
श्री राम लखन सिंह यादव :
श्री महेन्द्र बैठा :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष बिहार के रोहतास, रांची, भोजपुर, पटना तथा पूर्व और पश्चिम चम्पारण जिलों और उत्तर प्रदेश के बलिया तथा देवरिया जिलों तथा उड़ीसा के कटक जिले में क्रियान्वित की गई स्वास्थ्य योजनाओं, उन योजनाओं समेत जो अनुसूचित जातियों और जन-जातियों के लिए थीं तथा उनके लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उन पर किए गए खर्च का ब्यौरा क्या है; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितनी धनराशि आबंटित किए जाने का विचार है तथा योजनावार उसके क्या लक्ष्य रखे गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) भारत के संविधान के अंतर्गत स्वास्थ्य एक राज्य विषय है। वैसे, मलेरिया, कालाजार, फाइलेरिया, दृष्टिहीनता, क्षयरोग और कुष्ठ इत्यादि के उन्मूलन और नियंत्रण के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए अनुदान देकर केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों की सहायता कर रही है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रमों के अन्तर्गत उपर्युक्त रोगों के नियंत्रण और उन्मूलन के लिए निम्नलिखित धनराशियां आबंटित की गई :—

(लाख रुपए में)

	बिहार	उड़ीसा	उत्तर प्रदेश
1	2	3	4
1. आदिवासी उप-योजना (टी० एस० पी०)			
1988-89	67.82	92.41	32.73
1989-90	72.81	91.28	36.26
1990-91	110.64	130.36	38.18

1	2	3	4
2. अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना (एम० सी० पी०)			
1988-89	78.18	56.99	273.60
1989-90	81.19	52.90	241.22
1990-91	126.80	70.33	262.58
3. कुल आदिवासी उपयोजना और विशेष संघटक योजना सहित			
1988-89	755.39	516.47	1692.21
1989-90	786.92	520.13	1593.32
1990-91	1008.80	612.24	1517.83

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा मंदिरों/स्मारकों का रख-रखाव

[हिन्दी]

4151. श्री गया प्रसाद कोरी :
श्री डी० डी० खनोरिया :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे मन्दिरों/स्मारकों की राज्यवार एवं संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या क्या है जिनका रख-रखाव भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया जा रहा है;

(ख) उन स्थानों की सही देख-भाल एवं रख-रखाव हेतु सरकार ने और क्या कदम उठाए/उपाय किए हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में वर्ष 1990-91 के दौरान किए गए व्यय का विवरण क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 3559 केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों का रख-रखाव किया जा रहा है, जिनमें देश के मन्दिर भी शामिल हैं। इनका राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ख) भावी पीढ़ियों के लिए केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों को परिरक्षित करने की दृष्टि से, रख-

रखाव के अलावा, उनकी वास्तविक आवश्यकताओं और प्राथमिकता के आधार पर संरक्षण के उपाय किए जाते हैं।

(ग) वर्ष 1990-91 के दौरान, केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों के रख-रखाव और संरक्षण पर रु० 700.78 लाख व्यय हुआ।

विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संरक्षित स्मारकों/स्थलों की सूची

राज्य	स्मारकों/स्थलों की संख्या
1	2
आंध्र प्रदेश	134
असम	40
अरुणाचल प्रदेश	5
बिहार	77
गोवा	25
गुजरात	199
हरियाणा	87
हिमाचल प्रदेश	35
जम्मू और कश्मीर	63
केरल	28
कर्नाटक	505
मध्य प्रदेश	324
महाराष्ट्र	284
मणिपुर	1
मेघालय	6
मिजोरम	शून्य
नागालैंड	4
उड़ीसा	68
पंजाब	24

1	2
राजस्थान	151
सिक्किम	3
तमिलनाडु	403
त्रिपुरा	5
उत्तर प्रदेश	782
पश्चिम बंगाल	112
संघ राज्यक्षेत्र	
अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	शून्य
चण्डीगढ़	शून्य
दादर व नागर हवेली	शून्य
दमन व दीव	9
दिल्ली	166
लक्षद्वीप	शून्य
पांडिचेरी	शून्य
कुल :	3559

भारतीय छात्रों को छात्रवृत्ति

4152. **श्री बलराज पासी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1991-92 के दौरान अन्य देशों द्वारा भारत के कितने छात्रों को देश-वार और विषय-वार छात्र-वृत्तियां प्रदान की गई हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : मानव संसाधन विकास मंत्रालय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मन्त्रालय तथा कल्याण मन्त्रालय में सरकार द्वारा प्रशासित योजनाओं के अन्तर्गत 1991-92 के दौरान विदेशों द्वारा जिन भारतीय छात्रों को छात्रवृत्तियां दी गई उनकी संख्या विषय-वार संलग्न विवरण में दी गई हैं ।

विवरण

1991-92 के दौरान विदेशों द्वारा दी गई छात्रवृत्तियों के प्राप्तकर्त्ता छात्रों की संख्या दर्शाने वाला विवरण, देशवार तथा राज्यवार

क्रम सं०	देश का नाम	विषय का नाम	छात्रों की संख्या
1	2	3	4
1.	आस्ट्रेलिया	अवर स्नातक पाठ्यक्रम	8
2.	बेल्जियम	मानव परिस्थिति विज्ञान	1
3.	बल्गेरिया	खाद्य उद्योग टेक्नालोजी	1
4.	चीन	राजनीति विज्ञान इतिहास	1
5.	कनाडा	राजनीति विज्ञान	1
		इलैक्ट्रोनिकी	1
		रोबोटिक्स	1
		पशु पालन	1
		लोक संचार	1
		अंग्रेजी भाषा तथा साहित्य	1
		वन अर्थशास्त्र	1
6.	फ्रांस	फ्रेंच भाषा	13
7.	जर्मनी	कृषि	3
		इन्जीनियरी तथा टेक्नालोजी	5
		पशु चिकित्सा	1
		जर्मन भाषा	2
		डेरी विज्ञान	2
8.	इण्डोनेशिया	इण्डोनेशियन भाषा	1
9.	आयरलैण्ड	जल विज्ञान	2
10.	इटली	इटैलियन भाषा तथा साहित्य	7
		संरक्षण के वैज्ञानिक सिद्धांत	1

1 2	3	4
11. जापान	लेजर टेक्नालोजी	1
	शिक्षा शास्त्र	1
	इन्जीनियरी	1
	वस्त्र इन्जीनियरी	1
	कोटि तथा विश्वसनीयता	1
	इन्जीनियरी	1
	फाइबर आप्टिक्स	1
	रोबोटिक्स	1
	रिमोट सैंसिंग	1
	ललित कला	1
	जीव विज्ञान समुद्र विज्ञान	1
	माइकोप्रोसेसर एप्लीकेशन्स	1
	जापानी भाषा तथा साहित्य	1
12. नार्वे	लुगदी तथा कागज टेक्नोलोजी	1
	हाइड्रो पावर डिवलपमेंट	2
	पेट्रोलियम पर्यवेक्षण तथा उत्पादन	2
	प्रामाणिक कृषि	1
13. पुर्तगाल	पुर्तगाली भाषा	2
14. तुर्की	वास्तुकला	1
	भू-विज्ञान इन्जीनियरी	1
15. यू० एस० ए०	फाइबर आप्टिक्स तथा इलेक्ट्रो आप्टिक्स	1
	वायुमण्डलीय तथा समुद्री विज्ञान	1
	विश्वसनीयता इन्जीनियरी तथा विश्लेषण	1
16. इंग्लैंड	सूक्ष्म जीवविज्ञान	2
	वैज्ञानिक संरक्षण	1
	समाज विज्ञान	2

1	2	3	4
		बागबानी	2
		पशुपालन	3
		भौतिकी	2
		आणविक जीव-विज्ञान	2
		कैंसर अनुसंधान	2
		कृषि शास्त्र	2
		अंग्रेजी साहित्य	2
		अर्थशास्त्र	4
		मीडिया/पत्रकारिता	1
		लोक संचार	1
		रसायन शास्त्र	1
		भू-विज्ञान	1
		अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध	3
		माइक्रो इलेक्ट्रोनिक्स	1
		संग्रहालय विज्ञान	1
		कम्प्यूटर अध्ययन	1
		समुद्री इन्जीनियरी	1
		कोटि तथा विश्वसनीयता	1
		इन्जीनियरी	1
		ललित कला	1
		शिक्षा/शिक्षा शास्त्र	1
		दर्शनविज्ञान	1
		स्त्रीरोग विज्ञान	1
		मानव विज्ञान	1

नाडियाड-भद्रां रेलवे लाईन (गुजरात) का बड़ी लाइन में बदला जाना

[अनुवाद]

4153. डा० खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नादियाड-भद्रां (जिला कैरा, गुजरात) में छोटी रेलवे लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा यह कार्य कब तक शुरू हो जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संसाधनों की तंगी।

भारतीय खेल संस्थान द्वारा प्रशिक्षित खेल प्रशिक्षक

[हिन्दी]

4154. **श्री राम शरण यादव :**
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खेल संस्थान द्वारा अब तक कितने व्यक्तियों को खेल प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण दिया गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार इन खेल प्रशिक्षकों को बेहतर पारिश्रमिक और अन्य सुविधाएं देने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला और भारतीय खेल प्राधिकरण के बंगलौर, कलकत्ता तथा गांधीनगर स्थित क्षेत्रीय केन्द्रों की शैक्षिक शाखाओं द्वारा कुल 9,950 प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है।

(ख) तथा (ग) मई, 1987 में जब नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला का भारतीय खेल प्राधिकरण में विलयन किया गया था, उस समय भिन्न-भिन्न वेतनमान विद्यमान थे। तदुपरान्त वेतनमान-पुनंगठन किया गया है तथा अब भारतीय खेल प्राधिकरण के शासी निकाय ने निम्नलिखित वेतनमानों का अनुमोदन किया है :—

(i) 1640—2900/- रुपए

(ii) 2200—4000/- रुपए

(iii) 3000—4500/- रुपए

(iv) 3700—5000/- रुपए

वर्तमान में प्रशिक्षक उपर्युक्त वेतनमानों में कार्यरत हैं।

इंदौर-खंडवा सेक्शन पर झींगड़ी में रेल फाटक बनाना

4155. **श्री रामेश्वर पाटीदार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्दौर-खंडवा सेक्शन पर बलवाड़ा (मुख्तयार) और बदवाड़ा स्टेशन के बीच स्थित झींगड़ी गांव के निकट चौकीदार वाला रेल फाटक बनाने की मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई किए जाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) रेलों द्वारा मौजूदा लाइनों पर नए समपारों की व्यवस्था तभी की जाती है जब राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार प्रारम्भिक तथा आवर्ती खर्च वहन करने की विधिवत सहमति के साथ उन्हें प्रायोजित किया जाए। उक्त समपार के सम्बन्ध में रेलों को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

बिहार में मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम

4156. **श्री सूरज मंडल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, प्रत्येक वर्ष बिहार के गोड्डा, दुमका, देवघर, भागलपुर और मुंगेर जिलों में मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमों पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गयी; और

(ख) इस अवधि के दौरान क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए तथा इसकी क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) बिहार सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष बिहार के गोड्डा, दुमका, देवघर, भागलपुर, और मुंगेर जिलों में मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम पर खर्च की गई कुल राशि और सही अवधि के लिए कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य तथा उपलब्धियां संलग्न विवरण I और II में दी गई हैं।

विवरण-I

वर्ष	गोड्डा	दुमका	देवघर	भागलपुर	मुंगेर
1988-89	शून्य(*)	शून्य(*)	शून्य(*)	1,41,896	शून्य(*)
1989-90	1,78,690	1,95,690	1,78,690	1,60,396	शून्य(*)
1990-91	1,98,464	2,86,164	1,98,464	1,70,417	1,51,677

(*) तब तक नगद सहायता का कोई आबंटन नहीं किया गया जब तक कि भारत सरकार द्वारा चरणों के सम्बन्ध में किए गए निर्णय के अनुसार जिलों को रोग-प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल नहीं किया गया ।

विवरण-II

	लक्ष्य/उपलब्धियां 1988-89		लक्ष्य/उपलब्धियां 1989-90		लक्ष्य/उपलब्धियां 1990-91	
	1		2		3	
1. गोड्डा जिला						
खसरा	24,000	23,296	24,600	17,442	24,500	18,109
टी० टी० (पी० डब्ल्यू०)	31,000	13,370	32,500	7,790	32,400	19,467
डी० पी० टी०	24,000	28,011	24,600	19,691	24,500	19,561
पोलियो	24,000	28,078	24,600	19,691	24,500	19,561
बी० सी० जी०	24,000	22,919	24,600	21,205	24,500	14,384
2. दुमका जिला						
खसरा	41,000	26,652	42,100	48,429	41,500	19,719
टी० टी० (पी० डब्ल्यू०)	53,000	25,658	55,500	23,851	55,000	13,296

	1		2		3	
डी० पी० टी०	41,000	39,637	42,100	31,052	41,500	24,307
पोलियो	41,000	34,086	42,100	28,304	41,500	24,461
बी० सी० जी०	41,000	31,290	42,100	47,771	41,500	28,256
3. देवघर जिला						
खसरा	24,000	18,030	24,500	11,141	24,000	25,120
टी० टी० (पी० डब्ल्यू०)	31,000	22,102	32,300	9,173	32,000	19,675
डी० पी० टी०	24,000	27,391	24,500	6,499	24,000	35,018
पोलियो	24,000	26,245	24,500	6,464	24,000	35,018
बी० सी० जी०	24,000	26,932	24,500	17,575	24,000	24,591
4. भागलपुर जिला						
खसरा	88,000	72,438	90,800	50,745	89,750	1,02,813
टी० टी० (पी० डब्ल्यू०)	1,13,000	53,065	1,19,700	26,725	1,19,000	34,604
डी० पी० टी०	88,000	89,642	90,800	44,621	89,750	84,487
पोलियो	88,000	92,273	90,800	45,740	89,750	84,740
बी० सी० जी०	88,000	79,416	90,800	76,143	89,750	59,578

	1		2		3	
5. मुंगेर जिला						
खसरा	28,800	23,040	73,800	71,250	87,000	75,351
टी० टी० (पी० डब्ल्यू०)	72,200	62,762	97,300	35,018	1,15,500	40,155
डी० पी० टी०	63,000	50,457	73,800	52,260	87,000	81,188
पोलियो	63,000	50,479	73,800	63,608	87,000	79,372
बी० सी० जी०	63,000	55,773	73,800	73,997	87,000	80,488

दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम में संशोधन

[अनुवाद]

4157. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का 2 फरवरी 71 से 31 दिसम्बर 73 तक के सरकारी सहायता प्राप्त सरकारी स्कूलों के सेवानिवृत्त अध्यापकों और कर्मचारियों को पेंशन और सेवानिवृत्त सुविधाएं देने हेतु दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1973 में संशोधन करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रस्तावित संशोधन संसद में कब तक प्रस्तुत किया जाएगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

एगिनों-मोटो का मानव शरीर पर प्रभाव

4158. **श्री मोरेश्वर सावे** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'एगिनो-मोटो, एम० एस० जी० (मोनोसोडियम आफ ल्यूकोमेट)' जो एक गंध-संवर्धक है, हानिकारक तत्व है;

(ख) यदि हां, तो क्या 'एम० एस० जी०' के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) खाद्य और कृषि संगठन/विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा गठित एक विशेषज्ञ निकाय, खाद्य संयोजी संयुक्त विशेषज्ञ समिति का विचार है कि वांछित प्रौद्योगिकी प्रभाव प्राप्त करने के लिए इस रसायन के आवश्यक स्तर पर प्रयोग तथा रसायनों की स्वीकार्य पृष्ठभूमि से स्वास्थ्य को कोई खतरा नहीं होता।

(ख), से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

पश्चिम बंगाल में नदी जल-प्रदूषण

4159. **डा० असीम बाला** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल के जालंगी, चुरनी और इच्छामती नदियों का पानी, पास के क्षेत्र के चीनी कारखानों से निकलने वाले अवशिष्टों के कारण प्रदूषित हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन स्थानों पर जल-प्रदूषण रोकने के लिए कोई उपाय किया है ?

पर्यावरण और वन राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार पश्चिमी बंगाल की सभी चार चीनी मिलों को कुछ वर्षों के लिए बन्द कर दिया गया है । तथापि, चुर्नी नदी में प्रदूषण बंगलादेश की चीनी मिलों के बहिस्रावों के विसर्जन के कारण होने की खबर है । इस सम्बन्ध में उचित कार्रवाई शुरू कर दी गई है ।

जमा दो (+2) शिक्षा पद्धति का क्रियान्वयन

[हिन्दी]

4160. **श्री ललित उरांव** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार के 500 स्कूलों में जमा दो (+2) शिक्षा पद्धति लागू करने का लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ग) यह लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लिए जाने की संभावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) बिहार सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

इम्फाल हवाई अड्डे पर रात में विमान उतारने संबंधी सुविधाएं

[अनुवाद]

4161. **श्री याइमा सिंह युमनाम** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का इम्फाल हवाई अड्डे पर रात में विमान उतारने सम्बन्धी सुविधाएं प्रदान करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक क्रियान्वित किया जाएगा ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त रात्रि अवतरण सुविधाओं की व्यवस्था करने की योजना है :—

1. उच्च तीव्रता धावनपथ प्रकाश प्रणाली ।

2. टैक्सीपथ प्रकाश प्रणाली ।

3. 22 छोर पर साधारण एप्रोच प्रकाश प्रणाली ।

4. 04 छोर पर श्रेणी-I पहुंच प्रकाश प्रणाली ।

5. एप्रन फ्लड प्रकाश प्रणाली ।

6. सौर शक्ति-प्राप्त अवरोधन प्रकाश प्रणाली ।

(ख) एप्रोच प्रकाश और उपकरणों के लिए भूमि के उपलब्ध होने पर ये निर्माण कार्य 31 दिसम्बर, 1992 तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है ।

वायु प्रदूषण

4162. **डा० (श्रीमती) पद्मा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रांकियल निमोनिया वातावरण में विपरीत परिवर्तन के कारण होता है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ख) इसे रोकने के लिए क्या उपचारी उपाय किए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) वर्षण, कोहरा, तापमान विपरिवर्तन सामान्य मौसम विज्ञान संबंधी घटनाएं हैं । विपरीत परिवर्तनों के दौरान जीवाणु और गैस तथा ऐरीसाल सहित विभिन्न आकारों के कण सतह पर आ जाते हैं । जिन शहरों में वायु प्रदूषण आमतौर पर है, वहां पर नाइट्रोजन की आक्साइडों और सल्फर की आक्साइडों की उपस्थिति से श्वसनी क्षोभ हो सकता है । विपरिवर्तन, मिश्रण को अवरोधित करता है और इस प्रकार प्रदूषण होता है । प्रदूषण से विपरिवर्तन के दौरान अंगों पर क्षोभ होता है और उन्हें संदूषित कर देता है और इससे अधिक तीव्र श्वसनी बीमारियां हो सकती हैं ।

(ख) भारत सरकार ने देश के विभिन्न भागों में वायुमण्डलीय प्रदूषण को मानीटर करने के लिए केन्द्रों की स्थापना की है । केन्द्रीय राज्य सरकारों द्वारा प्रदूषण रोकने और उस पर नियन्त्रण पाने के लिए उपाय किए जाते हैं । भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान के माध्यम से अहमदाबाद और बंगलौर में स्वास्थ्य पर वायुमण्डलीय प्रदूषण और इसके प्रभावों पर अध्ययन किए गए हैं ।

हृदय रोगियों के लिए नई चिकित्सा पद्धति

4163. **डा० सी० सिलवेरा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हृदय रोगियों की चिकित्सा के लिए कोई नई पद्धति खोजी गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० ताराबेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) रोगियों का बेहतर तरीके से उपचार करने के लिए निरन्तर प्रगति हो रही हैं और इस प्रक्रिया में नई विधियां विकसित की जाती हैं। जहां तक कार्डियोवासकुलर सर्जरी का सम्बन्ध है, अवरुद्ध हृदयधमनियों जिससे एंजिना और मायोकार्डियल इन्फाक्र्सन जैसे विकास हो जाते हैं, के रोगियों का उपचार करने के लिए बैलून एंजियोप्लास्टी एक नई विधि है। इस विधि के सफल होने की दर काफी अधिक है। यह सुविधा अब देश के अनेक अस्पतालों में उपलब्ध है।

उत्तर प्रदेश में बस्ती स्टेशन पर रेल-गाड़ियों में आरक्षण कोटा

[हिन्दी]

4164. **श्री रामपाल सिंह** : क्या क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में बस्ती स्टेशन पर प्रत्येक रेलगाड़ी के लिए निर्धारित आरक्षण कोटे का वर्तमान और पिछले तीन वर्षों का ब्योरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार का विचार इस कोटे में वृद्धि करने का है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) इस समय तथा पिछले वर्ष के दौरान बस्ती स्टेशन पर उपलब्ध आरक्षण कोटा निम्न प्रकार है :

गाड़ी नं०	इस समय उपलब्ध कोटा			पिछले वर्ष के दौरान उपलब्ध कोटा		
	वा० क० 2 टियर	पहला दर्जा	दूसरा दर्जा	वा० क० 2 टियर	पहला दर्जा	दूसरा दर्जा
1	2	3	4	5	6	7
3020 गोरखपुर-हवड़ा एक्सप्रेस	—	—	—	—	—	10
1144 छपरा-ग्वालियर एक्सप्रेस	—	—	6	—	2	12
5063 अवध एक्सप्रेस	—	—	2	—	—	4
1016 गोरखपुर बम्बई वी०टी० एक्सप्रेस	2	—	46	2	—	—
2553 वैसाली एक्सप्रेस	4	—	34	4	—	34
9166 साबरमती एक्सप्रेस	—	—	10	—	—	10
5205 कानपुर-बरौनी एक्सप्रेस	—	—	2 (अमृतसर)	—	—	3
—वही—	—	—	2 (हवड़ा)	—	—	3

1	2	3	4	5	6	7
5206 कानपुर-बरौनी एक्सप्रेस	—	—	—	—	—	2
5001/5007 वाराणसी-लखनऊ एक्सप्रेस	1	1	—	2	2	—
5007 लखनऊ मेल	—	—	12	—	—	22
5609 अवध-असम एक्सप्रेस	—	—	4	—	—	8
5012 कोचीन एक्सप्रेस	—	—	8	—	—	10
	—	—	(2 मंगलोर)	—	(मंगलोर)	2
2134 लखनऊ-बम्बई वी० टी० सुपरफास्ट	—	—	20	—	—	14
2473 शहीद एक्सप्रेस	1	—	12	2	—	12
3009 दून एक्सप्रेस	—	—	—	—	—	2
4229 लखनऊ मेल	—	—	2	2	—	6
2557 अमरनाथ एक्सप्रेस	1	—	24	2	—	24
5090 गोरखपुर-हैदराबाद एक्सप्रेस	—	—	10	2	—	18
5046 गोरखपुर-अहमदाबाद एक्सप्रेस	—	2	14	—	—	12
5652 लोहित एक्सप्रेस	—	—	2	—	—	4
5651 लोहित एक्सप्रेस	—	—	4	—	—	6

(ख) कम उपयोग होने के कारण कुछ गाड़ियों में बस्ती स्टेशन का आरक्षण कोटा कम कर दिया गया था। अतः फिलहाल इसे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

रेल फाटकों पर ऊपरी पुल

[हिन्दी]

4165. श्रीमती महेन्द्र कुमारी :
श्री राम नारायण बैरवा :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल फाटकों पर, विशेषकर अलवर/जयपुर मार्ग पर और राजस्थान के अन्य बड़े शहरों में बार-बार होने वाली रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ऊपरी पुलों के निर्माण का कोई दीर्घकालिक कार्यक्रम है;।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान अत्यधिक रूप से व्यस्त रेल लाइनों पर ऐसे कितने रेल फाटकों का निर्माण किया गया है; और

(ग) शेष फाटकों पर निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां ।

(ख) सभी क्षेत्रीय रेलों पर 30 ।

(ग) यह सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा इस निर्माण कार्य के लिए ठोस प्रस्ताव प्रायोजित करने, धन की उपलब्धता आदि पर निर्भर करेगा ।

भागलपुर-मुगलसराय रेलवे लाइन का विद्युतीकरण

[अनुवाद]

4166. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भागलपुर से पटना होकर मुगलसराय तक की रेलवे लाईन के विद्युतीकरण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या इस परियोजना के लिए कोई राशि आवंटित की गई है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव को कब कार्यान्वित किए जाने की संभावना है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) पटना के रास्ते सीतारामपुर-मुगलसराय खण्ड के विद्युतीकरण के भाग के रूप में किउल-मुगलसराय खण्ड का विद्युतीकरण एक अनुमोदित कार्य है, जिसे आस्थगित रखा गया है और उसका निष्पादन संसाधनों की उपलब्धता और अन्य उच्च घनत्व वाले मार्गों के विद्युतीकरण की सापेक्ष प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा । किउल-भागलपुर खण्ड के विद्युतीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

सिंगरेनी कोयला खान क्षेत्र के लिए माल डिब्बे

4167. **श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सिंगरेनी कोयला खान क्षेत्र से कोयले की ढुलाई हेतु माल डिब्बों की व्यवस्था करने के लिए विजयवाड़ा ताप बिजली केन्द्र से अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रयोजन हेतु कितने माल डिब्बों की आवश्यकता है और वस्तुतः कितने माल डिब्बे उपलब्ध कराए गए हैं; और

(ग) इस प्रयोजन हेतु पर्याप्त संख्या में माल डिब्बे उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) कोयला मन्त्रालय के अधीन गठित स्थाई समन्वय समिति ने अक्तूबर-दिसम्बर, 1991 की अवधि के लिए विजयवाड़ा ताप बिजली घर को प्रति दिन 186 बाक्स माल डिब्बे, जिनमें सिंगरेनी से 118 बाक्स माल डिब्बे और तालचेर कोयला फील्ड से 68 बाक्स माल डिब्बे शामिल हैं, की सप्लाई तय की है। अक्तूबर, नवम्बर और दिसम्बर (10-12-1991 तक) के दौरान एक दिन में वस्तुत: 188 बाक्स माल डिब्बे सप्लाई किए गए हैं, सिंगरेनी कोयला फील्ड से प्राप्त कोयले को रेलों द्वारा पूरा का पूरा लदान किया जा रहा है।

निश्चेतन करने के लिए दिशा-निर्देश

4168. **श्री रवीन्द्र कुमार शर्मा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निश्चेतना में रखे गए रोगियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मानदण्ड और दिशा-निर्देश तैयार करने हेतु विशेषज्ञों की कोई समिति गठित की गयी है; और

(ख) यदि हां, तो समिति का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

फर्रुखाबाद और गोला के बीच रेलवे लाइन

[हिन्दी]

4169. **डा० जी० एल० कनोजिया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फर्रुखाबाद और गोला के बीच शाहजहांपुर होकर एक रेलवे लाइन बिछाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर कब तक निर्माण कार्य आरम्भ किया जाएगा ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) 1977 में सर्वेक्षण किया गया था। उस समय 15?.32 कि० मी० लम्बी लाइन पर 24 57 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान लगाया गया था तथा इससे प्राप्त होने वाले प्रतिफल की दर ऋणात्मक थी। चूंकि यह कार्य अलाभप्रद था तथा रेलें संसाधनों की तंगी का सामना कर रही हैं, इसलिए इस कार्य को शुरू करना संभव नहीं हो पाया है।

रिक्त पदों पर भर्ती

[अनुवाद]

4170. श्री पृथ्वीराज डी० चह्वाण :
प्रो० सुशान्त चक्रवर्ती :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे के विभिन्न विभागों में काफी संख्या में कई पद काफी लम्बे समय से रिक्त पड़े हैं;

(ख) इन रिक्त पदों को यथोचित समय में न भरने के क्या कारण हैं;

(ग) शीघ्र भर्ती करने की दृष्टि से रेलवे भर्ती बोर्ड के कार्यकरण में सुधार करने के लिए किस योजना को लागू करने का विचार है;

(घ) क्या रेल विभागों में कम्प्यूटरीकरण के कारण कर्मचारी फालतू हो रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इन फालतू कर्मचारियों को अन्य विभागों में खपाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) कर्मचारियों द्वारा सेवा छोड़ देने, त्याग-पत्र दे देने, उनकी मृत्यु हो जाने आदि जैसे विभिन्न कारणों की वजह से रिक्तियां उत्पन्न होती हैं। चूंकि रिक्तियो का उत्पन्न होना तथा उनका भरा जाना एक सतत प्रक्रिया है इसलिए किसी एक समय में कुछ रिक्तियां हमेशा ही रहेंगी जिन्हें भरा जाना है।

(ग) भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए भर्ती सम्बन्धी कार्य का धीरे-धीरे कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है। इसके अलावा, मांग-पत्र भेजने की प्रणाली और साक्षात्कार लेने की विधि को युक्तिसंगत भी बनाया गया है।

(घ) और (ङ) कम्प्यूटरीकरण की वजह से फालतू होने वाले कर्मचारियों, यदि कोई हो, को अन्य उत्पादक कार्यों पर लगाया जा रहा है और किसी कर्मचारी की छंटनी नहीं की जा रही है।

मद्रास सेंट्रल रेलवे स्टेशन में पैदल-पार पुल

4171. **श्री अम्बारासु इरा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास सेंट्रल स्टेशन के सभी 13 प्लेटफार्मों को जोड़ने वाला एक पैदल पार पुल का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) निम्नलिखित दो निर्माण कार्यों के एक भाग के रूप में लगभग 27.8 लाख रुपए की लागत पर मद्रास सैंट्रल रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म सं० 1 से 12 को जोड़ने के लिए पैदल पुल के निर्माण से सम्बन्धित एक प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था :—

I. मद्रास सैंट्रल :

प्रतीक्षालय और अन्य सुविधाएं।

II. मद्रास सैंट्रल :

यार्ड के ढांचे में परिवर्तन।

चूंकि इन निर्माण कार्यों की नवीनतम अनुमानित लागत प्रारम्भिक प्रत्याशित लागत की अपेक्षा बहुत ही अधिक है इसलिए ऊपरी पैदल पुल, जिसे अलग से शुरू किया जा सकता है, सहित कुछ कार्यों को स्थगित कर दिया गया है।

दिल्ली में क्रिकेट स्टेडियम

4172. **श्रीमती गिरिजा देवी : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम का क्रिकेट मैदान क्रिकेट खेलने योग्य नहीं है;

(ख) यदि हां, तो वहां क्रिकेट मैच आयोजित करने के क्या कारण हैं; और

(ग) दिल्ली में एक बढ़िया क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, 1982 के एशियाई खेलों के समय, विशेषकर उद्घाटन और समापन तथा एथलेटिक्स और फुटबाल प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए निर्मित किया गया था। यह क्रिकेट के लिए नहीं बनाया गया था।

(ख) गत 9 वर्षों में, चेरिटेबल उद्देश्य के लिए राशि इकट्ठी करने हेतु केवल 6 अवसरों पर ही मैच आयोजित किए गए हैं।

(ग) दिल्ली में अन्य किसी क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण के लिए कोई भी प्रस्ताव शेष नहीं है। दिल्ली में वर्तमान फिरोजशाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम अति श्रेष्ठ क्रिकेट स्टेडियम है।

हाथरस जिला से ए० सी० एम० यात्री गाड़ी चलाना

[हिन्दी]

4173. **डा० लाल बहादुर रावल : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास हाथरस जिले से ए० जी० एन० यात्री गाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सिक्किम के लिए माल डिब्बे

[अनुवाद]

4174. श्रीमती दिल कुमारी भंडारी : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में चिराई से आयोडीन युक्त नमक की नियमित ढुलाई सुनिश्चित करने हेतु राज्य को माल डिब्बों के आबटन के लिए सिक्किम सरकार से कुछ अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) हाल ही में सिक्किम सरकार ने नमक आयुक्त और रेलवे से आयोडाइज्ड नमक के भारी स्टाक के कारण नवम्बर से दिसम्बर 91 तक संचलन-कार्यक्रम को स्थगित कर देने का अनुरोध किया था।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

वायुदूत सेवाओं का संचालन

[हिन्दी]

4175. श्री काशीराम राणा : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय चलायी जा रही वायुदूत की सेवाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक सेवा पर कितना खर्च हुआ;

(ग) क्या सूरत होते हुए मुम्बई से दिल्ली के बीच चलाई जा वाली विमान सेवा पुन: बहाल कर दी गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) वायुदूत इस समय संलग्न विवरण में दर्शाए गए 45 स्टेशनों पर सेवा का परिचालन कर रहा है।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) वाणिज्यिक और परिचालनात्मक कारणों से, बम्बई-सूरत-उदयपुर-दिल्ली मार्ग पर वायुदूत की सेवा बन्द कर दी गई है।

विवरण

12-12-1991 की स्थिति के अनुसार परिचालनात्मक स्टेशनों को दर्शाने वाला विवरण

1. दिल्ली
2. देहरादून
3. कानपुर
4. लखनऊ
5. लुधियाना
6. चण्डीगढ़
7. जोधपुर
8. जैसलमेर
9. कुल्लू
10. शिमला
11. गग्गल
12. अगरतला
13. कैलाशहर
14. ऐजवाल
15. कलकत्ता
16. कूच-बिहार
17. जोरहाट
18. लीलाबाड़ी
19. सिल्चर
20. डिब्रूगढ़
21. जमशेदपुर
22. शिलांग

23. जेरो

24 गुवाहाटी

25. हैदराबाद

26. राजामुन्दरी

27. तिरुपति

28. विजयवाड़ा

29. बंगलौर

30. बेलगाम

31. कोयम्बटूर

32. मद्रास

33. कोचीन

34. अगत्ती

35. पांडिचेरी

36. बम्बई

37. पूना

38. कोल्हापुर

39. कांडला

40. पोरबन्दर

41. केशोद

42. राजकोट

43. अहमदाबाद

44. बड़ौदा

45 गोआ

नदियों पर रेल पुल

4176. श्री विलासराव नागनाथराव गुण्डेवार : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कौन-कौन सी नदियों पर रेल पुलों का निर्माण किए जाने का विचार है;

(ख) क्या महाराष्ट्र में ऐसे पुलों के निर्माण का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) इन प्रस्तावित पुलों पर कितना व्यय किए जाने का अनुमान है; और

(ङ) इन पुलों का निर्माण कब तक कर दिया जाएगा ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) नई लाइनें, आमान परिवर्तन और दोहरीकरण परियोजनाओं के एक भाग के रूप में, ब्रह्मपुत्र, मंडक, मही, चम्बल, नर्मदा और गोदावरी जैसी बड़ी नदियों पर रेल पुलों का निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है। वर्तमान लेखे में गंगा और गोदावरी (आन्ध्र प्रदेश) जैसी बड़ी नदियों पर नए पुलों का निर्माण किया जा रहा है।

(ख) से (घ) मनमाड-परभनी-परली बैजनाथ के आमान परिवर्तन कार्य के एक भाग के रूप में गोदावरी पुल (महाराष्ट्र) में पुनः गार्डर लगाए जा रहे हैं। गार्डर लगाने के इस कार्य पर लगभग 1.2 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान लगाया गया है।

(ङ) आमान परिवर्तन परियोजना सहित इस पुल का कार्य आठवीं योजना अवधि के दौरान पूरा किए जाने की संभावना है।

फतुहा से गया और राजगीर से गया तक रेल-लाइन

[अनुवाद]

4177. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार पूर्वी रेलवे के अन्तर्गत फतुहा से इस्लामपुर होकर गया तक और राजगीर से गया बड़ी रेल लाइनों के निर्माण के लिए प्रारम्भिक कार्यों को आरम्भ करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल में रेल परियोजनाएं

4178. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल सरकार सहित अनेक अन्य स्रोतों से प्राप्त नई रेल लाइनों का निर्माण, वर्तमान लाइनों का विस्तार और अन्य रेल परियोजनाओं संबन्धी कौन-कौन से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) स्वीकार की गई तथा विचाराधीन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं को कब तक पूरा किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार का राज्य की किन्हीं रेल लाइनों को अलाभप्रद होने के कारण बन्द करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) कोई नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

अस्पतालों की स्थापना

4179. **श्री गोविन्द चन्द्र मुण्डा :**
श्री विजय नवल पाटील :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित अस्पतालों की राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

असम में काटाखाल स्टेशन

4180. **श्री द्वारका नाथ दास :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा कि करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि असम की बराक घाटी में काटाखाल-भैराती ब्रांच लाइन में अधिकांश स्टेशनों की हालत बड़ी खराब है; और

(ख) यदि हां, तो वहां प्लेटफार्मों के निर्माण के साथ-साथ उनकी हालत में सुधार करने के बारे में क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) काटाखाल-भैराती खंड के स्टेशनों की हालत खराब नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

हवाई अड्डों पर शिकायत/सुझाव पेटी

4181. **श्री के० एच० मुनियप्पा :**
श्री सी० पी० मुदालगिरियप्पा :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में सभी हवाई अड्डों के बुकिंग कार्यालयों पर सुझाव/शिकायत पेटी रखने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) यात्रियों के सुझाव/शिकायतें प्राप्त करने के लिए अधिकांश हवाई अड्डों और बुकिंग कार्यालयों पर सुझाव/शिकायत बक्से पहले से ही रखे हुए हैं।

तमिलनाडु में अप्रयुक्त हवाई अड्डे

4182. **श्री पी० पी० कालियापेरुमल** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु के दक्षिण आर्काट जिले में कुछ हवाई अड्डों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और ऐसे प्रत्येक हवाई अड्डे के अन्तर्गत कितनी भूमि शामिल है;

(ग) क्या इन हवाई अड्डों का सार्वजनिक उद्देश्य के लिए विकास करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) दक्षिण आर्कोट जिले में दो हवाई क्षेत्र हैं, एक नेवेली में है और दूसरा उलुंदपेट में। उलुंदपेट का हवाई क्षेत्र भारतीय वायु सेना का एक परित्यक्त हवाई क्षेत्र है।

नेवेली के धावनपथ का परिमाप 3000 फुट × 100 फुट है जबकि उलुंदपेट पर दो धावन पथ हैं जिनमें एक का परिमाप 6000 फुट × 150 फुट है और दूसरे का 4800 फुट × 150 फुट है।

(ग) और (घ) निधियों की कठिनाई और सीमित वाणिज्यिक संभावना के कारण इस समय इन हवाई क्षेत्रों के विकास की कोई योजना नहीं है।

एलूरु टाउन (आन्ध्र प्रदेश) में पुल

4183. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एलूरु टाउन (आन्ध्र प्रदेश) में एक रेलवे उपरि पुल का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर कितनी लागत आने का अनुमान है और इसके निर्माण कार्य के कब तक शुरू होने की संभावना है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां। राज्य सरकार द्वारा इस कार्य के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की गई है।

(ख) भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा योजना को अनुमोदित कर देने के बाद ही इस कार्य की लागत का अनुमान लगाया जाएगा। रेल मंत्रालय तथा भूतल परिवहन मन्त्रालय दोनों द्वारा स्वीकृति प्रदान कर देने के बाद ही यह कार्य शुरू किया जाएगा।

उड़ीसा में परिवार कल्याण कार्यक्रमों को लागू करना

[हिन्दी]

4184. **श्री श्रीकान्त जेना** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में विदेशी सहायता की मदद से लागू किए जा रहे परिवार कल्याण कार्यक्रमों की जिलावार संख्या क्या है;

(ख) इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत आरम्भ किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कार्य में योजनागत रूप में प्रगति हो रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवाओं की एक क्षेत्रीय विकास परियोजना को 1989-1990 से समुद्रपारीय विकास एजेंसी (यू० के०) की सहायता से उड़ीसा में 65.6 करोड़ रुपए की लागत से कार्यान्वित किया जा रहा है। इस परियोजना के अन्तर्गत शामिल जिले है :—

(1) ढेंकनाल

(2) क्योंझार

(3) मयूरभंज

(4) सबलपुर और

(5) सुन्दरगढ़।

इसके अलावा उड़ीसा में संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी सहायता से स्वैच्छिक संगठनों के लिए दो परियोजनाएं मंजूर की गई हैं। इन परियोजनाओं के ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

(ख) से (घ) इस परियोजना को चालू करने में शुरू में पदों को न भरे जाने और अन्य प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण हुए विलम्ब के बावजूद अब क्षेत्रीय विकास परियोजना कार्यकलापों में गति आ गई है और पर्याप्त प्रगति हुई है। 30 भवनों का निर्माण कार्य चल रहा है जबकि 4 यूनिटों (तीन उप-केन्द्र भवनों और एक लेडी हेल्थ विजिटर क्वार्टर) का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। इसके अलावा, 152 भवनों के निर्माण के लिए मंजूरी जारी कर दी गई है। इतना ही नहीं अपितु 98 यूनिटों के लिए भूखण्ड ले लिए गये हैं। 1132 चिकित्सीय और परा चिकित्सीय कार्मिकों को प्रशिक्षित किया किया गया है। परियोजना कार्यकलापों के पांच वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर पूरा होने की संभावना है।

जहां तक यू० एस० एड सहायता से स्वैच्छिक संगठनों के जरिए परियोजनाओं को कार्यान्वित करने का सम्बन्ध है, अभी तक किये गये कार्य का मूल्यांकन नहीं किया गया है।

विवरण

पी० वी० ओ० एच०-II योजना, जो यू० एस० एड से सहायता प्राप्त योजना है, के अन्तर्गत उड़ीसा राज्य में प्राइवेट स्वैच्छिक संगठनों, नामत: (1) भारतीय युवा और विकास संस्थान, कलिंग, फूलबनी, (2) ज्योतिर्मय महिला समिति, कटक (उड़ीसा) के लिए 2 परियोजनाएं मंजूर की गई हैं, जिनका ब्यौरा इस प्रकार है:

(1) भारतीय युवा और विकास संस्थान को 20-3-91 को 30-9-95 तक की अवधि के लिए 41,47,284/- रुपए की लागत से "एकीकृत परिवार कल्याण परियोजना" नामक एक पी० वी० ओ० एच० परियोजना मन्जूर की गई है। इस रकम में सरकार द्वारा दिया गया अनुदान 30,80,956/- रुपए होगा और प्राइवेट स्वैच्छिक संगठन का अंशदान 10,66,328/- रुपए है। लक्षित क्षेत्र में क्योंझार कटिमाहा और गहिगिया ग्राम पंचायतें जिनमें टिकावली ब्लाक (फूलबनी जिला) के 66 गांव हैं, शामिल हैं।

(2) ज्योतिर्मय महिला समिति, कटक को 19-3-91 को 30-9-95 तक 15,27,130/- रुपए की कुल परियोजना लागत से "ग्रामीण निर्धन बच्चों के लिए स्वास्थ्य" नामक एक पी० वी० ओ० एच० परियोजना मन्जूर की गई है। इस रकम में सरकार द्वारा दिया गया अनुदान 41,18,560/- रुपए है और प्राइवेट स्वैच्छिक संगठन का अंशदान 14,08,570/- रुपए है। लक्षित क्षेत्र केन्द्रपाड़ा ब्लाक (कटक जिला) की 15 ग्राम पंचायतें हैं जिनमें 18 गांव हैं।

उत्तर प्रदेश में क्षेत्र विकास परियोजना

4185. **श्री राम बदन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में क्षेत्र विकास परियोजना के दूसरे चरण के कार्यान्वयन में केन्द्रीय सरकार सहायता कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्रिटेन से क्या सहायता प्राप्त हुई है;

(ग) लाभान्वित जिलों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) अब तक प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी, हां। 6-1-1990 से विश्व बैंक की सहायता से उत्तर प्रदेश में एक क्षेत्रीय विकास परियोजना, इण्डिया पॉपुलेशन प्रोजेक्ट-VI कार्यान्वित की जा रही है।

(ख) इस सम्बन्ध में ब्रिटेन से कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) उक्त परियोजना पूरे राज्य में कार्यान्वित की जा रही है।

(ङ) इस परियोजना में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के अन्तर्गत प्रशिक्षण के लिए मूलभूत ढांचे को मजबूत बनाने, चिकित्सा और पराचिकित्सा कार्मिकों की विभिन्न श्रेणियों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने और उप-केन्द्रों सहित स्वास्थ्य परिचर्या ढांचे को बढ़ाने तथा मजबूत करने पर ध्यान दिया जाता है। आशा है कि इस परिणामात्मक और गुणात्मक सुधारों से यह राज्य सबके लिए स्वास्थ्य और एक ही बच्चे के द्विपक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने में समर्थ हो जाएगा।

इस परियोजना ने सन्तोषजनक प्रगति की है और 225 उप-केन्द्रों का निर्माण पहले ही पूरा हो चुका है। 143 उपकेन्द्र निर्माणाधीन हैं और शेष 382 उपकेन्द्रों, 15 मंडलीय प्रशिक्षण केन्द्रों, 58 जिला प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए स्थानों के चयन को अंतिम रूप दिया जा चुका है। इस परियोजना के अन्तर्गत अभी तक कुल लगभग 3500 चिकित्सा और परा-चिकित्सा कार्मिकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

राजस्थान को सहायता

[हिन्दी]

4186. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राजस्थान सरकार से इस राज्य में लड़कियों में निम्न साक्षरता की दर में सुधार करने के लिए अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों की संख्या बढ़ाने हेतु और अधिक केन्द्रीय सहायता मन्जूर करने से सम्बन्धित कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) केन्द्र सरकार ने, राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग से अनौपचारिक शिक्षा के वर्ष 1991-92 का वार्षिक परियोजना प्रस्ताव प्राप्त किया है। इस प्रस्ताव में वर्तमान केन्द्रों के अलावा 300 और बालिका केन्द्र खोलने के लिए वित्तीय सहायता मांगी गई है। राज्य शिक्षा निदेशालय ने 300 नए बालिका केन्द्रों को खोलने का प्रस्ताव राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग को भेजा है। यह प्रस्ताव राजस्थान सरकार के विचाराधीन है।

(ख) राज्य सरकार ने इन नए केन्द्रों को खोलने के बारे में अपना अन्तिम निर्णय नहीं बताया है। राज्य सरकार के निर्णय के बिना मन्त्रालय उनको वित्तीय सहायता देने के प्रस्ताव पर विचार नहीं कर सकता।

रेल कर्मचारियों के कार्य घंटे

[अनुवाद]

4187. प्रो० सुशान्त चक्रवर्ती : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे में संगचल कर्मचारियों के लिए वास्तविक कार्य घण्टे कितने हैं;

(ख) क्या सरकार द्वारा रेल कर्मचारियों के लिए 1919 में हुई वाशिंगटन सम्मेलन अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अभिसमय संख्या 1 का पालन किया जाता है; और

(ग) क्या रेलवे संगचल कर्मचारियों के लिए अधिक कार्य घण्टे रेल दुर्घटनाओं में एक सहयोगी कारक है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) रेलों पर रनिंग कर्मचारियों के लिए जिन्हें "सतत" के रूप में वर्गीकृत किया गया है, एक पखवाड़े में अधिकतम रोस्टर ड्यूटी घण्टे 104 हैं, जबकि रेल अधिनियम, 1989 के अनुसार 14-दिवसीय दो सप्ताह की अवधि के लिए औसतन 54 घण्टे प्रति सप्ताह की सांविधिक अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है। बहरहाल अपरिहार्य परिचालनिक अत्यावश्यकताओं के कारण या दुर्घटनाओं, बाढ़, आपात-स्थिति आदि के समय उन्हें रोस्टर घण्टों से अधिक समय तक काम करना पड़ सकता है, जिसके लिए उन्हें समयोपरि भत्ते का भुगतान किया जाता है।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं।

अनियमित क्षेत्रों में महिलाओं को नियोजित किया जाना

4188. **डा० राजागोपालन श्रीधरण** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा अनियमित क्षेत्रों में महिलाओं के नियोजन के सम्बन्ध में हाल ही में कोई सर्वेक्षण/अध्ययन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

उडुमलपेट स्टेशन का आधुनिकीकरण

4189. **श्री बी० राजारवि वर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में उडुमलपेट स्टेशन के नवीकरण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या स्टेशन के आधुनिकीकरण का भी प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब कार्यान्वित किया जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मैसूर के लिए वायुदूत सेवाएं

4190. श्री आसकार फेरनान्डेस : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर, हुबली और बेल्लारी की हवाई पट्टियों को हाल में बन्द कर दिया गया है तथा मैसूर नगर के लिए वायुदूत सेवाओं को स्थगित कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं, तथा इन हवाई पट्टियों को पुन: खोलने और इन स्थानों के लिए वायुदूत सेवाएं पुन: चालू करने हेतु क्या कदम उठाए गए है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) मैसूर, हुबली, और बेल्लारी की हवाई पट्टियों को बन्द नहीं किया गया है। वाणिज्यिक और परिचालनात्मक कारणों से वायुदूत ने इन स्थानों को अपनी उड़ानें बन्द कर दी हैं। फिलहाल, इन उड़ानों को पुन: शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

संसदीय सौध में संसदीय कर्मचारियों और अन्य अति विशिष्ट व्यक्तियों के लिए चिकित्सा सुविधाएं

4191. श्री फूल चन्द वर्मा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसदीय सौध में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाए केवल संसद सदस्यों के लिए ही है;

(ख) यदि हां, तो वहां पत्रकारों को ये सुविधाएं प्रदान करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार ये सुविधाएं उन संसदीय कर्मचारियों, जो संसदीय कार्य की अनिवार्यता के कारण औषधालयों की चिकित्सा सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं, तथा अन्य विशिष्ट व्यक्तियों, जैसे वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, महानगर पार्षदों और दिल्ली नगर निगम के सदस्यों को भी प्रदान करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० ताराबेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) संसद सौध स्थित चिकित्सीय जांच केन्द्र शुरू में ससद के दोनों सदनों में आसीन सदस्यों को चिकित्सीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए खोला गया था। बाद में यह चिकित्सीय सुविधा भूतपूर्व संसद सदस्यों को भी दे दी गई थी। यह सुविधा प्रत्यायित पत्रकार संघ के विशेष अनुरोध पर लोक सभा और राज्य सभा की कार्रवाइयों को कवरेज प्रदान करने वाले प्रत्यायित पत्रकारों को भी प्रदान की गई है। पत्रकारों को ऐसी सुविधाएं प्रदान करने के कारण ये हैं कि इन पत्रकारों को अपनी लम्बी ड्यूटी के फलस्वरूप अपने क्षेत्र के औषधालयों में आवश्यक उपचार प्राप्त करने के लिए जाने का समय नहीं मिलता।

(ग) और (घ) ऐसे किसी भी प्रस्ताव पर सरकार विचार नहीं कर रही है। केन्द्रीय सरकार

स्वास्थ्य योजना के अन्य लाभार्थियों को, जो संसदीय कार्य करते हैं, उनके निवास स्थान के नजदीक स्थित औषधालय में सुविधाएं प्रदान की जाती हैं ।

इन्डो "केयर" समझौता

4'92. श्रीमती सुशीला गोपालन : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार और अमरीकी एजेंसी "केयर" इन्क के बीच मार्च, 1950 में किए गए इन्डो केयर समझौते का ब्यौरा क्या है तथा इसकी गतिविधियों के सम्बन्ध में कौन-से परिवर्तन सम्पूरक अथवा अन्य समझौते किए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : इन्डो-केयर करार का उद्देश्य भारत से बाहर रहने वाले व्यक्तियों और संगठनों से प्राप्त खाद्य और अन्य वस्तुओं के उपहारों को भारत के लाभ प्राप्त-कर्त्ताओं तक पहुंचाने का सुविधाजनक बनाना और इनकी मात्रा में वृद्धि करना है ।

केयर प्रति-वर्ष भारत सरकार को "खाद्य पदार्थों की सूची" नामक कार्य-योजना भेजता है जिसमें खाद्य सहायता की मात्रा, लाभ प्राप्त कर्ताओं की संख्या और राज्य सरकारों द्वारा केयर को देय प्रशासनिक खर्च के ब्यौरे दिए जाते हैं । केयर, सरकार द्वारा यथा अनुमोदित 1991-92 के दौरान स्कूल फीडिंग कार्यक्रम के अन्तर्गत 4.64 लाख लाभ प्राप्त कर्ताओं और 87 लाख आई० सी० डी० एस० लाभ प्राप्त कर्ताओं को 2.42 लाख मीट्रिक टन खाद्य सामग्री प्रदान करता रहेगा । इसके अलावा, केयर कुछ गैर-खाद्य (नॉन फूड) कार्यक्रमों के लिए भी सहायता प्रदान करता है ।

पुरी एक्सप्रेस का देरी से चलना

4193. डा० कार्तिकेश्वर पात्र : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक्सप्रेस रेलगाड़ियां प्रायः देरी से चलती हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन रेलगाड़ियों की समयबद्धता को कायम रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) नवम्बर, 1991 के दौरान यह गाड़ी पुरी में 11 दिन और नई दिल्ली में 8 दिन सही समय पर पहुंची ।

(ख) रेलों के नियंत्रण के भीतर रूकौनियां दूर करने के भरसक प्रयास किए जाते हैं ।

आयुर्वेदिक औषधियों की प्रयोगशाला में जांच

4194. डा० रवि मल्लू : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई आयुर्वेदिक औषधि के बाजार में बिक्री किए जाने से पहले उसकी प्रयोगशाला में जांच कराने की कोई परम्परा है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और क्या सरकार का उक्त परम्परा आरम्भ करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क), (ख) और (ग) जी, नहीं। नैदानिक परीक्षण आवश्यक नहीं समझे जाते और औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम में इनकी व्यवस्था नहीं है क्योंकि आयुर्वेदिक औषधों की सुरक्षा और प्रभावकारिता समय की कसौटी पर खरे उतरी हैं और उन प्रामाणिक आयुर्वेदिक ग्रन्थों में इनका उल्लेख है जो औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 940 की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। तदनुसार आयुर्वेदिक औषधों के नैदानिक परीक्षण औषध और संसाधन सामग्री अधिनियम के अन्तर्गत सांविधिक अपेक्षा नहीं हैं।

बहरहाल, यद्यपि आयुर्वेद में ऐसी कोई नई औषधें नहीं है जैसा कि आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों में उपलब्ध हैं, तथापि ऐसी कुछ पेटेंट और प्रोप्राइटरी औषधें हैं जो प्रमाणिक आयुर्वेदिक पुस्तकों में उल्लिखित औषधों के विभिन्न मिश्रणों से तैयार की जाती हैं। इन औषधों के नैदानिक परीक्षण करने का प्रस्ताव है और इस बारे में नवम्बर, 1990 में राज्य औषध लाइसेंसिंग प्राधिकारियो को उपयुक्त अनुदेश जारी किए गए हैं।

भावनगर-सुरेन्द्र नगर बड़ी रेलवे लाइन

[हिन्दी]

4195. **डा० महावीर सिंह हरिसिंह जी गोहिल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भावनगर और सुरेन्द्र नगर को बड़ी रेल लाइन से जोड़ने के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) संसाधनों की तंगी के कारण फिलहाल इस परियोजना को शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

जी० बी० पन्त अस्पताल, दिल्ली द्वारा चिकित्सा उपकरण का आयात

[अनुवाद]

4196. **श्री राम विलास पासवान :**
श्री पवन कुमार बंसल :
श्री फूल चन्द वर्मा :
श्री मोरेश्वर सावे :
श्री बी० एल० शर्मा 'प्रेम' :
श्री ओंकार शर्मा :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 1 अक्तूबर, 1991 के इण्डियन एक्सप्रेस में "डॉ० बी० पन्त अस्पताल—इक्विपमेंट वर्थ करोड़ज लाईंग अनयूज्ड" शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है और क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, जांच के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अस्पताल प्राधिकारियों ने यह बताया है कि समाचार पत्र की रिपोर्ट तथ्यों पर आधारित नहीं है और समाचार पत्र में उल्लिखित सात मशीनों में से छह मशीनें उपयोग में लाई जा रही हैं।

सर्कस में पिंजरे में बन्द जानवरों का प्रदर्शन

4197. **श्री उदयसिंह राव गायकवाड़** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सर्कस कम्पनियों द्वारा पिंजरे में बन्द जानवरों के प्रदर्शन पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है;

(ख) क्या इन प्रतिबन्धों को उठाने हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यावरण और वन राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) भारत सरकार ने जीव-जन्तु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 2 के उपबन्धों के तहत 2 मार्च, 1991 को रीछों, बन्दरों, बाघों, तेंदुओं और कुत्तों के प्रशिक्षण और प्रदर्शन पर प्रतिबन्ध लगाया है। इण्डियन सर्कस फेडरेशन द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गई है। अधिसूचना के कार्यान्वयन पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है।

खलीलाबाद से बलरामपुर तक रेल लाइन

[हिन्दी]

4198. **श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खलीलाबाद से बलरामपुर तक एक रेल लाइन का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो सर्वेक्षण की रिपोर्ट पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या वर्तमान बजट में इसका निर्माण करने का कोई प्रावधान किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) जी हां।

(ग) सर्वेक्षण से पता चला था कि यातायात की सम्भावनाएं कम हैं, इसलिए कार्य शुरू करने के बारे में विचार नहीं किया जा सका।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

दन्तमंजन में तम्बाकू

[अनुवाद]

4199. **श्री लोकनाथ चौधरी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाबर के लाल दन्तमंजन में तम्बाकू है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके निर्माता बिना किसी वैधानिक चेतावनी के उत्पाद का विपणन कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त कम्पनी के विरुद्ध की गई/प्रस्तावित कारंवाई का ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डॉ० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम और इसके नियम, जो औषधों पर लागू होते हैं, में ऐसी कोई अनिवार्य व्यवस्था नहीं है।

कुष्ठ-रोधी औषध की अनुमानित मांग

4200. **श्री संजय लाल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय द्वारा 1990-91 के लिए कुष्ठ-रोधी औषध—'क्लोफाजिनाइन कैप्सूल' (आई० पी० 50 मि०ग्रा०) की कितनी अनुमानित मांग की गई थीं;

(ख) जिलेवार सप्लाई में कमी, यदि कोई है, तो कितनी; और

(ग) उसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डॉ० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) 400 लाख कैप्सूल।

(ख) और ग) राज्यों को कुष्ठ-रोधी औषधें नि:शुल्क सप्लाई की जाती हैं। जिलेवार सूचना उपलब्ध नहीं है। न्यायालय में चल रहे कुछ मामलों के कारण 1990-91 में पूर्ति और निपटान महानिदेशालय के माध्यम से क्लोफेजिमाइन कैप्सूलों की खरीद करने में विलम्ब हुआ। 1991-92 के दौरान पूर्ति और निपटान महानिदेशालय न्यायालय में चल रहे मामलों के कारण नवम्बर, 1991 के अन्त तक पुन: टेन्डरों को अन्तिम रूप देने में समर्थ नहीं हो पाया।

चूंकि न्यायालय में चल रहे मामले को अब समाप्त कर दिया गया है, इसलिए पूर्ति और निपटान महानिदेशालय ने एक फर्म को क्लोफेजामाइन की 50% सप्लाई के आदेश दे दिए हैं और शेष सप्लाई के लिए नए टेण्डरों को अन्तिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है।

पूर्व रेलवे में रेलवे की भूमि

[हिन्दी]

4201. **डा० महादीपक सिंह शाक्य :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व रेलवे के अधिकार में कुल कितनी भूमि है और इसमें से कुल कितनी भूमि पट्टे अथवा लाइसेंस पर दी गई है;

(ख) क्या कुछ भूमि विवादित भी है; और

(ग) यदि हां, तो उसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) क्रमश: लगभग 41269 हैक्टेयर और 2978 हैक्टेयर।

(ख) जी, हां।

(ग) न्यू अलीपुर में एक भूखंड पर पश्चिम बंगाल सरकार के साथ विवाद चल रहा है और इस मामले की उच्च न्यायालय कलकत्ता में सुनवाई चल रही है।

होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों को वित्तीय सहायता

[अनुवाद]

4202. **श्री रोशन लाल :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मान्यता प्राप्त होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों को कोई वित्तीय सहायता अथवा अनुदान देती है;

(ख) यदि हां, तो कितने और किन-किन होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों को उपरोक्त वित्तीय सहायता अथवा अनुदान दिया जा रहा है; और

(ग) ऐसी संस्थाओं को वित्तीय सहायता/अनुदान देने के क्या मानदण्ड हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (ग) I. जी, हां। भारत सरकार अनुमोदित केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के मौजूदा स्नातकपूर्व कालेजों का सुधार करने और उन्हें सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह सहायता निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए दी जाती है :—

(i) प्रयोगशालाओं—अस्पतालों और शिक्षण संकायों के लिए उपकरण।

(ii) अस्पताल भवनों, कालेज भवन और छात्रावास भवन।

(iii) विभिन्न विभागों के लिए शिक्षण कर्मचारी।

निम्नलिखित होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

1. जयशोर्य पोट्टी श्रीरामुलु राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज रामनाथपुर, हैदराबाद-500036 (आन्ध्र प्रदेश)।

2. डा० अभिन्न चन्द्र राजकीय होम्योपैथी मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, खरबाला नगर, भुवनेश्वर-751001।

3. कलकत्ता होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, वित्तीय सहायता देने के लिए मानदण्ड की एक प्रति विवरण-I में दी गई है।

II. उपर्युक्त के अतिरिक्त स्नातकोत्तर प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए होम्योपैथी कालेजों के विभागों का दर्जा बढ़ाने से सम्बन्धित योजना के अन्तर्गत आवर्ती और अनावर्ती दोनों प्रकार की सहायता के रूप में सहायता अनुदान केन्द्रीय सहायता के रूप में भी प्रदान की जाती है। जिन कालेजों को सहायता दी गई है उनकी संख्या और नाम इस प्रकार हैं :

1. डा० अभिन्न चन्द्र होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल यूनिट-II, भुवनेश्वर, उड़ीसा।

2. राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, तिरूवनंतपुरम, केरल-695023।

वित्तीय सहायता देने के लिए मानदण्ड की एक प्रति विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के स्नातकपूर्व कालेजों की योजना के अन्तर्गत सहायता के लिए मानदण्ड

1. सहायतानुदान के लिए आवेदन देने की तारीख को पिछले पांच वर्षों से कालेज कार्य कर रहे हों और वे कालेज केन्द्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद/केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त डिग्री/डिप्लोमा प्रदान करने के लिए पाठ्यक्रमों का आयोजन कर रहे हों।

2. उन्हें इस बात की वचनबद्धता देनी चाहिए कि वे केन्द्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद/केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद द्वारा अनुमोदित किए गए मानक अपनाएंगे।

3. कालेजों में पर्याप्त अर्हता प्राप्त स्टाक होना चाहिए जो उपकरणों का प्रयोग जानते हों और छात्रों को प्रयोगशाला में रखे ऐसे उपकरणों के प्रयोग के बारे में प्रशिक्षित करने में समर्थ हों।

4. उनके पास छात्रों के संदर्भ के लिए एक उपयुक्त सज्जित पुस्तकालय होना चाहिए।

5. उनके पास इस योजना के अन्तर्गत खरीदे गए उपकरणों को रखने के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए।

6. इन आवेदन-पत्रों को सम्बन्धित राज्य सरकारों के माध्यम से भेजा जाना चाहिए और इस योजना के अन्तर्गत सहायता अनुदान के लिए राज्य सरकार को अपने मामलों की अवश्य सिफारिश करनी चाहिए।

विवरण-II

स्नातकोत्तर प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए होम्योपैथी कालेजों के विभागों का दर्जा बढ़ाने से सम्बन्धित योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता के लिए मानदण्ड

(1) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सम्बद्ध होम्योपैथिक कालेज पात्र हैं।

(2) दर्जा बढ़ाए गए विभागों का शैक्षणिक नियन्त्रण और डिग्री प्रदान करने का कार्य होम्योपैथी, संकाय और सम्बन्धित विश्वविद्यालय को सौंपा गया हो।

(3) इस पाठ्यक्रम के लिए पाठ्यचर्या केन्द्रीय होम्योपैथी विनियमनों के अनुरूप और विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित पाठ्यचर्या के अनुसार संकाय द्वारा तैयार किया गया हो।

(4) केन्द्रीय सरकार किए गए कार्य की प्रगति की वार्षिक समीक्षा करेगी जिसके आधार पर आगे आवश्यक केन्द्रीय सहायता रिलीज की जाएगी।

(5) विभाग को अखिल भारतीय स्वरूप का होना चाहिए और 75 प्रतिशत सीटें बाहर के छात्र, यदि वे आते हों, तो उनके लिए आरक्षित की जानी चाहिए।

(6) सम्बन्धित राज्य में प्रचलित वेतनमान प्रस्तावित स्टाफ को स्वीकार्य होंगे।

(7) शिक्षण पदों को भर्ती के नियमित अर्थात् विज्ञापनों के माध्यम से प्रतियोगी चयन द्वारा भरा गया हो।

(8) वित्तीय सहायता के लिए आवेदन-पत्र विशिष्ट सिफारिशों सहित सम्बन्धित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के माध्यम से भेजे जाने चाहिए।

अयोध्या से एक्सप्रेस रेलगाड़ी

[हिन्दी]

4203. **श्री लक्ष्मीनारायण मणि त्रिपाठी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अयोध्या से पुरी, कन्याकुमारी, रामेश्वरम और तिरुपति जैसे दक्षिण भारत के अन्य धार्मिक स्थानों तक एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) परिचालनिक कठिनाई और संसाधनों की तंगी।

संस्कृत विद्यापीठ

[अनुवाद]

4204. **श्री के० मुरलीधरन** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय राज्यवार कितने आदर्श संस्कृत विद्यापीठ हैं;

(ख) क्या सरकार का निकट भविष्य में नए संस्कृत विद्यापीठ खोलने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) राज्यवार आदर्श संस्कृत विद्यापीठ (महाविद्यालय/शोध संस्थान) निम्नानुसार हैं :—

1. बिहार	4
2. हरियाणा	2
3. हिमाचल प्रदेश	1
4. केरल	1
5. महाराष्ट्र	2
6. तमिलनाडु	3
7. उत्तर प्रदेश	3

(ख) और (ग) संस्कृत संगठनों से आदर्श संस्कृत महाविद्यालयों/शोध संस्थानों के रूप में

परिवर्तित करने के कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं किन्तु अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

देश में निजी अस्पताल/नर्सिंग होम

4205. **श्री वाई० एस० राजशेखर रेड्डी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में कितने-कितने निजी अस्पताल/नर्सिंग होम स्थापित किए गए;

(ख) इन निजी अस्पतालों/नर्सिंग होमों की स्थापना हेतु कितनी न्यूनतम बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि उक्त अस्पताल निर्धारित दरों का पालन करें?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) देश में 1-1-1989, 1-1-1990 और 1-1-1991 को प्राइवेट और स्वयंसेवी संगठन अस्पतालों की संख्या इस प्रकार है :

वर्ष	अस्पतालों की संख्या
1-1-1989	6341
1-1-1990	6469
1-1-1991	6666

(ख) प्राइवेट अस्पतालों/उपचर्या-गृहों की स्थापना के लिए आवश्यक न्यूनतम आधारभूत ढांचे सम्बन्धी सुविधाओं के लिए उपचर्या-गृह अधिनियमों में पर्याप्त उपबन्ध मौजूद हैं। वैसे, उपचर्या-गृह अधिनियम आदि एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न-भिन्न हैं।

(ग) प्राइवेट अस्पतालों/उपचर्या-गृहों द्वारा ली जाने वाली फीस को विनियमित करने के लिए कोई नियम नहीं है।

पुडुकुनगरम स्टेशन का दर्जा घटाया जाना

4206. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मदुरै डिवीजन के अधिकारियों द्वारा केरल में पुडुकुनगरम रेलवे स्टेशन का दर्जा घटाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस कार्यवाही के विरुद्ध किसी प्रकार के विरोध की खबर मिली है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/उठाने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) इस स्टेशन का दर्जा न बदलने के बारे में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था ।

(घ) पुडडुनगरम ब्लाक स्टेशन को फ्लैग स्टेशन में बदलने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है ।

मुरादाबाद डिवीजन में मजदूरों की मांग

[हिन्दी]

4207. **डा० एस० पी० यादव :**
श्री संतोष कुमार गंगवार :
श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मण्डल मुख्यालय, मुरादाबाद को चोरी, फर्जी भर्ती और भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) कुछ नैमित्तिक श्रमिकों की सन् 1988 में नियुक्ति की गई थी । बाद में यह पता चला कि इनमें से कुछेक नैमित्तिक श्रमिकों को जाली प्रमाण-पत्रों के आधार पर नियुक्त कर लिया गया था जिसमें अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों के विरुद्ध उपयुक्त अनुशासनिक कार्रवाई की जा रही है ।

विजयवाड़ा में पर्यटन का विकास

[अनुवाद]

4208. **प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विजयवाड़ा के निकट भवानी द्वीप को पर्यटन विकास केन्द्र के रूप में विकसित करने हेतु 1988 में शिलान्यास किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस केन्द्र के लिए केन्द्र सरकार ने कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की है; और

(ग) अब तक क्या प्रगति हुई है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) आंध्र प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, भवानी द्वीप में खेल एवं मनोरन्जन परिसर हेतु आधार शिला नवम्बर, 1985 में आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमन्त्री द्वारा रखी गई थी।

(ख) इस परियोजना हेतु केन्द्रीय पर्यटन विभाग द्वारा कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं कराई गई है।

(ग) यह राज्य क्षेत्र की परियोजना है, इसलिए केन्द्रीय पर्यटन विभाग द्वारा इसकी प्रगति पर निगरानी नहीं रखी जाती है।

केरल में मेडिकल कालेजों को वित्तीय सहायता

4209. **श्री रमेश चेन्नितला** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1990 में मेडिकल कालेजों के विकास हेतु केरल को कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ख) क्या भविष्य में इस आबंटन में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० ताराबेवी सिद्धार्थ) : (क) से (ग) मेडिकल कालेजों के विकास के लिए किसी भी राज्य को वित्तीय सहायता देने के लिए भारत सरकार की कोई योजना नहीं है। इसलिए 1990 में इस प्रयोजन के लिए केरल को कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई।

कुट्टीपुरम-गुरुवयूर और शोरानूर-मंगलौर रेल लाइन

4210. **प्रो० (श्रीमती) सावित्री लक्ष्मनन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में कुट्टीपुरम-गुरुवयूर और शोरानूर-मंगलौर रेल मार्ग के निर्माण की परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है;

(ख) इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ग) इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने सम्बन्धी उपायों का विस्तृत ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) दो लाइनों के सम्बन्ध में स्थिति

निम्न प्रकार है :—

(i) कुट्टीपुरम-गुरूवायूर

त्रिचूर-गुरूवायूर-कुट्टीपुरम नई बड़ी रेल लाइन के लिए सर्वेक्षण किया गया था और इसमें से त्रिचूर-गुरूवायूर खण्ड के निर्माण को 1987-88 में अनुमोदित किया गया था। संसाधनों की तंगी के के कारण गुरूवायूर कुट्टीपुरम खण्ड पर कार्य शुरू नहीं किया गया है।

(ii) शोरनूर-मंगलौर

शोरनूर और मंगलौर पहले ही सीधी बड़ी लाइन से जोड़ दिए गए हैं।

जोखिम भत्ता समिति

4211. **श्री शिव शरण वर्मा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जोखिम भत्ता समिति ने क्या सिफारिशें की हैं तथा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डा० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : जोखिम भत्ता प्रदान करने के लिए जोखिम भत्ता समिति ने संक्रामक रोग अस्पताल सहित अस्पतालों के विभिन्न विभागों में सापेक्ष रूप से कार्य के जोखिम क्षेत्र का पता लगाया।

पात्र कर्मचारियों को जोखिम भत्ता प्रदान करने के आदेश कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 19/22-8-1988 के कार्यक्रम ज्ञापन संख्या 210। /4/88—स्था० (भत्ता) के तहत पहले ही जारी किए जा चुके हैं।

इंडियन एयरलाइन्स बेड़े की क्षमता में वृद्धि

421 . **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइन्स ने अपने बेड़े की क्षमता में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न मार्गों पर कितनी वृद्धि की है;

(ग) क्या कुछ मार्गों के लिए कोई नए सम्पर्क स्थापित किए गए हैं: और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) जबकि इण्डियन एयरलाइन्स ने 1991 में अपने विमान बेड़े में कोई नया विमान नहीं जोड़ा है, परन्तु उसने ए-320 विमानों का अधिक उपयोग करके अपनी क्षमता में वृद्धि कर दी है। इसके विस्तृत ब्यौरे विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) कुछ नए हवाई सेवा सम्पर्क स्थापित किए गए हैं और कुछ सेवाओं को पुन: चालू कर दिया गया है जिनके ब्यौरे विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

1991 के दौरान बढ़ी हुई क्षमता को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

बम्बई-कालीकट	7 बी-737 के स्थान पर 7 ए-320
बम्बई-नागपुर	7 बी-737 के स्थान पर 7 ए-320
दिल्ली-अहमदाबाद	7 बी-737 के स्थान पर 7 ए-320
मद्रास-बंगलौर-त्रिवेन्द्रम	5 बी-737 के स्थान पर 4 ए-320
मद्रास-बंगलौर-अहमदाबाद	5 बी 737 के स्थान पर ए-3 ए-320
त्रिवेन्द्रम-माले	3 बी-737 के स्थान पर 4 ए-320
दिल्ली-गुवाहाटी-इमफाल	3 बी-737 के स्थान पर 4 ए-320 दिल्ली-बागडोगरा-गुवाहाटी-इमफाल
बम्बई-दिल्ली	25 ए-300+14 ए-320 के स्थान पर 28 ए-300+14 ए-320
मद्रास-सिंगापुर	1 ए-300 के स्थान पर 2 ए-300
बम्बई-कराची	2 ए-300 +2 ए-320 के स्थान पर 2 ए-300+ 3 ए-320
बम्बई-अहमदाबाद	12 ए-320+2 बी-737 के स्थान पर 14 ए-320
दिल्ली-नागपुर-रायपुर-दिल्ली	3 बी-737 के स्थान पर 4 बी-737
दिल्ली-बंगलौर	7 ए-300 के स्थान पर ए-7 ए-300+6 ए-320
कलकत्ता-काठमांडू	3 ए-320 के स्थान पर 4 ए-320
कलकत्ता-ढाका	2 ए-320 के स्थान पर 4 ए-320
कलकत्ता-अगरतला	7 ए-320+7 बी-737 के स्थान पर 14 ए-320
हैदराबाद-बंगलौर	4 ए-320+3 बी-73 के स्थान पर 6 ए-320+1 बी-377
हैदराबाद-कलकत्ता (टर्मिनेटर)	3 बी-737 के स्थान पर 4 बी-737
बम्बई-जयपुर-बम्बई	4 बी-737 के स्थान पर 7 बी-737
कलकत्ता-इमफाल-दीमापुर-कलकत्ता	3 ए-320 कलकत्ता-इमफाल-कलकत्ता+4 बी-737 कलकत्ता-गुवाहाटी-दीमापुर के स्थान पर 4 बी-737

मद्रास-त्रिची-मदुरै-मद्रास	5 बी-737 के स्थान पर 6 बी-737	
मद्रास-कोलम्बो	4 बी-737 के स्थान पर 7 बी-737	
त्रिची-कोलम्बो	4 बी-737 के स्थान पर 2 बी-737	
दिल्ली-गोरखपुर-पटना-दिल्ली	दिल्ली-पटना-दिल्ली 4 बी-737 के स्थान पर	2 बी-737
दिल्ली-वाराणसी-पटना एण्ड आरटी		2 बी-737
दिल्ली-पटना		3 बी-737
दिल्ली-चंडीगढ़-जम्मू-श्रीनगर	दिल्ली-चंडीगढ़-दिल्ली 3 बी-737	7 बी-737
दिल्ली-अमृतसर-श्रीनगर	दिल्ली-जम्मू-श्रीनगर-जम्मू-अमृतसर	7 बी-737
दिल्ली-श्रीनगर-दिल्ली	चण्डीगढ़-दिल्ली 7 बी-737	4 बी-737
जम्मू-श्रीनगर-जम्मू	दिल्ली-अमृतसर-श्रीनगर-दिल्ली 7 बी-737 दिल्ली-श्रीनगर-दिल्ली 2 बी-737 के स्थान पर	4 बी-737
श्रीनगर-लेह	2 बी-737 के स्थान पर 3 बी-737	
दिल्ली-पटना-रांची-कलकत्ता	7 बी-737 के स्थान पर 7 ए-320 दिल्ली-लखनऊ-पटना-रांची-कलकत्ता	
दिल्ली-लखनऊ-कलकत्ता	4 बी-737	
दिल्ली-लखनऊ-दिल्ली	7 बी-737 + 7 बी-737 ट्रांजिट उड़ान के स्थान पर 10 ए-320	
दिल्ली-बम्बई	14 ए-300 + 14 ए-320 के स्थान पर 25 ए-300 + 7 ए-320	
दिल्ली-बंगलौर	7 ए-300 + 6 ए-320 के स्थान पर 7 ए-300 + 7 ए-320	
दिल्ली-अहमदाबाद-बड़ोदरा-दिल्ली	7 बी-737 के स्थान पर 7 ए-320	
दिल्ली-आगरा-खजुराहो-वाराणसी-दिल्ली	4 बी-737	
दिल्ली-नागपुर-रायपुर	4 बी-737 के स्थान पर 7 बी-737	
दिल्ली-लेह	4 बी-737 के स्थान पर 7 बी-737	

दिल्ली-जयपुर-उदयपुर-औरंगाबाद-बम्बई (आई सी-491/492)	4 बी-737 जोधपुर से होकर
बम्बई-गोवा	7 ए-300—7 ए-3 0 और 14 ए-320 (1-12-1991 से लागू) के स्थान पर 12 ए-300
बम्बई-जामनगर-भुज-बम्बई	4 बी-737 के स्थान पर 5 बी-737
बम्बई-राजकोट	3 बी-737 के स्थान पर 7 बी-737
बम्बई-भावनगर	4 बी-737 के स्थान पर 7 बी-737
बम्बई-बड़ोदरा	7 बी-737 के स्थान पर 7 ए-320
बम्बई-कालीकट	7 ए-320 के स्थान पर 7 ए-320+3 बी-737
बम्बई-वाराणसी-लखनऊ-बम्बई	3 बी-737 के स्थान पर 3 ए-320
बम्बई-कोयम्बटूर	7 बी-737 के स्थान पर 7 ए-320
बम्बई-रांची-पटना-बम्बई	2 बी-737 के स्थान पर 7 ए 2 बी-737
बम्बई-औरंगाबाद	4 बी-737
बम्बई-कोलम्बो	2 बी-737 के स्थान पर 2 ए-320
कलकत्ता-गुवाहाटी-तेजपुर-जोरहाट-कलकत्ता	5 बी-737 के स्थान पर 6 बी-737 कलकत्ता-तेजपुर-जोरहाट-कलकत्ता
कलकत्ता-तेजपुर-जोरहाट-गुवाहाटी-कलकत्ता	
वाराणसी-काठमांडू	7 बी-737 के स्थान पर 7 ए-320
मद्रास-कोलम्बो	7 बी-737 के स्थान पर 3 ए-320 और 2 बी-737
मद्रास-बंगलौर	3 ए-320
हैदराबाद-बंगलौर	6 ए-320+1 बी-737 के स्थान पर 7 ए-320
दिल्ली-हैदराबाद	ट्रांजिट+7 ए-320 के स्थान पर 7 ए-300+7 ए-320
बम्बई-मद्रास	12 ए-300+7 ए-320 के स्थान पर 19 ए-300
बम्बई-बंगलौर	14 ए-300+7 ए-320 के स्थान पर 21 ए-300

विवरण-II

1991 के दौरान स्थापित किए गए नए सम्पर्क और पुन: चालू की गई उड़ानों को दर्शाने वाला विवरण पत्र

मार्ग	विमान	प्रति सप्ताह आवृत्ति
1. बम्बई-रायपुर-भुवनेश्वर-कलकत्ता	बी-737	3
2. कलकत्ता-भुवनेश्वर-मद्रास	बी-737	3
3. कलकत्ता-वाराणसी-जयपुर	बी-737	3
4. कलकत्ता-चिटगांव	बी-737	1
5. जम्मू-लेह	बी-737	2
6. मद्रास-बंगलौर-गोवा-अहमदाबाद	बी-737	2
7. मद्रास-त्रिची-मदुरै-बंगलौर	बी-737	3
8. दिल्ली-लाहौर	ए-320	2
9. दिल्ली-कराची	ए-320	2
10. कलकत्ता-गुवाहाटी-सिलचर	बी-737	2
11. दिल्ली-ग्वालियर-भोपाल-इन्दौर-बम्बई	बी-737	7
12. दिल्ली-कानपुर-गोरखपुर-दिल्ली	बी-837	2
13. दिल्ली-कानपुर-इलाहाबाद-दिल्ली	बी-737	2
14. कलकत्ता-गुवाहाटी-तेजपुर-जोरहाट-कलकत्ता	बी-737	3
15. कलकत्ता-तेजपुर-जोरहाट-गुवाहाटी-कलकत्ता	बी-737	3
16. दिल्ली-गुवाहाटी-अगरतला	ए-320	3
17. मद्रास-बंगलौर-मंगलौर	बी-737	4
18. मद्रास-बंगलौर-गोवा	बी-737	3
19. मद्रास-बंगलौर-पुणे	बी-737	3
20. दिल्ली-बागडोगरा-गुवाहाटी-दीमापुर	बी-737	3
21. बम्बई-रांची-पटना-बम्बई	बी-737	2

संसद सदस्यों के पत्र

4213. **श्री विश्वनाथ शास्त्री** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इनके मन्त्रालय को जुलाई, 1991 से अक्तूबर 1991 के बीच संसद सदस्यों के कितने पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) इनमें से कितने पत्रों की पावती सूचना संसद सदस्यों को दी जा चुकी है और कितने पत्रों की पावती नहीं दी गई है; और

(ग) संसद सदस्यों के पत्रों के पावती पत्र अब तक न भेजे जाने के क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) महिला एवं बाल विकास और युवा कार्य तथा खेल विभागों और शिक्षा विभाग के 16 प्रभागों/एककों से उपलब्ध सूचना के अनुसार, 430 पत्र प्राप्त हुए थे। उनमें से 403 की पावती भेजी गई थी और शेष की पावती भेजने अथवा अन्तिम उत्तर देने के सम्बन्ध में कार्रवाई की जा रही थी ।

संस्कृति विभाग और शिक्षा विभाग के शेष प्रभागों/एककों से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

चिड़ियाघर

4214. **श्री बी० बासगोडा** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चिड़ियाघरों की राज्यवार संख्या क्या है;

(ख) क्या उनमें से कुछ को बन्द करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) देश में चिड़ियाघरों/प्राणि उद्यानों की राज्यवार संख्या विवरण में दी गई है।

(ख) व (ग) वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 (1991 में यथा संशोधित) में केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण गठित करने का प्रावधान है। प्राधिकरण को अनेक अन्य कार्यों के साथ-साथ, चिड़ियाघरों में पशुओं के अनुरक्षण के लिए न्यूनतम मानकों का निर्धारण करना होगा। जो चिड़ियाघर इन मानकों को पूरा नहीं करते उनकी मान्यता समाप्त की जा सकती है। कोई भी चिड़ियाघर जिसकी मान्यता समाप्त कर दी गई हो, मान्यता समाप्त करने के 6 माह पश्चात् तक चल सकता है ।

इस सम्बन्ध में अधिनियम के उपबन्धों को अभी तक लागू नहीं किया गया है ।

विवरण

राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों के नाम	चिड़ियाघरों की संख्या
1	2
राज्य	
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	01
आंध्र प्रदेश	03
अरुणाचल प्रदेश	03
असम	01
बिहार	05
गोवा	01
गुजरात	08
हरियाणा	05
हिमाचल प्रदेश	04
जम्मू और कश्मीर	02
कर्नाटक	19
केरल	03
मध्य प्रदेश	05
महाराष्ट्र	10
मणिपुर	01
मेघालय	02
मिजोरम	01
नागालैंड	01
उड़ीसा	02
पंजाब	05
राजस्थान	06
सिक्किम	01
तमिलनाडु	08

1	2
त्रिपुरा	01
उत्तर प्रदेश	03
पश्चिम बंगाल	03
संघ शासित क्षेत्र	
चंडीगढ़	—
दादरा व नागर हवेली	01
दमन व दीव	—
दिल्ली	01
लक्षद्वीप	—
पांडिचेरी	01
योग :	107

मुजफ्फरपुर-नरकटियागंज छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

[हिन्दी]

4215. **श्री महेन्द्र बैठा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुजफ्फरपुर और नरकटियागंज के बीच की छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) मुजफ्फरपुर-सगौली-नरकटियागंज-बगहा-छितौनी-कप्तान गंज का आमान परिवर्तन तथा कप्तानगंज से गोरखपुर तक समानांतर बड़ी लाइन और सगौली से रक्सौल तक आमान परिवर्तन का प्रस्ताव योजना आयोग को उनके विचारार्थ भेजा गया है। योजना आयोग का अनुमोदन प्राप्त होने तथा आगामी वर्षों मे संसाधनों की उपलब्धता पर अगली कार्रवाई की जाएगी।

विकासपुरी, दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधाएं

[अनुवाद]

4216. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकासपुरी, नई दिल्ली के निवासियों के लिए अलग से केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) विकासपुरी के ब्लाकों (ए० से एफ०) में रह रहे केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को जनकपुरी-ए ब्लाक स्थित केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय द्वारा कवर किया जाता है और ब्लाक जी०, एच० और जे० से एल० में रह रहे कर्मचारियों को जनकपुरी-बी० ब्लाक स्थित केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय द्वारा कवर किया जाता है ।

दिल्ली में नवोदय विद्यालय

[हिन्दी]

4217. **श्री बी० एल० शर्मा "प्रेम" :** क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय दिल्ली में कितने नवोदय विद्यालय हैं;

(ख) दिल्ली में यमुनापार क्षेत्र में शेष दिल्ली की तुलना में नवोदय विद्यालयों की कम संख्या होने के क्या कारण हैं; और

(ग) वर्ष 1991-92 के दौरान यमुनापार क्षेत्र में ऐसे और विद्यालय खोलने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क), (ख) और (ग) नवोदय विद्यालय योजना में प्रत्येक जिले में एक नवोदय विद्यालय खोलने की परिकल्पना की गई है । इस प्रयोजन के लिए खण्डों के आधार पर दिल्ली को 3 जिलों के रूप में माना गया है । 2 जिलों/खण्डों अर्थात कंझावला और नजफगढ़ में नवोदय विद्यालय खोले गए हैं ।

राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेशों की सरकार के प्रस्तावों के आधार पर नवोदय विद्यालयों को चरणबद्ध रूप से खोलना होगा क्योंकि इसके लिए उन्हें तीस एकड़ भूमि निःशुल्क पर्याप्त भवन तथा अन्य आधारभूत सुविधाएं, नवोदय विद्यालय प्रारम्भ में 2-3 वर्षों के लिए चलाने के वास्ते उपलब्ध करानी होगी और वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता भी सुनिश्चित करनी होगी ।

हिमाचल प्रदेश में पर्यटन विकास

4218. **श्री के० डी० सुल्तानपुरी :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से राज्य में कुछ पर्यटन योजनाएं शुरू करने की स्वीकृति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो स्वीकृत पर्यटन योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) पर्यटन का विकास तथा संवर्धन करने की मुख्य जिम्मेवारी राज्य सरकार की है। तथापि, केन्द्रीय पर्यटन विभाग, राज्य सरकारों को उनसे मिलने वाले विशिष्ट प्रस्तावों के आधार पर और उनके गुण दोष, पारस्परिक प्राथमिकताओं एवं धन की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए कुछ वित्तीय सहायता प्रदान करता है। 1991-92 के दौरान, हिमाचल प्रदेश सरकार ने पर्यटन परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता मांगी है।

(ख) हिमाचल प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय वित्तीय सहायता की मन्जूरी हेतु सात स्कीमें प्रस्तुत की हैं। इनमें से छः स्कीमें स्वीकृत की जा चुकी हैं। इनमें शामिल हैं :—स्वारघाट, ऊना में मार्गस्थ सुख-सुविधाएं, कांगड़ा में पर्यटक परिसर, नारकण्डा में स्कीयर्स होस्टल, मेलों एव उत्सवों का संवर्धन और हिमाचल प्रदेश में चुनिंदा सम्पत्तियों का स्तरोन्नयन।

(ग) वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान, हिमाचल प्रदेश सरकार को 99.78 लाख रु० केन्द्रीय सहायता के रूप में स्वीकृत किए जा चुके हैं।

झांसी-कानपुर रेलवे लाइन का विद्युतीकरण

4219. **श्री सूर्य नारायण यादव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झांसी-कानपुर रेलवे लाइन का विद्युतीकरण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) झांसी-कानपुर खण्ड का मौजूदा यातायात घनत्व इस खण्ड के विद्युतीकरण का औचित्य सिद्ध करने के लिए बहुत कम है।

देश में केन्द्रीय विश्वविद्यालय

[अनुवाद]

4220. **श्री नारायण सिंह चौधरी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का हरियाणा में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस उद्देश्य के लिए कौन सा स्थान चुना गया है; और

(घ) यह विश्वविद्यालय कब तक स्थापित किया जाएगा ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) इस समय, देश में 10 केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं, जो नीचे दिए गए हैं :—

1. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय
2. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय
3. दिल्ली विश्वविद्यालय
4. हैदराबाद विश्वविद्यालय
5. जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय
6. उत्तर पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय
7. पांडिचेरी विश्वविद्यालय
8. विश्व भारती
9. जामिया मिलिया इस्लामिया
10. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय ।

असम में सिल्चर तथा नागालैंड में लुमामी में केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए विधान बनाया गया है । असम में तेजपुर में, सिद्धांत रूप में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करना भी स्वीकार कर लिया गया है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) तथा (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

एयर इण्डिया के चिह्न का बदला जाना

4221. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इण्डिया ने गत तीन वर्षों के दौरान अपने अन्तर्राष्ट्रीय प्रचार अभियान में कुल कितना धन खर्च किया;

(ख) "सूर्य" के स्थान पर "किन्नर" लाने की परियोजना और एयरलाइन को वापस अपने लाल और सफेद वर्दी में लाने पर कितना धन खर्च किया गया; और

(ग) "सूर्य" चिह्न की पेंटिंग तथा वायुयान, लेखन सामग्री, वर्दी तथा विमान की आंतरिक सज्जा के रंग को बदलने पर कुल कितना खर्च हुआ ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) एयर इण्डिया ने गत तीन वर्षों के दौरान अपने अन्तरराष्ट्रीय प्रचार अभियान मे निम्नानुसार धनराशि खर्च की :—

वर्ष	करोड़ रुपयों में
1990-91	1.8
1989-90	5.3
1988-89	4.7

(ख) अभी तक कोई राशि खर्च नहीं की गयी है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जाएगी।

दीमापुर विमानपत्तन का विकास किया जाना

4222. **डा० जयन्त रंगपी :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दीमापुर विमानपत्तन का विकास करने और इसकी दशा सुधारने के लिए शुरू की गई योजनाओं का ब्योरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : दीमापुर हवाई अड्डे के विकास और सुधार के लिए निम्नलिखित निर्माण कार्य पूरे किए गए हैं :—

(1) मौजूदा धावनपथ का विस्तार और सुदृढ़ीकरण।

(2) एक नये टैक्सी ट्रैक और एप्रन का निर्माण।

(3) एक कार पार्क का निर्माण।

(4) 500 फुट चौड़ी मूल पट्टी का विकास।

(5) धावनपथ का 5850 फुट से 7500 फुट तक विस्तार, और निम्नलिखित दो निर्माण-कार्य कार्यान्वयन अधीन हैं :—

(6) चारदीवारी का निर्माण।

(7) भू-प्रकाश सुविधाओं का संस्थापन।

जंगली जानवरों का अनाधिकार शिकार करना

4223. श्री गोपीनाथ गजपति : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ जंगलों में अभी भी जंगली जानवरों का अनाधिकार शिकार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो अनाधिकार शिकार के बढ़ते हुए खतरे को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है;

(ग) क्या अनाधिकार शिकार करने वाले लोगों के विरुद्ध संघर्ष करने हेतु वन अधिकारियों की सहायता के लिए कोई नई योजनाएं शुरू करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) देश के विभिन्न हिस्सों से वन्यजीवों के चोरी-छिपे शिकार करने की घटनाओं की रिपोर्ट मिली है।

(ख) से (घ) चोरी-छिपे शिकार को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

(1) वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम के तहत जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा तथा अनुसंधान, शिक्षा और पशु संख्या के प्रबन्ध के प्रयोजनों के लिए शिकार को छोड़कर सभी वन्यजीव प्रजातियों के शिकार पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। चोरी-छिपे शिकार और अवैध व्यापार से सम्बन्धित विभिन्न अपराधों के लिए दण्डों और सजा में वृद्धि करने के लिए वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम में उपयुक्त संशोधन किया गया है।

(2) वन्यजीवों की दुर्लभ और संकटापन्न प्रजातियों से प्राप्त होने वाले उत्पादों के अन्तर-राष्ट्रीय और आंतरिक व्यापार पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। वन्यजीव परिरक्षण के क्षेत्रीय कार्यालय वन्यजीव उत्पादों के व्यापार के नियमन और नियंत्रण का कार्य देखते हैं।

(3) राज्यों में चोरी-छिपे शिकार के विरुद्ध कार्य करने वाले आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ बनाया गया है। भारत सरकार केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम "वन्यजीवों के चोरी-छिपे शिकार और अवैध व्यापार पर नियंत्रण" के तहत चोरी-छिपे शिकार के विरुद्ध आधार-भूत ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करती है।

(4) सीमांत क्षेत्रों में वन्यजीवों के संरक्षण के लिए सीमा सुरक्षा बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस और सेना का सहयोग मांगा गया है।

(5) चोर-छिपे शिकारकर्ताओं के बारे में सूचना देने वालों को नकद पुरस्कार देने की एक प्रणाली शुरू की गई है।

(6) वर्ल्ड वाइल्डलाइफ फण्ड (इण्डिया) ने हाल ही में एक वन्यजीव व्यापार निगरानी

इकाई अर्थात ट्रैफिक इण्डिया शुरू की है। इससे वन्यजीव उत्पादों के अवैध व्यापार को कम करने में मदद मिलेगी।

बाघ एवं चीता अभयारण्य

4224. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बाघ और चीतों के सुरक्षार्थ कितने राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्य में बाघों और चीतों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है; और

(ग) सरकार बाघों और चीतों के सुरक्षार्थ किन-किन भावी योजनाओं पर विचार कर रही है?

पर्यावरण और वन राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) राज्य सरकारों से सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) जिन वन्यजीव रिजर्वों में बाघ और तेंदुए पाए जाते हैं उनके परिरक्षण और सुरक्षा के लिए "बाघ परियोजना" और "राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के विकास के लिए सहायता" नामक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों को जारी रखा जा रहा है। "बाघ रिजर्वों सहित राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के आसपास पारि-विकास" नामक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम, जिसको चालू वित्त वर्ष में शुरू किए जाने का प्रस्ताव है, से उन उपायों के जरिये वन्यजीव रिजर्वों और उनके बफर क्षेत्रों के बेहतर प्रबन्ध में भी मदद मिलेगी जो स्थानीय ग्रामीणों की जीवन परिस्थितियों में सुधार करने, जैवीय हस्तक्षेप को कम करने तथा परिणामस्वरूप मानव वासस्थलों में वन्यजीवों द्वारा तहस-नहस को कम करने के लिए अपेक्षित हैं। बाघों और तेन्दुओं की पारिस्थितिकी और पशु चिकित्सा पहलुओं पर भी अनुसंधान आयोजित किए जा रहे हैं।

राजस्थान के लिए सामाजिक वानिकी योजना

[हिन्दी]

4225. श्री कुन्जी लाल : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में सातवीं योजना के लिए सामाजिक वानिकी योजना के अन्तर्गत नियत किए गए लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) सातवीं योजना अवधि के दौरान यह योजना किन-किन जिलों में कार्यान्वित की गई;

(घ) इस कार्य के लिए राजस्थान को दी जाने वाली सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) आठवीं योजना के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

पर्यावरण और वन राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) सातवीं योजनावधि (1985-90) में, राजस्थान में 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत सामाजिक वानिकी सहित वनीकरण/वृक्षारोपण कार्यकलापों की लक्ष्य और उपलब्धि निम्न प्रकार है :

लक्ष्य	उपलब्धि
(क्षेत्र हैक्टेयर में)	
266000	284945

(ग) राजस्थान के सभी जिलों में सातवीं योजनावधि के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत वनीकरण/वृक्षारोपण कार्यकलाप चलाए गये।

(घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राजस्थान के लिए वनरोपण और पौधे लगाने के लिए निधियों का आवंटन तथा प्रयोग नीचे दिया गया है :

आवंटन	प्रयोग
रु० 119.25 करोड़	रु० 147.33 करोड़

(ङ) आठवीं पंचवर्षीय योजना, जिसे अन्तिम रूप दिया जा रहा है, के दौरान वनीकरण/वृक्षारोपण कार्यकलापों का व्यापक रूप से विस्तार किया जाना प्रस्तावित है।

कर्नाटक में वन भूमि

[अनुवाद]

4226. **श्री एस० बी० सिदनाल** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में आरक्षित तथा अनारक्षित वन क्षेत्र कितना है;

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान कितने क्षेत्र में वनों की अवैध कटाई हुई है और वन भूमि में कितनी कमी हुई है;

(ग) वनों की कटाई रोकने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है और राज्य में वृक्षारोपण हेतु क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) कर्नाटक में वनों के विकास के लिए सरकार द्वारा प्रदान की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) "भारत के वन 1987" के अनुसार वन आवरण क्षेत्र इस प्रकार है :

	(क्षेत्र वर्ग कि० मी० में)
आरक्षित वन	28611
संरक्षित वन	3931
अन्य	6103
कुल :	38645

(घ) बीस सूत्री कार्यक्रम के तहत वनरोपण प्रयोजनों के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा प्रदान की गई और उपयोग में लाई गई धनराशि के ब्यौरे इस प्रकार हैं :

वर्ष	उपयोग (रुपए लाखों में)
1988-89	2710.50
1989-90	2938.32
1990-91	3809.13

(ख) और (ग) राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

पूर्वोत्तर राज्यों में हवाई अड्डों पर मार्गनिर्देशक यन्त्र

4227. श्री एस० बी० सिदनाल : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तरी राज्यों में हवाई-अड्डों पर अब मार्गनिर्देशक यन्त्र लगा दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इन्हें हवाई अड्डों पर कब लगाया जाएगा ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क), (ख) और (ग) एक विवरण-पत्र सलग्न है।

उत्तर-पूर्वी राज्यों के हवाई अड्डों पर संस्थापित किए जाने वाले विमानन सहायक संयन्त्रों के सम्बन्ध में लोक सभा में पूछे जाने वाले लिखित प्रश्न-संख्या 4227 के उत्तर में उल्लिखित विवरण-पत्र

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के हवाई अड्डों पर निम्नलिखित विमानन सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं :

1. अगरतला : एन० डी० बी० वी० ओ० आर, आई० एल० एस० ग्लाइड पथ डी० एम० ई०।

2. गुवाहाटी : एन० डी० बी०, डी० वी० ओ० आर०-डी० एम० ई०, आउटर मार्कर सहित आई० एल० एस०, मिडल मार्कर, आउटर लोकेटर, मिडल लोकेटर।

3 इम्फाल : एन० डी० बी०, वी० ओ० आर०-डी० एम० ई०, आउटर मार्कर और मिडल मार्कर सहित आई० एल० एस०।

4.	डिब्रूगढ़/मोहनबाड़ी	: एन० डी० बी०, ग्लाइड पथ सहित आई० एल० एस०, डी० एम० ई०, वी० ओ० आर०।
5.	एजवाल	एन० डी० बी०
6.	बारापानी	"
7.	दीमापुर	"
8.	इपोरिजो	"
9.	कैलाशहर	"
10.	कमालपुर	"
11.	लीलाबाडी	"
12.	तेजू	"
13.	सिलचर/कुम्भीग्राम	: वी० ओ० आर०

शीर्षक

एन० डी० बी०—गैर दिशिक बीकन

वी० ओ० आर०—अति उच्च आवृत्ति सर्व परास

आई० एल० एस०—उपस्कर अवतरण प्रणाली

डी० एम० ई०—दूरी मापक उपकरण

डी० वी० ओ० आर०—डॉप्लर अति उच्च आवृति सर्व परास

कर्नाटक में परिवार कल्याण सुविधाएं

4228. **श्री एस० बी० सिदनाल :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में कार्य कर रहे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा उपकेन्द्रों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यह पर्याप्त हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार कर्नाटक में 31-3-1991 की स्थिति के अनुसार 1133 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 3 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, (2 भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित तथा एक राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित) 146 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और 7793 उप-केन्द्र कार्य कर रहे हैं।

(ख) और (ग) स्वीकृत जनसंख्या मानदण्डों के अनुसार लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मैदानी क्षेत्रों में 5000 की आबादी तथा पहाड़ी एव आदिवासी क्षेत्रों में :000 की आबादी के लिए एक-एक उप-केन्द्र तथा मैदानी क्षेत्रों में 30,000 की आबादी तथा पहाड़ी एवं आदिवासी क्षेत्रों में 20,000 की आबादी के लिए एक-एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 80,000 से 1,20,000 की प्रत्येक आबादी के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर्याप्त समझा गया था। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए कोई संशोधित मानदण्ड निर्धारित नहीं किया गया है और ये तीन केन्द्र लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त होने चाहिए।

चालू वि-ीय वर्ष के दौरान राज्य के लिए 50 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा 10 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

"कोल्लीगल संरक्षित वन-क्षेत्र" मैसूर

4229. श्री एस० बी० सिदनाल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "टस्कर्स" इन ट्रबल ' शीर्षक से दिनांक 13 अक्टूबर, 1991 को इण्डियन एक्सप्रेस में प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) कोल्लीगल संरक्षित वन-क्षेत्र, मैसूर में हाथियों की मृत्यु तथा बड़े पैमाने पर वन-कटाई के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई दोषी पाया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्रवाई की है अथवा करने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

गैर-सरकारी कम्पनियों द्वारा हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण

4230. श्री सी० पी० मुडालगिरियप्पा : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हवाई अड्डों के उत्तम प्रबन्ध के लिए सरकार गैर-सरकारी कम्पनियों को हवाई अड्डों के निर्माण तथा आधुनिकीकरण का काम सौंपने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) हवाई अड्डों का विकास और निर्माण और विमान यातायात नियन्त्रण, दिक्चालन सहायक साधन और संचार सेवाएं उपलब्ध कराने में बहुत अधिक पूंजी लगती है और उसकी तुलना में, भारत में अधिकांश हवाई अड्डों पर विमानों के आवागमन की कम आवृत्तियों के कारण आय कम होती है । ऐसे मामलों में, प्राइवेट निवेशकों और संगठन-कर्ताओं द्वारा ऐसी परियोजनाओं के शुरू किए जाने की संभावना नहीं होती । राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण और भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पास हवाई अड्डों के निर्माण और आधुनिकीकरण के लिए साधन होने के बावजूद भी, वित्तीय कठिनाइयों के कारण उनकी उपलब्धियां सीमित हो जाती हैं । सीमा शुल्क, आप्रवासन, सुरक्षा स्वास्थ्य और अन्य सरकारी एजेंसियों के बीच समन्वय सम्बन्धी कार्यकलाप सरकारी नियन्त्रण के अन्तर्गत बेहतर ढंग से होते हैं ।

अंडमान तथा निकोबार के छात्रों को वजीफा

4231. श्री मनोरंजन भक्त : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश की मुख्य भूमि और अण्डमान तथा निकोबार द्वीपों के विभिन्न संस्थाओं में पढ़ रहे विभिन्न वर्गों के छात्रों की छात्रवृत्ति/वृत्ति की दरों में पिछली बार संशोधन कब किया गया था तथा संशोधित दरें क्या थीं;

(ख) क्या सरकार का विचार छात्रवृत्ति/वृत्ति की दरों में वृद्धि करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) विवरण संलग्न है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) अण्डमान निकोबार प्रशासन से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

विवरण

छात्रवृत्ति, वृत्तिका और एकमुश्त अनुदान के दर में अन्तिम संशोधन 16-12-87 और 6-6-88 को किए गए । संशोधित दर का विवरण निम्नलिखित है :

क्रम सं०	पाठ्यक्रम का नाम	संशोधन-पूर्व दर	संशोधित दर
1	2	3	4
1.	बी० ए० अथवा बी० काम पाठ्क्रम, द्वितीय, तृतीय वर्ष, तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम का अध्ययन	135 रुपए प्रतिमाह	170 रुपए प्रतिमाह

1	2	3	4
	2. एम० ए०, एम० काम, एम० एस० सी०, बी० एल०, एल० एल० बी० इत्यादि (ऐसे विषयों के लिए जिनके लिए द्वीपसमूह में सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।)	160 रु० प्रतिमाह	200 रु० प्रतिमाह
	3. औषधि, इन्जीनियरी, पशु, चिकित्सा, कृषि, मात्स्यकी वानिकी, बागवानी इत्यादि के व्यावसायिक डिग्री पाठ्यक्रम	160 रु० प्रतिमाह	200 रु० प्रतिमाह
	4. पी० एच० डी० पाठ्यक्रम	300 रु० प्रतिमाह	375 रु० प्रतिमाह
	5. इन्जीनियरी, कृषि, पशु-चिकित्सा, मुद्रण, आटोमोबाइल, फोटोग्राफी, रेडियोग्राफी, होटल प्रबन्ध, डिजाइन, पोशाक निर्माण में डिप्लोमा पाठ्यक्रम तथा 3 वर्ष की अवधि के अन्य संबद्ध कार्यक्रम	135 रु० प्रतिमाह	170 रु० प्रतिमाह
	6. नर्सिंग पाठ्यक्रम (डिप्लोमा)	155 रु० प्रतिमाह	200 रु० प्रतिमाह
	7. स्वास्थ्य निरीक्षक पाठ्यक्रम	125 रु० प्रतिमाह	160 रु० प्रतिमाह
	8. बी० ए०, बी० एड०/बी० एस० सी०, बी० एड० (समेकित पाठ्यक्रम)	135 रु० प्रतिमाह	170 रु० प्रतिमाह
	9. पुस्तकालय डिग्री पाठ्यक्रम	135 रु० प्रतिमाह	170 रु० प्रतिमाह
	10. शारीरिक शिक्षा में डिग्री	135 रु० प्रतिमाह	170 रु० प्रतिमाह
	11. सफाई निरीक्षक पाठ्यक्रम	100 रु० प्रतिमाह	125 रु० प्रतिमाह
	12. बी० फार्मेसी (डिग्री)	135 रु० प्रतिमाह	170 रु० प्रतिमाह
	13. रेडियोग्राफी पाठ्यक्रम (3 वर्ष की अवधि वाले पाठ्यक्रम के अलावा)	135 रु० प्रतिमाह	170 रु० प्रतिमाह

1	2	3	4
14.	अंग्रेजी से हिन्दी और हिन्दी से अंग्रेजी अनुवाद के लिए डिप्लोमा पाठ्यक्रम/प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम	100 रु० प्रतिमाह	125 रु० प्रतिमाह
15.	संगीत में डिप्लोमा	100 रु० प्रतिमाह	125 रु० प्रतिमाह
16.	संगीत में डिग्री	135 रु० प्रतिमाह	170 रु० प्रतिमाह
17.	प्रयोगशाला तकनीशियन पाठ्यक्रम	100 रु० प्रतिमाह	125 रु० प्रतिमाह
18.	ललित कला में डिप्लोमा	100 रु० प्रतिमाह	125 रु० प्रतिमाह

एकमुश्त अनुदान की दरें

(i) छात्रावासों में रह रहे द्वीप समूह के छात्रों के लिए चाहे वे मुख्य भू-भाग या पोर्ट ब्लेयर में रह रहे हों, छात्रावास के प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत बिलो के आधार पर छात्रावास खर्च की पूर्ण अदायगी की जाएगी। छात्रावास के पूर्ण खर्च में केवल भोजन एव आवास खर्च शामिल है।

(ii) उन छात्रों के सम्बन्ध में जो अपना अध्ययन, मुख्य भू-भाग की संस्थाओं में कर रहे हैं और अपने ही आवास, स्वयं प्रबन्धों में छात्रावास के बाहर कर रहे हैं, के लिए प्रतिमाह छात्रवृत्ति और वार्षिक एकमुश्त अनुदान की दरें निम्नलिखित होंगी :

क्रम सं०	पाठ्यक्रम का नाम	छात्रवृत्ति की दर	एकमुश्त अनुदान की दर
1	2	3	4
1.	पूर्व डिग्री पाठ्यक्रम, उत्तर स्नातक मैट्रिक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम, उत्तर मैट्रिक डिप्लोमा पाठ्यक्रम, कला, विज्ञान, वाणिज्य, बी० एड०, एल० एल० बी० इत्यादि में डिग्री पाठ्यक्रम	300	250
2.	कला, विज्ञान, वाणिज्य, विधि, इत्यादि में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम	350	300
3.	एम० बी० बी० एस०, बी० डी०	350	600

1	2	3	4
	एस०, एम० बी० ए० इन्जीनियरी, डिग्री बी० बी० एस० सी०, बी०एस० सी०, कृषि इत्यादि		
4.	चिकित्सा, इन्जीनिरी, पशुचिकित्सा, विज्ञान, कृषि इत्यादि में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम और पी० एच० डी० जैसे अनुसंधान अध्ययन	500	1800 (सम्पूर्ण स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए और अनुसंधान अध्ययनों के लिए नहीं)।

दन्तचिकित्सा पर कार्यशाला

4232. **श्री आर्स्कर फर्नान्डीज** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय दन्तचिकित्सा परिषद ने वर्ष 1991 में दिल्ली में "सार्वजनिक स्वस्थ दन्त-चिकित्सा" पर एक कार्यशाला का आयोजन किया था;

(ख) इस कार्यशाला में कितने लोगों ने भाग लिया और भाग लेने वाले लोगों के चयन के लिए क्या मानदण्ड अपनाए गए;

(ग) कार्यशाला में क्या-क्या सिफारिशें की गई; और

(घ) कार्यशाला पर किए गए कुल व्यय का ब्यौरा क्या है और इसका वित्तपोषण कैसे किया गया था ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० ताराबेवी सिद्धार्थ) : (क) भारतीद दन्त परिषद ने सूचित किया है कि "लोक स्वास्थ्य दन्त चिकित्सा में नई सीमाओं का पता लगाना भविष्य के लिए योजना" के बारे में एक कार्यशाला नई दिल्ली में 7 सितंबर से 10 सितम्बर 1991 तक आयोजित की गई है।

(ख) परिषद के 54 सदस्यों को मिलाकर कुल 84 प्रतिभागियों ने कार्यशाला में भाग लिया। परिषद के सदस्यों के अतिरिक्त, दन्त चिकित्सा संस्थाओं के डीन/प्रधानाचार्यों, निदेशकों/अध्यक्षों, दन्त-चिकित्सा संघों के अध्यक्षों/सचिवों को आमंत्रित किया गया।

(ग) इस कार्यशाला ने शहरी लोगों के अतिरिक्त, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा ग्रामीण लोगों के लिए दन्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न सिफारिशें की हैं।

(घ) पद्धति के अनुसार, परिषद ने इस बैठक के सम्बन्ध में परिषद के सदस्यों की यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ता तथा अन्य आकस्मिक व्यय वहन किया है। इस कार्यशाला का आयोजन करने के लिए कोई

पृथक विवरण उपलब्ध नहीं है क्योंकि यह कार्यशाला बैठक की कार्यसूची की मदों से बाहर थी। परिषद के सदस्यों के अलावा भाग लेने वाले व्यक्तियों के यात्रा भत्ते/महंगाई भत्ते के बारे में व्यय उनके द्वारा स्वयं वहन किया गया।

जोखिमपूर्ण पर्यटन

4233. श्री जार्ज फर्नाण्डीज : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत व्यापक स्तर पर साहसिक पर्यटन आरम्भ करने की सोच रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) पर्यटन विभाग का विचार है कि साहसिक पर्यटन की आश्चर्यजनक सम्भावनाएं हैं क्योंकि भारत में साहसिक खेल क्रियाकलापों हेतु अपेक्षित सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। शीतकालीन क्रीड़ा और बर्फ सम्बन्धी खेल कार्यकलापों में प्रशिक्षण देने हेतु स्कीइंग एवं माउन्टेनियरिंग संस्थान की स्थापना की गई है तथा विभिन्न जल-क्रीड़ा कार्यकलापों में लोगों को प्रशिक्षण देने हेतु हाल ही में राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान की स्थापना की गई है। सरकार, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को उपकरणों की खरीद हेतु उनके द्वारा बनाए गए विशिष्ट प्रस्तावों के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

बिहार में रेलवे फाटक

4234. श्री जार्ज फर्नाण्डीज : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में कितने रेलवे फाटकों पर चौकीदार नहीं हैं; और

(ख) इन रेलवे फाटकों पर चौकीदार उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 31-3-1991 को बिहार में श्रेणी "सी" के 1767 बिना चौकीदार वाले समपार थे।

(ख) रेलें बिना चौकीदार वाले समपारों पर चौकीदार की व्यवस्था तभी करती हैं जब राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार लागत की हिस्सेदारी वहन करने की लिखित सहमति के साथ इसके लिए ठोस प्रस्ताव प्रायोजित किया जाए। बहरहाल, जहां यातायात के घनत्व अथवा दृश्यता के विचार से आवश्यक होता है, रेलें स्वयं भी बिना चौकीदार वाले ऐसे समपारों पर चौकीदार की व्यवस्था कर रही हैं।

हरियाली दिल्ली

4235. श्री जार्ज फर्नाण्डीज : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली को "हरियाली" बनाने का अभियान संतोषजनक रूप से प्रगति नहीं कर रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में निर्धारित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण एवं वन राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) "हरित दिल्ली" अभियान वर्ष 1990-91 में चलाया गया था और अभियान में शामिल विभिन्न एजेंसियों ने वर्ष के दौरान 50.75 लाख पौद के लक्ष्य की तुलना में 41.34 लाख पौद का रोपण किया।

(ख) वर्ष 1990-91 में लक्ष्य की उपलब्धि में कमी मुख्यत: अपर्याप्त वर्षा के कारण हुई और इसके साथ ही वस्तुत: सम्बन्धित एजेंसियों ने इस दिशा में कार्रवाई करने में कुछ समय लिया।

(ग) कार्यान्वयन की प्रगति की अनुवीक्षा नियमित रूप से आवधिक समीक्षाओं, क्षेत्रीय निरीक्षणों आदि के माध्यम से की जाती है। इसके अतिरिक्त सभी सम्बन्धित सरकारी और गैर-सरकारी एजेंसियों को लक्ष्य प्राप्त करने तथा भविष्य में बेहतर परिणाम हासिल करने के लिए सक्रिय बनाया जा रहा है।

भद्रक (उड़ीसा) में गाड़ियों को रोकना

4216. **श्री अर्जुन चरण सेठी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुवाहाटी से कोचीन, त्रिवेन्द्रम और बंगलौर आदि को जाने वाली रेल गाड़ियां भद्रक में नहीं रुकती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन गाड़ियों को वहां रोकने की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) वाणिज्यिक औचित्य न होने के कारण।

महिलाओं में शिक्षा दर

4237. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं में शिक्षा दर सबसे कम है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) उनकी स्थिति में सुधार के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) यूनेस्को द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, भारत में महिला साक्षरता दर विश्व में सबसे कम नहीं है। ऐसे अन्य कई देश हैं जिनकी महिला साक्षरता दर अपेक्षाकृत काफी कम है।

(ग) शैक्षिक सुविधाओं तक महिलाओं की पहुंच में होने वाली असमानता को दूर करने की नीति को ध्यान में रखते हुए, पूरे देश में महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के वास्ते अभी हाल ही में कई कार्यनीतियां अपनाई गई हैं, जिसमें ग्रामीण तथा जनजातीय क्षेत्रों में महिलाओं की शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं :—

(i) महिला समाख्या : इस कार्यक्रम में बुनियादी तौर पर ऐसे तन्त्रों के निर्माण पर बल दिया गया है जिनमें महिलाओं को अपनी शिक्षा की योजना बनाने तथा उसका अनुवीक्षण करने तथा ज्ञान के एक नए आयाम तक पहुंचने के अवसर प्रदान किए हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर शैक्षिक योजना तैयार करने तथा अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों, ग्रामीण स्कूल के अध्यापकों को प्रशिक्षण तथा शैक्षिक सामग्री के उत्पादन जैसे शैक्षिक निवेशों को प्रदान करने में महिलाओं को शामिल करना है। यह परियोजना 10 जिलों में आरम्भ की गई हैं जिनमें कर्नाटक तथा गुजरात के 3-3 जिले तथा उत्तर प्रदेश के 4 जिले शामिल हैं।

(ii) स्कूल शिक्षा : स्कूल शिक्षा कार्यक्रम में बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो कदम उठाए गए हैं उनमें प्राथमिक स्कूलों में और अधिक महिला शिक्षकों की भर्ती, निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकों और वर्दी के निःशुल्क वितरण जैसी प्रोत्साहन योजनाएं सभी सरकारी स्थानीय निकाय तथा सहायता प्राप्त स्कूलों और स्थानीय स्वशासी निकायों द्वारा संचालित स्कूलों में आठवीं कक्षा तक तथा अधिकांश राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में दसवीं कक्षा तक महिलाओं की निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने जैसी प्रोत्साहन योजनाएं शामिल हैं।

(iii) अनौपचारिक शिक्षा : शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े 10 राज्यों में महिलाओं के लिए अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के संचालन के लिए केन्द्र सरकार ने 90% वित्तीय सहायता प्रदान की है बाकी की 10% सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है।

(iv) प्रौढ़ शिक्षा : प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में अधिकाधिक संख्या में महिलाओं को शामिल करने के लिए उठाए गए विशेष कदमों में ये शामिल हैं :—

—केन्द्र आधारित कार्यक्रमों तथा पूर्ण साक्षरता अभियानों में स्वयंसेवकों, प्रशासकों तथा प्रेरकों के रूप में महिला प्रौढ़ शिक्षा कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या में नियुक्ति।

—मुख्य रूप से महिलाओं के लिए काम करने वाली स्वैच्छिक एजेंसियों को बड़ी संख्या में शामिल करना।

—श्रमिक विद्यापीठों के द्वारा महिला कार्यकर्ताओं की ओर अधिक ध्यान देना।

—महिला समानता को बढ़ावा देने के प्रभावी एजेन्ट के रूप में महिला प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करना।

—साक्षरता विशेषता के विस्तार के लिए अवसरों का प्रावधान तथा महिलाओं की जीवन दशाओं में सुधार लाने के लिए इस शिक्षा का अनुपयोग।

—महिला साक्षरता और उनके अधिकारों पर फिल्में तैयार करना तथा अभिप्रेरणा तथा शिक्षा प्रद दोनों उद्देश्यों के लिए उनका दूरदर्शन पर प्रदर्शन।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों का कार्यकरण

4238. **श्री कड़िया मुण्डा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के आधुनिक चिकित्सा पद्धति तथा भारतीय और होम्योपैथी चिकित्सा पद्धतियों के औषधालयों के कार्यकरण की पुनरीक्षा सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को भविष्य में और अधिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय चिकित्सा पद्धति के औषधालयों की स्थापना करना

4239. **श्री कड़िया मुण्डा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1987 से अब तक दिल्ली में तथा दिल्ली से बाहर खोली गई आधुनिक चिकित्सा पद्धति केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों का स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के भारतीय चिकित्सा पद्धति के अस्पताल/औषधालय खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो यह कहां-कहां खोले जायेंगे और इनका ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) 1987 से दिल्ली और दिल्ली से बाहर निम्नलिखित केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना एलोपैथिक

औषधालय खोले गए हैं :—

दिल्ली	4
जयपुर	1
नागपुर	1
इलाहाबाद	1
हैदराबाद	3
लखनऊ	1
बैंगलूर	1
बम्बई	1
भुवनेश्वर	1*
जबलपुर	1

*(विशेष रूप से महालेखाकार कार्यालय के कर्मचारियों के लिए)

(ख) से (घ) दिल्ली में 9 होम्योपैथिक एकक, 8 आयुर्वेदिक एकक और एक यूनानी एकक खोलने का प्रस्ताव है बशर्ते धन उपलब्ध हों।

मीरज-बंगलौर रेल लाइन

4240. श्री प्रकाश बी० पाटील : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मीराज तथा बंगलौर के बीच बड़ी रेल लाइन बिछाने के लिए सर्वेक्षण कार्य शीघ्र पूरा करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) 1988 में किए गए सर्वेक्षण को अद्यतन करने के लिए रेलवे को कहा गया है, प्रस्ताव पर विचार करना सर्वेक्षण के परिणामों तथा आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

असम में प्रशिक्षण संस्थान

4241. श्री उद्धव बर्मन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम में रेल प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो योजना की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इस कार्य को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) असम में एक केन्द्रीकृत प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने के प्रस्ताव को सिद्धान्त रूप में अनुमोदित कर दिया गया है। पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के वार्षिक निर्माण कार्यक्रम में इस मद को शामिल करने के लिए ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

छोटे-हल्के विमान की खरीद

4242. **श्री राम कापसे** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मुम्बई स्थित फर्म द्वारा जोड़े गए छोटे-हल्के विमान को खरीदने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे कितने विमान खरीदे जाएगे और इन पर अनुमानतः कितनी धनराशि खर्च होगी;

(घ) क्या इन विमानों को मुम्बई-अहमदाबाद और मुम्बई-पुणे मार्ग पर चलाया जाएगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

महाराष्ट्र में रेवास में हवाई अड्डे का निर्माण

4243. **श्री राम कापसे** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मुम्बई हवाई अड्डे पर बढ़ते हुए यातायात के दबाव को कम करने के लिए महाराष्ट्र में रेवास में अन्तरराष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डे का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसका निर्माण कब तक किए जाने की सम्भावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) बम्बई में एक अन्य हवाई अड्डे के निर्माण का प्रस्ताव अपनी आरम्भिक अवस्था में है। बम्बई में दूसरे हवाई अड्डे के लिए उपयुक्त स्थान का चयन करने के लिए नियुक्त की गयी एजेंसी ने उरान हिल्स के दक्षिण में मांडवा-रेवाज की सिफारिश सबसे अच्छे स्थल के रूप में की है। तथापि, इस स्थल के बारे में पर्यावरण और वन मन्त्रालय तथा अन्य सम्बन्धित एजेंसियों से स्वीकृति ली जानी है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

मुम्बई-बड़ोदा आदि के लिए अतिरिक्त उड़ानें

4244. **कुमारी दीपिका चिखलिया** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मुम्बई-बड़ौदा-मुम्बई और बड़ौदा-दिल्ली मार्ग पर तथा वापिसी के लिए एक अतिरिक्त उड़ान आरम्भ करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) इण्डियन एयरलाइन्स बम्बई और बड़ौदा के बीच पहले ही दैनिक ए-320 सेवा का परिचालन कर रही है । दिल्ली-अहमदाबाद-बड़ौदा-दिल्ली मार्ग पर वर्तमान दैनिक बी-737 सेवा के स्थान पर निकट भविष्य में एक दैनिक ए-320 सेवा परिचालित करने की इसकी योजना है । यह महसूस किया जाता है कि वर्तमान यातायात मांग को पूरा करने के लिए यह पर्याप्त है ।

समाचार शीर्षक "क्लोज शेव फार 4 प्लेन्स इन मिड एयर"

4245. **श्री जीवन शर्मा** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 सितम्बर, 1991 के इण्डियन एक्सप्रेस में प्रकाशित समाचार "क्लोज शेव फ़ॉर 4 प्लेन्स इन मिड एयर" की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या इस पूरी घटना की छानबीन की गई है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) पूर्व में ऐसी कितनी घटनाएं हुई हैं और इन मामलों में की गई छानबीन/जांच के निष्कर्ष क्या हैं; और

(ङ) इस सम्बन्ध में कौन-कौन से सुरक्षा-उपाय किए गए हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां ।

(ख) ब्यौरे विवरण-I पर दिए गए हैं ।

(ग) दुर्घटनाओं की जांच की जा रही है ।

(घ) 1988 से 1991 (आज तक) तक के पिछले चार वर्षों में आपात अवतरण की 20 घटनाएं हुई। इनके ब्यौरे विवरण-I। पर दिए गए हैं।

(ङ) नागर विमानन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए घटनाएं और दुर्घटनाएं होने पर की गई सिफारिशों का कार्यान्वयन, उड़ान कर्मीदल की प्रवीणता का निरीक्षण, उड़ान कर्मीदल के मानदण्ड निर्धारित करना और दोषी पाइलटों और इन्जीनियरों के विरुद्ध दण्डात्मक कारंवाई करने जैसे उपाय किए जाते हैं।

विवरण-I

विमान की उड़ानगत आपात स्थिति की घटनाओं के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

(1) इण्डियन एयरलाइन्स के एयरबस ए-320 विमान वी० टी०-ई० बी० के० द्वारा जो 17-9-1991 को आई० ए० सी०-879 (दिल्ली-गुवाहाटी) उड़ान प्रचालित कर रहा था, बाएं इंजन के एन० एल० मॉड की खराबी के कारण 20 मिनट की डेड फ्लाइट के बाद पालम हवाई अड्डे पर आपात अवतरण किया गया। इस घटना की जांच की जा रही है।

(2) इण्डियन एयरलाइन्स के एयरबस ए-320 विमान वी० टी०-ई० एफ० डब्ल्यू० द्वारा, जो 17-9-1991 को अनुसूचित उड़ान आ० ए० सी०-401 (दिल्ली-कलकत्ता) का परिचालन कर रहा था, उड़ान भरने के पश्चात् रेडियो संचार की खराबी के कारण पालम हवाई अड्डे पर आपात अवतरण किया गया। घटना की जांच की जा रही है।

(3) 17-9-1991 को वायुदूत के डोर्नियर-228 विमान द्वारा, जो पी० एफ०-103 (दिल्ली-देहरादून) का प्रचालन कर रहा था, बाएं इंजन में तेल का तापमान अधिकतम हो जाने के कारण पालम पर आपात अवतरण किया गया। घटना की जांच की जा रही है।

(4) विमानन अनुसंधान केन्द्र का विमान ए० आर० सी० बी०-707 वी० टी०-ई० डब्ल्यू० एच० उड़ान के दौरान अण्डरकैरिएज की समस्या होने के कारण हवा में लटका रहा। पायलेट को हाइड्रालिक की समस्या का शक हुआ। अग्निशमन सेवाओं को एलर्ट कर दिया गया। तथापि विमान पालम पर सुरक्षित उतर गया।

विवरण-II

आपात अवतरण की प्रत्येक घटना की जांच प्रचालकों द्वारा की जाती है जिनके साथ नागर विमानन महानिदेशालय के प्रतिनिधियों को लगाया जाता है। इस जांच से आपात अवतरण के कारण निर्धारित किए जाते हैं और ऐसी प्रत्येक जांच के निष्कर्षों और सिफारिशों के आधार पर ऐसी त्रुटियों को पुनः होने से रोकने के लिए उपचारी उपाय किए जाते हैं जिनके कारण विमान को आपात अवतरण करना पड़ा।

आपात अवतरण के संक्षिप्त ब्यौरे

इण्डियन एयरलाइन्स

(क) 1991 (आज की तारीख तक) :

(1) इण्डियन एयरलाइन्स के एयरबस ए-320 विमान वी० टी०-ई० पी० जे० ने, जो 17-9-1991 को आई० ए० सी०-879 (दिल्ली-गुवाहाटी) की उड़ान प्रचालित कर रहा था, बाएं इंजन के एन० एल० मॉड की खराबी के कारण 20 मिनट की डेड फ्लाइट के बाद पालम हवाई अड्डे पर आपात अवतरण किया। सुधारात्मक कार्रवाई पी० 2/टी० 2 के दौरान हारनैस को बदल दिया गया। कुल अथोरिटी डिजिटल इलेक्ट्रा-निक्स इंजन कन्ट्रोल 1-ए० और 1-बी० की जांच की गई और इन्हें सन्तोषजनक पाया गया।

(2) इण्डियन एयरलाइन्स के एयरबस ए-300 विमान वी० टी०-ई० एफ० डब्ल्यू० ने, जो 17-9-1991 को अनुसूचित उड़ान आई० ए० सी०-401 (दिल्ली-कलकत्ता) का परिचालन कर रहा था, उड़ान भरने के पश्चात् रेडियो संचार की खराबी के कारण पालम हवाई अड्डे पर आपात अवतरण किया।

(ख) 1990 :

(1) 29-3-1990 को आई० सी०-168 अनुसूचित उड़ान प्रचालित कर रहे एयरबस ए-300 वी० टी०-ई० डी० वाई० विमान ने नं० 1 इंजन एन० एल० के इण्डीकेटर के पैकआफ होने और उड़ान के दौरान ग्रीन हाईड्रोलिक सिस्टम फ्लूड के लीक करने के कारण त्रिवेन्द्रम में आपात अवतरण किया।

(2) 6-7-1990 को आई० सी०-201 की अनुसूचित उड़ान का प्रचालन कर रहे बी-737 विमान वी० टी०-ई० एफ० एल० ने, इंजन ऑयल के तापमान को फ्लिकर के साथ रेड बैंस तक पहुंचने के कारण उड़ान के दौरान नं० 1 इंजन के बन्द होने के कारण गुवाहाटी में आपात अवतरण किया।

(3) 22-9-1990 को बी-737 विमान वी० टी०-ई० डी० आर० ने, उड़ान के दौरान हाईड्रोलिक सिस्टम "ए" की खराबी के कारण दिल्ली में पालम हवाई अड्डे पर आपात अवतरण किया। सुधारात्मक कार्रवाई के दौरान संगत फिल्टरों सहित फ्लैप हाईड्रोलिक मोटर और इंजन से चलाए जाने वाले पम्पों को बदल दिया गया।

(ग) 1989 :

(1) यात्रा के दौरान अप्पुअग्नि चेतावनी लाइट जलने के कारण 3 -1-1989 को अनुसूचित उड़ान आई० सी०-413 प्रचालित कर रहे बी-737 विमान वी० टी०-ई० सी० क्यू० ने काठमाण्डु में आपात अवतरण किया।

(2) मास्टर वार्निंग सिस्टम पर ग्रीन हाईड्रोलिक लो लेवल वार्निंग हो जाने के कारण

7-3-1989 को अनुसूचित उड़ान आई० सी०-539/439 प्रचालित कर रहे एयरबस ए-300 विमान वी० टी०-ई० डी० एक्स० ने दिल्ली में आपात अवतरण किया।

(3) स्लीड्स का चयन करने पर टेक-आफ के पश्चात् ड्यूअल स्लीड लाइट के जले रहने के कारण, 10-3-1989 को अनुसूचित उड़ान आई० सी०-141 का प्रचालन कर रहे बी-737 विमान वी० टी०-ई० एफ० के० ने बम्बई में आपात अवतरण किया।

(4) 17-6-1989 को आई० सी०-461 की अनुसूचित उड़ान कर रहे बी-737 विमान वी० टी०-ई० जी० एम० ने उड़ान भरने के बाद नं० 2 इंजिन में आग निकलने के कारण पालम में आपात अवतरण किया।

(5) 20-6-1989 को आई० सी०-410 की अनुसूचित उड़ान कर रहे बी-737 विमान वी० टी०-ई० एच० ई० ने फ्लाइट लेबल 240 पर "प्रेसराइजेश के निष्क्रिय हो जाने के कारण पालम में आपात अवतरण किया।

(घ) 1988 :

(1) 1-7-1988 को आई० सी०-433 की अनुसूचित उड़ान का परिचालन कर रहे बी-737 विमान वी० टी०-ई० जी० एफ० ने उड़ते समय हाइड्रोलिक प्रणाली "ए" में खराबी के कारण आपात अवतरण किया।

(2) 25-9-1988 को आई० सी०-439 की अनुसूचित उड़ान का परिचालन कर रहे एयर-बस ए-300 विमान वी० टी०-ई० एच० सी० ने हैदराबाद में उतरने से कुछ ही समय पूर्व इसके डबल इंजिन में आग निकलने के कारण आपात अवतरण किया।

एयर इण्डिया

(क) 1991 (आज तक)—शून्य।

(ख) 1990 :

(1) 1-6-1990 को ए० आई०-838 की उड़ान का परिचालन कर रहे एयरबस ए-310 विमान वी० टी०-ई० जे० एच० ने क्रूज के दौरान ग्रीन हाइड्रोलिक सिस्टम ओवरहीट लाइट के कारण बम्बई में आपात अवतरण किया।

(ग) 1989 :

(1) 12-10-1989 को उड़ान ए० आई०-916 का परिचालन कर रहे एयरबस ए-300 विमान वी० टी०-ई० एच० एल० ने क्रूज के दौरान ग्रीन हाइड्रोलिक क्वांटिटी के कम होने के कारण बम्बई में आपात अवतरण किया।

1988

(1) नम्बर 1 प्रणाली पर हाइड्रोलिक मात्रा में गिरावट आने के कारण 2-9-88 को उड़ान

संख्या ए० आई०-128 का परिचालन कर रहे बी-747 विमान वी० टी०-ई० बी० ई० ने दिल्ली में आपात अवतरण किया ।

वायुदूत

(क) 1991 (आज तक) :

(1) 17-9-1991 को वायुदूत के डोर्नियर 228 विमान द्वारा जो पी० एफ०-103 (दिल्ली-देहरादून) प्रचालन कर रहा था, बाएं इंजन में तेल का तापमान अधिकतम हो जाने के कारण पालम पर आपात अवतरण किया गया।

(ख) 1990 :

(1) 22-9-1990 को एफ-27 विमान वी० टी०-डी० ओ० एल० ने गुवाहाटी में उड़ान भरने के बाद उसके नं० 2 इंजिन में "फायर वार्निंग" के कारण आपात अवतरण किया ।

(ग) 1989 :

(1) 18-7-1989 को एच० एस०-748 विमान वी० टी०-डी० एस० आर० ने संचार प्रणाली में खराबी आने के कारण हैदराबाद में आपात अवतरण किया ।

(2) 29-8- 989 को एच० एस०-748 विमान वी० टी०-डी० एस० पी० ने उसके नं० 2 इंजिन में "फायर वार्निंग" के कारण मद्रास में आपात अवतरण किया ।

(घ) 1988 :

(1) 6-10-1988 को एच० एस०-748 विमान वी० टी०-डी० एस० ओ० ने, उसके लैंडिंग गियर सेलेक्टर वाल्व के नीचे न होने के कारण हैदराबाद में आपात अवतरण किया ।

उप और सहायक आयुक्तों के पद

4246. **श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) केन्द्रीय विद्यालयों में 1 अप्रैल, 1991 तक उप और सहायक आयुक्तों के कुल कितने पद थे;

(ख) इस तारीख को इनके कितने पद रिक्त पड़े थे; और

(ग) इन रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन में 1- -1991 तक उपायुक्त के पांच और सहायक आयुक्त के 18 संस्वीकृत पद थे ।

(ख) उपायुक्त के तीन और सहायक आयुक्त के सात पद रिक्त थे।

(ग) इन पदों को भरने के लिए पहले ही कारंवाई शुरू की जा चुकी है।

नेशनल स्कूल आफ ड्रामा में निदेशक

4247. श्री पी० एम० सईद :
श्री तेजसिंहराव भोंसले :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नेशनल स्कूल आफ ड्रामा में गत ढाई वर्ष से पूर्णकालिक निदेशक नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) भारत सरकार ने नेशनल स्कूल आफ ड्रामा में पूर्णकालिक निदेशक के रूप में :-11-1991 से सुश्री कीर्ति जैन की नियुक्ति का अनुमोदन कर दिया है।

उड़ीसा में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खोलने का प्रस्ताव

4248. श्री मृत्युंजय नायक : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उड़ीसा में शैक्षिक और वैज्ञानिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए कालाहांडी और फुलबनी में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खोलने का विचार है;

(ख) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) असम में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को छोड़कर, फिलहाल देश में कहीं भी किसी अन्य भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

संसद सदस्यों के पत्रों के उत्तर

4249. श्री राम कापसे : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन संसद सदस्यों के पत्रों की पावती तथा उत्तर नहीं देते हैं; और

(ख) यदि हां, तो संसद सदस्यों के पत्रों का तत्काल उत्तर दिए जाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

लक्षद्वीप के बंगारम द्वीप को पट्टे पर देना

4250. **श्री पी० एम० सईद** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लक्षद्वीप के बंगारम द्वीप में स्थित अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल को एक होटल ग्रुप को पट्टे पर दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में किए गए पट्टा करार की शर्तें क्या हैं;

(ग) पट्टे की अवधि और उसकी समाप्ति नवीकरण/की तारीखें क्या हैं;

(घ) पट्टे से अब तक लक्षद्वीप प्रशासन को कितना लाभ हुआ; और

(ङ) यदि नहीं; तो इस मामले में क्या उपचारी कदम उठाने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां।

(ख) मैसर्स कैसिनों नामक होटल ग्रुप और "स्पोर्ट्स" जोकि लक्षद्वीप में पर्यटन का संवर्धन करने के लिए नोडल एजेंसी है, के बीच निष्पादित पट्टे नामे (लीज डीड) की मुख्य शर्तें इस प्रकार है :—

(1) मैसर्स कैसिनों 1,20,000 रु० की दर से रायल्टी का भुगतान करेगा जो तिमाही किश्तों में पेशगी में दी जाएगी।

(2) मैसर्स कैसिनों सकल व्यापार (टर्न ओवर) के 16.67 प्रतिशत की दर से आकलित किराए का भी भुगतान करेगा जो तिमाही किश्तों में दिया जाएगा जो प्रति वर्ष कम से कम 7,50,000 होगा।

(3) मैसर्स कैसिनों यह सुनिश्चित करेगा कि इसके कर्मचारी तथा रिसार्ट में आने वाले अतिथि तथा यात्री पर्यावरण के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्धारित किए जाने वाले दिशा-निर्देशों का पालन करते हैं।

(4) मैसर्स कैसिनों रिसार्ट में उपलब्ध कुल रोजगार में से 80 प्रतिशत स्थानीय लोगों को

उपलब्ध कराएगा और किसी भी समय जब भी कभी स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जायेगा तो संख्या 28 व्यक्तियों से कम नहीं होगी।

(5) मौजूदा पट्टेनामे की अवधि पूरी होने के बाद यदि मैसर्स कैसिनों पट्टे को जारी रखने का विकल्प देता है तो वह वर्तमान पट्टे की समाप्ति से कम से कम 6 महीने पहले अपनी शर्तें बताते हुए पट्टे के नवीकरण हेतु आवेदन कर सकता है।

(ग) पट्टे की अवधि सितम्बर, 1988 के पहले दिन से लेकर अगस्त 1993 के इकतीसवें दिन तक 5 वर्ष है।

(घ) बंगारम टूरिस्ट रिसार्ट को पट्टे पर देने से मूल्यवान विदेशी मुद्रा की आय हुई है, 28 स्थानीय व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार मिला है, सामान की आपूर्ति करने में तथा अगात्ती से नौकाएं चलाने में लगे व्यक्तियों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिला है, और कुछ हद तक अगात्ती के लोगों का आर्थिक विकास हुआ है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

लक्षद्वीप में पारिस्थितिकीय विनाश

4251. **श्री पी० एम० सईद** : क्या **पर्यावरण और वन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पर्यटकों द्वारा पारिस्थितिकीय महत्व की कुछ वस्तुओं जैसे प्रवाल आदि को लक्षद्वीप के बंगारम द्वीप के समुद्रतलों से निकाला जा रहा है;

(ख) क्या लक्षद्वीप में पारिस्थितिकीय महत्व की वस्तुओं को निकाले जाने पर प्रतिबन्ध है; और

(ग) यदि हां, तो प्राकृतिक सौंदर्य और प्राकृतिक समुद्र सम्पदा के दृश्य का नियोजित विनाश रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) बंगारम द्वीप में पर्यटकों द्वारा प्रवाल आदि अथवा पारिस्थितिकीय महत्व की अन्य चीजों के निकाले जाने के बारे में कोई शिकायत या घटना नहीं हुई है।

(ख) लक्षद्वीप में पर्यटकों तथा अन्य लोगों द्वारा प्रवाल जैसी वस्तुओं को निकाले जाने पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया गया है क्योंकि इससे समुद्री पारि-प्रणाली को क्षति पहुंचती है।

(ग) देश के तटीय क्षेत्रों के संरक्षण के लिए मन्त्रालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना में अन्य बातों के साथ-साथ निर्माण तथा अन्य प्रयोजनों के लिए समुद्र तटों के प्रवालों और रेत के उपयोग पर भी प्रतिबन्ध लगाया गया है। प्रवाल भित्तियों में तथा उनके आस-पास तलकर्षण तथा पानी में विस्फोट की भी अनुमति नहीं दी जाएगी। तटीय क्षेत्रों के साथ-साथ सभी विकास कार्य उक्त अधिसूचना की शर्तों के अनुसार होंगे।

लक्षद्वीप प्रशासन ने पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए नावें खरीद ली हैं और पर्यावरणीय वार्डन नियुक्त किए हैं जो पर्यटकों के घूमते समय लैगूनों की गश्त लगाते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे समद्र तट और लैगूनों से प्रवाल तथा अन्य वस्तुएं न निकालें जिनका अन्तिम विनाशकारी प्रभाव समुद्री पारि-प्रणाली पर पड़ता है ।

राजेन्द्र प्रसाद नेत्र चिकित्सा विज्ञान केन्द्र, नई दिल्ली का कार्यकरण

4252. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 अप्रैल, 1991 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "पेशन्ट्स टर्न्ड बैंक एज मशीन्स राट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और इस मामले में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) जी, हां। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली द्वारा सूचित किया गया है कि कुछ मशीनें अर्थात ई० आर० जी० व वी० ई० आर० आर्गन एवं क्रिप्टन लेसर, अल्ट्रा साउन्ड और परावर्तक सूक्ष्मदर्शी खराब हो चुकी हैं । तथापि, संस्थान द्वारा इन मशीनों के स्थान पर या तो नई मशीनें लगा दी गई हैं या उनकी मरम्मत करा ली गई है । इन सेवाओं को सन्तोषजनक रूप से चलाने के लिए प्रत्येक प्रयास किए गए हैं ।

चिकित्सा भण्डार डिपुओं में अनियमितताएं

[हिन्दी]

4253. **श्री सन्तोष कुमार गंगवार** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का ध्यान दिनांक 25 अक्तूबर, 1991 को जनसत्ता में "कुछ दवा कम्पनियों पर रहती है खास मेहरबानी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) समाचार मद में दी बातें गलत पाई गई और 13-11-1991 को एक प्रत्युत्तर/खण्डन जनसत्ता के मुख्य संपादक को भेज दिया गया है ।

एयर इण्डिया में विमानचालकों का चयन

4254. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 सितम्बर, 1991 के नवभारत टाइम्स में "एयर इण्डिया पाईलट चयन में पक्षपात" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां ।

(ख) एयर इण्डिया में प्रशिक्षु विमानचालकों/सह-विमानचालकों की भर्ती के लिए आवेदन अखिल भारतीय आधार पर विज्ञापन के माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं । वायुदूत और इग्नुआ से भी अनुरोध किया जाता है कि वे एयर इण्डिया में नियुक्ति के लिए इच्छुक व्यक्तियों के आवेदन-पत्र अग्रेषित करे । उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में बैठना होता हैं । लिखित परीक्षा में सफल रहने पर, उम्मीदवारों का एक पैनल द्वारा साक्षात्कार लिया जाता है और चयन पूर्णतया गुण-दोष के आधार पर किया जाता है ।

इण्डियन एयरलाइन्स/एयर इण्डिया के प्रबन्ध बोर्ड

[अनुवाद]

4255. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास इण्डियन एयरलाइन्स और एयर इण्डिया के प्रबन्ध बोर्डों के पुनर्गठन का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कब तक लागू किया जाएगा;

(ग) क्या कुछ संसद सदस्यों को इन बोर्डों में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) इण्डियन एयरलाइन्स और एयर इण्डिया के निदेशक मण्डलों का गठन 30-7-1990 से तीन वर्ष की अवधि के लिए किया गया था ।

(ग) और (घ) सरकार की नीति के अनुसार, संसद सदस्यों को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के निदेशक मंडलों में सामान्यतया नियुक्त नहीं किया जाता है ।

मानसिक रोग अस्पतालों में मौतें और आत्महत्याएं

4256. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 26 अक्तूबर, 1991 के इण्डियन एक्सप्रेस में "श्रन्ड बाइ देयर किन, नेग्लेक्टेड बाइ दि गवर्नमेंट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) वर्ष 1991 के दौरान दिल्ली के मानसिक रोग अस्पताल में मौतें और आत्म-हत्याएं के कितने मामले हुए हैं और यह संख्या गत तीन वर्षों की तुलना में कम है या अधिक;

(घ) आज की तिथि तक इस अस्पताल में रोगियो की संख्या कितनी है और वे वहां कब से दाखिल हैं; और

(ङ) दिल्ली के इस अस्पतालों की स्थिति देश के अन्य मानसिक रोग अस्पतालों की तुलना में अस्पताल-वार कैसी है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी, हां ।

(ख) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

कर्नाटक में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए विश्व बैंक से सहायता

4257. **श्रीमती बासवा राजेश्वरी :**
श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स :
श्री जी० माडेगोडा :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने राज्य में जिला और ताल्लुक अस्पतालों के सुधार हेतु विश्व बैंक से सहायता की मांग के लिए केन्द्रीय सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो इस सहायता से कौन-कौन से और कितने अस्पतालों के लाभान्वित होने की संभावना है; और

(ग) इस सम्बन्ध में विश्व बैंक से कब तक सहायता प्राप्त हो जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) विश्व बैंक सहायता प्राप्त करने के लिए सरकार को अक्तूबर, 1991 में 172.00 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर कर्नाटक में द्वितीयक स्तर के अस्पतालों में सुधार करने हेतु एक परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था । इस परियोजना में मौजूदा जिला स्तर के अस्पतालों और उप-मंडल स्तर के अस्पतालों और संस्थाओं में 13475 अतिरिक्त बिस्तर प्रदान करने का विचार है । विश्व बैंक सहायता के लिए प्रस्तावित जिला/ताल्लुक स्तर के अस्पतालों के नामों को दर्शाने वाला एक विवरण उपाबंध में दिया गया है ।

(ग) सरकार ने विश्व बैंक सहायता प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त कर लिए हैं । इस स्तर पर यह बताना संभव नहीं है कि कब तक इस परियोजना को मंजूर किया जाएगा ।

विवरण

कर्नाटक में विश्व बैंक सहायता के लिए प्रस्तावित जिला/ताल्लुक स्तर पर अस्पतालों के नाम

निम्नलिखित संस्थाएं अतिरिक्त पलंग प्रदान करने तथा उनमें सुधार करने के लिए निर्धारित की गई हैं :

I. जिला स्तर के अस्पताल :

1. जिला अस्पताल, चिकमगलूर
2. जिला अस्पताल, हसन
3. जिला अस्पताल, कोलार
4. जिला अस्पताल, चित्रदुर्ग
5. जिला अस्पताल, बीदर
6. जिला अस्पताल, बीजापुर
7. जिला अस्पताल, कारवाड़
8. जिला अस्पताल, मदीकरी
9. जिला अस्पताल, शिमोगा
10. जिला अस्पताल, टुमकूर
11. जिला अस्पताल, मंडया

II. तालुक/उपमंडल स्तर पर निम्नलिखित द्वितीयक स्तर की संस्थाएं अतिरिक्त पलंग प्रदान करने तथा उनमें सुधार करने के लिए निर्धारित की गई हैं :

1. बैंगलूर जिला	:	(क) डोडाबल्लापुर
2. टुमकूर जिला	:	(क) टिपतूर
		(ख) पावागडा
3. चित्रदुर्ग	:	(क) मोलाकलमूर
		(ख) होसादुर्ग
4. शिमोगा जिला	:	(क) सोराब
		(ख) होनाली
5. कोलार जिला	:	(क) चिकबल्लपुर

	(ख) चिंतामणी
	(ग) गुण्डीबन्डा
6. मंडया जिला	: (क) नागमंगला
	(ख) मालवल्ली
7. मैसूर जिला	: (क) कोल्लेगल
	(ख) कामराजनगर
8. कोडागु जिला	: (क) विराजपेट
	(ख) सोमावारपेट
9. दक्षिण कन्नड़	: (क) उडुपी
	(ख) कारकला
10. हसन जिला	: (क) होलेनरसीपुर
	(ख) अरासिकेरे
11. चिकमगलूर जिला	: (क) तारिकेरे
	(ख) मुडिगेरे
12. बेलगाम जिला	: (क) गोकक
	(ख) सौनदट्टी
13. उतरी कर्नाटक	: (क) सिरसी
	(ख) भटकल
14. धारवाड़ जिला	: (क) गडग
	(ख) हवेरी
15. बीजापुर जिला	: (क) जामखंडी
	(ख) बागलकोट
	(ग) तलिकोट—अतिरिक्त केन्द्र
16. बीदर जिला	: (क) बालकि
	(ख) हुमनाबाद
17. गुलबर्ग जिला	: (क) चिन्चोलि—अतिरिक्त केन्द्र
	(ख) शापुर—अतिरिक्त केन्द्र
	(ग) यादगीर—अतिरिक्त केन्द्र
	(घ) अलंद—अतिरिक्त केन्द्र

18. रायचूर जिला : (क) देवदुर्ग
(ख) लिंगसुगूर
(ग) कुश्तांग—अतिरिक्त केन्द्र

19. बेलारी जिला : (क) कोट्टूर
(ख) हगरिबोम्मनाहल्ली
(ग) हरपनाहल्ली—अतिरिक्त केन्द्र

आयुर्वेदिक दवाओं के सम्बन्ध में देसाई आयोग

4258. **श्रीमती गीता मुखर्जी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यायाधीश देसाई आयोग ने 1981 में अधिक मात्रा में अल्कोहल वाली आयुर्वेदिक दवाओं के विरुद्ध विधायी उपायों की सिफारिश की थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

अनुसूचित जाति/जनजाति के बच्चों में साक्षरता

4259. **कुमारी विमला वर्मा :**
श्री परसराम भारद्वाज :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लड़कों और लड़कियों में विद्यमान साक्षरता के प्रतिशत का सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) दस वार्षिकी जनगणना में साक्षरता दरों से सम्बन्धित विस्तृत सूचना एकत्र की जाती है।

(ख) वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पुरुषों/महिलाओं की राज्यवार साक्षरता दरों को दर्शाने वाला विवरण अनुबंध में दिया गया है।

(ग) केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक

विकास के लिए उठाए गए कुछ कदम इस प्रकार हैं :

— अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियो के बाहुल्य वाले क्षेत्रों में स्कूल, गैर औपचारिक शिक्षा केन्द्र, प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र खोलना।

— फीस माफी, छात्रवृत्तियां, मुफ्त वर्दियां, मध्यान्ह भोजन आदि जैसे प्रोत्साहनों का प्रावधान।

— अनसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए छात्रावासों और आश्रम स्कूलों के निर्माण के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता।

— शैक्षिक संस्थाओं में स्थानों का आरक्षण।

— अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों की योग्यता में सुधार करने के लिए उपचारी और विशेष शिक्षण प्रदान करना तथा उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाया जा सके।

विवरण

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की राज्यवार साक्षरता दर दर्शाने वाला विवरण

(वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	अनुसूचित जाति साक्षरता दर		अनुसूचित जनजाति साक्षरता दर	
		पुरुष	महिलाएं	पुरुष	महिलाएं
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	24.82	10.26	12.02	3.46
2.	असम*				
3.	बिहार	18.02	2.51	26.17	7.75
4.	गुजरात	53.14	25.61	30.41	11.64
5.	हरियाणा	31.45	7.06	—	—
6.	हिमाचल प्रदेश	41.94	20.63	38.75	12.82
7.	जम्मू और कश्मीर	32.34	11.70	—	—
8.	कर्नाटक	29.35	11.55	29.96	10.03

1	2	3	4	5	6
9.	केरल	62.33	49.73	37.52	26.02
10.	मध्य प्रदेश	30.26	6.87	17.74	3.60
11.	महाराष्ट्र	48.85	21.53	32.38	11.94
12.	मणिपुर	41.94	24.95	48.88	30.35
13.	मेघालय	33.28	16.30	34.19	28.91
14.	नागालैंड	—	—	47.32	32.99
15.	उड़ीसा	35.26	9.40	32.27	4.76
16.	पंजाब	30.96	15.67	—	—
17.	राजस्थान	24.40	2.69	18.85	1.20
18.	सिक्किम	35.74	19.65	43.10	22.37
19.	तमिलनाडु	40.65	18.47	26.71	14.00
20.	त्रिपुरा	43.92	23.24	33.46	12.27
21.	उत्तर प्रदेश	24.83	3.90	31.12	8.69
22.	पश्चिम बंगाल	34.26	13.70	21.16	5.01
23.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	—	—	38.43	23.24
24.	अरुणाचल प्रदेश	45.88	22.38	0.79	7.31
25.	चंडीगढ़	46.04	25.31	—	—
26.	दादर और नागर हवेली	58.52	44.74	25.46	8.42
27.	दिल्ली	50.21	25.89	—	—
28.	गोआ, दमन और द्वीव	48.79	27.48	33.65	18.89
29.	लक्षद्वीप			63.34	42.92
30.	मिजोरम	88.33	53.33	64.12	5 .12
31.	पांडिचेरी	43.11	21.21	—	—
	योग :	31.12	10.93	24.52	8.04

*असम में जनगणना नहीं की गई थी।

— उस राज्य/संघ शासित प्रदेश में कोई अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति नहीं थी।

समेकित बाल विकास परियोजना को कार्यान्वित करना

4260. **श्री राम टहल चौधरी :**
श्री बी० धर्मभिक्षम :
श्री कोडिकुन्नील सुरेश :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश, बिहार और केरल में समेकित बाल विकास योजना के कार्यान्वियम के सम्बन्ध में जिला-बार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए और उपलब्धियां क्या थीं;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या विश्व बैंक द्वारा देश में समेकित बाल विकास परियोजनाओं की योजनाओं में सहायता दी जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) आन्ध्र प्रदेश, बिहार और केरल में समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाएं प्रचालित किए जाने के सन्दर्भ में लक्ष्यों और उपलब्धियों की जिला-बार स्थिति दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी, हां ।

(घ) विश्व बैंक से सहायता प्राप्त समेकित बाल विकास सेवा परियोजना, आध्र प्रदेश और उड़ीसा में चलाई जा रही है । परियोजना के लिए अनुमोदित परिव्यय 1990-91 से 1995-96 तक की 6 वर्ष की अवधि के लिए 303.22 करोड़ रु० है । इस परियोजना में आन्ध्र प्रदेश के 110 ब्लाक और उड़ीसा के 191 ब्लाक शामिल हैं।

विवरण

जिले का नाम		चालू किए जाने वाला वर्ष 1990-91
1		2
राज्य : आन्ध्र प्रदेश		
जिला : अनन्तपुर		
	लक्ष्य	1
	उपलब्धियां	1

1		2
जिला : चित्तूर		
	लक्ष्य	1
	उपलब्धियां	1
जिला : पूर्वी गोदावरी		
	लक्ष्य	1
	उपलब्धियां	1
जिला : हैदराबाद		
	लक्ष्य	2
	उपलब्धियां	2
जिला : करीमनगर		
	लक्ष्य	1
	उपलब्धियां	1
जिला : खम्मम		
	लक्ष्य	1
	उपलब्धियां	1
जिला : कुरनूल		
	लक्ष्य	1
	उपलब्धियां	1
जिला : महबूबनगर		
	लक्ष्य	2
	उपलब्धियां	2
जिला : निजामाबाद		
	लक्ष्य	1
	उपलब्धियां	1
जिला : प्रकासम		
	लक्ष्य	1
	उपलब्धियां	1

1	2
जिला : के० वी० रंगारेड्डी	
लक्ष्य	1
उपलब्धियां	1
राज्य : बिहार	
जिला : दरभंगा	
लक्ष्य	1
उपलब्धियां	i
जिला : धनबाद	
लक्ष्य	3
उपलब्धियां	3
जिला : गुमला	
लक्ष्य	1
उपलब्धियां	1
जिला : कटिहार	
लक्ष्य	1
उपलब्धियां	1
जिला : लोहारडागा	
लक्ष्य	1
उपलब्धियां	1
जिला : मुंगेर	
लक्ष्य	1
उपलब्धियां	1
जिला : नवादा	
लक्ष्य	1
उपलब्धियां	1
जिला : पलमऊ	
लक्ष्य	4
उपलब्धियां	4

1		2
जिला : पटना		
	लक्ष्य	1
	उपलब्धियां	1
जिला : पुरनिया		
	लक्ष्य	2
	उपलब्धियां	2
जिला : रांची		
	लक्ष्य	2
	उपलब्धियां	2
जिला : रोहतास		
	लक्ष्य	1
	उपलब्धियां	1
जिला : साहिबगंज		
	लक्ष्य	1
	उपलब्धियां	1
जिला : सिंगभूम		
	लक्ष्य	4
	उपलब्धियां	4
जिला : संथाल परगना		
	लक्ष्य	2
	उपलब्धियां	2
राज्य : केरल		
जिला : इदुक्की		
	लक्ष्य	1
	उपलब्धियां	1
जिला : पालघाट		
	लक्ष्य	1
	उपलब्धियां	1

1		2
जिला : क्विलोन		
	लक्ष्य	1
	उपलब्धियां	1
जिला : त्रिचूर		
	लक्ष्य	1
	उपलब्धियां	.
जिला : पत्तनमथिट्टा		
	लक्ष्य	1
	उपलब्धियां	1

तमिलनाडु में पक्षी विहार में दरार पड़ना

4261. **श्री गुरुदास कामत** : क्या **पर्यावरण और वन मन्त्री मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु के पक्षी विहार में दरार पड़ गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इससे विहार को कोई क्षति हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) तमिलनाडु के मुख्य वन्यजीव वार्डन ने सूचित किया है कि नवम्बर, 1991 के प्रथम सप्ताह के दौरान तमिलनाडु में आए चक्रवात के कारण तमिलनाडु के चेंगलपट्टू जिले में वेदांथंगल पक्षी अभयारण्य के पुस्ते में दरार पड़ गई थी।

(ग) और (घ) अभयारण्य को किसी भी खतरे से बचाने के लिए दरार को तुरन्त बन्द कर दिए जाने की खबर है।

उत्तर प्रदेश में रेलवे प्लेटफार्मों का निर्माण

[हिन्दी]

4262. **श्री राजवीर सिंह :**
श्री बलराज पासी :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आंवला, बरेली और नैनीताल में रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफार्मों का निर्माण करने का विचार है;

(ख) यदि हां तो इसका निर्माण कब तक किया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) आंवला और बरेली रेलवे स्टेशनों पर पहले से ही प्लेटफार्म मौजूद हैं जो यातायात के मौजूदा स्तर के लिए पर्याप्त हैं। नैनीताल काठगोदाम रेलवे स्टेशन द्वारा सेवित है और वहां भी मौजूदा यात्री यातायात को संभालने के लिए पर्याप्त संख्या में प्लेटफार्म मौजूद हैं।

रेलवे स्टेशनों पर शेडों का निर्माण

4263. **श्री राजवीर सिंह :**
श्री बलराज पासी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991 के दौरान शेडों के निर्माण के लिए किन-किन रेलवे स्टेशनों का चयन किया गया है;

(ख) अब तक कितने शेडों का निर्माण किया गया है और उन स्टेशनों के नाम और संख्या क्या है जहां अभी शेडों का निर्माण किया जाना है;

(ग) अब तक इस कार्य पर कितनी धनराशि व्यय की गई है; और

(घ) अभी बाकी बनाए जाने वाले शेडों पर कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मलिकार्जुन) : (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) और (ख) निम्नलिखित स्टेशनों के प्लेटफार्मों पर शेडों के निर्माण/विस्तार के कार्य प्रगति के विभिन्न चरणों में है :—

क्रम सं०	स्टेशन
1	2
1.	नागपुर
2.	विट्ठलवाडी

1	2
3.	अम्बरनाथ
4.	बदलापुर
5.	असनगांव
6.	इगतपुरी
7.	नंदुरा
8.	खंडवा
9.	झांसी
10.	चित्रकूट-धाम-कर्वी
11.	बानापुरा
12.	इटारसी
13.	मोरेना
14.	घोड़ाडोंगिरी
15.	भांदक
16.	भिटौनी
17.	जैतबार
18.	ईसरवारा
19.	दुधनी
20.	सियालदह
21.	टालीगंज
22.	टांल्डी
23.	सैंथिया
24.	मान कुंडु
25.	कटवा
26.	तारपीठ रोड
27.	घुस्कारा
28.	शिवराफुली
29.	राजचन्द्रपुर
30.	बाली

1	2
31.	पानागढ़
32.	छिपाडोंहर
33.	परवाडीह
34.	चन्द्रपुर
35.	खालरी
36.	नागरनतारी
37.	नदवां
38.	बेला
39.	अथमलगोला
40.	नेउरा
41.	कारीसात
42.	वार्सालीगंज
43.	बांही
44.	झाक्षा
45.	बुदर
46.	पटना
47.	साहिबा
48.	सोननगर
49.	डेहरी-आन-सोन
50.	इस्माइलपुर
51.	गया
52.	जम्मूतवी
53.	भिवानी
54.	मुकेरियां
55.	फिरोजपुर कैंट
56.	फिरोजपुर
57.	जलालाबाद
58.	अकबरपुर

1	2
59.	खागा
60.	नरेला
61.	मुजफ्फरनगर
62.	बेकड़ा
63.	ब्यास
64.	पारियावास कालाक कुड्रोड
65.	राजकोट
66.	अन्नू
67.	प्रतापगढ़
68.	श्रीगंगानगर
69.	पानीपत
70.	हाजीपुर
71.	सिलचर
72.	भोजो
73.	बोरहाट
74.	सापेखाटी
75.	लोंगपोखिया
76.	सफराई
77.	लमडिंग
78.	करीमगंज
79.	गुवाहाटी
80.	हार्मुली
81.	कोकराझार
82.	फालाकटा
83.	किशनगंज
84.	बारसोई
85.	कोरूक्कूपेट
86.	पेरम्बूर

1	2
87.	तोंडियार पेट्टै
88.	कण्णनोर
89.	मंगलोर
90.	पट्टाम्भी
91.	पय्यानूर
92.	त्रिचूर
93.	तिरूवनंतपुरम सेन्ट्रल
94.	तिरूवनंतपुरम पेट्टै
95.	बेंगलूरूसिटी
96.	बेंगलूरू ईस्ट
97.	कृष्णराजापुरम
98.	कबकापुट्टूर
99.	तिरूच्चिरापल्ली
100.	पुदुक्कोटै
101.	रामनाथपुरम
102.	तूतीकोरीन
103.	विजयवाडा
104.	तिरूपति
105.	वाणीविहार
106.	लिंगराज
107.	टेम्पल रोड
108.	तालेचर थर्मल प्लांट
109.	पुरी
110.	आद्रा
111.	चिरीमिरी
112.	पेंड्रा रोड
113.	कार्गी रोड
114.	धमतारी

1	2
115.	जयचंडी पहाड़
116.	बेरा
117.	मुरी
118.	मधुकुंडा
119.	विश्रामपुर
120.	धनमंडल
121.	अनूपपुर
122.	बोईसर
123.	सूरत
124.	अंधेरी
125.	नाला सोपारा
126.	विरार
127.	दहिसर
128.	गोरेगांव
129.	मीरा रोड
130.	बाड़े जादी
131.	अंकलेश्वर
132.	भरतपुर
133.	आगरा फोर्ट
134.	उदयपुर सिटी
135.	अजमेर

1991-92 के दौरान निम्नलिखित रेलवे स्टेशनों पर शेडों के निर्माण/विस्तार का कार्य अनुमोदित किया गया है :—

क्रम सं०	स्टेशन
1	2
1.	टिटवाला

1	2
2.	नासिक रोड
3.	बल्लारशाह
4.	परारिया
5.	बुटीबोरी
6.	अहमदनगर
7.	कुर्डुवाडी
8.	अजनी
9.	बेलापुर
10.	उरूली
11.	कोपरगोव
12.	चन्द्रपुर
13.	सियालदह
14.	बरियापुर
15.	कहलगांव
16.	घोंगा
17.	अभियापुर
18.	साहिबगंज
19.	पीरपैंटी
20.	कोलीयानी
21.	गोपालनगर
22.	विद्याधरपुर
23.	मजदिया
24.	गुरदासनगर
25.	बाली
26.	रिसड़ी
27.	रामपुरहाट
28.	पारबाजार
29.	बोनपास

1	2
30.	खन्ना
31.	देवीपुर
32.	सेर्मापुर
33.	जनाई
34.	गोबरा
35.	बोलपुर
36.	नालीकल
37.	बाजारशा
38.	बहिरखंडा
39.	चौरीगाछा
40.	धनकुनी
41.	लक्ष्मी पुर
42.	निमो
43.	बेहुला
44.	कुलटी
45.	बड़ाचक
46.	छोटा अम्बोना
47.	उखरा
48.	चैनपुर
49.	पतरातू
50.	गुमनी
51.	राय
52.	मेरलग्राम
53.	खलारी
54.	रेनूकूट
55.	चोपन
56.	बिल्ली
57.	पारसनाथ

1	2
58.	टोरी
59.	कोडरमा
60.	पुसरा
61.	दिलदारनगर
62.	गमुर
63.	बखियारपुर
64.	बाढ़
65.	क्यूल
66.	तारेंगना
67.	जेहनाबाद
68.	दिलदारनगर
69.	काष्ठा
70.	कुंद्रा
71.	जखीम
72.	गया
73.	गुराऊ
74.	पाकुर
75.	अकबरनगर
76.	भागलपुर
77.	कहलगांव
78.	घोगा
79.	पीरैंती
80.	बरियारपुर
81.	एकचारी
82.	साहिबगंज
83.	लुधियाना
84.	अमृतसर

1	2
85.	जालंधर कैंट
86.	रूरा
87.	अरकोणम
88.	हिन्दू कालेज
89.	कोट्टिवक्कम
90.	मिंजुर
91.	नंदियाम्बक्कम
92.	मिलटरी साइडिंग पट्टामिराम
93.	पट्टाभिराम
94.	तांबरम सतेरियम
95.	राजूला जं०
96.	बडगरा
97.	कृष्णानोर
98.	कुट्टीपुरम
99.	कुइलाण्डि
100.	अल्वाय
101.	चालाकुंडी
102.	चेंगानूर
103.	एर्णाकुलम टाउन
104.	कोट्टायम
105.	तिरूवल्ला
106.	रायपुर
107.	विशाखापत्तनम
108.	पुरूलिया
109.	रायगढ़
110.	चंपा जं०
111.	कम्हारी
112.	भिलाई

1	2
113.	भूपदेवनगर
114.	बालनगीर
115.	विरार
116.	नयागांव
117.	नवसारी
118.	बोइसर
119.	सूरत
120.	ग्रांट रोड
121.	महालक्ष्मी
122.	माटुंगा रोड
123.	गोरेगांव
124.	मलाड
125.	बोरीवली
126.	मीरा रोड
127.	नालासोपारा
128.	बसई रोड
129.	ऊधना जं०
130.	चलथान
131.	बारदोली
132.	अहमदाबाद
133.	मणिनगर
134.	अंता
135.	उजलवाव
136.	सावरकुण्डला

(ग) और (घ) उत्तर के भाग (क) और (ख) में उल्लिखित शेडों के निर्माण/विस्तार की कुल 2048.99 लाख रुपए की अनुमानित लागत में से 31-3-1991 तक 367.22 लाख रुपए पहले ही खर्च किए जा चुके हैं और 471.14 लाख रुपए वर्ष 1991-92 के लिए आबंटित किए गए हैं। आगामी वर्षों में इस कार्य पर 1210.63 लाख रुपए खर्च किए जाने हैं।

मिथाइल अल्कोहल की सप्लाई

[अनुवाद]

4264. **श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 नवम्बर, 1991 के स्टेट्समैन में "यू० पी० गवर्नमेंट रिन्यूज मिथाइल अल्कोहल सप्लाई" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है और इस बारे में क्या कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी, हां।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार मिथाइल एल्कोहल एक औद्योगिक कच्चा माल है। उत्तर प्रदेश विष अधिनियम के तहत, इसे उत्तर प्रदेश में जहर घोषित किया गया है । जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए लाइसेंस के माध्यम से मिथाइल एल्कोहल की बिक्री विनियमित की जाती है और विक्रेता से केवल जान-पहचान तथा परिचित खरीददारों को ही मिथाइल एल्कोहल बेचने एवं ऐसी बिक्री से सम्बन्धित रिकार्ड रखने की भी अपेक्षा की जाती है ।

देहरादून से इलाहाबाद के बीच सीधी रेलगाड़ी

[हिन्दी]

4265. **श्री चिन्मयानन्द स्वामी : क्या रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की देहरादून से इलाहाबाद के बीच एक सीधी रेलगाड़ी चलाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो यह सेवा कब से शुरू होने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) 4113/4114 लिंक एक्सप्रेस को 4163/4164 संगम एक्सप्रेस के साथ मिलाकर चलाया जा रहा है जो देहरादून और इलाहाबाद के बीच सीधी गाड़ी सेवा प्रदान करती है । परिचालनिक कठिनाई और संसाधनों की तंगी के कारण देहरादून और इलाहाबाद के बीच नई गाड़ी चलाना फिलहाल व्यावहारिक नहीं है ।

...जन्म दर

[अनुवाद]

4266. **श्री पी० एम० सईद : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जन्म दर में कमी लाने के लिए एक नई पायलट परियोजना बनाई गई है;

(ख) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या है;

(ग) इस परियोजना का वित्त-पोषण किस प्रकार किया जाएगा; और

(घ) कार्य योजना को अन्तिम रूप कब तक दिया जाएगा और इस पर कार्य कब तक शुरू किया जाएगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (घ) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत समुदायों की शिरकत के लिए "लिंक वूमेन स्कीम" नामक एक नई प्रायोगिक परियोजना को देश के उन 45 जिलों में शुरू करने का प्रस्ताव है जहां चालू वर्ष के दौरान अशोधित जन्म दर प्रति हजार संख्या पर 39 अथवा इससे अधिक है। इस श्रेणी के शेष जिलों को वर्ष 1992 तथा 1993 के दौरान कवर करने का प्रस्ताव है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चालू वर्ष में दौरान इस प्रोयोगिक स्कीम के लिए 26 लाख रुपए प्रदान करने की अपनी इच्छा व्यक्त की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन सहित कुछेक अन्य वित्त पोषक एजेंसियों से भी भविष्य में इस स्कीम के लिए सहायता प्रदान करने के लिए संपर्क किया जा रहा है। मूल अवधारणा यह है कि लिंक वूमेन वालंटियर परिवार नियोजन और मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं की व्यवस्था करने।

इन मामलों से सम्बन्धित बुनियादी शिक्षा प्रदान करने, वैचारिक परिवर्तनों के लिए अन्तर-वैयक्तिक संचार संपर्क बनाने तथा मातृ-शिशु स्वास्थ्य औषधें तथा गर्भ-निरोधक सप्लाई करने में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता तथा ग्राम समुदाय के बीच संपर्क स्थापित करेगी।

राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम दोबारा तैयार करने के लिए एक प्रारूपगत कार्य-योजना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रभारी सचिवों के परामर्श से तैयार की गई। इस कार्य-योजना का मुख्य घटक देश में उन 90 निम्न कार्य निष्पादन वाले जिलों में जहां अस्थायी जन्म दर प्रति हजार जनसंख्या पर 39 या इससे ऊपर है जन्म दर में कमी लाने हेतु विशिष्ट नीतियां तैयार करना है। प्रारूपगत कार्य योजना को कार्यान्वियन के लिए राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों तथा भारत सरकार के सम्बन्धित विभागों के साथ और परामर्श करके अन्तिम रूप दिया जाएगा तथा यह उम्मीद की जाती है कि कार्य-योजना के कार्यान्वियन से कार्यक्रम को दोबारा तैयार करने तथा प्रजननता में कमी लाने में सहायता मिलेगी।

गढ़वाल क्षेत्र में ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं लागू करना

4267. **श्री भुवन चन्द्र खण्डूरी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के गढ़वाल क्षेत्र में लागू किए जा रहे ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रमों तथा योजनाओं का जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान इन कार्यक्रमों/योजनाओं के अन्तर्गत क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए और क्या उपलब्धियां की गई; और

(ग) निकट भविष्य में इन कार्यक्रमों के लिए कितनी धनराशि का नियतन किया जाना प्रस्तावित है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) (ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

तपेदिक आरोग्य सदन

[हिन्दी]

4268. **श्री भुवन चन्द्र खण्डूरी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में तपेदिक आरोग्य सदनों की कुल संख्या क्या है; और

(ख) उनकी राज्यवार क्षमता कितनी है तथा वे कहां-कहां पर स्थित हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार देश में 47 आरोग्य सदन हैं । आरोग्य सदनों/अस्पतालों की संख्या और उनकी क्षमता का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है ।

विवरण

आरोग्य सदनों, तपेदिक अस्पतालों और उनमें बिस्तरों की राज्यवार संख्या को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आरोग्य सदन	तपेदिक अस्पताल	कुल बिस्तर
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	3	6	2559
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	1	182
3.	असम	—	4	854
4.	बिहार	4	6	1969
5.	गोवा	1	1	260
6.	गुजरात	5	13	3563
7.	हरियाणा	—	1	410
8.	हिमाचल प्रदेश	2	—	743

1	2	3	4	5
9.	जम्मू व कश्मीर	—	4	655
10.	कर्नाटक	2	9	3545
11.	केरल	3	1	2323
12.	मध्य प्रदेश	2	6	1985
13.	महाराष्ट्र	7	7	8207
14.	मणिपुर	—	1	145
15.	मेघालय	—	3	254
16.	मिजोरम	—	1	55
17.	नागालैंड	—	2	100
18.	उड़ीसा	—	7	901
19.	पंजाब	1	11	921
20.	राजस्थान	—	6	2018
21.	सिक्किम	—	1	100
22.	तमिलनाडु	8	4	3630
23.	त्रिपुरा	—	—	60
24.	उत्तर प्रदेश	4	20	3437
25.	पश्चिम बंगाल	4	10	6131
26.	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	—	3	67
27.	चंडीगढ़	—	—	10
28.	दादरा और नगर हवेली	—	—	—
29.	दमण और द्वीव	—	—	—
30.	दिल्ली	—	2	1697
31.	लक्षद्वीप	—	—	—
32.	पांडिचेरी	1	1	178
	कुल :	47	139	47009

दिल्ली में हैजा के कारण मरने वाले लोग

[अनुवाद]

4269. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1990 से अब तक दिल्ली में हैजा के कारण मरने वाले लोगों की माहवार संख्या क्या है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान हैजा के कारण मरने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) कौन-कौन सी कालोनियां बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई थीं; और

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या उपचारात्मक कदम उठाए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जनवरी, 1990 से अब तक दिल्ली में हैजे से हुई दो मौतें सूचित की गई हैं जो अगस्त, 1990 में हुई थीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) उठाए गए निवारक कदम इस प्रकार हैं :—

1. सुरक्षित पेय जल की आपूर्ति।
2. कूड़ा-करकट को नियमित रूप से हटाना।
3. नालियों की गाद को हटाना।
4. क्लोरीन गोलियों का वितरण।
5. जीवन रक्षक घोल के पैकेटों का वितरण।
6. परेशान करने वाले फेरीवालों पर नियंत्रण।
7. सुलभ शौचालय।
8. स्वास्थ्य शिक्षा।
9. लोगों की भागीदारी।
10. हैजे के रोगियों का नियमित अनुवीक्षण।

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी

[अनुवाद]

4270. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी के संघटन और उसके कर्मचारियों और अधिकारियों की भर्ती की पद्धति का ब्यौरा क्या है;

(ख) कितने अधिकारी पुनर्नियोजित/सेवानिवृत किए गए हैं और उनमें से कितने अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर और कितने अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्त हो चुकी है;

(ग) क्या बहुत सारे अधीनस्थ कर्मचारी नौकरियां छोड़कर चले गए हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) मुअत्तल/छंटनी किए गए/बर्खास्त किए गए कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क), (ख), (ग), (घ) और (ङ) एक विवरण-पत्र सदन पटल पर रखा गया है।

विवरण-पत्र

(क) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी (इग्रुआ) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन एक पंजीकृत सोसाइटी है। शासी परिषद् इस संगठन का उच्चतम निकाय है। अकादमी के निदेशक मुख्य कार्यपालक हैं। इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी के स्टाफ की वर्तमान संख्या नीचे दी गयी है :—

	स्वीकृत कर्मचारी संख्या	वास्तविक कर्मचारी संख्या
समूह क	39	23
समूह ख	21	16
समूह ग	88	74
समूह घ	136	132

अधिकारियों और स्टाफ का चयन सोसाइटी की नीति के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा किया जाता है।

(ख) इस समय किसी भी संगठन से प्रतिनियुक्ति पर कोई अधिकारी नहीं है।

(ग) और (घ) बेहतर अवसरों के लिए 19 कर्मचारियो ने अपनी नौकरी छोड़ दी।

(ङ) आचरण नियमों के उल्लंघन अथवा घटिया निष्पादन के कारण 6 अधिकारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गयी थी। एक कर्मचारी इस समय निलम्बनाधीन है।

रेलवे उपरि पुलों की मरम्मत

[हिन्दी]

4271. **कुमारी दीपिका चिखलिया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 150 वर्ष से अधिक पुराने रेलवे उपरि पुलों की राज्यवार संख्या क्या है;

(ख) ऐसे उपरि पुलों की राज्यवार संख्या क्या है जिनका पुनर्निर्माण या मरम्मत करने की आवश्यकता है;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ किसी उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) कोई नहीं।

(ख) कोई नहीं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विश्व विरासत सप्ताह

[अनुवाद]

4273. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अजंता में खुदाई के दौरान पायी गई विभिन्न वस्तुओं की प्रदर्शनी लगाकर "विश्व विरासत सप्ताह" मनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) "विश्व दाय सप्ताह" प्रति वर्ष अजन्ता में मनाया जाता है। क्योंकि किसी भी प्रकार का उत्खनन-कार्य शैल-निर्मित गुफाओं के भीतर नहीं किया जा सकता, अतः उत्खनित सामग्री को विश्व दाय सप्ताह के आयोजन के दौरान अथवा अन्य किसी अवसर पर प्रदर्शित करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् के चुनाव

4274. **श्रीमती गीता मुखर्जी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** 12 अगस्त, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2610 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् का चुनाव लड़ने वाले तथा चुनाव में मतदान करने वाले बहुसंख्यक लोगों ने पंजीकरण शुल्क का नवीकरण अद्यतन नहीं कराया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है तथा चुनाव के दिन इनमें से कितने लोगों ने अपने पंजीकरण शुल्क का नवीकरण कराया था ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डा० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उत्तरी क्षेत्र में स्कूलों के लिए विशेष पाठ्यक्रम

4275. **श्रीमती गीता मुखर्जी :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 नवम्बर, 1991 के 'टेलीग्राफ' में कुछ राज्यों में स्कूल पाठ्यक्रम को नया रूप देने के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) इस सम्बन्ध में वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने के लिए सम्बन्धित राज्य सरकारों को लिखा गया है।

केन्द्रीय विद्यालयों में अभिभावक-अध्यापक संघ

4276. **डा० सुधीर राय :** क्या **मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ केन्द्रीय विद्यालयों में अभिभावक-अध्यापक संघ चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनके कार्यकरण को विनियमित करने के लिए कोई मानदण्ड नियम निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा अभिभावक-अध्यापक संघ के सम्बन्ध में न तो कोई मानक विधान निर्धारित किया गया है और केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय) में इसके बारे में न तो किन्हीं ब्यौरों का ही उल्लेख किया गया है । इस तरह के मामलों को सम्बन्धित केन्द्रीय विद्यालयों और अभिभावक-अध्यापक संघों पर छोड़ दिया गया है ।

पुस्तकों का प्रकाशन

[हिन्दी]

4277. डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शैक्षिक प्रशासन और आयोजना संस्थान विभिन्न भाषाओं में पुस्तकों के प्रकाशन का कार्य करता है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों में प्रतिवर्ष किन-किन भाषाओं में पुस्तकों का प्रकाशन हुआ; और

(ग) प्रत्येक भाषा की पुस्तकों के प्रकाशन पर कितनी धनराशि खर्च हुई ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) उड़िया, बंगला, असमिया, उर्दू, तेलुगु, हिन्दी और अंग्रेजी के प्रकाशन थे ।

(ग) गत दो वर्षों के दौरान प्रकाशन पर किया गया व्यय निम्नलिखित है :—

वर्ष	हिन्दी	अंग्रेजी	अन्य भाषाएं
1989-90	35,419.95 रु०	1,04,780.05 रु०	22,016.32 रु०
1990-91	75,447.06 रु०	3,06,080.80 रु०	—

राउरकेला में हवाई अड्डा

[अनुवाद]

4278. कुमारी फ्रिडा तोपनो : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राउरकेला और नई दिल्ली को बोइंग विमान सेवा से जोड़ने के लिए राउरकेला में चौड़ी हवाई पट्टी वाले हवाई अड्डे का निर्माण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) हवाई अड्डे का उन्नयन यातायात की संभावना और अनुसूचित हवाई मार्ग की मांग पर निर्भर करता है। क्योंकि इण्डियन एयरलाइन्स की ओर से राउरकेला के लिए परिचालन की कोई मांग नहीं आई है, इसलिए राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण को इस हवाई अड्डे के उन्नयन की कोई योजना नहीं है जोकि स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड का है ।

अमृतसर-टाटा और पटना-हटिया एक्सप्रेस का विस्तार

4279. **कुमारी फ्रिडा तोपनो** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमृतसर-टाटा और पटना-हटिया एक्सप्रेस को राउरकेला तक चलाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) परिचालनिक कठिनाइयों और वाणिज्यिक औचित्य न होने के कारण ।

बसन्ती कालोनी तथा कुकड़ा गेट बोण्डा मुण्डा में उपरिपुल का निर्माण

4280. **कुमारी फ्रिडा तोपनो** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बसन्ती कालोनी, राउरकेला तथा कुकड़ा गेट बोण्डा मुण्डा में उपरिपुल का निर्माण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) राज्य सरकार ने कुछ समय पहले बसन्ती कालोनी, राउरकेला में ऊपरी सड़क पुल के लिए एक प्रस्ताव शुरू किया था परन्तु उन्होंने इस मामले में आगे कोई कार्रवाई नहीं की।

(ख) रेल के निर्माण कार्यक्रम में इस कार्य को शामिल करने पर तभी विचार किया जा सकता है जब राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार लागत वहन करने की विधिवत सहमति के साथ इस सम्बन्ध में ठोस प्रस्ताव प्रायोजित किया जाए ।

उड़ीसा के सुन्दर-गढ़ में आदिवासियों को भूमि का आबंटन

4281. **कुमारी फ्रिडा तोपनो** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के सुन्दरगढ़ जिले में आदिवासियों को वनभूमि आबंटित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

पर्यावरण और वन राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आन्ध्र प्रदेश में रेल लाइनें

4282. **श्री धर्मभिक्षम** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण-मध्य रेलवे में बड़ी तथा मीटर गेज की ऐसी रेल लाइनों की वर्तमान संख्या क्या है जो आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है;

(ख) क्या सरकार का विचार कोठागुड्डम कोयला खानों से जड़पेला तक रेल लाइन बिछाने और नदिकुडे-बीबीनगर लाइन पर स्थित बेहापल्ली को जग्गईपेट पेटा स्टेशन से मिलाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) दक्षिण मध्य रेलवे के बड़े आमान और और मीटर आमान की लाइनों की संख्या नीचे दी गई है :—

बड़े आमान = 6 लाइनें

मीटर आमान = 5 लाइनें

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पेड्डापल्ली और हैदराबाद के बीच रेल लाइन

4283. **श्री धर्मभिक्षम** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली और हैदराबाद के बीच दूरी को कम करने हेतु करीमनगर होते हुए पेड्डापल्ली और हैदराबाद के बीच रेल लाइन के निर्माण के लिए कोई सर्वेक्षण कराया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी नहीं, बहरहाल,

पेद्दापल्ली-करीमनगर-अकनापेट-संगा रेड्डी-पाटनचेरू और संगा रेड्डी-सदाशिवपेट रोड के लिए 1980-81 में सर्वेक्षण किया गया था। उस समय 3.07 प्रतिशत के प्रतिफल की दर सहित 301 कि० मी० लम्बी नई बड़ी लाइन पर 95.67 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान लगाया गया था।

कर्नाटक एक्सप्रेस

4284. श्री सी० पी० मुदालगिरियप्पा :
श्री के० एच० मुनियप्पा :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर और नई दिल्ली के बीच चलने वाली कर्नाटक एक्सप्रेस में प्रथम श्रेणी का केवल एक ही डिब्बा होता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इस गाड़ी में प्रथम श्रेणी का एक और डिब्बा लगाने तथा द्वितीय श्रेणी के डिब्बों की संख्या बढ़ाने का विचार है;

(ग) क्या इस गाड़ी के "हाल्टों" की संख्या में कमी करने तथा विद्यमान "हाल्टों" की अवधि को कम करने की भी मांग की गई है;

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जाने का विचार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) यह गाड़ी पहले ही अधिकतम अनुमेय सवारी डिब्बों के साथ चलाई जा रही है।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में रिक्त स्थान

4285. **श्री अनादि चरण दास** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में 1990-91 तक सभी श्रेणियों में विभागवार पदों का आरक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो ओटोर्लिनोलेरीगोलोजी विभाग में आरक्षित श्रेणियों में नियुक्त किए गए वरिष्ठ रेजिडेंट डाक्टरों की संख्या कितनी है;

(ग) बकाया चले आ रहे रिक्त स्थानों के क्या कारण हैं; और

(घ) निर्धारित कोटे में आई कमी को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी, नहीं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली द्वारा यह सूचित किया गया है कि सरकारी अनुदेशों के अनुसार संस्थान द्वारा आरक्षण श्रेणी-वार रूप से किया जा रहा है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

महाराष्ट्र में कतिपय औषधों पर प्रतिबन्ध

4286. श्री गुरुदास कामत : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने अनेक औषधों पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) किन-किन औषधों पर प्रतिबन्ध लगाया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (ग) किसी औषध के हानिप्रद और अयुक्तिसंगत पाए जाने पर केवल सरकार को जनहित में उस औषध और प्रसाधन सामग्री के निर्माण पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार है। राज्य सरकारों को किसी औषध पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार नहीं है।

महाराष्ट्र राज्य के औषध निरीक्षक समय-समय पर परीक्षण और विश्लेषण के लिए विभिन्न निर्माताओं से औषधों के नमूने लेते हैं। जब कभी किसी नमूने के बारे में यह सूचना मिलती है कि उसमें मानक गुणवत्ता नहीं है तो उपभोक्ताओं, डाक्टरों, औषध विक्रेताओं आदि को ऐसी औषधों का पुनः प्रयोग न करने के प्रति सचेत करने के लिए आयुक्त खाद्य और औषध प्रशासन, बम्बई द्वारा ऐसे उत्पादों की एक सूची उनके उत्पादकों के नाम सहित समाचार-पत्रों में प्रकाशित की जाती है।

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय

[हिन्दी]

4287. श्री रामविलास पासवान :
प्रो० के० वी० थामस :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 नवम्बर, 1991 के जनसत्ता में "जे० एन० यू० में छात्र-पुलिस संघर्ष, पांच छात्र घायल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में तथ्य क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में जांच कराई है;

(घ) यदि हां, तो इसके परिणाम क्या हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ङ) 17 नवम्बर, 1991 के नवभारत टाइम्स में "जे० एन० यू० में छात्र-पुलिस संघर्ष, पांच छात्र घायल" शीर्षक से छपे समाचार पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है। जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचनानुसार मामले की वास्तविकता निम्नलिखित अनुसार है :—

(i) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को 15-11-91 को विश्वविद्यालय के ब्रह्मपुत्र होस्टल में एक सफाई कर्मचारी श्री सल्लन से शिकायत प्राप्त हुई कि 14-11-91 को मेस के प्रबंधक ने उनसे अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया तथा उन्हें भोजन देने से मना किया क्योंकि वह अछूत था। छात्रावास के छात्र अशांत हो गए तथा श्री जोशी को शीघ्र ही मेस प्रबंधक के पद से हटाने की मांग की।

(ii) विश्वविद्यालय ने श्री जोशी को कारण बताओ नोटिस जारी किया तथा उन्हें 16-11-91 सुबह 10.30 बजे तक कारण बताने को कहा और कहा कि एक सफाई कर्मचारी के साथ तथाकथित दुर्व्यवहार करने के कारण क्यों न उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाए। चूंकि श्री जोशी से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ अतः विश्वविद्यालय ने मामले पर विचार-विमर्श करके 16-11-91 से उनकी सेवाएं समाप्त कर दीं। इसी बीच श्री सल्लन से प्राप्त लिखित शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने नागरिक अधिकार सुरक्षा अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत एक मामला दर्ज करके श्री जोशी, मेस प्रबंधक को गिरफ्तार किया।

(iii) तथापि विश्वविद्यालय के छात्रों ने ब्रह्मपुत्र छात्रावास के मेस वार्डन डा० वी० बी० तलवार को शीघ्र इस आरोप के साथ शीघ्र ही हटाने की मांग की कि उन्होंने श्री जोशी के विरुद्ध श्री सल्लन की शिकायत पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की तथा दुखी कर्मचारी को अपमानित किया। अपनी मांगों के समर्थन में छात्रों के एक दल ने 15-11-91 को छात्रों के डीन प्रो० रामेश्वर सिंह का घेराव किया।

(iv) छात्रों द्वारा डा० तलवार के विरुद्ध लगाई गई शिकायतों के सम्बन्ध में शीघ्र जांच करने के लिए कुलपति ने 16-11-91 को एक तीन सदस्यीय समिति गठित की जिसमें प्रो० योगेन्द्र सिंह, प्रो० आर० पी० आनन्द तथा आर० के० काले शामिल थे।

(v) चूंकि छात्रों का घेराव समाप्त कराने के प्रयास सफल नहीं हो सके तथा 24 घण्टे से अधिक समय के घेराव के कारण छात्रों के डीन का स्वास्थ्य गिर रहा था अतः उनको इस कष्टदायक स्थिति से बचाने का निर्णय लिया गया। दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचनानुसार बचाव कार्रवाई के दौरान छात्र हिंसा पर उतर आए उन्होंने ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मचारियों पर आक्रमण किया व उनके वाहनों पर पथराव किया। फलतः पुलिस वाहनों की बुरी तरह क्षति हुई तथा दस पुलिस वालों को चोटें लगीं। आंदोलनकारी छात्रों द्वारा कुछ पुलिस वालों को जबरदस्ती छात्रावास में भी रखा गया था। उन्हें कुछ घंटों के पश्चात वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के हस्तक्षेप से छुड़ाया गया। पुलिस ने इन घटनाओं के सम्बन्ध में भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत तीन अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं। विश्वविद्यालय ने 23 छात्रों को छात्रों के डीन के घेराव तथा सम्बन्धित घटनाओं में उनके शामिल होने के लिए कारण बताओ नोटिस भी जारी किए हैं।

स्वतन्त्रता आन्दोलन और जवाहर लाल नेहरू से सम्बन्धित दस्तावेज

4288. श्री मोहन सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जवाहरलाल नेहरू स्मृति संग्रहालय और ग्रंथालय को स्वतन्त्रता आन्दोलन तथा जवाहर लाल नेहरू की भूमिका से संबंधित दस्तावेज और साक्ष्यों को एकत्रित करने हेतु स्थापित किया गया है;

(ख) क्या जवाहर लाल नेहरू स्मृति संग्रहालय और ग्रंथालय को लेडी माउण्टबैटन की जीवनी में उल्लिखित, जवाहरलाल नेहरू तथा लेडी माउण्टबेटन के बीच हुए पत्र व्यवहार के पत्र प्राप्त हो गए हैं तथा वे ग्रंथालय में उपलब्ध हैं;

(ग) क्या जवाहर लाल नेहरू से सम्बन्धित अन्य सभी दस्तावेज इस ग्रंथालय में सुरक्षित हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी हां, यह उद्देश्यों में से एक है।

(ख) श्री जवाहर लाल नेहरू और लेडी माउण्टबैटन के बीच आदान-प्रदान हुए 100 से ज्यादा पत्र जिन्हें म्युजियम और लाइब्रेरी ने 1990 में प्राप्त किया था पांडुलिपि विभाग में संग्रहित है। दान-कर्ताओं की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए इन पत्रों पर विचार-विमर्श नहीं किया जा सकता अतएव यह नहीं कहा जा सकता कि यह वही पत्र हैं जिनका उक्त जीवन वृतांत में उल्लेख है।

(ग) म्यूजियम और लाइब्रेरी जवाहर लाल नेहरू और आधुनिक भारत की अन्य मशहूर हस्तियों से सम्बन्धित दस्तावेजों को संग्रहण और उनकी देखभाल करती है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, उड़ीसा

[अनुवाद]

4289. डा० कार्तिकेश्वर पात्र : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, उड़ीसा का अधिक्रमण किया गया था,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे;

(ग) क्या केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड में से गठित किया जाता है; और

(घ) राज्य बोर्ड को पुनः चालू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाएंगे ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की अनुमति के बिना और कोई कारण बताए बिना 23 अप्रैल, 1990 से उड़ीसा राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड का अधिक्रमण किया था। उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा इस आदेश को अपास्त कर दिए जाने पर राज्य सरकार ने अपदस्थ (अनसीटिड) अध्यक्ष को प्रभार सौंप दिया लेकिन 26 दिसम्बर, 1990 को राज्य बोर्ड को, अनियमितताओं, कुप्रबन्ध और सार्वजनिक धनराशि के दुरुपयोग के कारण निलम्बित कर दिया गया।

(ग) राज्य सरकार ने उड़ीसा सरकार के समाज कल्याण निदेशक को बोर्ड का प्रशासक नियुक्त किया है और उनकी सिफारिशों के आधार पर योजनाएं केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा अनुमोदित की जाती हैं।

(घ) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष ने यह मामला राज्य सरकार के ध्यान में लाया है और उनसे श्रीमती सावित्री चौधरी को पुनः अध्यक्ष नियुक्त किए जाने का अनुरोध किया है ताकि वह अपना कार्यकाल, जो 8-6-1992 को समाप्त होगा, पूरा कर सकें।

शिशु आहार सम्बन्धी विज्ञापन

4290. **डा० रवि मल्लू** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रचार माध्यमों से शिशु आहार सम्बन्धी विज्ञापन देने पर प्रतिबन्ध लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सरकार ने क्या कारवाई की है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

प्रतिबन्धित औषधों की बिक्री

4291. **डा० सी० एल० कमोजिया** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक बहुराष्ट्रीय औषध निर्माता कम्पनियां भारत में ऐसे औषधों को बेच रही हैं, जिन पर अमरीका और कुछ अन्य यूरोपीय देशों में प्रतिबन्ध लगाया हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारत में इन औषधों पर प्रतिबन्ध न लगाने का क्या कारण है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डा० के० आरसवेली सिद्धार्थ) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका में 'फेनफार्मिन' (एंटिबायटिक औषधि) और 'एनल्जिन' (एनल्जेसिक एंटीपायरेहिक) जैसी औषधों की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाने की सूचना है जो कई यूरोपीय देशों एवं भारत सहित अन्य विकासशील देशों में विपणन की जा रही हैं। इन औषधों के लोकप्रिय ब्रांडों का विपणन क्रमशः मैसर्स यू० एस० विटामिन और मैसर्स कैडिला, मैसर्स हैक्स्ट एवं मैसर्स इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्युटिकल्स लिमिटेड द्वारा किया जाता है।

सरकार ने चिकित्सा विशेषज्ञों और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद जैसी विशेषज्ञ निकायों के साथ परामर्श करके सम्पूर्ण अनुकूल लाभ-जोखिम अनुपात के आधार पर उपर्युक्त औषधों के विपणन की अनुमति दे दी है।

हिन्दी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा को मान्यता

4291-क. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :
श्री हरिकेवल प्रसाद :
श्री पवन कुमार बंसल :
श्री फूल चन्द वर्मा :
श्री बी० एल० शर्मा 'प्रेम' :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने भारतीय जन संचार संस्थान, दिल्ली द्वारा 1987-88 में शुरू किए गए हिन्दी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा को अभी तक मान्यता नहीं दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का इस सम्बन्ध में शीघ्र निर्णय लेने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) इस मामले पर भारत सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

12.00 मध्याह्न

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री नगीना मिश्र।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं, आपकी बात एक के बाद एक करके सुनूंगा।

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह) : महोदय, न्यूयार्क की मोशन पिक्चर्स

अकादमी ने श्री सत्यजीत राय को एक विशेष ऑस्कर अवार्ड देने की घोषणा की है। मेरे विचार से सभा का कोई भी वर्ग श्री सत्यजीत राय की प्रशंसा करने के विचार का विरोध नहीं करेगा। क्योंकि उन्होंने हमारे देश का गौरव बढ़ाया है, अतः आप भी अपने पक्ष की ओर से उनकी प्रशंसा में दो शब्द कह सकते हैं। मैं आपके माध्यम से सभा से यह निवेदन करता हूं कि उन्हें बधाई दी जाए।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : महोदय, न्यूयार्क की मोशन पिक्चर्स अकादमी, द्वारा यह घोषणा किया जाना कि श्री सत्यजीत राय को एक विशेष आस्कर एवार्ड दिया जाएगा, यह हम सब के लिए गौरव तथा सम्मान की बात है। अभी तक केवल छः लोगों को ही यह विशेष ऑस्कर एवार्ड दिया गया है, जिनमें जापान के विख्यात निर्देशक अकीरा कुरोसावा, तथा विख्यात अभिनेत्री लेफिया लारेन हैं। श्री सत्यजीत राय को दिया जा रहा यह सम्मान हम सभी के लिए सम्मान की बात है। और हम चाहते हैं कि आज, हमारी इस सभा में व्यस्त की गई बधाईयों को फिल्म निर्माता तक भिजवा दें जिससे हमारे विचार प्रेषित हो सकें।

अध्यक्ष महोदय : हम लोग वास्तव में बहुत खुश हैं कि श्री सत्यजीत राय को विशेष आस्कर एवार्ड दिया गया है। और समस्त सभा उन्हें हमारी बधाईयां प्रेषित करने के लिए मेरे साथ शामिल होगा।

(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : वह रिकार्ड में नहीं जा रहा है। एक के बाद एक को बुलाऊंगा।

श्री राम नगीना मिश्र (पडरौना) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां पर करोड़ों लोग गन्ना पैदा करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ने के किसानों के हित में 45 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने का दाम निर्धारित किया। जितनी भी निगम की चीनी मिल्स हैं और सहकारी क्षेत्र की मिल्स हैं उन सब ने 45 रुपया प्रति क्विंटल देना स्वीकार कर लिया और वह दे रही हैं, लेकिन जितनी प्राइवेट चीनी मिल्स हैं वे देने से इनकार कर रही हैं। इनको 45 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से दाम नहीं दे रही हैं। सुनने में आया है कि शायद उन्होंने अदालत से स्टे ले लिया है। यह मामला इतना भयावह होने जा रहा है कि एक बहुत बड़ा आन्दोलन हो जाएगा, अगर किसानों की मांग नहीं मानी गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने 45 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने का दाम निर्धारित किया है वह नहीं मिला तो किसानों को अरबों-खरबों का नुकसान होगा। ऐसी दशा में मैं भारत सरकार से निवेदन करना चाहता कि वह मध्यस्थता करके 45 रुपया प्रति क्विंटल जो दाम राज्य सरकार ने निर्धारित किया है वह दिलाने की व्यवस्था करें।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं सभा का ध्यान एक बहुत ही गम्भीर मामले की ओर दिलाना चाहता हूं। मुझे खुशी है कि गृह मन्त्री महोदय भी यहां हैं।

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

कल मैं, चण्डीगढ़ में लगभग 150 चुनिंदा लोगों के शिष्टमण्डल का राज्यपाल को एक ज्ञापन देने हेतु नेतृत्व कर रहा था। हमें पुलिस द्वारा राजभवन से लगभग 2 कि० मी० पहले ही रोक दिया गया। उन लोगों ने हमें, आगे बढ़ने नहीं दिया। वहां सड़क के आर-पार एक अवरोधक खड़ा किया गया था। हमने यह स्पष्ट किया था कि हमारा कोई अन्य इरादा नहीं है, अपितु हम लोग तो राज्यपाल को एक पत्र देना चाहते हैं, जिसके बारे में हमने उन्हें पहले ही सूचित कर दिया है। इसके बावजूद भी उन लोगों ने हमें आगे नहीं बढ़ने दिया और मेरे विचार से जिसके कारण प्रदर्शनकारियों का नाराज होना उचित था। अतः, इन लोगों ने अवरोधक से आगे बढ़ने की कोशिश की। मैं स्वयं घटना स्थल पर उपस्थित था। भाग्यवश, चूंकि मेरा एक पैर चोटग्रस्त है, जिसे आप जानते हैं, मैं अपने आपको किसी तरह जमीन पर गिरने से बचा सका, वरना, बाद में जो लाठीचार्ज हुआ था, मैं भी उसका शिकार हो सकता था।

काफी लोग, जिनमें औरतें भी शामिल थीं, घायल हुए। इनमें श्रीमती बिमला डांग, जोकि इस सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित श्री सतपाल डांग की पत्नी है, शामिल थीं। उनको सड़क पर पीटा गया। इसी तरह अन्य पुरुष तथा महिलाएं भी घायल हुईं।

जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मैं इसे विशेषाधिकार के हनन के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं क्योंकि मैं संसद् सदस्य हूं, अतः, राज्यपाल को एक ज्ञापन, जिसके बारे में उन्हें पहले ही सूचित किया जा चुका है देने हेतु मैं राजभवन जाने का निश्चय ही अधिकारी हूं।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (माधेपुरा) : यह बहुत गम्भीर मामला है अध्यक्ष जी।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मुझे यह सुनकर आश्चर्य हो रहा है कि हम सभी लोगों को हिरासत में लिया गया था, परन्तु आपके सचिवालय को इस सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं मिली। उसके बाद हम सभी को दो ट्रकों में द्वारा पुलिस स्टेशन ले जाया गया। हमें वहां कुछ घण्टों के लिए रखा गया तथा उसके बाद मुक्त किया गया। सम्भवतः, उन्होंने यह बहाना बनाया था कि, उन्होंने किसी को भी हिरासत में नहीं रखा था क्योंकि रिकार्ड में कुछ भी नहीं था।

कुछ भी हो, महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव रखना चाहता हूं। चूंकि मैं आज सुबह ही आया हूं, अतः, प्रस्ताव का सही ढंग से प्रारूप तैयार करने का समय नहीं था। मैं कम से कम पुलिस अधीक्षक और पंजाब के गृह सचिव जिन्होंने ऐसा किया है, के विरुद्ध *नियम 222 के अन्तर्गत* विशेषाधिकार का प्रस्ताव रखना चाहता हूं। तथा मैं गृह मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं कि चूंकि पंजाब में राष्ट्रपति शासन है, अतः, वे मामले पर ध्यान दें तथा यह सुनिश्चित करें कि पुलिस द्वारा इस प्रकार का दुर्व्यवहार फिर नहीं किया जाए। वे हमेशा ही ज्यादती करते रहते हैं।

हमने देखा है कि उन्होंने चीन के प्रधानमन्त्री की भारत यात्रा के दौरान दिल्ली में क्या किया था। वे हमेशा ऐसा ही करते हैं। कुछेक किसानों के ऊपर जोकि इस पेपर को सरकार को देने वहां

आए थे, उन्होंने काफी संख्या में पुलिस तथा सशस्त्र बलों को लगा रखा था। मुझे इसका कोई कारण दिखाई नहीं देता कि उन्होंने इस प्रकार का बर्बरतापूर्ण व्यवहार क्यों किया। मुझे आशा है कि आप मुझे इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति देंगे। मैं एक प्रस्ताव तैयार करूंगा। मैं इसे शीघ्र तैयार नहीं कर सकता। मुझे इसे लिखित में देना होगा। इसे स्वीकार करना अध्यक्ष महोदय पर निर्भर करता है। परन्तु मेरे विचार से यह एक गम्भीर मामला है और इस पर विचार किया जाना चाहिए।

गृह मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : मुझे सूचना मिल गई है। मैं दिन में किसी समय इस पर वक्तव्य दूंगा।

[हिन्दी]

श्री रवि राय (केन्द्रपारा) : अध्यक्ष जी, तिब्बती लड़कियों के साथ जो कुछ हुआ था, उस पर कल चव्हाण साहब ने कहा था कि कहेंगे। मैंने फिर चव्हाण साहब को परसों रात को फोन किया था। मैं आपके जरिए उनसे पूछना चाहूंगा कि उन पुलिस वालों पर···(**व्यवधान**)

श्री एस० बी० चव्हाण : उस पर भी स्टेटमेंट मैं आज करूंगा, शायद चार, साढ़े चार बजे तक।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : अध्यक्ष जी, इन्द्रजीत ने जो सवाल उठाया है, उसका मैं अनुमोदन करता हूं और मैं चाहता हूं कि इसको आप स्वयं देखें। वहां पर ला एण्ड आर्डर सिचुएशन का क्या होता है वह एक पहलू है, लेकिन इस सदन के सम्माननीय सदस्य अगर राज्यपाल को ज्ञापन देने के लिए जाते हैं और इस प्रकार का व्यवहार होता है तो यह निश्चित रूप से सदन के अध्यक्ष को ध्यान में रखना चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : *यह विशेषाधिकार का मामला कैसे है कृपया मुझे स्पष्ट कीजिए।*

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं आपकी आज्ञा से मेघालय का विषय उठाना चाहता हूं। आपको स्मरण होगा कि दो सप्ताह पहले कार्यवाही पर गृह मन्त्री का प्रस्ताव मेघालय में राष्ट्रपति शासन के अनुमोदन का और मेरा तथा श्रीमती गीता मुखर्जी का प्रस्ताव जो राष्ट्रपति से सिफारिश कर रहा था कि वहां पर राष्ट्रपति शासन समाप्त किया जाए और वहां पर जनप्रतिनिधियों का शासन वापस लाया जाए, ये दोनों प्रस्ताव विचार के लिए आए थे। तब सरकार के यह कहने पर कि हम राज्यपाल के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, सदन ने स्वीकार किया कि अच्छी बात है, हम आगे उस पर चर्चा करेंगे। उसके दूसरे सप्ताह, अर्थात् पिछले सप्ताह, शायद 10 तारीख को उस पर चर्चा हुई। काफी लम्बी चौड़ी चर्चा हुई सरकार के मन्त्रियों से, प्रतिनिधियों से और प्रधानमन्त्री ने स्वयं सबको बुलाकर कठिनाइयां बतायीं कि अगर आज यह प्रस्ताव पास नहीं होगा तो उसके यह यह परिणाम होंगे और सांवैधानिक गतिरोध पैदा हो जाएगा। इसपर हमारे विपक्ष के सभी सहयोगियों ने कहा कि यद्यपि हम इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हैं लेकिन हम कोई सांवैधानिक गतिरोध पैदा करना नहीं चाहते और इसी कारण हम आज इस प्रस्ताव को पास होने देते हैं, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं, लेकिन हम यह

अपेक्षा करते हैं कि शीघ्रातिशीघ्र वहां पर राष्ट्रपति का शासन समाप्त हो जाएगा तथा जन-प्रतिनिधियों का शासन स्थापित हो जाएगा। ऐसा आश्वासन दिया गया कि 16 तारीख तक यह हो जाएगा लेकिन आज 17 तारीख है और इसीलिए मैंने सदन में इस सवाल को उठाया है। मेरी जानकारी में राज्यपाल ने अपना प्रतिवेदन भेज दिया है, जिसमें बताया गया है कि वहां एम० यू० पी० पी० का बहुमत है। मैं नहीं जानता कि किस कारण से इस मामले में कार्यवाही नहीं की गई है और राज्यपाल को यहां पर बुलाया गया है।

मैं समझता था कि एक प्रकार से यहां सदन में जो कन्सैन्सस प्रकट हुआ था, उस कन्सैन्सस के आधार पर सरकार कोई कार्यवाही करेगी, लेकिन सरकार की ओर से जो वचन दिया गया था, उस वचन को भंग किया गया है। मेरी शिकायत है कि इस मामले में कल तक कार्यवाही हो जानी चाहिए थी। किन्हीं कारणों से अगर कार्यवाही नहीं हो सकती थी तो जिस तरह से प्रधानमन्त्री ने अपने स्तर पर सभी नेताओं को बुलाकर एक वचन दिया था, उसी प्रकार यह भी सरकार के लिए आवश्यक था कि विपक्ष के लोगों को बुलाकर, फिर से विश्वास में लिया जाता कि हमने आपको 16 तारीख तक का जो वचन दिया था, अमुक अमुक कारण रहे, जिनकी वजह से हम 16 तारीख तक उस वचन को निभा नहीं पाए।

मुझे इस बात का भी पता नहीं है कि राज्यपाल ने कोई रिपोर्ट भेजी है या नहीं भेजी है। केवल सुनी सुनाई बात है, जिसके आधार पर मैंने कहा है कि राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट भेजी है लेकिन उस रिपोर्ट से सन्तुष्ट न होने के कारण ही शायद राज्यपल को यहां पर बुलाया गया है। मैं चाहूंगा कि इस मामले में पूरा खुलासा सदन के सामने रखा जाए, जिसके आधार पर हम अपना मन बना सकें।

श्री एस० बी० चव्हाण : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में राज्यपाल की रिपोर्ट कल दोपहर को गवर्नमेंट के पास पहुंची है। अभी वह कैबिनेट के सामने जानी जरूरी है। कैबिनेट में जाने के बाद, कैबिनेट का जो फैसला होगा, वह सदन के सामने रखा जाएगा।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, मेघालय में लोकप्रिय शासन बहाल करने हेतु एक संकल्प पारित किया गया था, तथा उसी के आधार पर आश्वासन भी दिया गया था। क्या वह इस बात पर निर्भर करता है कि, प्रतिवेदन कब आएगा, तथा क्या यह केन्द्रीय सरकार के लिए सुविधाजनक रहेगा या नहीं? यदि आपको राज्यपाल से अनुकूल प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होता है तो मुझे नहीं पता कि आप लोग क्या करेंगे। सम्भवतः यही आपकी समस्या है। यह प्रश्न मौलिक महत्व का है और वह यह है कि क्या किसी प्रकार के तन्त्र तथा किसी प्रकार की चालाकी द्वारा लोकप्रिय शासन को टाला जा सकता है। यहां तक कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है। उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

आप किसी प्रकार की व्यक्तिगत आलोचना की अनुमति नहीं देंगे। मैं किसी की भी, चाहे वह कोई भी हो, व्यक्तिगत आलोचना नहीं कर रहा हूं। प्रश्न यह है कि, इस मकसद के लिए राज्यपाल के पद का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है। परेशानी यह है कि वे विगत के पूर्वोदाहरणों का पालन कर रहे है,

जब सरकारिया आयोग ने उनकी निन्दा की थी। आपने पहले भी ऐसे मानक स्थापित किए थे। इसीलिए ऐसा हो रहा है। वे लोग जब तक दिल्ली में अपनी सत्ता छोड़ देते हैं तो तब हमेशा अच्छा ही प्रतिफल चाहते हैं। यही कठिनाई है।

हम लोग पूरी तरह आश्वस्त नहीं हैं कि कब मन्त्रिमण्डल को इस बारे में विचार करने हेतु समय मिलेगा। यहां तक कि पिछले तीन महीनों से मन्त्रिमण्डल के पास बरखास्त किए गए रेलवे कर्मचारियों पर विचार करने हेतु भी समय नहीं है। मुझे नहीं पता कि उन्हें इस पर विचार करने के लिए कब समय मिलेगा। महोदय, यह किया जाना है। वहां पर, वर्तमान स्थिति को देखते हुए लोकप्रिय शासन को स्थापित करना जरूरी है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त ने जो मामला उठाया है वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। यदि संसद सदस्य किसी राज्य विशेष के अथवा संघ शासित प्रदेश के प्रमुख के पास पहुंचने तथा मिलने में असमर्थ हैं, तो फिर संसद सदस्यों के क्या कार्यकलाप हैं? महोदय, कोई यह कह सकता है कि आप बाहर कुछ कर रहे हैं, अतः, यह विशेषाधिकार का मामला नहीं है।

यह हमारा काम है। हमें यहां लोगों की बात का समर्थन करने के लिए भेजा गया है। और यह एक ऐसा राज्य है जहां कोई भी लोकप्रिय शासन नहीं है। हम जानते हैं कि वहां गम्भीर स्थिति फैली हुई है।

इस देश के एक बहुत ही आदरणीय वरिष्ठ नेता, माननीय संसद सदस्य वहां जा रहे हैं और उन्हें संसद सदस्यों के रूप में अपने कार्यों का निर्बहन करने से रोका गया है। इसीलिए, मैं कहता हूं कि यह एक ऐसा मामला है जिसे शीघ्रातिशीघ्र विशेषाधिकार समिति को भेज दिया जाना चाहिए। उनके पास भी कोई काम नहीं है। उन्हें भी कुछ काम दो।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, प्रधानमन्त्री जी ने जब ओपोजीशन लीडर्स की बैठक बुलाई थी तो मैं भी उस बैठक में मौजूद था और यदि गृह मन्त्री जी को याद हो तो उन्होंने कहा था कि एक हफ्ता रखा है 16 तारीख तक हो जाएगा। प्रधानमन्त्री जी ने कहा था कि 16 तारीख तक वहां पॉपुलर गवर्नमेंट बन जाएगी। मैं आपके माध्यम से सिर्फ दो बातें कहना चाहता हूं। आज 17 तारीख हो गई है, गवर्नर को बुलाया गया है इस सिलसिले में, गवर्नर को पहले भी बुला सकते थे। आपकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूं कि श्री लिंगदो का टेलीफोन भी आया था। 14 तारीख को उन्होंने गवर्नर के यहां आकर 31 लोगों का पैरेड करवाया था और अपनी मैजोरिटी शो करने का काम किया। उस दिन प्रधानमन्त्री जी ने कहा क्योंकि यह कांस्टीट्यूशनल मामला है और इसमें तमाम लोगों की हम अपेक्षा करते हैं, इसलिए आडवाणी जी प्रस्ताव पर न तो इन्होंने जोर दिया बल्कि सरकार के प्रस्ताव को हमने साथ दे का काम किया। 14-15 तारीख को गवर्नमैंट की रिपोर्ट मिल चुकी है। हम जानते हैं कि सरकार इसमें सीरियस नहीं है। सिर्फ इसलिए फॉरमैलिटी पूरी करना चाहती है। मेघालय में नौजवानों में काफी आक्रोश है।

आज हम टैरोरिस्ट पर बहस चला रहे हैं। मेरा सरकार पर चार्ज है कि सरकार जान-बूझकर

टैरोरिस्ट एक्टीविटीज को बढ़ावा देना चाहती है और उसका कारण यह है कि जहां पापुलर गवर्नमैंट बन सकती है वहां उसे न बनने देने का मौका देना इस बात का द्योतक हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं सरकार वहां पर पापुलर गवर्नमैंट बनने दे। यदि वहां लोग इस निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे कि यहां सरकार चलने वाली नहीं है तो स्वयं डिमांड करेंगे कि यहां चुनाव करवाएं। लेकिन अभी जो अवसर मौजूद है उसको छोड़कर भारत सरकार गवर्नर को इनफ्लूऐंस करके किसी तरह से पापुलर गवर्नमैंट को बनने देने में बाधा पहुंचाती है तो मैं समझता हूं कि इसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। इसलिए आपके माध्यम से गृहमन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि वे इस कौंसपीरेसी का पार्ट नहीं बनें और वहां पापुलर गवर्नमैंट बनने का मौका दें।

[अनुवाद]

श्री एस० बी० चव्हाण : मैं माननीय सदस्य की इस बात का विरोध करता हूं कि हम राज्यपाल पर दबाव डालने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। **(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवान : आपने 16 तारीख से पहले बात क्यों नहीं की ? मैं सभा की 10 दिसम्बर की कार्यवाही पढ़ सकता हूं जिसमें गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री श्री एम० एम० जैकब ने यह बताया था कि 16 तारीख से पहले यह कर दिया जाएगा। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं। क्या यह सच नहीं है कि श्री एम० एम० जैकब ने यह कहा है कि यह किया जाएगा ? इसका पाठ निम्नलिखित है :

> "श्री एम० एम० जैकब : मैंने कहा था कि हमारी विपक्ष के नेताओं और अन्य दलों के नेताओं के साथ सुबह एक बैठक हुई थी और हम सभी ने कतिपय विषयों पर विचार व्यक्त किए थे। हमने अपनी चिन्ता व्यक्त की थी और यह कहा था कि हम एक सप्ताह के अन्दर एक लोकप्रिय सरकार चाहते हैं।"

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : क्या 16 तारीख तक ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : जी, 16 तारीख तक। यही मैंने कहा था। 16 तारीख से पहले आप क्या कर रहे थे ?

[हिन्दी]

श्री एस० बी० चव्हाण : 16 तारीख को तो रिपोर्ट आई है।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : जब एक स्पष्ट आश्वासन दिया गया था तो यह क्यों नहीं किया गया ? **(व्यवधान)**

श्री पीटर जी० मरबनिआंग (शिलांग) : मैं भी मेघालय में एक लोकप्रिय सरकार के पक्ष में हूं। 54 विधायकों के सदन में, हमारे दो ग्रुप हैं। सभी दल नेतृत्व के लिए दावा करते हैं। वहां एम० यू० पी० पी० के 25 विधायक हैं क्योंकि उनके 5 विधायकों को मेघालय विधान सभा के माननीय अध्यक्ष

द्वारा अयोग्य घोषित कर दिया गया है। इसमें एन० यू० पी० एफ० के 29 विधायक हैं और कांग्रेस दल के 23 विधायक हैं।

इसलिए, जब गृह मन्त्री महोदय राज्यपाल की रिपोर्ट पर विचार करें तो इस तथ्य को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए और यू० एन० पी० एफ० के अकेले सबसे बड़े दल को मेघालय में सरकार बनाने के लिए अनुमति दे दी जानी चाहिए।

श्रीमती सुशीला गोपालन (चिरायिंकिल) : महोदय, मुझे उस शारीरिक और शाब्दिक आक्रमण के बारे में सभा के समक्ष तथ्य प्रस्तुत करने की अनुमति देने के लिए मैं आपकी आभारी हूं जिसके कि मेरे सहित तीन संसद सदस्य ···(**व्यवधान**)···कृपया पहले मेरी बात सुनें। ···(**व्यवधान**) हम 7 दिसम्बर को मुख्यमन्त्री द्वारा बुलाई गई संसद सदस्यों की बैठक में शामिल होने के लिए त्रिवेन्द्रम गए थे। बैठक 8 दिसम्बर को होनी थी। हम वायुयान में गए थे और अपराह्न 2 बज कर 45 मिनट पर त्रिवेन्द्रम में पहुंचे और सीधे अपने कार्यालय गए। हमें अगले दिन बैठक में शामिल होना था। जब हम अपने कार्यालय में गए, तो वहां 300 पुलिसकर्मी थे और वे अपनी पिस्तोलों से वास्तव में ए० के० जी० केन्द्र को निशाना बनाए हुए थे। उनमें से चार···(**व्यवधान**)।

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : महोदय, वह सभा को गुमराह कर रही हैं···(**व्यवधान**)

श्रीमती सुशीला गोपालन : कृपया आप मेरी बात को सब्र से सुनें। मैं आपको बता दूंगी।

श्री पी० सी० थामस (मुवत्तुपुजा) : पार्टी कार्यालय के लोग वहां लोगों पर पत्थर फेंक रहे थे। क्या इस तरह से पार्टी कार्यालय का दुरुपयोग किया जाना चाहिए? (**व्यवधान**)

श्री बसुदेव आचार्य : क्या आप पुलिस कार्यवाही का समर्थन कर रहे हैं? (**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या सत्ता पक्ष के हमारे मित्र संसद सदस्यों की पुलिस द्वारा पिटाई का समर्थन कर रहे हैं?

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं, नहीं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : फिर शान्त हो जाइए। (**व्यवधान**)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हमें उनका वक्तव्य सुनने दो। उन्हें बोल लेने दो, उसके बाद वे विरोध कर सकते हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : वह केवल एक विशेष समूह की सदस्य ही नहीं हैं, बल्कि वह इस सम्मानित सभा की माननीय महिला सदस्य भी हैं···(**व्यवधान**)

श्रीमती सुशीला गोपालन : कृपया मुझे बोलने दो। शान्त हो जाओ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात संक्षेप में कहें।

श्रीमती सुशीला गोपालन : मैं संक्षेप में कैसे कह सकती हूं, जब वे इतने अधिक प्रश्न पूछ रहे हैं?

(**व्यवधान**)

श्री वसुदेव आचार्य : कम से कम राज्य सभा के सदस्य तो इस मामले पर एकमत हैं। इस सभा में कांग्रेस पार्टी के सदस्यों का व्यवहार तो देखिए। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आचार्य जी, आप स्वयं अपने सदस्य के रास्ते में रोड़ा अटका रहे हैं।

श्रीमती सुशीला गोपालन : महोदय, आपने मुझे बताया था कि मुझे बोलने का अवसर दिया जाएगा और तब आप निर्णय लेंगे।

अध्यक्ष महोदय : जी, हां। परन्तु अपनी बात संक्षेप में कहें।

श्रीमती सुशीला गोपालन : मैं संक्षेप में कह सकती हूं बशर्ते कि वे शान्त रहें।

अध्यक्ष महोदय : वे अब शान्त हैं।

श्रीमती सुशीला गोपालन : हमने कार्यकारी सिटी पुलिस आयुक्त के साथ पुलिस का एक बड़ा दल देखा था। वे अपनी राईफलों से ए० के० जी० केन्द्र को निशाना बनाए हुए थे। हमने संसद सदस्यों के रूप में अपना परिचय दिया। फिर हमने उन्हें बताया कि कारण चाहे कोई भी हो, हम समस्या सुलझाने में उनकी सहायता करेंगे। हमें संसद सदस्यों के नाते, स्थिति को शान्त करने के लिए तनावग्रस्त क्षेत्रों से भी होकर जाना पड़ेगा और मैं उस जिले का प्रतिनिधित्व करती हूं। मैंने उन्हें बताया था कि हम समस्या सुलझाने आए हैं, चाहे कोई भी समस्या हो, हम उसे सुलझाएंगे। हमने यही कहा था। फिर उन्होंने हमारे विरुद्ध अश्लील भाषा का प्रयोग किया, हमें बुरी-बुरी गालियां दीं। हमने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की। हमने कहा कि स्थिति को शान्त करना संसद सदस्यों का फर्ज है हम समस्या सुलझाने में उनकी सहायता करेंगे। फिर उन्होंने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया और एक सिपाही का पत्थर मेरे पेट पर पड़ा। तब राज्य सभा के सदस्य श्री बेबी ने उनसे पूछा कि आप यह क्या कर रहे हैं? उसने कहा कि यह हमारा पत्थर नहीं है, यह उनका पत्थर है। वहां केवल पुलिसकर्मी ही पत्थर फेंक रहे थे और फिर उसने वह पत्थर उठाया और अपने मुंह में रख लिया। यह समाचारपत्रों में आ चुका है···(**व्यवधान**)

श्री वसुदेव आचार्य : आप पुलिस कार्यवाही का बचाव क्यों कर रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती सुशीला गोपालन, आपको अपनी बात संक्षेप में कहनी है।

श्रीमती सुशीला गोपालन : मैं क्या कर सकती हूं जब वे बाधा डाल रहे हैं?

उन्होंने एक पत्थर अपने मुंह में डाल लिया। देश का कोई भी अन्य नागरिक होता तो उसने इसे बुरा महसूस किया होता, लेकिन श्री बेबी ने फिर भी अपना धैर्य नहीं खोया और स्वयं को रोके रखा। हमने बताया कि हम तो स्थिति को शान्त करने का प्रयास कर रहे थे। आश्चर्य की बात तो यह है कि पुलिस आयुक्त तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी वहां आए, लेकिन जब वे लोग हमारे विरुद्ध अश्लील भाषा का प्रयोग कर रहे थे, उन्होंने इन लोगों को नहीं रोका। और वे कह रहे थे कि मुसीबत हम खड़ी कर रहे थे। इसीलिए, मैं कहती हूं कि हमें संसद सदस्य के रूप में अपना कर्त्तव्य निभाने से रोका गया। हमने उनसे कहा था कि हम समस्या हल करने में उनकी मदद करेंगे। हमारी बात सुनने की बजाय वे हम पर हमला कर रहे थे तथा हमें गालियां बक रहे थे। हम पर इस प्रकार के अन्य क्षेत्रों में जाने का दबाव डाला जाएगा। अत, यह इस सम्मानित सभा का कर्त्तव्य होता है कि वह ऐसे मामलों

में हस्तक्षेप करने के हमारे विशेषाधिकार की सुरक्षा को सुनिश्चित करें तथा इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाना चाहिए जिससे कि इसकी समुचित रूप से जांच की जा सके। अभी भी इस मामले में दोषी लोगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अध्यक्ष महोदय ने आश्वासन दिया था कि कार्यवाही की जाएगी। (**व्यवधान**)

श्री रमेश चेन्नितला (कोट्टायम) : न्यायिक जांच के आदेश पहले ही दिए जा चुके हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं आपसे अनुरोध कर सकता हूं कि आप कृपया बीच में हस्तक्षेप न करें। जब माननीय सदस्या बोल रही हैं, तो आपको चुप रहना चाहिए।

श्रीमती सुशीला गोपालन : यहां तक कि अध्यक्ष महोदय ने भी कहा है कि न्यायिक जांच इस सदन के संसद सदस्यों पर हुए हमले से एक अलग बात है और इसमें अलग से कार्यवाही करनी होगी। अभी तक पुलिस अधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है। दूसरे सदन में मामला विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया गया है। मैं इस सम्मानित सदन तथा अध्यक्ष महोदय से चाहती हूं कि ये इस मामले में निर्णय लें तथा इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंप कर मेरे प्रति न्याय करें...

(**व्यवधान**)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : कृपया गृह मन्त्री जी को इस रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने दें। (**व्यवधान**)

श्री एस० बी० चव्हाण : पिछले सप्ताह, इस मुद्दे को सदन में उठाया गया था तथा मैंने माननीय सभा को सूचित किया था कि केरल के मुख्य मन्त्री द्वारा न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इसलिए हर चीज की जांच एक न्यायिक आयोग द्वारा की जाएगी। अन्तोगत्वा, इस पीठ के ऊपर निर्भर करता है कि वह किस प्रकार का निर्णय लेना उचित समझती है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यह मामला 9-12-1991 को उठाया गया था। हमने तथ्यात्मक जानकारी मांगी थी जो अभी तक हमें नहीं प्राप्त नहीं हुई है। हमने 16-12-1991 को अनुस्मारक भेजा है। मैं तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त करने के लिए अभी कुछ समय तक प्रतीक्षा करूंगा। यदि तथ्यात्मक जानकारी नहीं प्राप्त होती है तो फिर मैं देखूंगा कि मामले में और क्या कुछ किया जा सकता है।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : तथ्यात्मक जानकारी मिलने के पश्चात् हम देखेंगे। मुझे यह एक या दो दिन में मिल जानी चाहिए।

श्री पाला के० एम० मैथ्यू (इदुक्की) : महोदय, मैं आपके माध्यम से, इस सभा के ध्यान में 14-12-1991 को दिन में 2.30 बजे मेरे ऊपर किए गए जघन्य और हिंसक हमले की बात लाना चाहूंगा जो मेरे ऊपर कोट्टायम, केरल में किया गया। यह केरल कांग्रेस (जे०) के राज्याध्यक्ष श्री पी० जी० जोसेफ, पूर्व-मंत्री, के नेतृत्व में केरल कांग्रेस (जे०) के कार्यकर्ताओं के एक समूह द्वारा राजनैतिक बैर चुकाने का एक निन्दनीय कृत्य है। श्री पी० जी० जोसेफ ने हाल ही में हुए लोक सभा चुनावों

में मेरे खिलाफ चुनाव लड़ा था, जिसमें वह पराजित हुए थे। इस पृथक हुए समूह का सम्बन्ध एल० डी० एफ० से है।

मैं डी० सी० सी० (आई०) कोट्टायम, जिसका मैं अध्यक्ष हूं के उपाध्यक्ष की अन्त्येष्टि क्रिया में भाग लेने के बाद वापस अपने घर जा रहा था। श्री पी० जे० जोसेफ के नेतृत्व में एक जत्था दूसरी ओर से आ रहा था। उन्होंने मेरी कार को जबरदस्ती रोका। तत्पश्चात, वे मुझे बहुत भद्दी-भद्दी गालियां देने लगे। उन्होंने मुझसे पूछा—"क्या आप जोसेफ का विरोध करने का साहस करोगे? हम तुम्हें खत्म कर देंगे।" उसके बाद उन्होंने जोर-जोर से मेरी कार को लाठियों तथा छड़ों से पीटना शुरू कर दिया। कार के पिछले शीशे पर काफी देर तक लगातार ईंट-रोड़े फेंके गए। उनका निशाना मेरे ऊपर था। कांच के हजारों टुकड़े तथा एक पत्थर मेरे सारे शरीर के ऊपर पड़े। मेरा जीवन खतरे में था। इस पूरी घटना के दौरान मैं अपनी कार में चुपचाप तथा गूंगा बनकर बैठा रहा। यह हमला काफी देर तक निर्विघ्न रूप से जारी रहा। आधे घण्टे बाद जाकर पुलिस वहां आई और स्थिति को बिगड़ने से बचाया अन्यथा उसका अन्त बहुत भयावह हुआ होता।

यह भयंकर नृशंसता बुराई का एक अकारण बीभत्स विस्फोटन है जिसकी यदि उपेक्षा की गई तो यह अपने पीछे सभी लोकतांत्रिक मानदण्डों तथा आदर्शों के अवशेष को बपौती के रूप में छोड़ेगा। जो कुछ हुआ वह पिशाची षडयन्त्र की पिशाची उत्पत्ति है। इस तरह की हिंसा सभी प्रकार के सभ्य जीवन के आधार को खोखला कर देगी तथा हमारी राजनीति में नैतिक नैराश्य को जन्म देगी।

यह एक बहुत ही अलोकतांत्रिक, आपराधिक, पाशविक तथा राजनैतिक उद्देश्य से दुष्प्रेरित हमला है जो बहुत ही जघन्य तरीके से तथा बिल्कुल ही अकारण परिस्थितियों में इस सदन के एक सदस्य पर किया गया। इसे निर्विवाद नहीं जाने देना चाहिए। यदि इस तरह के कायरतापूर्ण अपराध होते रहे और अपराधियों को दण्डित न किया गया तो प्रजातन्त्र एक प्रहसन मात्र बनकर रह जाएगा और माननीय सदस्यों के लिए अपना कर्त्तव्य निभाना असम्भव हो जाएगा। यह कृत्य एक पृथक हुए समूह द्वारा किया गया जिसका सम्बन्ध एल० डी० एफ० से है।

मैं आपके माध्यम से इस सभा से अनुरोध करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में आवश्यक उपचारात्मक तथा निषेधात्मक उपाय करें।

12.35 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

***श्री सी० के० कुप्पुस्वामी** (कोयम्बतूर) : हमारे केन्द्रीय गृह मंत्री, श्री एस० बी० चव्हाण, के बारे में बताया जाता है कि जब वह "आल इण्डिया बैंक आफिसर्स एसोसिएशन' की बैठक को सम्बोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि हिन्दी ही केवल देश को एकता के सूत्र में पिरो सकती है। मन्त्री महोदय द्वारा दिए गए उस बयान की मैं निन्दा करता हूं। इस देश की एकता और अखण्डता को मजबूत करने की बजाए, इससे केवल विघटनकारी शक्तियों के ही हाथ मजबूत होंगे। हम पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा दिए गए इस आश्वासन का पिछले पच्चीस वर्षों से अनुसरण करते आ रहे हैं कि अंग्रेजी तब तक

*मूलत. तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

सम्पर्क भाषा बनी रहेगी जब तक कि गैर-हिन्दी भाषी लोग इसे चाहते हैं। यह वाकई हतोत्साहित करने वाली बात है कि गृह मंत्री स्वयं इसका अपमान करते हैं और इस स्वीकृत नीति से परे हटते हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि जापान और चीन ने केवल अपनी-अपनी राष्ट्रीय भाषाओं के विकास के साथ ही तरक्की की है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारे यहां चौदह राष्ट्रीय भाषाएं हैं। सरकार का यह भी कर्तव्य होता है कि वह क्षेत्रीय भाषाओं की सहायता करे तथा उनका विकास करे। अतः, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि गृह मंत्री जी को इस तरह के बयान देने से बचना चाहिए। (**व्यवधान**) यदि आप हिन्दी के लिए ही जोर देते हैं तो एकता की बजाय इससे फूट पैदा होगी तथा विघटनकारी शक्तियों को बल मिलेगा। (**व्यवधान**)

श्री के० वी० तंग्काबालू (धर्मपुरी) : महोदय, देश के अन्दर जो हिन्दी थोपे जाने की प्रवृत्ति है यह गलत बात है और इससे हमारे लोग प्रभावित होते हैं। कृपया इस पर ध्यान दें। इस बात को आगे नहीं दोहराया जाना चाहिए।

श्री एम० आर० कादम्बूर जनार्दनन : महोदय, हम भी इसका समर्थन करते हैं।

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, 10 दिसम्बर को पर्यावरण राज्य मन्त्री महोदय द्वारा दिए गए एक प्रश्न के उत्तर में, नई पर्यावरण नीति बनाने के सम्बन्ध में एक विशेष प्रश्न पूछा गया था। नई पर्यावरण नीति बनाए जाने के उत्तर में, पर्यावरण राज्य मन्त्री महोदय ने सदन को सूचित किया था कि इस नीति के बनाए जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकारों, अन्य एजेन्सियों और विशेषज्ञों आदि से सलाह-मशविरा किया जा रहा है। मैंने कुछ बातें पूछी थीं और मुझे पता है कि राज्य सरकारों के साथ सलाह-मशविरा नहीं किया गया है। इसके बाद मैंने राजस्थान सरकार से विशेष रूप से यह बात पूछी कि क्या नई पर्यावरण नीति के बारे में पर्यावरण मंत्रालय और राजस्थान सरकार के बीच कोई सलाह-मशविरा किया गया था। मुझे राजस्थान सरकार से पता चला है कि इस नई पर्यावरण नीति बनाए जाने के सम्बन्ध में कोई सलाह-मशविरा नहीं किया गया है। मैंने इस मामले को इतनी गम्भीरता से नहीं उठाया जिससे विशेषाधिकार के हनन की बात प्रमाणित हो। अध्यक्ष महोदय ने यह बहुत ही अच्छा एक सुझाव दिया था कि यह मामला इस प्रकार से उठाया जाना चाहिए कि अध्यक्ष एवम् सरकार और माननीय राज्य मन्त्री महोदय को स्थिति की प्रामाणिकता बताने और वास्तविक स्थिति क्या है यह बात स्पष्ट करने का निदेश देंगे। क्या भारत सरकार ने किसी राज्य सरकार से सलाह-मशविरा किया और यदि हां, तो किन-किन राज्य सरकारों से, किस रूप में और किस समय सलाह-मशविरा किया गया? क्या पर्यावरण मन्त्रालय ने राजस्थान सरकार से नई पर्यावरण नीति बनाए जाने के सम्बन्ध में सलाह-मशविरा किया और यदि हां, तो कब और किस रूप में किया गया? मैंने अध्यक्ष महोदय से भी यह अनुरोध किया था कि यह सूचना हमें चालू-सत्र के दौरान ही उपलब्ध करा दी जाए जिससे हम आगे की कार्यवाही कर सकें। मुझे यही बातें कहनी हैं। शायद आप मन्त्री महोदय को उत्तर देने के लिए निदेश देंगे।

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : महोदय, माननीय संसद सदस्य ने अध्यक्ष महोदय को पत्र लिखा था। अध्यक्ष महोदय के कार्यालय द्वारा उनके पत्र की एक प्रति मुझे भेजी गयी थी और मैंने इसका उत्तर दे दिया है। जहां तक मुझे याद है उस पत्र में माननीय सदस्य ने

इसे सभा में उठाने हेतु अध्यक्ष महोदय से अनुमति मांगी है। मुझे यह पता नहीं है कि उन्हें अध्यक्ष महोदय की अनुमति मिली है ... (**व्यवधान**)

श्री जसवन्त सिंह : नहीं तो मैं इसे कैसे उठा सकता था।

श्री कमल नाथ : मैं तो कह रहा हूं मुझे पता नहीं है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आपको अनुमति नहीं मिली है।

श्री जसवन्त सिंह : यह तो एक निर्विवाद सत्य है कि अध्यक्ष महोदय ने सहमति प्रदान की है।

श्री कमल नाथ : मैंने प्रमाणों के साथ अध्यक्ष महोदय को उत्तर दे दिया है और मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि मैंने अध्यक्ष महोदय के कार्यालय को जो उत्तर दिया है उसे देख लें और शायद तब इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदय, मैं त्रिपुरा में उज्जैन मैदान में 1988 में हुई एक भयंकर घटना का उल्लेख करना चाहूंगा। आरोप यह था कि असम राईफल्स के कुछ जवानों ने आदिवासी महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया। यह मामला अनेक बार इस सभा में और सभा के बाहर भी उठाया गया और हर बार त्रिपुरा सरकार ने इस बात का पुरजोर खण्डन किया एवम् आरोप लगाने वाले लोगों पर ही प्रत्यारोपण किया। महिला संगठनों ने उच्चतम न्यायालय में मामला दर्ज किया है। उच्चतम न्यायालय ने एक आयोग—देब आयोग नियुक्त किया था। देब आयोग के निष्कर्षों का पता चल चुका है। इनमें स्पष्ट रूप से कहा गया है, और मैं इनका यहां उल्लेख कर रहा हूं :

> "उज्जैन मैदान में 31 मई—2 जून 1988 के दौरान असम राईफल्स के कुछ जवानों ने कम से कम राधिका, बनपति, सोनकली, शुभलक्ष्मी के साथ सामूहिक बलात्कार किया था और पार्वती, लक्ष्मीती के साथ बलात्कार किया था एवम् असम राईफल्स के एक जवान ने पंचलक्ष्मी के साथ छेड़खानी की थी।"

रिपोर्ट यह भी कहती है :

> "त्रिपुरा राज्य और सेना के अधिकारी उपरोक्त अपराध को रफा-दफा कराने का प्रयास कर रहे हैं और पुलिस भी इसी दिशा में जांच कर रही है।"

आदिवासी महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार का मामला उठाया गया था। सरकार द्वारा इसकी अनदेखी की गई और इसका खण्डन किया गया। वास्तव में उन्होंने मामले को रफा-दफा करने की कोशिश की थी। मैं जानना चाहता हूं—ऐसे हालातों में—त्रिपुरा सरकार किस अधिकार के साथ सत्ता में बैठी रहेगी। इस अपराधी सरकार को हट जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए शीघ्र कार्यवाही होनी चाहिए कि त्रिपुरा में नैतिक रूप से ईमानदार और एक सभ्य सरकार बने। (**व्यवधान**) यह बहुत ही गम्भीर मामला है और इसे हंसी के रूप में नहीं लेना चाहिए। यह वास्तव में एक गम्भीर मामला है। हम हर बार इस मामले को इस सभा में उठाते रहे हैं।

यदि हमारी पुलिस और अर्द्ध-सैनिक बलों के व्यवहार का यही तरीका है और वह भी हमारी महिलाओं के साथ—तो ऐसी स्थिति में, हम निकट भविष्य में तब तक सभ्य देश होने का दावा नहीं कर

सकते, जब तक कि हम इस मामले में अत्यन्त कठोर कार्यवाही नहीं कर लेते। त्रिपुरा की इस सरकार को तुरन्त बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए और त्रिपुरा में तुरन्त चुनाव करवाने चाहिए। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रवि राय।

(**व्यवधान**)

श्री निर्मल कांति चटर्जी : यह प्रशासनिक तंत्र के पूर्ण रूप से असफल हो जाने का प्रमाण हैं।

(**व्यवधान**)

श्री मनोरंजन भक्त : मैं इसी मामले पर बोलना चाहता हूं। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रवि राय को बोलने दें।

(**व्यवधान**)

श्री सैफद्दीन चौधरी : यह आरोप नहीं है। यह तो आयोग के निष्कर्ष हैं। त्रिपुरा में सरकार को बने रहने की अनुमति कैसे दी जा सकती है (**व्यवधान**)

श्री बसुदेव आचार्य : यह आयोग के निष्कर्ष हैं। (**व्यवधान**)

श्री मनोरंजन भक्त : ये घटनाएं चाहे त्रिपुरा में हुई हों अथवा पश्चिमी बंगाल में, इस प्रकार की घटनाओं की निन्दा की जानी चाहिए। आदिबासी महिलाओं पर अत्याचारों को रोकना चाहिए। बलात्कार की घटनाएं पश्चिमी बंगाल में भी हुई हैं। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने श्री रवि राय को अनुमति दी है। वे बोल रहे हैं। उन्हें बोलने दें। कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री हन्नान मौल्लाह (उलूबेरिया) : यह बहुत ही गम्भीर मामला है। (**व्यवधान**)

श्री दिग्विजय सिंह (राजगढ़) : यह जवानों के विरुद्ध आरोप है। मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं कहना है। लेकिन त्रिपुरा राज्य सरकार के विरुद्ध आरोप लगाना गलत है। यह गलत बात है। उच्चतम न्यायालय को इन लोगों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही करने दें। उन्हें न्यायालय में जाने दें। (**व्यवधान**) आप हमारे विरुद्ध राजनैतिक आरोप क्यों लगा रहे हैं? (**व्यवधान**) बलात्कार मुख्य मंत्री के निदेश के अन्तर्गत नहीं किया गया था। सदस्यों को मामले का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। (**व्यवधान**)

श्रीमती गीता मुखर्जी : इसे घटित हुए अब दो वर्ष हो चुके हैं। यह सरकार इतने समय तक क्या कर रही थी? (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने श्री रवि राय का नाम पुकारा है।

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया श्री रवि राय जी की बात सुनिए।

(व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : इस गम्भीर मसले को राजनैतिक मामला मत बनाईये। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि बहुत से सदस्य एक साथ बोलेंगे तो हमसे कोई हल नहीं निकलेगा और न ही यह कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल होगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रवि राय : उपाध्यक्ष जी, मैं कांग्रेसी मैम्बर्स से अनुरोध करूंगा कि हो सकता है सैफुद्दीन चौधरी ने जो मामला उठाया, इसका महत्व ठीक तरह से वे समझ नहीं पाए। मैं आपके माध्यम से सारे सदन को कहना चाहता हूं कि पहला मुद्दा इस बारे में यह है कि देब कमीशन को त्रिपुरा गवर्नमेंट ने ही नहीं बनाया। असल में सुप्रीम कोर्ट ने, देश के सबसे महत्वपूर्ण कोर्ट अपैक्स कोर्ट ने इसे बनाया है। देब कमीशन की रिपोर्ट को जो टर्मस ऑफ रिफ्रेंस था वह आदिवासियों की महिलाओं पर बलात्कार हुआ या नहीं, इसकी जांच करना था।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं फिर कांग्रेसी सज्जनों से कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट का आर्डर के अनुसार हुआ है और सैफुद्दीन चौधरी को यह जानकारी मिली कि ये फाइंडिंग्ज थीं। उसके बारे में मैं एक बात आपके समक्ष रखना चाहता हूं।

[अनुवाद]

> "न्यायमूर्ति देब ने अपनी रिपोर्ट न्यायालय को पेश कर दी है। यह त्रिपुरा सरकार और सैन्य अधिकारियों का निन्दनीय अभ्यारोपण है।"

[हिन्दी]

यह पहला मुद्दा है कि यह सुप्रीम कोर्ट के कहने के अनुसार बना। दूसरा, इस रिपोर्ट में राज्य सरकार और आर्मी ओथोरिटी का किस तरह से बर्ताव हुआ था। जो विषय आया वह आदिवासी महिलाओं के बारे में है। मैं आपके समक्ष, लोगों के गुस्से के प्रति आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। सरकार ने वायदा किया मेघालय में 16 तारीख के दरम्यान पापूलर गवर्नमेंट बनाने का। उसको नहीं निभाया। हमें तकलीफ है कि चव्हाण साहब ने जो बयान दिया, वह वचन जो सदन के पटल पर दिया गया है, उसकी रक्षा नहीं की। त्रिपुरा के बारे में उपाध्यक्ष जी, आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इशारे से, डायरेक्शन्ज से जुडिशियल कमीशन फाइंडिंग को यहां सैफुद्दीन चौधरी रखते हैं तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई एतराज की बात है।

इसलिए आपके जरिए मैं कहना चाहता हूं कि यह बहुत काला दिन है। शैड्यूल्ड ट्राइब्स की महिलाओं के साथ जो बलात्कार हुआ, उनका अपमान हुआ, उसके लिए मैं आपसे कहूंगा कि आप केन्द्र सरकार से कहें कि इसकी सारी फाइंडिंग का पता लगाएं अध्ययन करने के बाद। केन्द्र सरकार की यह

जिम्मेदारी बन जाती है। दूसरी जिम्मेदारी है कि आर्मी ओथोरिटी के बारे में वहां शिकायत है। मैं कहता हूं कि बहुत अहम सवाल है, सीरियस प्रेपोजीशन है, इसलिए मैं कहूंगा कि केन्द्र सरकार इस बारे में जांच करे।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि कांग्रेस बेंच के माननीय सदस्यों ने कहा है कि आयोग की रिपोर्ट को सभा पटल पर रखने पर अथवा उस पर कार्यवाही करने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। मैं आयोग की रिपोर्ट में से मात्र चार लाइनें पढ़कर सुनाऊंगा।

(व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : वह किस पत्र में से उद्धृत कर रहे हैं ? नियमों के मुताबिक पत्रों को सभा पटल पर रखने के लिए सुव्यवस्थित प्रक्रियाएं निर्धारित हैं। वह सन्दर्भ से अलग नहीं पढ़ सकते।

(व्यवधान)

श्री के० वी० तंग्काबालू : महोदय, पश्चिम बंगाल में बहुत सी बलात्कार की घटनाएं हुई हैं और अभी तक उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। यदि इस बात पर त्रिपुरा सरकार को बरखास्त किया जाएगा तो पश्चिम बंगाल सरकार को भी इस आधार पर बरखास्त कर दिया जाना चाहिए···

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मैं सन्दर्भ के बाहर नहीं पढ़ रहा हूं। रिपोर्ट में कहा गया है :

"त्रिपुरा राज्य और सेना अधिकारी उपरोक्त अपराधों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस इसी दिशा में जांच-पड़ताल कर रही है।"

यह आयोग का निष्कर्ष है। मैं इस रिपोर्ट पर सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं। गृह मन्त्री जी को इस बारे में कुछ कहना चाहिए। श्री सैफुद्दीन चौधरी ने जो कुछ कहा वह आयोग के निष्कर्ष के आधार पर था और जैसाकि श्री रवि रायजी ने उचित ही कहा है कि यह आरोप लगाने का प्रश्न नहीं है। जब इस तरह की शिकायतें और आरोप लगाए गए थे, तो सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं ही एक आयोग नियुक्त किया था क्योंकि त्रिपुरा सरकार किसी प्रकार की जांच-पड़ताल नहीं कर रही थी और सर्वोच्च न्यायालय ने त्रिपुरा सरकार को निदेश दिए कि इस आयोग को कार्य करने दिया जाए। आयोग का कहना है कि त्रिपुरा सरकार और सेना अधिकारी जांच कार्य को दबाने की कोशिश कर रहे थे। यह राज्य सरकार की सहापराधिता है। (व्यवधान)

श्री के० वी० तंग्काबालू : महोदय, पश्चिम बंगाल के पुलिस स्टेशनों में सी० पी० आई० (एम) स्वयंसेवकों की मदद से इस तरह के नृशंस कार्य किए जा रहे हैं और इन्हें कोई भी नहीं रोक रहा है।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कांति चटर्जी : महोदय, भाजपा और कांग्रेस (इ) आर्थिक और राजनैतिक मामलों पर एकमत हो गए हैं। आज इस बात ने इसे स्पष्ट कर दिया है कि त्रिपुरा में हुई घटना के बारे में वे एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक गम्भीर मामले की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। 27 नवम्बर को पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री श्री पारस दत्त पर हमला किया गया, और श्री मनोरंजन दत्त, अध्यक्ष, मिदनापुर जिले के उनके साथ थे। सी० पी० एम० के वर्कर्स ने उनके ऊपर हमला किया है जिनके नाम रिपोर्ट में आए हैं, वह मैं आपको बता रहा हूं।···**(व्यवधान)** हमला करने वालों के नाम हैं : कालीपदा सिंह, मिहीर हंसदा, बीरेन कीला, निरंजन सिंह, संन्यासी घोष, अनिल पायरा, कगाली ओझा···**(व्यवधान)** 28 तारीख को मोहनपुर में बोरई ग्राम में एक मंच को बनाते हुए तापनपत्रा व उनके भाई मन्नु को मारा गया। मारने वालों का नाम है : रमाणी जना, मनोरंजन चन्दा व रवीन्द्र दास। उसी दिन दोबारा अविनाश दास पर हमला हुआ हमला करने वाले श्यामपदा आचार्य थे।···**(व्यवधान)** अविनाश बाबू का सारा बदन खून से लथपथ हो गया और डा० ससन्का पात्रा भीषण रूप से घायल हुए। हमला करने वालों में अमूल्य जाना, मंटू पांडा, प्रभाटकर, कृष्णपदा गिरी, विनाय मिश्रा, केदार सेनापति, रामूकृष्णा परीचा और हरीपदा गिरी थे।···**(व्यवधान)** गृह मन्त्री जी इस पर बयान दें व जनतन्त्र के खून करने वाली सरकार को बर्खास्त करें।···**(व्यवधान)** क्या यह चाहते हैं कि वहां कोई राजनीतिक दल कार्य न कर सके··· **(व्यवधान)**···हम होम सेक्रेटरी के पास गए, वैस्ट बंगाल की सरकार के पास गए और मांग की कि इसकी जांच कराई जाए···**(व्यवधान)**···हमारे कार्यकर्ताओं पर खूनी हमला हो रहा है और हमसे कहा जाता है उत्तर प्रदेश में जाकर इसकी जांच कीजिए। **(व्यवधान)** वहां पर जंगल राज बना रखा है, अपने दल को छोड़कर किसी और दल के कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनी जाती है। वे लोग किसी दूसरी पार्टी को वहां कार्य नहीं करने देते हैं। **(व्यवधान)** मैं निवेदन करूंगा कि दोनों घटनाओं की जांच कराई जाए। पश्चिमी बंगाल की मशीनरी फेल हो चुकी है···**(व्यवधान)**···राइट आफ फ्रीडम सविधान में सबको दिया गया है, सबको बोलने का अधिकार है इसकी सुरक्षा की जाए। **(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवान : उपाध्यक्ष जी, जो सैफुद्दीन साहब ने कहा है, यह बहुत ही गम्भीर मामला है। पूरे देश के ट्राइबल्स राष्ट्र की मुख्य धारा से कट रहे हैं। बार-बार इसके ऊपर चर्चा की गई है। माननीय सदस्य ने यहां एक कमीशन की रिपोर्ट की बात कही। मैं समझता हूं इसमें दोनों पक्षों को आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि जो कमीशन की फाइंडिंग्स हैं उसको सदन के पटल पर रखा जाए। होम मिनिस्टर इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें सिर्फ त्रिपुरा की ही बात मैं कहता हूं यदि कहीं भी ऐसी घटना हो आप उसको रोकिए और उस पर चर्चा कराने का काम करें, नहीं तो ट्राइबल के लोग जिस तरह से आज रह रहे हैं, उनके ऊपर जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं और सदन ने अनदेखा किया, तो इसके गम्भीर परिणाम होंगे यही कारण है कि वे अलग राज्य की मांग कर रहे हैं और राष्ट्र की मुख्य धारा से कट रहे हैं। उनके साथ बलात्कार, भेदभाव आज भी हो रहे हैं। सदन को एकमत होना चाहिए और इस पर बहस होनी चाहिए। **(व्यवधान)**

श्री राम शरण यादव (खगरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार के खगरिया जिले के अन्तर्गत कोसी नदी के कटाव से···**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री दिग्विजय सिंह : महोदय, आपने मुझसे वायदा किया था। मैं भी यही मामला उठाना चाहता हूं। यह एक महत्वपूर्ण मामला है। सरकार के विरुद्ध गम्भीर आरोप लगाए गए हैं। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : हम शून्य काल को अर्थहीन बनाते जा रहे हैं। हमें इसमें अत्यधिक महत्वपूर्ण मसले उठाने चाहिएं ताकि उन्हें सरकार के ध्यान में लाया जा सके। यहां क्या हो रहा है ? हमने मामले पर बारीकी मे चर्चा करनी प्रारम्भ कर दी है। क्या इसकी कोई प्रक्रिया है ? कोई प्रक्रिया नहीं है। शून्य काल एक अत्यधिक महत्वपूर्ण/नाजुक घन्टा है। महत्वपूर्ण मामले जिन्हें आप 12.00 बजे से पहले नहीं उठा सकते हैं, शून्य काल में उठाए जाने चाहिए। आप 11.00 और 2.00 बजे के बीच इस सभा में आते हैं। इन 60 मिनटों के भीतर, यदि कोई भी असाधारण मामले आपके ध्यान में आते हैं तो मात्र ऐसे ही मामले सदन में उठाए जाने चाहिएं। परन्तु यहां पर क्या हो रहा है ? रोजमर्रा के नियमित मामले, जोकि राज्यों के क्षेत्राधिकार में आते हैं, यहां उठाए जाते हैं जिसके परिणामस्वरूप कई सदस्यों को बोलने का अवसर नहीं मिलता और कई महत्वपूर्ण मामले उपेक्षित रह जाते हैं। एक बात तो यह है।

दूसरी बात है, दो या तीन सदस्य बोलते हैं और वे आशा करते हैं कि सरकार सम्पूर्ण मामले की जांच करे और सरकार को इस पर प्रभावी कार्यवाही करनी चाहिए। आमतौर पर आप इसकी आशा करते हैं : यदि दो या तीन सदस्य एक साथ बोलेंगे तो रिपोर्टर्स उसे कैसे नोट करेंगे और सरकार की जानकारी में मामला कैसे आ पाएगा ? अतः, हमें कुछ प्रतिबन्ध लगाने होंगे। हर रोज सभी 500 सदस्यों को बोलने का अवसर नहीं मिल सकता है।

तीसरे, कुछ माननीय सदस्य अत्यधिक महत्वपूर्ण मामले उठाना चाहते हैं। लेकिन उनकी आवाज बहुत धीमी है और सुनी नहीं जा सकती। बोलने का अवसर केवल उन्हीं को मिलता है जो जोर से बोल सकते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि लॉबी में देखें कि हमारे मित्र लोग क्या बोल रहे हैं ? हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। अतः, हमें न्यायसंगत होना चाहिए।

श्री दिग्विजय सिंह : कृपया इस तरफ से हमें भी बोलने का अवसर दिया जाए। उन्होंने त्रिपुरा के बारे में कुछ कहा है। क्या आप मुझे इस पर कुछ बोलने की अनुमति प्रदान करेंगे ? मैं सिर्फ एक मिनट का समय चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य भाषण दे रहे हैं। उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए।

(व्यवधान)

1.00 म० प०

[हिन्दी]

श्री राम शरण यादव : माननीय उपाध्यक्ष जी, बिहार के खगरिया जिला अन्तर्गत अमनी, शंदपुर, चोढ़ली पौरा, बसुआ, इदमादी इत्यादि गाव कोसी के भीषण कटाव से प्रभावित हैं जिससे लाखों लोग गृह विहीन हो रहे हैं और उपजाऊ जमीन भी लाखों-लाख एकड़ बंजर होती जा रही है।

अत: मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि नदी के कटाव को रोका जाए और उन लोगों को बचाया जाए। लाखों एकड़ जमीन बंजर हो रही है, उसको बचाया जाए, यही मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है। (**व्यवधान**)

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सैफुद्दीन चौधरी जी ने जो मुद्दा उठाया है, आदिवासी महिलाओं के साथ जो बलात्कार होता है, यह अत्यधिक आपत्तिजनक बात है और हम लोग इसकी भर्त्सना करते हैं। लेकिन त्रिपुरा सरकार के खिलाफ इस तरह की अनर्गल बात करना, इस पर हमें आपत्ति है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई डायरेक्टिव दिया है तो उसका पालन त्रिपुरा सरकार करेगी। (**व्यवधान**) जहां तक मेरी जानकारी है अभी कुछ दिन पहले उच्चतम न्यायालय ने जो पेपर तैयार किया उसमें कुछ व्यूज रखे, उनके आधार पर सुप्रीम कोर्ट त्रिपुरा को आदेश दे कि जितने भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऐसा कृत्य किया है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन ऐसी घटनाओं का राजनीतिकरण जो होता है, हम उस पर आपत्ति करते हैं। (**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

श्री बसुदेव आचार्य : रिपोर्ट को सभा पटल पर क्यों नहीं रखा गया ?

[**हिन्दी**]

श्री भुवन चन्द्र खण्डूरी (गढ़वाल) : उपाध्यक्ष जी, दूरदर्शन विस्तार कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश के पौड़ी गढ़वाल तथा सीमान्त जिला चमोली को दूरदर्शन सेवाओं का जो लाभ व सुविधा मिलनी चाहिए थी, वह अभी तक नहीं मिल पाई है। इन दोनों जनपदों का कुल क्षेत्रफल करीब 15,000 वर्ग किलोमीटर है और यह पहाड़ी क्षेत्र है जहां एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना आसान नहीं है। यहां की आबादी करीब 15 लाख है, लेकिन अभी तक दूरदर्शन की सहूलियत वहां नहीं पहुंची है। इन दोनों क्षेत्रों में अभी तक कुल मिलाकर तीन छोटे-बड़े ट्रांसमीटर हैं जिनसे उस क्षेत्र के लोगों को बहुत सुविधा नहीं मिलती है।

मैं भारत सरकार व सूचना प्रसारण मन्त्रालय को अवगत कराना चाहता हूं कि चमोली जनपद की सीमाएं तिब्बत से मिलती हैं। यह क्षेत्र महत्वपूर्ण सीमावर्ती क्षेत्र है और यहां दूरदर्शन की सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए। मेरा सूचना प्रसारण मन्त्री से आग्रह है कि वे एक सर्वे टीम बनाकर इन क्षेत्रों में ट्रांसमीटरों की आवश्यकता का पता लगाने के लिए भेजें और इस क्षेत्र में दूरदर्शन के प्रसारण का बन्दोबस्त करें। (**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : महोदय, ऐसा लगता है कि त्रिपुरा के गरीब लोग किसी न किसी प्रकार दृष्टिहीनता की बीमारी से पीड़ित चले आ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही, इस सभा में हमने त्रिपुरा में भुखमरी से हुई मौतों का मामला उठाया था। माननीय मन्त्री श्री अर्जुन सिंह ने यह कहते हुए एक वक्तव्य दिया था कि मामला मन्त्री मण्डल को भेजा जाएगा तथा उसके बाद वे इसका उत्तर देंगे। किन्तु अभी तक कुछ नहीं हुआ है तथा स्थिति लगातार वैसी ही बनी हुई है।

और हमें पता चला है कि उज्जन मैदान सामूहिक बलात्कार के मामले की रिपोर्ट आ गई है। जैसे ही सर्वोच्च न्यायालय आयोग की रिपोर्ट आई, मैंने कल्याण मन्त्री महोदय को इस सम्बन्ध में एक पत्र लिखा। क्या आप जानते हैं कि कल्याण मन्त्री महोदय से मुझे क्या उत्तर मिला? कल्याण मन्त्री महोदय ने न तो मेरा पत्र ही पढ़ा था, न ही उन्हें आयोग की रिपोर्ट के बारे में बताया गया था और न ही उन्हें इस घटना के बारे में जानकारी दी गई थी। उन्होंने कहा : "मैं उज्जन मैदान में एक आदिवासी महिला के साथ तथाकथित बलात्कार के मामले की जांच कराऊंगा।" इस प्रकार त्रिपुरा के सम्बन्ध में गलत सूचनाएं फैल रही हैं अथवा वहां हुई घटनाओं के सम्बन्ध में लोगों को जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है। और हम चाहते हैं कि गृह मन्त्री इस पर गम्भीरता से विचार करें तथा हम चाहते हैं कि आयोग की यह रिपोर्ट न केवल सभा पटल पर रखी जाए अपितु इसकी एक प्रति मन्त्री महोदय को भी पढ़ने के लिए भेजी जाए। **(व्यवधान)**

श्री जी० एम० सी० बालयोगी (अमालापुरम) : उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य कमजोर वर्गों के लोग सरकार की नई औद्योगिक नीति जिसमें भारतीय उद्योग के निजीकरण की परिकल्पना की गई हैं को देखते हुए भारतीय उद्योग में अपने भविष्य को लेकर काफी चिन्तित हैं। गैर-सरकारी औद्योगिक इकाइयों नें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य कमजोर वर्गों के लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के सम्बन्ध में कोई संवैधानिक गारन्टी नहीं दी गई।

अत:, मैं प्रधानमन्त्री महोदय तथा माननीय कल्याण मन्त्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे नई औद्योगिक नीति में इन लोगों को रोजगार के अवसरों की गारन्टी के लिए कुछ संशोधन करें। अन्यथा इन वर्गों के बीच बहुत अधिक असन्तोष पनपेगा। जिसके परिणामस्वरूप परिहार्य असन्तोष फैलेगा।

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर) : उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं वित्त मन्त्री महोदय का ध्यान एक महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर दिलाना चाहता हूं। वे रेस्तरां जो वातानुकूलित हैं उन पर 15% की दर से व्यय-कर लगाया गया है। लेकिन एक विशेष प्रकार से इस कर का कराधान इस प्रकार किया गया है कि वे पंसारी की दुकानें जो बिस्कुट, चाकलेट अथवा टूटी-फ्रूटी बेचती हैं, उनसे कहा जा रहा है कि चूंकि वे खाद्य वस्तुएं बेच रहे हैं तथा क्योंकि वे आयकर के क्षेत्राधिकार में आती हैं, यह व्यय कर है।

मैं मांग करता हूं कि सरकार को स्पष्ट वक्तव्य देना चाहिए तथा उसे यह देखना चाहिए कि केवल जल-पान गृहों रेस्तरांओं से व्यय-कर लिया जाए, न कि पंसारी की दुकानों से। प्रत्येक पंसारी की दुकान पर बिस्कुट, चाकलेट तथा टूटी-फ्रूटी बिकती है। इन दुकानदारों को आयकर विभाग द्वारा तंग नहीं किया जाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि वित्त मन्त्री महोदय इस मामले पर स्पष्टीकरण दें।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम पत्र सभा पटल पर रखेंगे।

(व्यवधान)

1.08 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

संसद में विपक्षी नेता (भत्ते, चिकित्सा तथा अन्य सुविधाएं) दूसरा संशोधन नियम, 1991 आदि

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० ओ० एच० फारूक) : मैं श्री गुलाम नबी आजाद की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) संसद में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता अधिनियम, 1977 की धारा 10 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत संसद में विपक्षी नेता (भत्ते, चिकित्सा तथा अन्य सुविधाएं) दूसरा संशोधन नियम, 1991, जो 31 अक्तूबर, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 656(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा तत्सम्बन्धी शुद्धि-पत्र, जो 5 दिसम्बर 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 791(अ) प्रकाशित हुआ था।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०० टी 1002/91]

लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 के अधीन अधिसूचना तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की वर्ष 1990-91 की वार्षिक रिपोर्ट और कार्यकरण की समीक्षा आदि

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : मैं श्री कमल नाथ की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :

(1) लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 की धारा 23 की उपधारा (3) के अन्तर्गत लोक दायित्व बीमा (संशोधन नियम, 1991, जो 20 सितम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 596(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1003/91]

(2) (एक) जल (प्रदूषण निवारण और नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 39 की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) जल (प्रदूषण निवारण और नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 40 की उपधारा (6) के अन्तर्गत केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के वर्ष 1990-91 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1004/91]

(3) (एक) पर्यावरण शिक्षा केन्द्र, हैदराबाद के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पर्यावरण शिक्षा केन्द्र, हैदराबाद के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1005/91]

(4) (एक) सी० पी० आर० पर्यावरण शिक्षा केन्द्र, मद्रास के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सी० पी० आर० पर्यावरण शिक्षा केन्द्र, मद्रास के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1006/91]

वर्ष 1987-88 की पवनहंस लि०, नई दिल्ली की वार्षिक रिपोर्ट तथा समीक्षा

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० ओ० एच० फारूक) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) पवन हंस लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पवन हंस लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रण-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1007/91]

(3) वायु निगम नियम, 19:4 के नियम 3 के उपनियम (5) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) एअर इण्डिया के वर्ष 1991-92 के लिए राजस्व और व्यय के बजट प्राक्कलनों का सारांश।

(दो) एअर इण्डिया के वर्ष 1990-91 के वास्तविक तथा वर्ष 1990-91 के बजट प्राक्कलनों और पुनरीक्षित प्राक्कलनों तथा वर्ष 1991-92 के बजट प्राक्कलनों का सारांश।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1008/91]

(4) (एक) वायु निगम अधिनियम, 1953 की धारा 37 की उपधारा (2) के अन्तर्गत एअर इण्डिया मुम्बई के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) एअर इण्डिया, मुम्बई के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) वायु निगम अधिनियम, 1953 की धारा 15 की उपधारा (4) के अन्तर्गत एअर इण्डिया, मुम्बई के वर्ष 1990-91 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1009/91]

(5) (एक) होटल प्रबन्ध, खानपान और पोषण संस्थान, चण्डीगढ़ के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1010/91]

(दो) होटल प्रबन्ध और खानपान प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुअनन्तपुरम के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1011/91]

(तीन) राष्ट्रीय होटल प्रबन्ध और खानपान प्रौद्योगिकी परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1012/91]

(चार) होटल प्रबन्ध, खानपान प्रौद्योगिकी तथा अनुप्रयुक्त पोषण संस्थान, भोपाल के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1013/91]

(पांच) होटल प्रबन्ध, खानपान प्रौद्योगिकी तथा अनुप्रयुक्त पोषण संस्थान, जयपुर के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1014/91]

(छह) होटल प्रबन्ध, खानपान प्रौद्योगिकी तथा अनुप्रयुक्त पोषण संस्थान, भुवनेश्वर के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1015/91]

(सात) होटल प्रबन्ध, खानपान प्रौद्योगिकी तथा अनुप्रयुक्त पोषण संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1016/91]

(आठ) होटल प्रबन्ध, खानपान प्रौद्योगिकी तथा अनुप्रयुक्त पोषण संस्थान, लखनऊ के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1017/91]

(नौ) होटल प्रबन्ध, खानपान प्रौद्योगिकी तथा अनुप्रयुक्त पोषण संस्थान, बंगलौर के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1018/91]

(दस) होटल प्रबन्ध, खानपान प्रौद्योगिकी तथा अनुप्रयुक्त पोषण संस्थान, गोआ के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1019/91]

(ग्यारह) होटल प्रबन्ध, खानपान प्रौद्योगिकी तथा अनुप्रयुक्त पोषण संस्थान, मद्रास के वर्ष

1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 1020/91]

(बारह) होटल प्रबन्ध, खानपान प्रौद्योगिकी तथा अनुप्रयुक्त पोषण संस्थान, मुम्बई के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 1021/91]

(तेरह) होटल प्रबन्ध, खानपान प्रौद्योगिकी तथा अनुप्रयुक्त पोषण संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 1022/91]

(चौदह) खाद्य शिल्प संस्थान, फरीदाबाद के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 1023/91]

(पन्द्रह) खाद्य शिल्प संस्थान, उदयपुर के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 1024/91]

(सोलह) खाद्य शिल्प संस्थान, ग्वालियर के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 1025/91]

(सत्रह) खाद्य शिल्प संस्थान, विशाखापत्तनम के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1026/91]

(6) होटल प्रबन्ध खान-पान प्रौद्योगिकी और अनुप्रयुक्त पोषण, नई दिल्ली, मुम्बई, मद्रास, गोवा, बंगलौर, लखनऊ, हैदराबाद, भुवनेश्वर, जयपुर, भोपाल, तिरूअनन्तपुरम और चण्डीगढ़ तथा खाद्य शिल्प संस्थान, विशाखापत्तनम, ग्वालियर, उदयपुर, फरीदाबाद के वर्ष 1991-92 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 1027/91]

(7) अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1971 की धारा 37 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण कर्मचारी (आचरण, अनुशासन और अपील) संशोधन विनियम, 1991, जो 2 जुलाई, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पर्स/एससी/13/73—खंड-III तथा उस पर एक व्याख्यात्मक टिप्पणी तथा तत्सम्बन्धी शुद्धि-पत्र, जो 29 जुलाई, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था ।

(दो) भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण (कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि) संशोधन विनियम, 1990, जो 9 जुलाई, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पर्स/1114/75—खंड-VI/359 में प्रकाशित हुए थे तथा उन पर एक व्याख्यात्मक टिप्पणी ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 1028/91]

भारतीय रेल निर्माण कम्पनी लि०, नई दिल्ली की वर्ष 1990-91 की वार्षिक रिपोर्ट तथा समीक्षा

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) भारतीय रेल निर्माण कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) भारतीय रेल निर्माण कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 1029/91]

(ख) (एक) रेल इण्डिया टेक्नीकल, एण्ड इकानॉमिक सर्विसिज लिमिटेड के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) रेल इण्डिया टेक्नीकल, एण्ड इकानॉमिक सर्विसिज लिमिटेड के वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 1030/91]

(ग) (एक) कन्टेनर कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1031/91]

(दो) कन्टेनर कारपोरेशन आफ लिमिटेड के वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1032/91]

(2) (एक) सेन्टर फार रेलवे इन्फोर्मेशन सिस्टम्स के वर्ष 1986 से 1990 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) और लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्टर फार रेलवे इन्फोर्मेशन सिस्टम्स के वर्ष 1986 से 1990 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1033/91]

(3) (एक) इण्डियन रेलवे वेल्फेयर आर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 तथा 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इण्डियन रेलवे वेल्फेयर आर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 तथा 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1034/91]

(4) (एक) रेलवे स्पोर्टस कंट्रोल बोर्ड के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) रेलवे स्पोर्टस कंट्रोल बोर्ड के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) रेलवे स्पोर्टस कंट्रोल बोर्ड के वर्ष 1990-91 के वार्षिक लेखों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1035/91]

वित्तीय प्रणाली समिति का प्रतिवेदन

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : महोदय, मैं वित्तीय प्रणाली सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1036/91]

जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, बंगलौर के वर्ष 1990-91 की वार्षिक रिपोर्ट और कार्यकरण की समीक्षा

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० ताराबेवी सिद्धार्थ) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, बंगलौर के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, बंगलौर के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1037/91]

(2) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, बदोदरा के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, बदोदरा के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1038/91]

(3) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, चण्डीगढ़ के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, चण्डीगढ़ के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1039/91]

(4) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, धारवाड़ के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, धारवाड़ के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1040/91]

(5) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, दिल्ली के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, दिल्ली के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजीं संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1041/91]

(6) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, गांधीग्राम के वर्ष 199 -91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, गांधीग्राम के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1042/91]

(7) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, लखनऊ के वर्ष 990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, लखनऊ के वर्ष 199-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1043/91]

(8) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, पटना के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, पटना के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 104/91]

(9) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, पुणे के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, पुणे के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1045/91]

———

1.09 म० प०

प्राक्कलन समिति

की गई कार्यवाही का विवरण

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : मैं, श्रम मन्त्रालय, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन सम्बन्धी समिति (आठवीं लोक सभा) के 78वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही पर प्राक्कलन समिति (नौवीं लोकसभा) के सातवें प्रतिवेदन के अध्याय पांच के सम्बन्ध में अन्तिम

उत्तरों और अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन, श्री अटल बिहारी वाजपेयी।

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : कृपया मुझे सभा पटल पर प्रतिवेदन रखने की अनुमति दें। मैं एक घंटे से प्रतीक्षा कर रहा हूं। मैं नहीं जानता कि यह सभा कैसे कार्य करती है। महोदय, आप दावे के साथ नहीं कह सकते, मुझे खेद है। मैं लोक लेखा समिति का सभापति रहा हूं। यह पहला अवसर नहीं है कि मैं सभापति बना हूं। मैं एक घंटे से इन्तजार कर रहा हूं। प्रश्नकाल के तुरन्त बाद पत्रों को रखने दिया जाए और (बजे तक शून्यकाल जारी रखा जाए, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : हम सब इसका समर्थन करते हैं।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : शून्यकाल में कटौती नहीं करें। पत्रों को सभा पटल में रखने दिया जाए और उसके पश्चात् शून्यकाल जारी रहना चाहिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मुझे कोई आपत्ति नहीं है; परन्तु आप मुझे प्रतिवेदन रखने की अनुमति दें।

1.10$\frac{1}{4}$ म० प०

लोक लेखा समिति

चौथा और पांचवा प्रतिवेदन

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :

(एक) दूरदर्शन वाणिज्यिक सेवा के बारे में चौथा प्रतिवेदन।

(दो) सीमा-शुल्क प्राप्तियां—अन्तिम प्रयोग के गैर-प्रमाणीकरण के बारे में पांचवा प्रतिवेदन।

1.10½ म० प०

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति

प्रथम प्रतिवेदन

श्री के० प्रधानी (नवरंगपुर) : मैं रेल मन्त्रालय (रेलवे बोर्ड)—भारतीय रेल निर्माण कम्पनी लिमिटेड में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और उनके नियोजन के बारे में चौथे प्रतिवेदन (नौवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति का पहला प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :

———

1.10¾ म० प०

कार्य मंत्रणा समिति

दसवां प्रतिवेदन

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 16 दिसम्बर, 1991 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रणा समिति के दसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 16 दिसम्बर, 1991 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रणा समिति के दसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : हम दोपहर के भोजन के लिए उठते हैं और 2.15 म० प० पुन: मिलते हैं।

1.11 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.15 म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

———

2.22 म० प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.22 म० प० पर पुन: समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[अनुवाद]

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) तमिलनाडु को पर्याप्त मात्रा में चावल, दालें आदि जारी करने की आवश्यकता

*श्री आर० जीवरत्नम (अर्कोनम) : महोदय, हाल ही में हुई भारी वर्षा के कारण उत्तरी आरकोट अम्बेडकर जिला, थिरूवन्नामलाई और साम्बुवरय्यार जिले बुरे तरह से प्रभावित हुए हैं जिसके परिणामस्वरूप वहां खड़ी फसलों को नुकसान हुआ है। इसके फलस्वरूप चावल, दालों इत्यादि की कीमतें बढ़ी हैं जिससे गरीब, मजदूर तथा मध्यम वर्ग प्रभावित हुआ है।

तमिलनाडु सरकार को बड़ी मात्रा में चावल उपलब्ध कराने के लिए प्रबन्ध किया जाना चाहिए। इन वस्तुओं को उचित दर की दुकानों के जरिए जारी किया जाना चाहिए। चावल और दालों का मूल्य निर्धारित किया जाना चाहिए और निजी दुकानों के जरिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए चूंकि इससे काफी राहत मिलेगी और दूसरी ओर निर्धारित मूल्यों में प्राप्त करने से गरीब, मजदूर वर्ग तथा मध्यम वर्ग के लोगों को राहत मिलेगी।

[हिन्दी]

(दो) जबलपुर-चांदपुर मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में शीघ्र बदलने की आवश्यकता

श्री विश्वेश्वर भगत (बालाघाट) : उपाध्यक्ष महोदय, जबलपुर से चन्द्रपुर छोटी रेल लाइन चन्द्रपुरा भंडारा मंडला बालाघाट सिवनी, छिंदवाड़ा एवं जबलपुर जिलों को आपस में जोड़ने वाली रेल लाईन है। वर्तमान रेल लाइन सैकड़ों वर्ष पुरानी है, जिनके स्ट्रक्चर जर्जर हालत में हो चुके हैं। वर्तमान में इस रेल लाइन का आधुनिकीकरण किए बिना चलना खतरनाक है। अतः इस आधुनिकीकरण के बजाए इस लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदला जाए, ताकि उपरोक्त जिलों का विकास हो सके। इन जिलों में भारी मात्रा में ताम्बा, वन-सम्पदा, मैंगनीज, डोलोमाइट आदि अपार खनिज सम्पदा है। बड़ी रेल लाइन के अभाव में उसका दोहन नहीं हो पाता है।

अतः, निवेदन है कि चन्द्रपुर जबलपुर छोटी रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदला जाए, जिसमें उत्तर सारत का दक्षिण भारत का सम्पर्क बनेगा, साथ ही नागपुर, इटारसी लाइन पर लोड कम होगा।

[अनुवाद]

(तीन) आंध्र प्रदेश में राजमपेट में नई खाद्य/फल केनिंग इकाई स्थापित करने या वहां स्थित मौजूदा इकाई की क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता

श्री ए० प्रताप साय (राजमपेट) : महोदय, आंध्र प्रदेश के राजमपेट में प्रत्येक वर्ष 400 से

*तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

450 करोड़ रुपए के फल उगाए जा रहे हैं और राज्य से अन्य स्थानों जैसे मद्रास, बम्बई, बंगलौर, अहमदाबाद इत्यादि में प्रसंस्करण और बिक्री के लिए भेजे जाते हैं जिसके परिणामस्वरूप किसानों को कम आमदनी होती है। आंध्र प्रदेश सरकार की, कोड्डूर में काफी कम क्षमता वाली खाद्य केनिंग-इकाई कार्यरत है। चूंकि यहां विकास और रोजगार सम्भावना की काफी गुंजाइश है, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि यहां पर केनिंग इकाई स्थापित करने के लिए या तो निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया जाए अथवा वर्तमान एकक की क्षमता को बढ़ाया जाए और इस क्षेत्र के किसानों के फायदे को सुनिश्चित किया जाए।

(चार) तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले के मोरापुर में कोवाई एक्सप्रेस का हाल्ट बनाने की आवश्यकता

श्री के० वी० तंगकाबालू (धर्मपुरी) : महोदय, धर्मपुरी जिला, तमिलनाडु का सबसे पिछड़ा जिला होने के कारण वहां समुचित रेल सुविधा नहीं है। धर्मपुरी में चार मुख्य रेलवे स्टेशन हैं, जिनमें से मोराप्पुर, बद्दीराद्दीयापट्टी और कादाघुर सबसे महत्वपूर्ण स्टेशन हैं। तीव्र गति से चलने वाली रेलगाड़ियां मोराप्पुर में नहीं रुकती हैं। कोवाई एक्सप्रेस मद्रास से कोयम्बटूर जाते हुए रास्ते में संभवतः सभी जिला मुख्यालयों यथा, वैल्लूर, सलेम आदि से होकर गुजरती है, परन्तु दिन के समय जो रेलगाड़ी धर्मपुरी के बीच चलती है वह मोराप्पुर नहीं रुकती है। जोलारपेटई-सलेम खंड के विद्युतीकरण के फलस्वरूप, अभियन्ता कहते हैं कि इस खंड पर रेलगाड़ियों का आवागमन 110 प्रतिशत बढ़ गया है और कोई भी रेलगाड़ी हो, उस पर समय का प्रतिबन्ध नहीं है। कोवाई एक्सप्रेस को मोराप्पुर में रुकने के लिए बहुत आराम से पांच मिनट दिए जा सकते हैं। अतः, मैं भारत सरकार और रेल मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं कि तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले के मोराप्पुर स्टेशन पर कोवाई एक्सप्रेस को हाल्ट प्रदान करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं।

(पांच) अहमदाबाद, गुजरात में एक नया रेलवे डिवीजन खोलने की आवश्यकता

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : महोदय, गुजरात सरकार ने अहमदाबाद में एक नया रेल मण्डल स्थापित करने के लिए रेल मन्त्रालय को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। मन्त्री महोदय सिद्धांत: सहमत हो गए हैं। तथापि, भोपाल और अम्बाला में नए मण्डल स्थापित कर दिए गए हैं लेकिन अहमदाबाद के अनुरोध पर अभी तक विचार नहीं किया गया है। इस प्रस्ताव पर निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखकर पुनर्विचार किया जाए :—

1. यह कि वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अहमदाबाद में रेलवे के कुछ उच्च अधिकारियों को नियुक्त करने की वर्तमान व्यवस्था पर्याप्त नहीं है।

2. यात्री और माल यातायात काफी अधिक है।

3. इस समय अहमदाबाद क्षेत्र तीन रेल मण्डलों अर्थात् अहमदाबाद, राजकोट और भावनगर के क्षेत्राधिकार में आता है। ये मण्डल अत्यधिक औद्योगिक और विकसित अहमदाबाद शहर से काफी दूर स्थित हैं।

4. अहमदाबाद रेल स्टेशन से बनकर चलने वाली और यहां आकर रुकने वाली लगभग 150 यात्री गाड़ियां हैं।

5. यह कंकारिया, असर्वा और मार्स स्थित प्रमुख माल टर्मिनेबलों और वाल्वा सभावती यानान्तरण यार्ड आदि को नियंत्रित भी करता है।

6. वडोदरा में नियुक्त अधिकारियों के लिए दिन-प्रतिदिन के प्रचालनों पर ध्यान देना सम्भव भी नहीं है।

अहमदाबाद में रेल मण्डल बना देने से न केवल अहमदाबाद क्षेत्र के लोगों को फायदा होगा बल्कि इससे वडोदरा रेल मण्डल का बोझ भी कम हो जाएगा।

अतः, मैं सरकार से एक नया रेल मण्डल बनाने के प्रस्ताव पर पुनः विचार करने का आग्रह करता हूं।

[हिन्दी]

(छः) मध्य रेलवे के झांसी और ललितपुर रेल स्टेशनों पर ज्यादा सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : उपाध्यक्ष महोदय, नियम 377 के अन्तर्गत जनहित में मैं सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि मध्य रेलवे के झांसी और ललितपुर रेलवे स्टेशनों पर उन स्थानों के टिकट देने की सुविधा प्रदान की जाए जहां गाड़ियों का ठहराव होता है।

झांसी स्टेशन से जी० टी० एक्सप्रेस, झेलम एक्सप्रेस, तमिलनाडु एक्सप्रेस एवं आंध्रा एक्सप्रेस गाड़ियों के लिए ग्वालियर और ललितपुर आने जाने की टिकटें उपलब्ध करवाई जाएं। इसी क्रम में ललितपुर स्टेशन से उज्जैन-देहरादून एक्सप्रेस एवं झेलम एक्सप्रेस में झांसी ग्वालियर, आगरा एवं भोपाल तक के टिकट उपलब्ध करवाए जाएं तथा पुष्पक एक्सप्रेस में उरई तथा लखनऊ के लिए टिकट उपलब्ध करवाए जाएं। इसके अलावा धेर्रा रेलवे स्टेशन पर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस का ठहराव किया जाए एवं लालबेहट स्टेशन पर पंजाब मेल एवं बाम्बे वी० टी० गाड़ियों का ठहराव किया जाए।

अतः केन्द्र सरकार से निवेदन है कि उक्त स्थानों पर आवश्यक सुविधा प्रदान की जाएं ताकि रेल यात्रियों की कठिनाइयां दूर हो सकें। ये सभी रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के जिलों को जोड़ते हैं।

(सात) बिहार में छोटा नागपुर संथाल परगना की अपूर्ण सिंचाई परियोजना को शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता (हजारीबाग) : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार के छोटा नागपुर संथाल परगना में अब तक मात्र 3 प्रतिशत जमीन की सिंचाई की व्यवस्था हुई है। इस क्षेत्र में केन्द्र या राज्य तथा दामोदर घाटी निगम से जितने बांध बने हैं उससे या तो बिजली तैयार की जाती है या फिर

कारखानों को पानी दिया जाता है। सिंचाई के लिए पानी और बिजली प्रभावित गांवों को भी नहीं दी गई। जो भी योजनाएं केन्द्रीय जल आयोग के पास आती हैं वह वर्षों लम्बित रहती हैं और घुमा फिरा कर उसे अस्वीकृत कर दिया जाता है।

पूरे क्षेत्र में आदिवासियों की बहुत बड़ी संख्या है। लाखों की संख्या में लोग रोज़गार के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं। हजारीबाग जिला का देवकली जलाशय योजना, तिलैया अपर कैनाल योजना, दोनय कला योजना, सीवाने जलाशय योजना वर्षों से लम्बित है।

अतः केन्द्र सरकार से मेरी मांग है कि इस क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था के लिए लम्बित योजनाओं को तुरन्त स्वीकृति दें। उस पूरे क्षेत्र का मास्टर प्लान बनाकर लघु एवं मध्यम सिंचाई योजना के जरिए सिंचाई की व्यवस्था करें।

———

2.33 बजे

[अनुवाद]

सीमा-शुल्क (संशोधन) विधेयक

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि सीमा-शुल्क, अधिनियम, 1962 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

इस विधेयक में सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 के कतिपय प्रावधानों में संशोधन करने के प्रस्ताव हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दुर्लभ विदेशी मुद्रा का भुगतान करके आयात किए गए माल का उस उद्देश्य के लिए यथाशीघ्र उपयोग कर लिया जाए जिस हेतु उन्हें देश में मंगवाया गया है। विगत में अक्सर यह देखा गया है कि माल एक बार मंगवा लिए जाने पर अवतरण स्थल पर अनुचित रूप से लम्बे समय तक रखा रहता है अथवा कुछ मामलों में उन्हें भाण्डागार में रखा जाता है, वहां नियत समय पर उनकी निकासी नहीं की जाती। लोक लेखा समिति ने अपने 124वें प्रतिवेदन (1987-88) में इस स्थिति की ओर ध्यानाकृष्ट किया था और सिफारिश की थी कि सीमा-शुल्क सम्बन्धी भण्डागारों के कार्यकरण को सुचारू बनाने के लिए ही नहीं, वल्कि अर्थव्यवस्था के समग्र हितों में भाण्डागारों से सम्बन्धित कानून में मूलभूत परिवर्तन लाना आवश्यक है। यह विधेयक न केवल भाण्डागारों से सम्बन्धित माल बल्कि घरेलू उपयोग के लिए आयात किए गए माल के लिए भी लोक लेखा समिति के निदेशों को कार्यान्वित करने की दृष्टि से लाया गया है। इस प्रक्रिया में, आयातित माल के शीघ्रतापूर्वक उपयोग के साथ-साथ गोदियों, विमानपत्तनों, कन्टेनर डिपो और भाण्डागारों में उपलब्ध स्थान का अधिकतम उपयोग किया जा सकेगा।

विधेयक में उस अवधि को कम करने की व्यवस्था है जिसके लिए आयातित माल को अघोषित छोड़ा जा सकता है। दूसरे यह इसमें अवधि को भी छोटा करने की व्यवस्था है जिसके लिए आयातित माल को

अन्तिम निकासी हेतु भाण्डागारों में जमा किया जा सकता है । तीसरे, यह विधेयक उस आयातित माल जिस पर निर्दिष्ट अवधि में शुल्क उद्ग्रहण नहीं किया गया है, चाहे यह भण्डागारों में है अथवा घरेलू उपयोग के लिए, पर उद्ग्रहणीय शुल्क पर वर्तमान ब्याज दरें निर्दिष्ट करता है ।

यह आशा की जाती है कि इन परिवर्तनों से ये आयातित माल शीघ्रातिशीघ्र उत्पादक गतिविधि में इस्तेमाल किए जा सकेंगे जिसके फलस्वरूप अन्य फायदों के साथ-साथ औद्योगिक एककों की उत्पादकता भी बढ़ेगी ।

संक्षेप में, प्रस्तावित संशोधन निम्नलिखित हैं :—

(क) भली-भांति जांचे गए निकासी दस्तावेजों के आयातक को भेजने के 7 दिन पश्चात्, आयातक शुल्क पर ब्याज देने के लिए उत्तरदाई होगा ।

(ख) आयातित माल को अभिरक्षक द्वारा निपटा दिए जाने से पूर्व अवतरण स्थल में उसे रखे रखने की वर्तमान 45 दिनों की अवधि को घटाकर 30 दिन करने का प्रस्ताव है ।

(ग) भण्डागारण की अवधि को इस 3 माह से घटाकर वर्तमान में 30 दिन किया जा रहा है ।

(घ) माल को वस्तुतः भण्डागारों में रखने से पूर्व निर्यातक आकलित किए गए 50 प्रतिशत शुल्क का भुगतान करना पड़ता है और बकाया 50 प्रतिशत शुल्क ब्याज सहित निकासी के साथ अदा करना पड़ेगा । जहां पर पहले 50 प्रतिशत शुल्क का सम्बन्ध है, यदि आयातक निर्धारण दस्तावेजों के 7 दिनों के अन्दर इसे जमा नहीं करता, तो उसे ब्याज भी देना पड़ेगा ।

सीमा शुल्क वापसी और अर्द्धन्यायिक अपीलीय प्रक्रिया सम्बन्धी प्रावधानों से सम्बन्धित परिणामी संशोधनों का भी, विधेयक में प्रस्ताव किया गया है ।

मैं प्रस्तावित विधान के सम्बन्ध में इस सम्माननीय सभा के सुविचार चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव स्वीकृत हुआ :

"कि सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

अब इस सम्बन्ध में कतिपय संशोधन है।

श्री अग्निहोत्री क्या आप संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को उस पर 16 अप्रैल, 1992 तक राय जानने के लिए परिचालित किया जाए ।" (1)

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

'कि विधेयक को उस पर 26 मार्च, 1992 तक राय जानने के लिए परिचालित किया जाए ।" (2)

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल में माननीय मन्त्री जी कई संशोधन लाए हैं । वेयर हाऊस में सामान पड़ा रहता है और उसको छुड़ाने वाला कोई नहीं आता है। जो सामान आता है तो उसके भी उन्होंने रेट्स बढ़ाए हैं और कहा है कि जो सामान पड़ा रहेगा तो सात दिन के बाद उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा । मैं अन्य बातों की ओर बाद में जाऊंगा। पेज नं० 2 के बारे में आपको बताता हूं।

[अनुवाद]

"(2) जब कोई आयातक उपधारा (1) के अन्तर्गत उस तिथि से सात दिन के भीतर, जिस तिथि को 'बिल आफ एन्ट्री' शुल्क की अदायगी के लिए उसको वापिस किया जाता है, आयात शुल्क अदा करने में असफल रहता है तो वह ऐसी दर पर, जो प्रतिवर्ष 20 प्रतिशत से कम नहीं होगी और 30 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, ब्याज अदा करेगा ।"

[हिन्दी]

यह रेट ज्यादा है । इसी प्रकार से आपने इसी पैरा में कहा है ।

[अनुवाद]

"इस अधिनियम के अन्तर्गत किराया और प्रभार ऐसी वस्तुओं के लिए ब्याज सहित निर्धारित तारीख से छह प्रतिशत की दर पर दावा करने योग्य होगा ।"

[हिन्दी]

यह 6 पर्सेंट है और वहां 20 से 30 पर्सेंट वाली बात आपने कही है । हिन्दुस्तान में जो नियम हैं चाहे इनकम टैक्स का कानून हो, चाहे सेल्स टैक्स का कानून हो या कस्टम टैक्स का कानून हो इन सबमें एक प्रकार का नियम होना चाहिए । जिस रेट पर हम लोगों से रकम लेते हैं, अगर वह ठीक समय पर जमा नहीं करा पाता है तो ज्यादा रेट लेते हैं । मेरा कहना है कि इन्टरेस्ट का रेट एक-सा होना चाहिए और रकम देने पर भी एक-सा रेट होना चाहिए । इनकम टैक्स में 24 पर्सेंट होता है और जिस समय रिटर्न करते हैं । 12 से 18 पर्सेंट लेते हैं, इसमें एक-सा पैमाना होना चाहिए ।

मेरा आपसे यही कहना है कि आपको इन सारे नियमों को चाहे इनकम टैक्स का नियम हो, सेल्स टैक्स का नियम हो या कस्टम का नियम हो, इनमें देने में कुछ और लेने में कुछ है, यह एक विसंगति है । मैं समझता हूं इसका ठीक प्रकार का असर नहीं होता । आपने कई प्रावधान कई क्लाज में किए हैं और कई बातें कही हैं । लेकिन हिन्दुस्तान में जो कानून हैं उनमें जो रेट है उसमें विसंगति है । हम

ज्यादा लेते हैं और जिस समय व्यक्ति को वापस रकम देते हैं तो कम रेट पर देते हैं। यह हिन्दुस्तान के सारे कानूनों में एक अन्याय है। जिस रेट पर आप रकम लें, वापस भी उसी रेट पर करनी चाहिए।

मैंने जो सुझाव दिया है इस सुझाव को मन्त्री जी निश्चित रूप से स्वीकार करेंगे, ऐसा मैं समझता हूं और यदि स्वीकार कर लेंगे तो पूरे भारतवर्ष में उनकी जय जयकार होगी।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : चर्चा के लिए एक घन्टे का समय दिया गया हैं। इसमें मन्त्री जी का उत्तर भी शामिल है।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक 199. का समर्थन करता हूं। विधेयक पर विचार करने हेतु इसे पुरस्थापित करते समय माननीय मन्त्री महोदय ने अपनी प्रारम्भिक टिप्पणी में इसके उद्देश्यों को स्पष्ट कर दिया है।

इस विधेयक का मकसद बहुत अच्छा है। इरादा यह है कि आयातकर्त्ताओं द्वारा गोदामों का दुरुपयोग न किया जाए। इसमें कुछ प्रतिबन्धों का सुझाव दिया गया है। मुझे आश्चर्य होता है कि सरकार ने इस बारे में पहले क्यों नहीं सोचा। आप जानते हैं कि हमारे देश में संभरण की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। बन्दरगाहों एवं हवाईअड्डों के करीब गोदाम होते हैं। एक आयातकर्त्ता को तीन महीने तक अपना माल वहां रखने की अनुमति होती है। सरकार भी प्राइवेट गोदामों को किराए पर लेती है जोकि हवाई अड्डों, बन्दरगाहों के समीप होते हैं। आयातकर्त्ता इनका इस्तेमाल इस प्रकार से करते हैं, मानो ये उनके अपने गोदाम हों। इस प्रकार से वे तीन महीने तक अपना सामान वहां रख सकते हैं। तीन महीने की अवधि पूरी हो जाने पर किसी प्रकार का दण्ड देने का प्रावधान नहीं है सिवाय ब्याज का भुगतान करने का उनको अपने माल की डिलीवरी लेते समय मात्र आवश्यक सीमा-शुल्क का भुगतान करना पड़ता है।

यदि आयातकर्त्ता अपना माल तीन महीने से ज्यादा की अवधि के लिए रखता है तो उसे 18 प्रतिशत की दर से ब्याज देना होता है और यह भी उनको बड़ा लाभकर होता हैं। कभी-कभी वे बाजार की स्थिति तथा बाजार हालातों का जायजा लेते हैं और तदनुसार वे अपना माल आयात करते हैं और उस माल को स्टोर में रखते हैं जिससे अन्य आयातकर्त्ताओं को दिक्कत होती है। इससे कालाबाजारी बढ़ती है, इसमें कालाबाजारी की गुंजाइश है। इससे कालाबाजारी को बढ़ावा मिलता है, बाजार स्थिति में सुधार आने का लम्बे समय तक इन्तजार किया जाता है। अतः मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और मेरा सुझाव है कि दुरुपयोग को रोका जाए।

मैं कहूंगा कि यह भी एक छोटा कदम है जोकि चाहे सीमित तरीके से ही हो परन्तु अपेक्षित विदेशी मुद्रा को बढ़ाने में भी इससे मदद मिलेगी क्योंकि यदि जब तक किसी को बाहर नहीं निकाला जाता, आयातकर्त्ता को बाध्य नहीं किया जाता, दूसरा माल भी आयात नहीं करेगा।

और फिर विदेशी मुद्रा कोष संकट तो है ही। ऐसा करने से इसमें भी कुछ हद तक मदद मिलेगी।

यह विधेयक सीमा-शुल्क वसूली से सम्बन्धित हैं, हमारी सीमा-शुल्क वसूली में आशानुरूप वृद्धि नहीं हो रही है; तस्वीर अच्छी नहीं है ।

श्री श्रीकांत जेना (कटक) : धोखाधड़ी जारी है ।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्राही : पहले ऐसा हो रहा था, और धीरे-धीरे इस पर नियन्त्रण हो रहा है, अभी भी इसमें सुधार करने की गुंजाइश है । सभी लोग जानते हैं कि कालाबाजारियों, तस्करों द्वारा समानान्तर अर्थ-व्यवस्था चल रही है । अक्तूबर तक, सीमा-शुल्क वसूली में 2700 करोड़ रु० की कमी थी । कतिपय अन्य क्षेत्रों में सराहनीय वृद्धि हुई है । केन्द्रीय उत्पाद शुल्क वसूली में आशा से अधिक 400 करोड़ रु० की अतिरिक्त वसूली हुई है । जोकि पिछले वर्ष की अनुरूप अवधि के दौरान वसूली के स्तर का तुलनात्मक लक्ष्य था अप्रत्यक्ष कर, आयकर निगमित कर की स्थिति भी सन्तोषजनक है जिसके परिणामस्वरूप हमारे पास कुछ अतिरिक्त वसूली हुई हैं, परन्तु निश्चय ही इससे हमें चिन्ता हो रही है । यदि मुझे ठीक से याद है, बजट प्रस्तुत करते समय, हमारी आर्थिक नीति में, औद्योगिक नीति में उदारता लाने के बावजूद भी, वसूली में 26 प्रतिशत की वृद्धि का अंदेशा था । परन्तु अब मुझे खेद है कि ऐसा नहीं होगा । निसन्देह, वित्त मन्त्री महोदय इसकी निगरानी कर रहे हैं; हाल ही में उन्होंने समीक्षा की है जिससे पता चला है कि इस वित्त वर्ष के अन्त तक 4000 करोड़ रु० की राशि का घाटा होगा; यदि ऐसा होगा तो हमारे सकल घरेलू उत्पाद का राजकोषीय घाटा घटा कर 6.5 प्रतिशत करने का हमारा लक्ष्य पूरा नहीं होगा ।

मेरे विचार में भारत सरकार का अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ इस बारे में आपसी समझौता है अतः, सरकार भी निसन्देह इस समस्या पर ध्यान दे रही है और स्थिति में सुधार लाने के लिए तरीके ढूंढ रही है । मुझे प्रसन्नता होगी यदि माननीय मन्त्री महोदय सीमाशुल्क वसूली में कमी के बारे में हमें कुछ जानकारी दें । निस्सन्देह, आयात पर प्रतिबन्धों और ऋणों को कम करने, धन आपूर्ति को कम करने के परिणामस्वरूप सीमा-शुल्क वसूली में कमी आई है ।

मेरे विचार में एक प्रस्ताव था और माननीय वित्त राज्य मंत्री महोदय का अखबारों में उद्धरण छपा था कि सरकार निपटान आयोग की स्थापना करने पर विचार कर रही है जिसमें सभी लम्बित मामलों को सुना जाएगा । प्रभावित लोग सीधे इसमें जा सकते हैं और अपने दावों के सम्बन्ध में अविलम्ब निपटारा प्राप्त कर सकते हैं । ऐसे मामलों में प्रारम्भ में उन्हें दावों का 50 प्रतिशत देना होता है । मेरे विचार में ऐसा समझा जाता था । उस प्रस्ताव का क्या हुआ ? एक तरफ तो अपने दावों के शीघ्र निपटान के कारण व्यापारियों को राहत मिलेगी और दूसरी ओर सरकार अपनी राजस्व वसूली में भी वृद्धि कर सकती है जोकि अत्यन्त उपयोगी होगी ।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और मुझे बोलने का अवसर दिए जाने के लिए आभार प्रकट करता हूं ।

श्री सैयद शहाबुद्दीन (किशनगंज) : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं क्योंकि कोई भी ऐसी विधायी या कार्यकारी कार्यवाही जिससे आयात प्रक्रिया, सीमा-शुल्क निकासी और सीमा-शुल्क की अड़चनों के माध्यम से माल के आने सम्बन्धी प्रक्रियाओं को कारगर बनाती है, निश्चय ही

स्वागतयोग्य है और राष्ट्रीय हित में है। परन्तु सीमा-शुल्क प्रशासन के सम्बन्ध में मुझे संक्षिप्त टिप्पणी करने की अनुमति दी जाए।

मुझे विश्वास है कि माननीय मन्त्री महोदय सीमा-शुल्क निकासियों में मनमाने तरीकों के सम्बन्ध में लोगों की निरन्तर शिकायतों से अवगत होंगे। और इस समय मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या सीमा-शुल्क विभाग का प्रशासन उनकी संवीक्षा के अधीन है और क्या सरकार प्रशासन को कारगर बनाने पर विचार करेगी।

ऐसी खबर भी है—मेरे विचार में शायद यह सच नहीं है—कि सरकार सीमा-शुल्क प्रशासन में विदेशी मदद लेना चाहती है। मैं चाहूंगा कि मन्त्री महोदय इस बात को स्पष्ट करें। मैं सीमा-शुल्क वर्गीकरण अथवा अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसरण में नाम-प्रणाली के पक्ष में हूं और मुझे विश्वास है कि हम अपना काम स्वय देख सकते हैं और कम-से-कम इस क्षेत्र में तो हमें किसी विदेशी अथवा तकनीकी सहयोग की आवश्यकता नहीं है।

कर बकायों पर देय ब्याज भुगतान के सम्बन्ध में यहां एक मुद्दा उठाया गया है। यहां इस विधेयक में, मंत्री महोदय ब्याज की भिन्न-भिन्न दरें लागू करना चाहते हैं। मैं इसे नहीं समझ सकता। मैं समझता हूं कि आयकर अथवा सीमा-शुल्क आदि विभिन्न कर बकायों पर ही समान एवं निर्धारित ब्याज दर होनी चाहिए अपितु उधार देने के लिए इसे अधिकतम बैंक दर से सम्बन्धित होना चाहिए। या यह थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है। चाहे संविधिक रूप से हो, हम कह सकते हैं कि जिस दर पर कर बकाया एकत्र किए जाएंगे उस पर अधिकतम बैंक ऋण दर से एक या दो प्रतिशत अधिक ब्याज लिया जाएगा।

[अनुवाद]

यदि इच्छानुसार देय ब्याज में परिवर्तन करने का विवेकाधिकार सीमा-शुल्क अधिकारियों को दे दिया जाए तो इससे अपेक्षित लचीलापन आएगा तथा साथ ही वहां व्याप्त निरकुशता के तत्व को यह दूर करेगा। दूसरे, देय कर के विभिन्न खण्डों में एकरूपता पद्धति होनी चाहिए। तीसरे, जब सरकार करों की वापसी करे, जैसाकि मेरे विद्वान सहयोगी द्वारा प्रस्ताव किया गया है, कम-से-कम सरकार को इकट्ठे किए गए धन को उसी ब्याज दर पर वापिस कर देना चाहिए।

मुझे एक और बात कहनी है। जबकि आयातकर्ता द्वारा बिल की प्रविष्टि की रसीद की प्राप्ति के समय से ही यह समय-सीमा होनी चाहिए—मैं पूर्णतः इसके पक्ष में हूं—प्रविष्टि बिल की प्रक्रिया के बारे में निर्धारित समय-सीमा के सम्बन्ध में बिल में कुछ नहीं कहा गया है। स्वयं सीमा शुल्क विभाग को भारत में माल पहुंचने की तारीख से लेकर शुल्क निर्धारण तक कितना समय लगता है और आयातक के हाथों में अन्तिम रूप से प्रविष्टि बिल के आने तक कितना समय लगता है। यदि प्रक्रिया को कारगर बनाया जाना है, तो इस पर भी ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। हम मंत्री महोदय से यह जानना चाहेंगे कि यदि यह किसी विधान द्वारा सम्भव नहीं है तो क्या इसके लिए कोई कार्यकारी निर्देश अथवा कोई अन्तर्निहित तन्त्र है कि कोई प्रविष्टि बिल प्रक्रिया से गुजारा जाए तथा निर्धारण कतिपय समय-सीमा के भीतर किया जाए तथा आयातकर्त्ता को तब यह जानकारी दी जाए कि बिना किसी विलम्ब के उसे कितना भुगतान करना है।

अन्त में, विलम्ब शुल्क अपवर्तन के सम्बन्ध में भी कुछ विनियम हैं। मेरा विचार है कि मंत्री महोदय को उन्हें जैसे वे अब हैं उससे कहीं अधिक कठोर बनाना चाहिए। सम्भवतः, उस समय-सीमा पर भी विचार किए जाने की आवश्यकता है।

इन सब गुणों के कारण, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं क्योंकि यह एक स्वागत-योग्य कदम है।

[हिन्दी]

प्रो० प्रेम धूमल (हमीरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जिस उद्देश्य से यह बिल लाया गया है उसका हम समर्थन करते हैं। आयात कर्ताओं द्वारा सामान मंगवाकर कस्टम ड्यूटी न देना या फिर माल आफिस में ही पड़े रहना एक रिवायत सी बन गई थी। ड्यूटी का इनटरस्ट बढ़ाया गया है, ब्याज की दर बढ़ाई गई है और जो रेंन्ट है उसकी मात्रा बढ़ाने की बात कही है। जिस बात पर मैं जोर देना चाहता हूं वह यह है कि सरकार छोटे-छोटे स्टेंप्स लेकर अपना रिवेंन्यू बढ़ाने के लिए और जो लोग इम्पोर्ट करें उसको वहां से उठाने और वेयर हाउसेस में माल न पड़ा रहे, उस पर प्रयत्न कर रही है।

मुझसे पूर्व जो वक्ताओं ने बात कही है उस पर मैं भी जोर देना चाहता हूं कि एक तो आपने कहा है ब्याज की 20 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक घटती-बढ़ती दर क्या निर्णय न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए। इसे निर्धारित क्यों नहीं किया जाता। हम इसको निश्चित कर लें 20 प्रतिशत होगा, 24 प्रतिशत होगा और यह 10 प्रतिशत का फ्लकचुएशन किसके हाथ में रहेगा, किससे कम लिया जाएगा, किससे ज्यादा लिया जाएगा, यह बात उचित नहीं लगती। साथ ही जैसा मेरे साथियों ने कहा कि सरकार, जो धन इनके पास वापिस आता है, जब वापिस करती है तो उस पर रेट आफ इनटरस्ट कम देती है। जो सरकार ने लेना है उसका महत्व ज्यादा है, वह ज्यादा ले और किसी गरीब का या ऐसे व्यक्ति का जिसका रिफंड ड्यू बनता है, उस रिफंड को देने में सरकार ब्याज का प्रतिशत कम क्यों करती है। इसमें मन्त्री महोदय संशोधन तो नहीं कर सकते लेकिन उनके ध्यान में सुझाव अवश्य लाना चाहूंगा कि जो रिफंड सरकार की ओर से हों विशेषकर इनकम टैक्स के, इनकम टैक्स में भी उस गरीब तबके के हैं, जो कर्मचारी लोग हैं जिनका टैक्स ऐट सोर्स डिडक्ट होता है।

3.00 म० प०

उनका रिफंड आम तौर पर घटता है। जो करों की चोरी करते हैं, करोड़ों रुपयों की, उनको आप वसूल नहीं कर पाते हैं। इसलिए मेरा सुझाव होगा कि जिन लोगों का टी० डी० एस० आपके पास पड़ा हो और असेसमेंट के बाद जो रिफंड बनता है, उसको आप निश्चित कर दें कि एक निश्चित रेट पर 24 परसेंट या 20 परसेंट इंटरस्ट चार्ज करेंगे। जिनकी ड्यूटी रिफंड करनी पड़े उस समय उनको उसी रेट आफ इण्टरस्ट पर वापिस करे।

अधिकतर सामान वेयर हाउसिंग में पड़ा रहता है। जिन लोगों ने इम्पोर्ट किया होता है, वे उसको छोड़ कर चले जाते हैं, देते नहीं हैं। इस दिशा में आपने जो कदम उठाया है वह सही है। अनेक बार गोदामों में माल पड़ा रहता है और जब उन्हें फुरसत मिलती है, वे उसे तब उठाते हैं, यह जो भावना आयात करने वालों की हैं, वह खत्म होनी चाहिए।

जो रेट आफ इण्टरस्ट की मुख्यतः बात हैं, उस पर आप अवश्य ध्यान दें। जब रिफंड करें तो उसमें रेट आफ इण्टरस्ट वही होना चाहिए जो रेट आफ इण्टरस्ट चार्ज करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक का सीमा शुल्क से सम्बन्ध है। मैं माननीय मन्त्री जी से यह आग्रह करना चाहता हूं कि भंडार नहीं हैं, स्टोर नहीं है। वेयर हाउसिंग में जो माल बाहर से आता है, वह रखा जाता है। यह बात सच है कि कभी-कभी इसके अन्दर माल पड़ा रहता हैं और सड़ता रहता है। इसका मुख्य कारण यह है कि उसके बाजार भाव उचित समय रूप से नहीं मिलते हैं। इस कारण भी मन्त्री महोदय को यह कदम उठाना पड़ा, इसका मैं समर्थन करता हूं।

जो ब्याज की दर है और आज जो देने जा रहे हैं, उसका मैं समर्थन करता हूं। इसके अलावा सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स की जो दरें हैं और जो बैंक का इंटरस्ट है, इन तीनों का एक समान स्वरूप होना चाहिए। अगर यही स्थिति बनी रही तो मैं समझता हूं कि इसमें काफी परेशानियां पैदा होंगी और काला धन भी इससे पैदा होगा तथा भ्रष्टाचार भी पनपेगा।

मेरा मन्त्री महोदय से अनुरोध है कि वह मेरे सुझावों पर गम्भीरता से विचार करें।

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर) : उपाध्यक्ष जी, मूलतः यह विधेयक अपने आप में बहुत छोटा है, किन्तु इसके व्यापक परिणाम निश्चित रूप से होंगे। मन्त्री महोदय द्वारा कुछ दरों में संशोधन की बात कही गई है और उसके अनुसार अपना माल जो निश्चित अवधि के बाद भी भंडारण में रखते हैं और विलम्ब के बाद इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि बाजार में उनकी कीमतें कई बार काफी कम हो जाती हैं, उसके कारण जो लाभ अर्जित करना होता है, वह प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसमें वर्तमान में जो प्रावधान है, उसके अनुसार सरकार को किसी भी प्रकार के राजस्व का लाभ नहीं मिलता है और आयात कर्ता अपने आप ब्याज का लाभ प्राप्त कर लेते हैं। उसके विपरीत सरकार को उसके भण्डारण की तथा उसकी सुरक्षा की व्यवस्था भी करनी पड़नी है। वर्तमान विधि के अधीन जो आयातित माल है और जिसको भण्डारण में रखा जाना होता है, उनका शुल्क संदाय किए बिना भी निकासी नहीं की जाती। विदेशी पत्तनों को जब तक माल वहां नहीं भेज दिया जाता उस अवधि तक माल इस अवधि को कम करने की दृष्टि से तथा जो भण्डारण के लिए प्राप्त किए जाने वाला शुल्क है, उसकी दर में भी संशोधन करने की दृष्टि से यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है। मैं समझता हूं, इस तरह से राजस्व का प्राप्ति तो सरकार को होगी लेकिन सीमा शुल्क के सम्बन्ध में जो व्यापक कठिनाइयां हैं, उसके बारे में भी मैं इस अवसर का लाभ लेते हुए आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

सीमा शुल्क के सम्बन्ध में कई बार अधिकारियों की तरफ से जो व्यवहार या काम किया जाता है, किसी प्रकार उनको इस सीमा शुल्क जो चोरियां हैं, उनसे बचाव किया जाय, उनको रोका जाय। यद्यपि इस प्रकार के प्रावधान हैं लेकिन फिर भी आये दिन सीमा शुल्क की बड़ी मात्रा में चोरी की शिकायतें मिलती हैं और सरकार को इस बारे में भी राजस्व की हानि होती है। मैं चाहूंगा कि सरकार उसके बारे में भी, प्रावधानों में जो विहित है, उन्हें और सुनिश्चित करे और हम इस प्रकार के प्रावधान अन्य सम्बन्धित विधानों में भी, अधिनियमों में भी करे जिसके कारण सीमा शुल्क की चोरी करने वालों को ठीक से दण्डित किया जा सके और उनके ऊपर ठीक से निगरानी रखी जा सके। मैं यहां माननीय

मन्त्री जी का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा । कई बार अधिकारीगण भी सीमा शुल्क के सम्बन्ध में अपने-अपने ढंग से विचार करते हैं माल के वर्गीकरण के बाद शुल्क निर्धारित करने में कई बार कुछ निर्यातकों को या आयातकों को उसके बारे में कठिनाई होती है । मैं समझता हूं उन कठिनाइयों को दूर करने की दृष्टि से भी विचार किया जाना चाहिए ताकि अकारण अधिकारी उन्हें परेशान न करें और सीमा शुल्क के बहाने किसी प्रकार से माल को बाहर जाने से रोकने के सम्बन्ध में या अगर आया हुआ माल है तो उसको ठीक समय पर पहुंचाने की दृष्टि से और भण्डारण की दृष्टि से जो कुछ सुविधाएं प्राप्त हैं, उन सुविधाओं को उन्हें प्रदान कर सकें ।

इसके साथ ही निश्चित रूप से इन संशोधनों के बाद में सरकार इस प्रकार का कोई भी कार्य नहीं करेगी, जिसके कारण अधिकारी इन प्रावधानों को या इन संशोधनों को या अधिनियमों में आप जो कुछ संशोधन करने जा रहे हैं, उसका लाभ उठायें और जो इससे सम्बन्धित पक्ष हैं, उनको किसी प्रकार की हानि पैदा हो या उनके सामने संकट खड़ा हो ।

मैं एक बार और निवेदन करना चाहूंगा कि सीमा शुल्क की तस्करी के बारे में कड़े कदम उठाए जाने चाहिए और अधिकारियों पर भी कड़ी नजर रखी जानी चाहिए । तस्करों पर तो आप नजर रखते हैं लेकिन अधिकारी भी किस प्रकार से उनसे मिलकर काम करते हैं, यह आज हमारे यहां एक बहुत बड़ा कारण बन गया है कि सीमा से, तस्करी से जो चाहे माल आ जाय, जिस प्रकार से आ जाय और जितना चाहे आ जाय, यह स्थिति हमारे लिए ठीक नहीं है और इसी कारण हमारे सामने जो कई प्रकार के संकट भी आज खड़े हुए हैं, वह संकट भी दूर होंगे इसलिए उनका भी कठोरता से पालन किया जाना चाहिए ।

[अनुवाद]

श्री राजगोपाल नायडू रामासामी (पेरियाकुलम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम की ओर से सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक का खुले दिल से समर्थन करता हूं ।

यह बहुत विलम्ब से किया जाने वाला उपाय है तथा बेइमान आयातकर्त्ता लम्बे समय से सीमा शुल्क कानून की कमियों का दुरुपयोग करते आ रहे हैं जिसके कारण राजकोष को हानि हो रही है । मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि वर्तमान प्रावधानों के अभाव में पिछले पांच वर्षों के दौरान सरकार को कितनी हानि उठानी पड़ी है । मन्त्री महोदय द्वारा यह जानकारी देने से सदन को यह पता चल जाएगा कि किस प्रकार सरकार राजस्व अर्जित करने वाले एक महत्वपूर्ण पहलू के प्रति उदासीन बनी रही । मैं निश्चय ही यह महसूस करता हूं कि नौकरशाही तथा अर्थशास्त्रियों को बहुत पहले सरकार को इस प्रकार का विधान तैयार करने के सम्बन्ध में जानकारी देनी चाहिए थी । अब संसाधन संकट भंवर में फंस जाने पर, हम राजस्व प्राप्त करने के लिए चारों ओर देख रहे हैं और इसलिए यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है ।

वर्तमान प्रावधानों के अन्तर्गत, आयातित वस्तुएं आयातकर्त्ताओं द्वारा निपटान किए जाने तक अथवा विदेशी बन्दरगाहों तक पुनः निर्यात किए जाने तक गोदामों में रखी जाती हैं । आयातकर्त्ता तीन माह तक वस्तुओं को रख सकते हैं और इसके बाद विलम्ब से निपटान कराने पर 18 प्रतिशत की दर से ब्याज लिया जाता है । किन्तु आयातकर्त्ताओं द्वारा इसका दुरुपयोग किया जा रहा है जिसके कारण

राजकोष को बहुत अधिक हानि हो रही है अब विधेयक में गोदामों में रखे जाने वाले माल की अवधि को कम करने तथा साथ ही गोदाम में रखे गए सीमाशुल्क लगाए जाने वाले माल पर ब्याज लगाने का प्रस्ताव किया गया है । शुल्क का विलम्ब से भुगतान करने पर भी ब्याज लगाने का प्रस्ताव है ।

इसमें कोई सन्देह नहीं है कि इन संशोधनों से सीमा शुल्क की वसूली में वृद्धि होगी तथा ब्याज की वसूली से राजस्व में भी वृद्धि होगी । लेकिन वित्त मन्त्री महोदय को यह अवश्य जानना चाहिए कि जब जुर्माने के अतिरिक्त चूककर्त्ताओं को कैद की सजा जैसा कठोर दण्ड भी दिया जाए तभी इस प्रकार के कानून निवारण को प्रभावी रूप से रोका जा सकता है । आजकल 'कोफेपोसा' और 'फेरा' से आर्थिक चूककर्त्ताओं को केवल इसलिए भय नहीं होता है कि क्योंकि उन पर जुर्माना ही लगाया जाएगा, बल्कि चूंकि उनको जेल में भी डाला जाएगा, जिससे आर्थिक चूक करने की उनकी समस्त गतिविधियां प्रभावित होती हैं । अतः ये कानून उद्देश्य की पूर्ति करते हैं ।

इस बात को ध्यान में रखते हुए, मैं वित्त मन्त्री महोदय को यह भी सुझाव दूंगा कि वे इसमें ऐसा प्रावधान भी शामिल करें कि यदि गोदाम से माल को उठाने में विलम्ब होता है तो उस मामले में एक से तीन महीने की कैद की सजा दी जाए । यह केवल अमीर लोगों के चोंचले हैं जो समय पर माल का निपटान नहीं कराते । साधारण लोग उसी समय माल का आयात करते हैं जब उन्हें वास्तव में उस माल की आवश्यकता होती है तथा वे शीघ्र ही उसका निपटान भी करा लेते हैं । अतः, कानून में कैद के दण्ड का प्रावधान होना चाहिए ।

महोदय, इस समय माल को गोदाम में रखने की अवधि बढ़ाने के लिए अनुमति देने की शक्तियां बोर्ड के पास हैं । मैं चाहूंगा कि बोर्ड की शक्तियों को सीमित किया जाए । इस समय बोर्ड के पास एक वर्ष तक अवधि बढ़ाए जाने का अधिकार है । परन्तु क्या किसी भी चरण पर इस बात की जांच की जाती है कि क्या इन शक्तियों का प्रयोग बोर्ड द्वारा पूर्ण सावधानी के साथ किया जाता है ? अतः, मेरा सुझाव है कि केवल एक माह के लिए समयावधि बढ़ाई जानी चाहिए तथा इसके बाद कोई अवधि नहीं बढ़ानी चाहिए । यदि आयातकर्त्ता माल का आयात करने में असफल रहता है तो उससे शुल्क की वसूली, शुल्क पर ब्याज तथा इस प्रकार की कार्यवाहियों पर हुए खर्च के लिए मुकदमा चलाया जाना चाहिए ।

मैं आशा करता हूं कि माननीय वित्त मन्त्री मेरे सुझावों पर विचार करेंगे ।

[हिन्दी]

श्री ताराचन्द खण्डेलवाल (चांदनी चौक) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी द्वारा जो विधेयक सदन में विचार करने के लिए प्रस्तुत किया गया है, उसके सम्बन्ध में मैं दो-तीन सुझाव देना चाहता हूं ।

अभी कई माननीय सदस्यों ने कहा है कि इसमें 20- 0 परसेंट की छूट दी गई है । मैं विशेष तौर पर जोर देकर माननीय मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि इसमें एक निश्चित राशि रखनी चाहिए, निश्चित रेट-आफ इन्टरेस्ट रखना चाहिए । मैं पूछना चाहता हूं, क्या यह छूट आफिसरों की मनमानी और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए दी गई है ? इस छूट को देने से आफिसरों की मनमानी होगी और फिर भ्रष्टाचार का भी स्रोत होगा ।

दूसरी बात, यह प्रश्न उठाया गया है कि लेने और देने में रेट-आफ इन्टरेस्ट में बहुत बड़ा अन्तर है। यह एक हास्यास्पद स्थिति है, लेने के लिए 20-30 परसेंट और देने के लिऐ 6 परसेंट, यह स्थिति नहीं होनी चाहिए। यह किसी भी प्रजातन्त्र देश की रवायत नहीं है, इससे ऐसा लगता है कि सरकार की जैसे डिक्टेटरशिप या मोनोपोली है, इसलिए इसमें इतना बड़ा भारी गैप है। इस पर मन्त्री जी को विचार करना चाहिए।

इस विधेयक में जांच कार्यवाही के लिए सात दिन की बात कही गई है। मैं इस बारे में कहना चाहता हूं कि दो दिन तो फार्मेलिटी में लग जाते हैं, फार्मेलिटी के अलावा कौन सी कैटेगरी में अतर्गत इम्पोर्ट हुआ है, इसका निर्णय करने में भी समय लग जाता है तथा ड्यूटी रेट क्या है, इस पर भी डिस्पयूट हो जाता है। इसमें मेरा एक कन्स्ट्रेक्टिव सजेशन है, जहां सात दिन की बात कही गई है, उसके आगे यह और जोड़ दिया जाए—यदि आयातकर्त्ता तथा सीमाशुल्क विभाग के बीच कोई विवाद नहीं है। यह मेरे तीन सजेशन्स हैं।

[अनुवाद]

प्रो० सुशान्त चक्रवर्ती (हावड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का अवसर दिए जाने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। इस सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक, 1991 का उद्देश्य सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन आयात के बाद बिना सीमा शुल्क के भुगतान के गोदाम में माल रखने से मुख्यतया सम्बन्धित उपबंधों को संशोधित करना है। समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, 1878 को इसी संसद में 1962 में संशोधित किया गया था और अब यह मुख्य अधिनियम बन गया है। इस अधिनियम का उद्देश्य तस्करी तथा कर प्रवंचन के विरुद्ध प्रभावकारी उपाय सुनिश्चित करते हुए व्यापार को ईमानदारीपूर्वक चलाने के लिए प्रत्येक संभव प्रयास से सुविधा प्रदान करना है।

अब संसाधनों के अभाव में, वित्त मन्त्री महोदय राजस्व इकट्ठा करने के लिए बहुत कठोर प्रयास कर रहे हैं तथा सीमा शुल्क के रूप में राजस्व को बढ़ाने के लिए वे इस अधिनियम में कुछ संशोधन करना चाहते हैं। कुल मिलाकर मैं इस विधेयक से सहमत हूं। मेरे विचार से इस विधान द्वारा वित्त मन्त्री महोदय को 200 करोड़ रु० तक इकट्ठे होने की आशा है। इसमें आयातित माल को हवाई अड्डों तथा बंदरगाहों और साथ ही साथ गोदामों से शीघ्र हटाने की भी व्यवस्था है। इस समय आयात-कर्त्ताओं को बंदरगाहों से माल उठाने के लिए 45 दिन तथा गोदामों से माल उठाने के लिए तीन माह की अवधि का समय दिया जाता है। इस विधान के द्वारा इस अवधि को घटाकर क्रमशः 15 दिन तथा एक माह किया जा रहा है ताकि आयातकर्त्ता अपने सीमा शुल्क का भुगतान करके शीघ्र ही अपना प्रेषण ले लें। इससे देश के विदेशी मुद्रा संसाधनों को बढ़ाने में सहायता मिलेगी। अब उद्योगों को केवल वह वस्तुएं अपेक्षित मात्रा में आयात करनी पड़ेगी जिनकी कि तत्काल प्रयोग में लाये जाने की आवश्यकता होगी। 1962 के सीमा शुल्क अधिनियम के होते हुए, बेईमान व्यापारियों की यह परि-पाटी रही है कि वे अपने माल को उनके गोदामों में रख देते थे तथा बाजार में उनका कृत्रिम अभाव उत्पन्न कर देते थे और इस प्रकार सरकार को राजस्व से वंचित करते रहते थे। जब वे माल का निपटान करने के लिए सहमत हो गए तो कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट, जिसकी लोक लेखा समिति द्वारा जांच की, में कतिपय साक्ष्य दिए गए हैं। वे प्रक्रिया में विलंब करते हैं। सीमा शुल्क अधिकारियों ने शुल्क के रूप में कुछ धनराशि की मांग की तथा ये बेईमान

व्यापारी उतनी राशि देने को तैयार भी हो गए जितना वे उचित समझते थे। उसके बाद वे न्यायालय में चले गए। 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इसी प्रकार के एक मामले का उल्लेख किया गया है। समिति की यह रिपोर्ट ऐसे ही एक मामले से सम्बन्धित है जिसमें एक बड़े वस्त्र विनिर्माता, द रिलायंस इन्डस्ट्रीज लि० ने पहले दिल्ली उच्च न्यायालय से आयातित पोलिस्टर तथा नाइलोन फिलामेंट धागे पर विवादास्पद सीमा शुल्क के भुगतान के विरुद्ध स्थगन आदेश लिया था। तथापि उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश दिए जाने के बाद, रिपोर्ट में बताया गया है :

> "31.28 करोड़ रु० के विशिष्ट शुल्क का अवैध तरीके से भुगतान पार्टी द्वारा 138 किश्तों में दो वर्ष की अवधि में किया गया जिसे सीमा शुल्क विभाग द्वारा नियमित रूप से स्वीकार किया गया।"

महोदय, कानून तो है तथा यह बहुत अच्छा है। किन्तु सरकार को इस मामले में अवश्य ही गम्भीर होना चाहिए तथा इसमें जो कमियां हैं उन्हें अवश्य दूर किया जाना चाहिए। मैं नहीं जानता कि सरकार अपनी इच्छा से आयात शुल्क घटा रही है अथवा यह किसी बाह्य एजेंसी द्वारा निर्धारित किया गया है। लेकिन जो बात मैं जानता हूं, वह यह है कि सरकार इन खामियों को दूर करने में बिल्कुल भी गम्भीर नहीं है। सीमा शुल्क विभाग ने, इसी मामले में, जिसका मैंने उल्लेख किया है, उच्च न्यायालय का आदेश आने के पश्चात् सरकार से स्पष्टीकरण और अनुदेश मांगे। लेकिन वित्त मन्त्रालय ने वह अनुदेश भी नहीं दिया। मुझे मालूम है कि सीमा शुल्क विभाग में बेईमान अफसर भरे पड़े हैं। लेकिन जो ईमानदार अधिकारी इन कमियों को दूर करना चाहते हैं, उन्होंने सरकार से स्पष्टीकरण मांगा था, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं हुई। यह बात हम कैसे कह सकते हैं कि करापवंचन खत्म हो जाएगा ? मुझे हिन्डाल्को लि० के एक मामले का उल्लेख करने की अनुमति दीजिए। जिस कर का भुगतान किया जाना था, वह 20 से 30 करोड़ रु० का था। निदेशक, केन्द्रीय राजस्व आसूचना के द्वारा एक छापा भी मारा गया। अभियोग लगाने सम्बन्धी प्रमाण भी मिले लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। क्या हम मामले से इसी तरह से निपटेंगे ? कानून हम बना सकते हैं। लेकिन हमें उनको लागू भी करना होगा। क्या सरकार इसके लिए तैयार है ? हमें मालूम है कि कम करके बीजक बनाना या अधिक करके बीजक बनाने से निपटने के लिए इसी अधिनियम, 1962 की अन्य धाराएं हैं। इस मामले में सरकार का क्या रवैया है ? सरकार मौन क्यों है ? जब उसे पता है कि समय बदल रहा है, इस अधिनियम में भी परिवर्तन करने की आवश्यकता है, तब सरकार अधिक दिखा कर बीजक बनाने और कम दिखाकर बीजक बनाने सम्बन्धी मामलों से क्यों नहीं निपटती ? मैं यह जानना चाहता हूं। सरकार गैर-कानूनी व्यापार से कैसे निपटेगी ? हम सभी को मालूम है कि केवल पिछले तीन वर्षों में अधिक दिखाकर बीजक बनाने और कम दिखाकर बीजक बनाने से केवल भारत से ही 2801 बिलियन डालर की पूंजी बाहर चली गई। विदेशी मुद्रा की कमी है। हमें इस बात की जानकारी हैं। अतः, सरकार संसद में एक व्यापक संशोधन क्यों नहीं लाती जिससे ये सभी खामियां दूर की जा सकें ?

लेकिन, मैं फिर भी इस विधेयक का समर्थन करता हूं। फिर भी, मैंने पहले ही कहा है कि मैं कुल मिलाकर इस विधेयक से सहमत हूं लेकिन मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि बाद में किसी तारीख

को सरकार को एक व्यापक विधेयक लाना चाहिए जोकि इन खामियों को दूर कर सके और हमारे देश का जौकि विदेशी मुद्रा की कमी के संकट से राजस्व बढ़ाने में हमारी सहायता कर सके।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं यह अवसर दिए जाने के लिए एक बार पुन: आपका धन्यवाद करता हूं।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : मुझे बोलने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद। इस विधेयक के विरुद्ध कुछ बोलने के लिए मेरे पास कोई विशेष बात नहीं है। लेकिन एक बात जानने में मेरी रुचि है। पत्र पत्रिकाओं में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि सरकार सीमा शुल्क सम्बन्धी मामले स्विटजरलैंड की कम्पनी को सौंपने के बारे में विचार कर रही है। मुझे आशा है कि ऐसी बात नहीं है। लेकिन मुझे यह जानकर बड़ी आशंका हुई थी। यही कारण है कि मैं इस सम्बन्ध में, एक स्पष्टीकरण मांगने के लिए अपनी बात कह रहा हूं कि क्या सरकार का ऐसा कोई इरादा है अथवा यदि इसके बारे सोचा भी गया है, तो यह बात उन्हें त्याग देनी चाहिए। मेरी बात का मुद्दा यही है। मुझे मालूम है कि सीमा शुल्क में कठिनाइयां होती हैं। मुझे पता है कि कतिपय ऐसी बात हैं जिनके सीमा शुल्क के संबंध में करने की आवश्यकता है। लेकिन इस समाचार के सम्बन्ध में वास्तविकता क्या है? मुझे आशा है कि माननीय मन्त्री जी इसका स्पस्टीकरण देकर हमें जानकारी प्रदान करेंगे।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : उपाध्यक्ष महोदय, हम वास्तव में माननीय सदस्यों के आभारी हैं जिन्होंने बहुमूल्य सुझाव दिए हैं। आमतौर पर उन्होंने विधेयक के उपबंधों का समर्थन किया है।

3.25 म० प०

[श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य पीठासीन हुईं]

महोदया, मैं श्री गिरधारी लाल भार्गव, श्री श्रीवल्लभ पाणिग्राही, श्री सैयद शहाबुद्दीन, प्रो० प्रेम धूमल, श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री, डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय, श्री राजगोपाल नायडू रामास्वामी, श्री ताराचन्द खण्डेलवाल, प्रो० सुशांत चक्रवर्ती और श्रीमती गीता मुखर्जी का विशेष रूप से आभारी हूं। वे बोले और उन्होंने बहुत से सुझाव दिए।

मैं इस सम्बन्ध में यह उल्लेख करना चाहूंगा कि विधेयक का आम प्रस्ताव विलम्ब से बचने, प्रक्रियाओं को सुचारु बनाने और आयातकों को युक्तियुक्त समय प्रदान करने के बारे में है, जैसाकि माननीय सदस्यों ने भी जिक्र किया है। यदि आयातक भुगतान करने में विलम्ब करते हैं, तो उन्हें ब्याज की मौजूदा दरों का भुगतान करना पड़ेगा।

इस सम्बन्ध में सदस्यो ने यह जानने की इच्छा व्यक्त की है कि क्या बैंकों में कोई विलम्ब होगा और ब्याज दर क्या होगी—जैसाकि कहा गया है—क्या यह 20 से 30 प्रतिशत होगी? विधेयक में यह प्रावधान किया गया है। शुरूआत करने के लिए, हम इस सम्बन्ध में मौजूदा बैंक दर 20 प्रतिशत रखना चाहते हैं। जब कभी भी इसे बढ़ाया जाएगा, तो इस दर को 20 से 30 प्रतिशत नहीं किया जाएगा। इसे निर्दिष्ट करके इसकी अग्रिम रूप से घोषणा की जाएगी। लेकिन शुरू में यह दर केवल 20 प्रतिशत होगी। सरकार की यह इच्छा है।

एक माननीय सदस्य : क्या आप इसे बढ़ाकर 30 प्रतिशत करेंगे ?

श्री रामेश्वर ठाकुर : हम इसे बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर सकते हैं। लेकिन यह दर बढ़ाना नहीं है कि एक पार्टी से हम 20 प्रतिशत वसूल करें, दूसरी पार्टी से 25 प्रतिशत तथा तीसरी पार्टी से हम 30 प्रतिशत लें। सरकार की ऐसा करने में रुचि नहीं है। लेकिन यदि बैंक की दरें घटा दी जाएं और अन्य शर्तें बदलें तो हम इस सम्मानित सभा के समक्ष आना नहीं चाहते हैं। हम वस्तुत: 30 प्रतिशत तक के ढांचे में ही दर को परिवर्तित कर सकते हैं।

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : क्या यह अधिकारियों के विवेक पर निर्भर करता है ?

श्री रामेश्वर ठाकुर : जी, नहीं। इस पर बोर्ड और सरकार द्वारा विचार किया जाएगा और इसकी उचित समय पर घोषणा की जाएगी। इसको अधिसूचित कर दिया जाएगा। इस समय यही इरादा है।

जहां तक इस विचार का सम्बन्ध है कि विलम्बित कर भुगतान और कर वापसी के लिए समान दर होनी चाहिए, मैं यहां पर एक निवेदन करना चाहता हूं। पूर्व सरकार से पहले, आय-कर कानून में यह प्रावधान किया गया था कि विलम्बित भुगतान के लिए दर 24 प्रतिशत होनी चाहिए। यह एक तरह से शास्ति भुगतान था। इसमें किसी तरह के विवेकाधिकार का कोई प्रश्न नहीं छोड़ा गया था। जो लोग विलम्ब करते हैं, उन्हें भुगतान करना पड़ेगा। जो लोग विलम्ब नहीं करते, उन्हें भुगतान नहीं करना पड़ेगा। वापसी के मामले में, अनुभव से यह बात सामने आती है कि यह ब्याज दर 18 प्रतिशत थी। बहुत से लोगों ने इसमें यह करने कोशिश की कि उन्हें वापसी राशि समय पर प्राप्त न हो, क्योंकि उन्हें हमसे 18 प्रतिशत ब्याज प्राप्त होता था जबकि बैंक से 11 प्रतिशत ही मिलता था। यह बात देखने में आई। हमने अपने अनुभव से यह बात देखी और हम इसकी कुछ हद तक प्रतिपूर्ति करना चाहते हैं। लेकिन हम यह नहीं चाहते कि वे सरकार के पास पैसा निवेश करके और रखकर इससे फायदा उठाएं। अतः, आयकर मामले में अब इसे घटाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया है। इस बात का अर्थ है क्योंकि यदि बिलम्ब होता है, जानबूझकर विलम्ब होता है, तो शास्ति ब्याज का भुगतान करना होगा। यदि विभाग द्वारा विलम्ब किया जाता है, आम निक्षेप दर का जहां तक सम्बन्ध है, हमने दर 12 प्रतिशत निर्धारित की है। इसमें कोई भेदभाव नहीं किया गया है। वस्तुतः, यदि हम सीमा शुल्क और उत्पाद कर की तरफ देखें, तो इस समय विलम्ब के लिए कोई भुगतान नहीं किया गया है और कर का कोई भुगतान नहीं किया गया है। सदैव इसी तरह की बात नहीं होती हैं। हम यह संशोधन भी कर रहे हैं। सीमा शुल्क और उत्पाद कर कानूनों में भी शास्ति ब्याज और वापसी का प्रावधान किया जाएगा। लेकिन जहां तक इस भाग का सम्बन्ध हैं, यह केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो कतिपय निर्दिष्ट अवधि के बाद धन रखे रहते हैं। मैं एक बात का स्पष्टीकरण देना चाहूंगा। एक माननीय सदस्य ने कहा है विचार यह है कि माल की निकासी करने में समय लगेगा और उन्हें कर का भुगतान करना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं हैं।

लगभग 80 प्रतिशत मामलों में उनके दस्तावेजों का 72 घण्टे के अन्दर निपटान किया जाता है। हम उनको दस्तावेज वापिस करने की तारीख से सात दिन का समय देते हैं। आरम्भ में हम उनसे 50 प्रतिशत का भुगतान करने के लिए कहते हैं। दस्तावेज प्राप्त होने के सात दिन बाद भी यदि

भुगतान बकाया रहता है तो स्वाभाविक रूप से उन्हें ब्याज भी देना होगा। हमने सामान रखने के लिए 60 दिन के समय को कम करके 30-45 दिन कर दिया है और तीन महीने से एक महीने कर दिया है। यह उचित है और प्रत्येक व्यक्ति ने इसका स्वागत किया हैं। इसका कारण यह है कि हम वस्तुओं का आयात तभी करते हैं जब इसकी आवश्यकता होती हैं। जब आवश्यक वस्तुओं का आयात किया जाता है यद्यपि हमारे पास विदेशी मुद्रा की कमी है फिर भी वस्तुओं का आयात करने के लिए बहुत ही उच्च प्राथमिकता के आधार पर विदेशी मुद्रा दी जाती है। इसका कोई औचित्य नहीं है कि यदि वे निर्माण अथवा मानव उपभोग के लिए आयातित वस्तुओं को प्रयोग में नहीं ला रहे हैं। कभी-कभी दवाइयों का भी आयात किया जाता है और वे अस्पतालों में मानव उपयोग के लिए अत्यधिक अनिवार्य होती हैं। यदि आयातकर्ता इन्हें अधिक समय तक गोदामों में रखता है तो इसका कोई औचित्य नहीं है। इसलिए हमने कहा है कि उन्हें इसका निपटान करना होगा। यदि वे निर्धारित अवधि में इसका निपटान नहीं करते हैं तो उन्हें ब्याज देना होगा और वे इसे कतिपय अवधि के बाद नहीं रख सकते। यह एक अच्छा प्रावधान हैं और प्रत्येक सदस्य ने इसकी सराहना की थी और हम उनके आभारी हैं।

जहां तक प्रशासन का सम्बन्ध है हमने पहले ही सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के सम्बन्ध में प्रक्रियाओं को सरल बना दिया है। परन्तु इसमें सुधार की सदैव ही गुंजाइश रहती है और सरकार इस बात को सुनिश्चित करने को सदैव तत्पर रहती है कि आयातकों अथवा आम जनता को कोई परेशानी न हो। हम इस कार्य में तेजी लाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे सभी महत्वपूर्ण बन्दरगाहों पर अधिकांशतः कम्प्यूटरीकृत प्रणाली है। इसलिए माल को छुड़ाने में विलम्ब नहीं होता है। यदि वर्गीकरण हो तो हम माल की निकासी करने का प्रयास करते हैं। इस समय हम इस अधिनिर्णय के क्रियान्वयन में तेजी लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें इस बात की चिन्ता है कि उसमें कोई विलम्ब नहीं होना चाहिए।

जहां तक एक साल तक समय बढ़ाने की बोर्ड की शक्तियों का सम्बन्ध है, मैं कहना चाहूंगा कि बोर्ड की शक्तियां बहुत ही सीमित हैं जो न केवल सामान्य प्रयोजन के लिए है बल्कि यह राजनयिक वस्तुओं के लिए हैं अथवा भण्डारण वस्तुओं के लिए जो शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी हैं। कई वस्तुएं ऐसी हैं जो राजनैतिक स्वरूप की हैं अथवा शत-प्रतिशत नियोतोन्मुखी हैं। बोर्ड को जो अधिकार प्राप्त हैं वे केवल ऐसे मामलों पर ही लागू होते हैं जिसमें सीमा-शुल्क नहीं लगाया जाता है। ऐसे सामान पर किन्हीं कारणों, राजनयिक कारणों या कुछ अन्य कारणों से हम कोई शुल्क नहीं लगाते हैं। ऐसे मामलों में उन्हें समयावधि बढ़ाए जाने का अधिकार है। अन्यथा अन्य सभी मामलों में सम्बन्धित अधिकारी अथवा बोर्ड को एक दिन का समय बढ़ाने का भी अधिकार नहीं है। हमारे यहां 'यदि और लेकिन' शब्द नहीं है; ब्याज से छूट अथवा अवधि बढ़ाए जाने सम्बन्धी कोई अधिकार नहीं है। इस सम्बन्ध में स्पष्ट कानून है कि निर्धारित अवधि से ज्यादा होने पर उन्हें भुगतान करना पड़ता है और 30 दिन की निर्धारित अवधि तक वे सामान रख सकते हैं और उसके पश्चात् नहीं।

इस प्रश्न के सम्बन्ध में कि हमारे निर्यातों के साथ-साथ करों की क्या स्थिति है, तो हम इस सम्बन्ध में यह उल्लेख करना चाहेंगे कि पूर्व वर्षों में हमारे निर्यात कुछ अधिक थे। 1989-90 में 35,410 करोड़ रु० का आयात किया गया था। 1990-91 में 43,17,082 करोड़ रुपए मूल्य का आयात किया गया था। जैसाकि आपको इस बात की जानकारी है कि चालू वर्ष में पिछली सरकार ने

19 मार्च, 1991 से आयात के लिए विदेशी मुद्रा देना बन्द कर दिया था। हाल ही में, जब हमारी स्थिति में सुधार हुआ तो हमने कुछ हद तक आयात को उदार बना दिया है। जैसाकि माननीय सदस्यों को सन्देह है—श्री पाणिग्रही ने बताया है —हमारे पास विदेशी मुद्रा की कमी है। नवम्बर तक हमारा लक्ष्य 15,705 करोड़ रु० का सीमा-शुल्क प्राप्त करने का था। हम 12,511 करोड़ रु० वसूल कर पाए हैं। इसमें 3,'00 करोड़ रु० की कमी रही। हम कानूनी रूप से इस लक्ष्य को प्राप्त करने का हर सम्भव प्रयास कर रहे हैं। पत्तनों में सुधार के साथ-साथ इस स्थिति में सुधार होने की सम्भावना है।

जहां तक उत्पाद-शुल्क का सम्बन्ध है, यह सच है कि हमारा लक्ष्य 16,668 करोड़ रु० वसूल करने का था और हमने 16,941 करोड़ रु० की वसूली की है। अतः हमें 252 करोड़ रु० से अधिक की अतिरिक्त राशि प्राप्त हुई। प्रत्यक्ष करों के मामले में, हमने पिछले वर्ष की तुलना में काफी प्रगति की है।

मैं इस सदन को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि जहां तक प्रशासन का सम्बन्ध है प्रशासन सरकार का, बोर्ड का प्राथमिक उत्तरदायित्व है। किसी अन्य को प्रशासन सौंपने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इससे सन्देह प्रतीत होता है। कभी-कभी हमारे पास प्रस्ताव आते हैं और हम दक्षता और तकनीकी जैसे विशेष क्षेत्रों में दी गई विशेषज्ञों की सलाह अथवा सेवाओं की जांच करना चाहते हैं। इसका आशय यह नहीं है कि हम किसी और को प्रशासन सौंप दें चाहे वह कोई भी हो। हमारे विचार में ऐसी कोई बात नहीं है।

अन्त में, मैं यह कहना चाहूंगा कि यह विधेयक 1987-88 में प्रस्तुत किए गए लोक लेखा समिति के 12 वें प्रतिवेदन को ईमानदारी से लागू करने के लिए लाया गया है। जिसमें कमियां बताई गई हैं और हमसे अपेक्षा की गई है कि कानूनी स्थिति में सुधार लाया जाए। इस प्रतिवेदन में भांडागारों से सम्बन्धित कानून में कतिपय बुनियादी परिवर्तनों का उल्लेख किया गया है जोकि न केवल सीमा-शुल्क भांडागारों के संचालन को कारगर बनाने के लिए बल्कि समग्र रूप से अर्थव्यवस्था के व्यापक हित के लिए भी आवश्यक हैं। अत्यधिक सावधानी के रूप में सरकार को चाहिए कि वह इस बात को अनिवार्य बना दे कि आयातित वस्तुओं के मालिकों को अपने भांडागार बांड के साथ बैंक गारन्टी प्रस्तुत करनी होगी। आयातकर्त्ताओं के निर्धारित अवधि से अधिक समय बढ़ाए जाने के अनुरोध की वर्तमान प्रथा को प्रभावी रूप से समाप्त करने की आवश्यकता है।

इसलिए हमने इसका अनुसरण किया है और यह विधेयक लोक लेखा समिति द्वारा की गई सिफारिशों को पूरा करता है। हम इस सदन को विश्वास दिलाते हैं कि इस प्रणाली को कारगर बनाने विलम्ब से बचने और आयातकर्त्ताओं को अपने आयात और निर्यात को बढ़ाने के लिए सभी सम्भव सहायता देने के लिए हम पूर्णतः प्रयासरत हैं। इस कानून से आयातित वस्तुओं को समय पर सदुपयोग लाने में सहायता मिलेगी और इससे कुछ सीमा तक सरकार के राजस्व में भी वृद्धि होगी।

प्रो० सुशान्त चक्रवर्ती : मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा। मन्त्री महोदय ने यह स्वीकार किया है कि सीमा-शुल्क वसूली में कमी आई है। अतः सीमा-शुल्क अधिकारियों से कहा गया है कि सीमा-शुल्क की अधिक वसूली के लिए अपनी व्यवस्था में तेजी लाएं। यह भी किया जा रहा है।

हाल ही में दो सीमा-शुल्क अधिकारियों की रहस्यमय मृत्यु होने से सीमा क्षेत्र में तस्करों और सीमा-शुल्क विभाग के मध्य संघर्ष ने एक नयी और निराशाजनक स्थिति पैदा की है। निश्चय ही आपको इस बात की जानकारी होगी।

सभापति महोदय : आपको बोलने का अवसर दिया गया है। कृपया अपनी बात कहिए।

प्रो० सुशान्त चक्रवर्ती : फील्ड में काम करने वाले सीमा-शुल्क अधिकारियों के मन में भय व्याप्त है। इन अधिकारियों में से एक की विधवा के प्रति उदासीन रवैया अपनाया जा रहा है जिसके कारण उनमें असन्तोष व्याप्त है। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं।

[अनुवाद]

इसलिए, मैं इस अवसर का उपयोग मन्त्री महोदय से असन्तोष के कारणों की जांच करने और शिकायतों को दूर करने के लिए अनुरोध करके करना चाहता हूं। मेरा यह मुद्दा है।

श्री रामेश्वर ठाकुर : महोदया, हम करों के न्यायसंमत और ठीक समाहरण को सुनिश्चित करने के लिए तन्त्र को सभी तरह से दुरुस्त कर रहे हैं। किसी को भी तंग नहीं किया जाता है। लेकिन इसके साथ ही साथ, जहां कहीं चूकें और कमियां हैं, निश्चय ही हम उनको सुधारने का प्रयास करेंगे। हमें इस बात का पता है कि आयात कम है और हमारे सीमा-शुल्क समाहरण भी कम है। इसे ठीक उसी तरह से नहीं किया जा सकता है। ऐसी कोई मंशा नहीं है। लेकिन, इसके साथ ही साथ, निश्चय ही हम सभी लम्बित मामलों को हल करना चाहते हैं, सभी लम्बित अनुसमर्थन को पूरा करना चाहते हैं। हम वैध साधनों से उन मामलों में सुधार करने और उनका समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। अतः, किसी भी माननीय सदस्य के दिमाग में यह आशंका नहीं रहनी चाहिए कि हम वह एकत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं, जो हमें देय नहीं है। हम वही धन राशि एकत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं जो हमें देय है। हम उस धनराशि को अधर में नहीं छोड़ेंगे। सभी सम्भव तरीकों से, वैधानिक रूप से उचित माध्यमों से, और विधि, नियमों और विनियमों के क्रियान्वयन द्वारा, हम इसे करने का प्रयास कर रहे हैं और हम इसे करेंगे। (**व्यवधान**)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : शायद मन्त्री महोदय ने उनकी बात सही ढंग से नहीं सुनी। उन्होंने एक विशेष मामले का उल्लेख किया है जिसमें एक सीमा-शुल्क अधिकारी को जान से मार दिया गया है और उसकी पत्नी को उनसे सही समर्थन नहीं मिल रहा है। उनका यह मुद्दा है।

श्री रामेश्वर ठाकुर : मुझे इसकी जानकारी नहीं है। यदि माननीय सदस्य व्यक्तिगत रूप से मुझे इसके बारे में बताते हैं, तो मैं यह सुनिश्चित करने का प्रयास करूंगा कि पूरा न्याय किया जाए। यह कोई सामान्य मामला नहीं है।

श्री श्रीकांत जेना (कटक) : हम यह समझ सकते हैं कि यदि सरकारी आयात में गिरावट आती है, और जब आयात नहीं होता है, तो गैर-सरकारी आयात तो होता है। यदि आप कनाट प्लेस जाएं, तो आप कई मन्त्रियों को वहां कई चीजें खरीदते हुए पाएंगे। (**व्यवधान**) अतः, गैर-सरकारी वस्तुएं आयात की जा रही हैं। हमारी उसके बारे में जानने में रुचि है। क्या आप इस देश में चल रहे गैर-सरकारी आयातों पर कोई कार्यवाही करना चाहते हैं?

श्री रामेश्वर ठाकुर : सरकार निश्चय ही सीमा-शुल्क नियमों के बारे में चिन्तित है। सरकारी आयात वह आयात है जो सरकार के लेखा में आता है। तथापि, यह एक विदित तथ्य है कि लम्बे सीमा-वर्ती क्षेत्रों में जो समुद्र और सड़क पर है, तस्करी होती है।

सरकार के पास प्रवर्तन तन्त्र है; हमने प्रवर्तन तन्त्र को मजबूत कर दिया है। वास्तव में, हमने इस सदन को पहले समाहर्ण और तस्करी के माल को पकड़ने के सम्बन्ध में आंकड़े पहले ही प्रदान किए हैं वहां प्रवर्तन तन्त्र ने अन्य कार्य भी किए हैं। कार्मिक और उपकरणों की सीमाओं में, इसे सभी क्षेत्रों में पर्याप्त सक्रिय किया गया है। उन क्षेत्रों में हमने काफी कुछ किया है। हम बहुत सजग हैं; तस्करी को कम करने के लिए हम भरसक प्रयास कर रहे हैं। वास्तविक स्थिति यह है कि मामलों के परिमाण और साथ ही संख्या में कमी आई है। लेकिन फिर भी यह हो रही है और हम इससे इंकार नहीं करते हैं। लेकिन इस मोर्चे पर हम सक्रिय हैं, हमारे आदमी इस बारे में अत्यधिक सजग हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : क्या कम हुआ है—इसको पकड़ना या वास्तविक तस्करी ? आपके आंकड़े तस्करी को पकड़ने के होंगे।

श्री रामेश्वर ठाकुर : दोनों।

सभापति महोदय : श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री जी, क्या आप अपना संशोधन वापस ले रहे हैं ?

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : मैं अपना संशोधन सं० 1 वापस लेने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं।

सभापति महोदय : क्या सभा माननीय सदस्य को अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति देती है ?

अनेक माननीय सदस्य : हां।

संशोधन सं० 1 सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

सभापति महोदय : श्री गिरधारी लाल भार्गव जी, क्या आप अपना संशोधन वापस ले रहे हैं ?

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : मैं विदड्रा बाद में करूंगा पहले मन्त्री जी से पूछ लूं। मैंने सैक्शन 48 का विरोध इसलिए किया, वेयर हाउसिंग की सीमा को कम करने का विरोध इसलिए किया जैसे कहीं पर प्रदर्शनी लगती है, प्रदर्शनी में वह व्यक्ति सामान लाता है, सामान लाकर रखता है, प्रदर्शनी का समय एक्सटेंड हो जाता है। जिस समय वह सामान बाहर से लाते हैं तो 50 परसेंट ड्यूटी पहले दे देते हैं और दुगनी राशि का बांड दे देते हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि उस पर अन्याय करना ठीक नहीं होगा।

दूसरी बात यह है कि 2 महीने के समय की आप कमी करने जा रहे हैं। इससे प्रशासनिक

दिक्कतें पैदा हो जाएंगी। बार-बार एप्लीकेशन्स आएंगी, आप समय बढ़ाएंगे। यदि इन दोनों संशोधनों के बारे में आप कुछ बता दें और स्पष्टीकरण दे दें तो मैं आपकी और सदन की आज्ञा से अपने संशोधनों को विदड्रा कर लूंगा। इससे सदन का समय भी बच जाएगा।

श्री रामेश्वर ठाकुर : सभापति महोदया, पहली बात तो यह है कि जो वस्तुएं शहर से मंगायी जाती हैं, आयात की जाती हैं, वे अत्यन्त आवश्यक वस्तुएं हैं। जो वस्तुए हमारे उद्योग, कृषि में प्रयोग होती हैं और जो मानव जीवन की अत्यन्त आवश्यक वस्तुएं हैं—जैसे दवा आदि, स्वाभाविक तौर पर हम नहीं चाहते हैं कि ये वस्तुएं सरकारी वेयर हाउसिंग में लम्बे समय तक रखी जाएं। अभी जो प्रावधान 45 दिन और तीन महीने का था, उसको घटाकर हमने एक महीने का किया है। सभी सदस्यों ने सामान्यत: इसकी प्रशंसा की है।

ब्याज के मामले में हमें यह निवेदन करना है कि पहले जब उनके डाकुमेंट्स आ जाते हैं, उसकी हम जांच करके 72 घण्टे में या उसके आसपास में जब इम्पोटर को कागज वापिस देते हैं तो उनसे यह अपेक्षा रखते हैं कि सात दिन के अन्दर वे 50 परसेंट तत्काल जमा कर दें और 50 परसेंट के बांड दे दें। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। इसके मेरे पास आंकड़े हैं। मैं हाउस का ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा।

[अनुवाद]

भाण्डागार अवधि के समाप्त होने के बाद भाण्डागारों में माल : माल की कीमत—667 करोड़ रुपए; अन्तर्ग्रस्त सीमा-शुल्क—774 करोड़ रुपए।

दूसरे, भाण्डागार में रखे माल का विवरण, जहां 5 दिसम्बर, 1991 को मुक्त अवधि समाप्त हो गई है—33 समाहर्तालय हैं—इस प्रकार है : माल का मूल्य—619.89 करोड़ रुपए; और अन्तर्ग्रस्त सीमा-शुल्क—748.48 करोड़ रुपए।

[हिन्दी]

जो लोग माल छोड़ देते हैं, उठाते नहीं हैं, इस तरह के 54 केस हैं। जो माल उठाते नहीं हैं, जबकि पीरियड पूरा हो गया, ऐसे माल की कीमत 13 करोड़ 42 लाख है। इस प्रकार की स्थिति में यदि समय की सख्ती नहीं बरती गई और ब्याज भी नहीं लगाया जाए तो वह राष्ट्रीय हित में नहीं होगा और उद्योगों के हित में भी नहीं होगा। इसीलिए समय की अवधि फिक्स की गई है। बैंक का ब्याज जो 20 परसेंट है, वे लगाने जा रहे हैं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मन्त्री जी ने बहुत बातें स्पष्ट कर दी हैं और राष्ट्रीय हित की बात कही है, इस कारण मैं अपने संशोधन को वापिस लेता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : क्या सभा यह अनुमति प्रदान करती है कि श्री गिरधारी लाल भार्गव द्वारा प्रस्तावित संशोधन सं० 2 को वापस लिया जाए ?

अनेक माननीय सदस्य : हां ।

प्रस्ताव सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 में और आगे संशोधन करने पर विचार किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : सभा अब विधेयक पर खण्ड-वार विचार प्रारम्भ करेगी । प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 10 तक विधेयक के अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 2 से 10 तक विधेयक में जोड़े गए ।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : मेरा पाइण्ट ऑफ आर्डर है । माननीय मन्त्री जी भी वोटिंग में बोल रहे हैं, आॅय बोल रहे हैं । यह अपर हाउस के मैम्बर हैं इसलिए इनको कम से कम इतना तो संयम बरतना चाहिए । यह यहां बोगस वोटिंग कर रहे हैं ।

सभापति महोदय : इस बिल में तो सबकी सहमति है ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक के अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़े गए ।

श्री रामेश्वर ठाकुर : मैं अनुरोध करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाए ।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव पेश किया गया :

"कि विधेयक को पारित किया जाए ।"

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदया, मुझे केवल एक प्रश्न पूछना है। मैंने उनको अच्छी तरह से सुना है। यह स्वागत योग्य नीति है कि प्रतिकूल भुगतान सन्तुलन में कमी करने के लिए वह आयातों को प्रतिबन्धित करने को बाध्य हुए हैं। मेरा प्रश्न यह है कि क्या आपकी वसूली में कमी न केवल आयातों में कमी के कारण है बल्कि आयातों की कम की गई दरों के कारण है या नहीं जो बजट में प्रारम्भ की गई है। क्या इस सम्बन्ध में आपके पास कोई जानकारी है ? क्या आप यह सुझाव दे सकते हैं कि शुल्क वसूली में कमी किस सीमा तक आयातों में कमी और किस सीमा तक यह सीमा-शुल्कों में कमी के कारण हैं ?

श्री रामेश्वर ठाकुर : मैं अब सही आंकड़े नहीं दे सकता हूं। लेकिन यह एक तथ्य है कि ऐसा प्रमुखतः आयातों पर दबाव और कमी के कारण है और अंशतः इस तथ्य के कारण है कि विगत बजट के दौरान कई मदों को दरों में कमी की रियायत प्रदान की गई थीं। अतः, समिश्रित प्रभाव सीमा-शुल्क में कुल कमी का कारण है।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

3.53 म० प०

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (संशोधन) अध्यादेश, 1991 का निरनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प

और

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (संशोधन) विधेयक

सभापति महोदय : अब हम मद सं० 14 और 15 अर्थात् व्यापारिक व्यवहार (संशोधन) अध्यादेश, 1991 के निरनुमोदन के सम्बन्ध में संविधान संकल्प और एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (संशोधन) विधेयक, दोनों पर एक साथ विचार करेंगे।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मैं यह प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक (संशोधन) अध्यादेश, 1991 (1991 का अध्यादेश सं० 8) जिसे राष्ट्रपति द्वारा 27 सितम्बर, 1991 को प्रख्यापित किया गया है, का निरनुमोदन करती है।"

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री के० विजय भास्कर रेड्डी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता

हूं :

"कि एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 और कम्पनी अधिनियम, 1956 में और आगे संशोधन करने सम्बन्धी विधेयक पर विचार किया जाए।"

एम० आर० टी० पी० अधिनियम 1969 को 1969 में अधिनियमित किया गया था और यह सुनिश्चित करने के स्वीकृत उद्देश्य से आर्थिक प्रणाली के प्रचालन का परिणाम आम व्यक्ति के अहित में आर्थिक शक्ति का जमाव न हो, और एकाधिकार पर नियंत्रण और एकाधिकार और अवरोधक व्यापार एकाधिकार के विषेध के उद्देश्य से 1-6-1970 को लागू हुआ था। इस अधिनियम में अनुचित व्यापार व्यवहार को इसके क्षेत्र के अन्तर्गत लाने और अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए अधिनियम के उपबन्धों को औद्योगिक लाइसेंसिंग नीतियों में परिवर्तनों के अनुरूप करने के लिए 1982, 1984 और 1985 में संशोधन किए गए थे। अधिनियम के अनुसार मूल दर्शन कभी भी औद्योगिक वृद्धि को अवरुद्ध करना नहीं था। हमारा यह अनुभव रहा है कि नए उपक्रमों की स्थापना के लिए, उनकी गतिविधियों के विस्तार, समिश्रण, एकीकरण और जब कभी अस्वीकार्य पाए जाएं तो उनका अधिग्रहण के लिए बड़े औद्योगिक घरानों (जो एम० आर० टी० पी० उपक्रमों के नाम से जाने जाते हैं) के आवेदन-पत्रों को सामान्तया लाइसेंसिग उद्देश्यों के वैध आधार पर अस्वीकार किया गया था और ऐसे बहुत कम मामले थे जिनमें ऐसा आवेदन-पत्र एम० आर० टी० पी० अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले आधारों पर अस्वीकृत किया गया था। इस प्रक्रिया में, केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करने के लिए अधिक समय लगने के कारण एम० आर० टी० पी० कम्पनियों द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं में विलम्ब हुआ। औद्योगिक क्षेत्र की बढ़ती हुई जटिलता तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में स्पर्धात्मक स्तर प्राप्त करने और उच्च उत्पादकता सुनिश्चित करने के लिए पूंजी निवेश निर्धारित करने की आवश्यकता के साथ हमने देखा है कि निगमित क्षेत्र के निवेश निर्णयों से सम्बन्धित एम० आर० टी० पी० अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिबन्ध अपनी उपयोगिता समाप्त कर चुके हैं। हमारे तथाकथित एकाधिकार वाले औद्योगिक घराने अमेरिका और पश्चिम यूरोप के विशालकाय औद्योगिक समूहों की तुलना में बौने नजर आते हैं, जो बहुराष्ट्रीय कम्पनियां चला रहे हैं। बदलते अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य में इन प्रतिबन्धों तथा नियन्त्रणों को हटाना और अपने उद्योग को अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा तक लाने को आवश्यक समझा गया। नई औद्योगिक नीति सम्बन्धी वक्तव्य (1991) के अनुरूप अब एकाधिकारवादी, प्रतिबन्धक और अनुचित व्यापार प्रणाली को समाप्त करने और उसे विनियमित करने पर प्रमुख जोर दिया जा रहा है, जो सार्वजनिक हित के लिए हानिकारक हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों, सहकारी सोसायटियों, आदि को एम० आर० टी० पी० अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत उपलब्ध छूट को वापस ले लिया गया है तथा इन उपक्रमों को उपभोक्ता संरक्षण के हित में निजी क्षेत्र की कम्पनियों के समतुल्य कर दिया गया है।

नई औद्योगिक नीति के अनुसार, लाइसेंस देना अब केवल 18 उद्योगों के लिए ही आरक्षित किया गया है। नए उपक्रमों को स्थापित करने अथवा उनकी क्षमता का विस्तार करने के लिए पूर्व अनुमति की धारणा को नई प्रणाली के अनुसार समाप्त कर दिया गया है। वर्तमान दृष्टिकोण के अनुसार प्रधानता निर्धारित करने हेतु मापदण्ड अब कुल उत्पादित माल, की गई आपूर्ति, किए गए वितरण अथवा देश में की गई सेवाओं के 25 प्रतिशत मार्किट शेयर तक सीमित कर दिया गया है।

प्रधानता अब केवल शेयरों के अधिग्रहण और उनके अन्तरण के सन्दर्भ में ही प्रासंगिक है, जिसकी परिणति या तो प्रधानता का सृजन है अथवा उसमें वृद्धि।

हम एम० आर० टी० पी० आयोग के जांच दायरे में वृद्धि करके इसे और अधिक मजबूत करने का प्रस्ताव करते हैं। यह भी प्रस्ताव है कि न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत अवमानना करने वालों को दण्डित करने की शक्ति भी आयोग को प्रदान की जाए। आयोग तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा पारित आदेशों का उल्लंघन करने वालों को दण्डित करने हेतु उपबन्धों का भी विस्तार किया गया है जिससे कि वे त्रुटि करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ निवारक का कार्य कर सकें। व्याख्यात्मक त्रुटियों तथा परिहार्य मुकदमेबाजी से बचने के लिए कतिपय अन्य परिवर्तन भी किए जाने का प्रस्ताव है।

विधेयक द्वारा कुछ संशोधनों सहित एम० आर० टी० पी० (संशोधन) अध्यादेश, 1991 को प्रतिस्थापित करना है। अब विधेयक पर यह गरिमायुक्त सदन विचार कर सकता है तथा उसे पारित कर सकता है।

4.00 म० प०

सभापति महोदय : इसमें संशोधन किए जाने हैं। श्री अग्निहोत्री जी अनुपस्थित हैं। श्री भार्गव जी, क्या आप इसे पेश कर रहे हैं ?

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को उस पर 26 मार्च, 1992 तक राय जानने के लिए परिचालित किया जाए।"

[अनुवाद]

श्री चित्त बसु (बारसाट) : आदरणीय महोदया, मैं विभिन्न कारणों से इस विधेयक का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इसका विरोध करने के अनेक विभिन्न कारण हैं। लेकिन, इससे पहले कि मैं विस्तार से बोलूं, मैं सामान्य रूप से उन कारणों को बताना चाहता हूं जिनके लिए मैंने यह प्रस्ताव पेश किया है।

यह अध्यादेश, एक विधेयक के रूप में, सरकार द्वारा अब तक कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथों में ही धन के केन्द्रीकरण को कम करने के लिए किए गए सीमित एवं काफी व्यवहार्य प्रयास को निष्प्रभावी कर देगा। अनेक कारणों में से यह एक कारण है जिससे मैं इस अध्यादेश का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

महोदया, मुझे यह भी सन्देह है कि यह अध्यादेश, जब एक अधिनियम के रूप में पारित हो जाएगा, तो यह सार्वजनिक क्षेत्र की निर्णायक भूमिका को भी कम कर देगा तथा कुछ मामलों में इसे निजी क्षेत्र के बराबर लाकर खड़ा करेगा।

यह विधेयक हमारी अर्थव्यवस्था के लघु क्षेत्र के उद्योगों के अस्तित्व पर भी गहरा आघात करेगा।

अन्त में, यह हमारी अर्थव्यवस्था के सहकारी क्षेत्र के लिए भी कुछ न कुछ खतरा उत्पन्न करेगा।

सामान्य रूप से ये कुछ मुख्य आधार हैं जिनके कारण मैं इस अध्यादेश का विरोध करता हूं।

यह अध्यादेश नए उपक्रमों को शुरू करने, मौजूदा उत्पादन क्षमता में विस्तार करने, एककों को एक करने अथवा उनका विलय करने, एककों का अधिग्रहण करने, निदेशकों की नियुक्ति अथवा उपक्रमों के पंजीकरण करने के सम्बन्ध में एकाधिकार रखने वाले औद्योगिक घरानों के प्रतिबन्धों को हटाने की व्यवस्था करता है। इन सभी प्रतिबन्धों को हटाने से, जो वर्तमान एम० आर० टी० पी० अधिनियम में हैं, एक नए युग का सूत्रपात होगा जहां कम से कम हस्तक्षेप को प्रभावी बनाया जाएगा और एक पूर्ण 'मार्किट इकानामी' का उदय होगा जिसकी सलाह अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक द्वारा दी गई है।

जिस बात की ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, वह यह है कि यह राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत हमारे देश की आर्थिक और औद्योगिक नीति के प्रतिकूल हैं। यह 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प के विरुद्ध है। यह नियोजन अर्थव्यवस्था तथा नियोजित विकास की संकल्पना के ही विरुद्ध है। यह हमारे देश की अर्थव्यवस्था के विकासशील महत्वपूर्ण क्षेत्र की मूल अवधारणा के ही प्रतिकूल है।

महोदया, मैं समझता हूं कि यह माननीय सदन खतरे के इन विभिन्न पहलुओं पर विचार करेगा, जो इस अध्यादेश से उत्पन्न होते हैं। महोदया, आपको यह जानकर आश्चर्य नहीं होगा कि वर्ष 1988-89 के दौरान बीस बड़े औद्योगिक घरानों की सकल सम्पत्ति 30,000 करोड़ रुपए की विशाल राशि तक पहुंच गई थी।

इसका तात्पर्य यह है कि एम० आर० टी० पी० अधिनियम जिसमें आर्थिक शक्ति का कुछ ही हाथों में केन्द्रीयकरण होने को रोकने की कुछ व्यवस्था है, बहुत अधिक कारगर साबित नहीं हुआ है। अधिनियम के इस असंतोषजनक निष्पादन के बावजूद, औद्योगिक घरानों पर कुछ प्रतिबन्ध था और कम से कम कागज पर ही सही सरकार का यह इरादा तो था कि वह आर्थिक शक्ति का कुछ ही हाथों में केन्द्रीयकरण होने को रोकना अथवा उसे कम करना चाहती है।

महोदया, आर्थिक शक्ति का केन्द्रीयकरण राजनीतिक शक्ति का भी केन्द्रीयकरण होता है। इससे देश में अस्थिरता भी आती है। यह सामाजिक अशांति तथा सामाजिक तनाव को भी जन्म देती है। ये सभी बुराइयां, जो आज हमारे देश के समक्ष हैं, आर्थिक शक्ति का कुछ ही हाथों में अनुचित केन्द्रीयकरण होने, राजनीतिक शक्ति का कुछ ही हाथों में केन्द्रीयकरण होने और अन्तोगत्वा हमारे देश की दफ्तरशाही के मजबूत होने अर्थात् वे बहुराष्ट्रीय कम्पनियां जो आज हमारे देश में कार्यरत हैं—को मजबूत करने का परिणाम हैं।

अतः आर्थिक शक्ति के केन्द्रीयकरण का हमारे देश के हितों पर अनर्थकारी प्रभाव पड़ा है। पूर्व में एम० आर० टी० पी० अधिनियम के अधिनियमन तथा इन संशोधनों के साथ अधिनियम के क्रियान्वयन को रोकने में जो भी थोड़ा बहुत प्रयास किया गया था, उन्हें अब हवा में फेंक दिया गया है। मुझे इस बात से बहुत ही प्रसन्नता हुई जब श्री कुमारमंगलम ने भी इस पहलू पर भी टीका-टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि "धन के केन्द्रीयकरण को कम करने में एम० आर० टी० पी० अधिनियम किसी भी तरह से सहायक नहीं रहा है।" अब मैं उनके विचार सुनना चाहता हूं। मुझे नहीं पता कि वह कहां चले गए हैं।

अतः, उन्होंने जो कुछ पूर्व में कहा है उसको समझ लेना बेहतर होगा। "धन के केन्द्रीयकरण को कम करने में एम० आर० टी० पी० अधिनियम किसी भी तरह से सहायक नहीं रहा है।" इसीलिए इसे संशोधित किया जा रहा है। इस बात का आप भी समर्थन कर रहे हैं कि आर्थिक शक्ति का कुछ ही हाथों में केन्द्रीयकरण होने को कम करने के लिए आपने पूर्व में जो भी थोड़े-बहुत उपाय किए हैं, अब, आप आगे और आर्थिक शक्ति के कुछ ही हाथों में केन्द्रीयकरण के लिए मार्ग प्रशस्त करके उन्हें समाप्त कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से, ऐसी आशा की जा रही थी कि इस दिशा में संशोधन किया जाएगा। हम एम० आर० टी० पी० अधिनियम को और अधिक मजबूत करने के लिए एक संशोधन करना चाहते थे जिससे कि आर्थिक शक्ति के केन्द्रीयकरण को रोका जा सके। हम भी यही चाहते हैं। आप एक संशोधन लाए जरूर हैं परन्तु यह विपरीत दिशा में है। यहां आप उन सभी प्रतिबन्धों को समाप्त करने जा रहे हैं जो स्वयं इस अधिनियम में मौजूद थे। अतः यह अन्य बुराईयों को जन्म देने वाला संशोधन है। यह पश्चगामी है। इससे इस सदन का समर्थन प्राप्त नहीं हो सकता है। निःसन्देह कुछ लोग अवश्य ही इसका समर्थन करते हैं और वे यहां भी इसे अपना समर्थन दे सकते हैं। कुछ भी हो, ऐसी स्थिति में आप उन्हीं लोगों पर भरोसा करें। हम लोगों पर भरोसा न करें।

विधेयक में यह व्यवस्था है कि 100 करोड़ रुपए की परिसम्पत्ति सीमा को हटाया जाए। इसका सही तात्पर्य यह है कि यदि आप परिसम्पत्ति सीमा हटाते हैं तो इसका वास्तव में कुछ भी प्रयोजन नहीं रह जाएगा। इसका यह अर्थ है कि सभी एकाधिकार घराने एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की सीमा से बाहर हैं। इसलिए आपका कहना है कि आप एकाधिकार अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम को समग्र रूप से निरस्त कर रहे हैं। ऐसा करने के बजाए आप अधिनियम के एक भाग को हटा रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि अनुचित व्यापार प्रणाली की जांच करने के लिए एक आयोग होगा। इन दोनों से एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम बनता है; और अब जो बात सामने आती है वह यह है कि आप अधिनियम के प्रतिबन्धित भाग को तोड़ मरोड़ रहे हैं, आर्थिक सत्ता के कुछेक हाथों में केन्द्रीयकरण को रोकने के लिए आर्थिक उपायों आर्थिक तन्त्र आदि को पूर्ण रूप से तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। निःसन्देह आप इस उपाय को बनाए रख रहे हैं, जो अनुचित व्यापार कार्य-प्रणाली के सम्बन्ध में कार्य-निष्पादन की अपनी कार्यवाही जारी रखेगा। लेकिन इसमें भी खतरा है।

अब मैं सरकारी क्षेत्र में आने वाले संकट की बात करता हूं। मैं पिछले 30 सितम्बर के "फाईनैंसिएल एक्सप्रेस" के सम्पादकीय लेख से एक वक्तव्य पढ़ना चाहता हूं। यह निम्नानुसार है:

"सरकार को इस पूर्णतः उचित मांग को मान लेने में कई वर्ष का समय लगा है।"

उनकी क्या मांग है ? उनकी मांग यह है कि सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र को समान रूप से समझा जाना चाहिए; यही मांग एकाधिकार घरानों और औद्योगिक घरानों द्वारा की गई है; यही उनकी मांग है। "फाइनैंसिएल एक्सप्रेस" लिखता है कि आपने उन्हें पुनःस्थापित करने अथवा सरकारी क्षेत्र के समान एक ही परिधि अथवा एक ही स्तर के अन्तर्गत लाने का निर्णय लिया है। इसलिए "फाइनैंसिएल एक्सप्रेस" में यह उल्लेख किया गया है कि सरकार को इस पूर्णतः उचित मांग, अर्थात् सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र को एक समान मानने, को मान लेने में कई वर्ष का समय लगा है। इस अध्यादेश से यही संकट उत्पन्न होता है। इसमें आगे यह भी दिया गया है :

"उद्घोषणा एक लड़ाई की सफलतापूर्वक समाप्ति को दर्शाती है।"

इसका मतलब यह है कि इसका दूसरा दौर भी है। "फाइनैंसिएल एक्सप्रेस" में यह उल्लेख किया गया है कि लड़ाई का एक दौर समाप्त हो गया है; औद्योगिक घरानों और एकाधिकार घरानों ने लड़ाई पर विजय पाई है और उन्हें दूसरे दौर में भी लड़ना पड़ेगा और उन्हें आशा है कि वे इसमें भी विजय पायेंगे।

यदि आप अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के सुझावों को देखेंगे तो वास्तव में हमारे औद्योगिक घराने यह बहुत अच्छी तरह से कह सकते हैं कि लड़ाई में विजय उन्हीं की होगी।

सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र एक समान नहीं हो सकते; मैं उनकी विचारधारा को स्पष्ट करता हूं। सरकारी क्षेत्र वास्तव में सरकारी है, यह इस सभा के प्रति उत्तरदाई हैं। संसद की एक सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति है। उस समिति के माध्यम से आप किसी भी दोष, यदि कोई हो तो उसकी जांच कर सकते हैं, इसका विश्लेषण कर सकते हैं।

महोदया, मैं यह क्षणिक नहीं कहता कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकरण में सुधार करने की कोई गुंजाईश नहीं है। लेकिन जब हम सरकारी क्षेत्र के पीछे विचारधारा की बात करते हैं तो हमें लगता है कि यह सरकारी प्रयोजन है। यह संसद के माध्यम से जनता के प्रति उत्तरदाई है और गैर-सरकारी क्षेत्र वास्तव में गैर-सरकारी हैं।

एक बार श्रीमती इन्दिरा गांधी ने विपक्ष की तरफ से बोलते हुए ये शब्द कहे थे कि गैर-सरकारी क्षेत्र गैर-सरकारी है, कोई नहीं जानता कि यह क्या है, इसकी क्या योजना है।

श्री मुरली देवरा (मुम्बई दक्षिण) : क्या ?

श्री चित्त बसु : क्रोध मत कीजिए। आप वहीं रहो जहां हो। मैं गैर-सरकारी क्षेत्र को सभा पटल पर नहीं रखना चाहता। आप गैर-सरकारी क्षेत्र के पक्ष में। उसके पक्ष में ही रहिए।

अतः श्रीमती इन्दिरा गांधी इसके बारे में जागृत थीं। और मैं भी यह स्वीकार करता हूं कि गैर-सरकारी क्षेत्र वास्तव में गैर-सरकारी हैं और सरकार इसकी जांच कर सकती है। यदि आप चाहें तो हम

बहुत से उदाहरण दे सकते हैं । यदि वहां भ्रष्टाचार है, यदि आयकर का भुगतान नहीं किया जाता है, निगमित कर का भुगतान नहीं किया जाता है और यदि सरकार यह जानना चाहती है कि गैर-सरकारी क्षेत्र में क्या हो रहा है तो वह इसकी जांच कर सकती है । लेकिन वे गैर-सरकारी ही रहे हैं और अब यह संशोधन लाकर सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र को एक समान बनाया जा रहा है । इस प्रकार यह सरकारी क्षेत्र के लिए खतरा है ।

तथापि, मूल अधिनियम में औद्योगिक घरानों की जांच करने का प्रावधान है + उसमें यह प्रावधान है । इससे मैं सहमत हूं । लेकिन मेरे 22 वर्षों के अनुभव से मैं माननीय मन्त्री को यह अनुरोध करूंगा कि वे इस सभा को बताएं, वे इस सभा को विश्वास में लें कि अब तक कितनी बार जांच की गई है और क्या संसद में एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापरिक व्यवहार आयोग की रिपोर्ट पर कोई चर्चा की गई है । कभी भी किसी रिपोर्ट पर चर्चा नहीं की गई । और सरकार यह भी नहीं जानती कि आयोग की इस रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गई है । वास्तव में यह गैर-सरकारी हैं और गैर-सरकारी क्षेत्र की त्रुटियों, उसके दोषों और उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों की कभी गम्भीरता से जांच नहीं की गई ।

निःसन्देह यह प्रावधान लोगों को धोखा देने के लिए किया गया है । जैसाकि आपने विधेयक में निर्णय लिया है—जुर्माना 10,000 रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है । मुझे बताइए कि इस जुर्माने के प्रावधान का वास्तविक उद्देश्य क्या रहा है । कितने उद्योगपतियों को दण्डित किया गया है ? कितनों को जेल भेजा गया है ? अब तक लगाया गया कुल जुर्माना कितना है और उसका क्या परिणाम हुआ है ? जहां तक औद्योगिक घरानों का सम्बन्ध है, मात्र जुर्माने को 10,000 रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने से कोई अन्तर नहीं पड़ता । वे 10,000 रुपए का भुगतान कर सकते हैं तो और 10 लाख रुपए का भी भुगतान कर सकते हैं । क्योंकि देश के कानून का उल्लंघन करके वे अधिक धन अर्जित करते हैं । यदि वे 10 करोड़ रुपए अर्जित करते हैं तो वे 10 लाख रुपए का भुगतान आसानी से कर सकते हैं । इसलिए गत 22 वर्षों के दौरान सरकार की राजनैतिक अनिच्छुकता से इस एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग को नि प्रभावी बनाया गया है ।

श्री मुरली देवरा : 22 वर्ष ? एक वर्ष से तो आप सरकार का समर्थन कर रहे थे ।

श्री चित्त बसु : आप इसका हिसाब लगा लें । फिर मैं माननीय मन्त्री का ध्यान इस प्रावधान की ओर दिलाऊंगा ।

एक प्रावधान किया गया है । मैं मन्त्री महोदय का ध्यान खण्डों के संक्षिप्त विवरणों की ओर दिलाना चाहता हूं, जिसमें यह कहा गया है :

> "खण्ड 9 और 10 क्रमश धारा 27 और धारा 27-क का संशोधन करते हैं और यह उपबन्ध करते हैं कि उक्त उपबन्ध किसी भी उपक्रम को लागू होंगे और केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार से प्राप्त किसी निर्देश के अतिरिक्त भी, आयोग किसी व्यापार संगम या उपभोक्ता संगम, आदि से परिवाद प्राप्त होने पर अथवा स्वयं अपने ज्ञान या जानकारी पर किसी विषय के बारे में जांच कर सकेगा ।"

कहीं पर यह व्यक्तिगत शिकायतों के आधार पर भी हैं। (व्यवधान) जहां तक इन खण्डों का सम्बन्ध है इनमें सार्वजनिक क्षेत्र सम्मिलित हैं। तब आप और जो निजी क्षेत्र के विरोधी हैं, कोल इंडिया के विरुद्ध शिकायत दर्ज कर सकते हैं। उनका लक्ष्य कोल इण्डिया के कार्यकरण को सुधारना नहीं है; उनका लक्ष्य बुरा है; उनका उद्देश्य कोल इण्डिया को कलुषित करने तक सीमित है। तब वे कह सकते हैं कि आपकी गुणवत्ता बुरी है। वे ऐसी और इस प्रकार की बातें कह सकते हैं। निजी क्षेत्र में इस शिकायत का कुछ शिकायतों को प्रोत्साहन देकर या फिर कुछ शिकायतों पर इनाम देकर, धन देने से भी नियन्त्रण पाया जा सकता है। क्या सार्वजनिक क्षेत्र ऐसा करने में सक्षम होगा ? अपनी स्वयं की निधियों से भुगतान कर। इस प्रकार के उपद्रव पर नियन्त्रण पाना सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सम्भव नहीं है। स्वाभाविक है कि इस प्रकार की ओच्छी शिकायत, इस प्रकार की बुरी शिकायत से हमारे देश को बुरी तरह प्रभावित करेगी और वे ऐसी शरारत कर सकते हैं। (व्यवधान) मैंने केवल एक ही मामले का, अर्थात् कोल इण्डिया का उल्लेख किया है अन्ततः यह बुराई रेलवे में फैल सकती है, यह बैंकों में फैल सकती है, यह पत्तनों और बन्दरगाहों पर और अन्ततः यह सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अनुचित व्यापार प्रणाली की परिधि में ला सकती है और हमारे देश के सार्वजनिक क्षेत्र को नष्ट कर सकती है। ये भयंकर बातें हैं और अन्त में ये स्वयं सार्वजनिक क्षेत्र को समाप्त कर सकती है। यह एक भयंकर खतरा है जिसके बारे में मेरी इच्छा है कि माननीय सभा इस मामले में निर्णय लेते समय इस ओर भी ध्यान दे। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों में सुधार किए जाने की आवश्यकता है। मैं इस सभा में किसी से भी असहमत नहीं हूं। लेकिन एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम में संशोधन करने की कार्य-प्रणाली उचित नहीं है और इसके लिए अन्य रास्ते भी हैं।

हमारी ओर से यह सुझाव दिया गया है कि जहां तक सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यकरण का संबंध है उनके प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी, सार्वजनिक क्षेत्र के प्रबन्धन के प्रजातंत्रिकरण के हमें संतोषजनक परिणाम प्राप्त होंगे। मुझे आशा है कि इस प्रकार के कठोर विधेयक को लाने की अपेक्षा, जो औद्योगिक घरानों और एकाधिकारी घरानों को शक्ति प्रदान करता है, सरकार को उस सुझाव की ओर ध्यान देना चाहिए था।

इस अवसर पर मैं "फिक्की" के चेयरमैन के वक्तव्य का उल्लेख करता हूं। उनका कहना है :

"यह अध्यादेश सार्वजनिक क्षेत्र को अनुशासित कर देगा......"

वह महानुभाव सार्वजनिक क्षेत्र को अनुशासित करने के लिए वहां है।

श्री के० विजय भास्कर रेड्डी : मैं इसमें विश्वास करता हूं।

श्री चित्त बसु : वे इस वक्तव्य में विश्वास रखते हैं। (व्यवधान) मुझे पूरा पाठ पढ़ने दें।

श्री मुरली देवरा : सार्वजनिक क्षेत्र को भूल जाइए। उनका विश्वास तो आपको अनुशासित करने का है।

श्री चित्त बसु : हम सारे पाठ की जानकारी ग्रहण कर लें।

श्री मुरली देवरा : मेरा अनुशासन में विश्वास है।

श्री चित्त बसु : अच्छा, तो आप अनुशासन में विश्वास रखते हैं और आप मुझे अनुशासित करने में विश्वास रखते हैं।

श्री मुरली देवरा : इसमें प्रत्येक का विश्वास है।

श्री चित्त बसु : आपके सहित ! मैं एक अनुशासित सिपाही हूं। जो भी हो, मेरा समय खराब न करें। यह अध्यादेश सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अनुशासित कर देगा और इन्हें निजी क्षेत्र के समान बना देगा··· (**व्यवधान**) आप वक्तव्य से सहमत नहीं हैं परन्तु आपका विधेयक यही कहता है। मैं अपनी स्थिति स्पष्ट कर रहा हूं और आप अपनी स्थिति को तब स्पष्ट करें जब आप अपने आपको व्यक्त कर पाने की स्थिति में हों। इसलिए मैं जो कहता हूं वह यह कि "फिक्की" हैं और इस अध्यादेश में मुझे "फिक्की" के विचार दिखाई देते हैं।

श्री मुरली देवरा : क्यों नहीं।

श्री चित्त बसु : मुझे इस बात पर आपत्ति है जब आप कहते हैं कि हमें "फिक्की" की सलाह का पालन करना चाहिए, हमे विश्व बैंक की सलाह के अनुसार चलना चाहिए, हमें अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सलाह का पालन करना चाहिए, अथवा जिस किसी को भी आप चुनना चाहते हैं। दूसरी ओर, मैं यह चाहता हूं कि यह देश, यह राष्ट्र, श्रमिक वर्ग और भारत के लोगों को एक भिन्न रास्ता चुनना चाहिए। इसलिए, इसमें मूलभूत अन्तर हो सकता है और मुझे वह कहना चाहिए जो मैं अनुभव करता हूं और आप वह कहें जो आप अनुभव करते हैं।

4.27 म० प०

[श्री पी० एम० सईद पीठासीन हुए]

इसलिए, मैं इस अध्यादेश का विरोध करता हूं और मैं चाहता हूं कि इसे एक राजनीतिक मुद्दा, पार्टी मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए। कुल मिलाकर यह राष्ट्र के हित में है, और हमारे देश के लिए राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत आर्थिक और औद्योगिक नीति को बनाए रखने के हित में है। सरकार और मन्त्री महोदय को चाहिए कि वे इस विधेयक को वापस लें।

इसलिए मैं इस अध्यादेश को अस्वीकार किए जाने सम्बन्धी यह सांविधिक प्रस्ताव पेश करता हूं।

इसके अतिरिक्त, कुछ अन्य कारण भी हैं किन्तु चूंकि समय नहीं है इसलिए मैं उनका उल्लेख नहीं कर रहा।

सभापति महोदय : प्रस्ताव पेश किए गए।

"कि यह सदन राष्ट्रपति महोदय द्वारा 27 दिसम्बर, 1991 को प्रख्यापित किए गए एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (सशोधन) अध्यादेश, 1991 (1991 की अध्यादेश संख्या 8) को अस्वीकार करता है।"

"कि एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 और कम्पनी अधिनियम, 1956 में आगे संशोधन करने हेतु विचार करने के लिए लिया जाए।"

श्री मुरली देवरा : महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय द्वारा पेश किए गए एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (संशोधन) विधेयक के समर्थन में खड़ा हुआ हूं।

यह सरकार का वह वचन है जो इसने अपनी नई औद्योगिक नीति में दिया था। मैं धारा 4(घ) पढ़ता हूं। **(व्यवधान)**

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : सरकार उसके बिना भी एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार कम्पनियों के प्रति वचनबद्ध थी।

श्री मुरली देवरा : नई औद्योगिक नीति की धारा 4(घ) में कहा गया है :

"एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार कम्पनियों की सम्पत्ति सीमा को समाप्त किया जाए।"

यह सरकार द्वारा सही दिशा में उठाया गया एक कदम है।

मैं इस विधेयक को लाए जाने के लिए सरकार को बधाई देता हूं। मैं नहीं समझता कि विधेयक को लाए जाने में अधिक देर की गई है।

सभापति महोदय : देवरा जी, आप कल बोल सकते हैं। अब गृह मन्त्री महोदय एक वक्तव्य देंगे।

———

4.28 म० प०

मन्त्री द्वारा वक्तव्य

(एक) 11 दिसम्बर, 1991 को एक पत्रकार और एक पुलिस अधिकारी के बीच कथित हाथापाई और 15 दिसम्बर, 1991 को नई दिल्ली में कुछ तिब्बती लड़कियों की गिरफ्तारी

गृह मंत्री महोदय (श्री एस० बी० चव्हाण) : इस आशय की सूचना मिली थी कि तिब्बती लोग राजधानी में चीनी प्रधान मन्त्री की 11 दिसम्बर से 16 दिसम्बर, 1991 की यात्रा के दौरान आंदोलन/धरने आयोजित करेंगे तथा उसमें बाधा उत्पन्न करेंगे। दिल्ली पुलिस द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई थी जिससे कि यात्रा शांतिपूर्ण गुजर जाए।

2. फिर भी तिब्बतियों द्वारा कई प्रदर्शन किए गए जिनमें से कुछ ने उग्ररूप धारण कर लिया, तथा पुलिस को एहतियात के रूप में ऐसे कई लोगों को गिरफ्तार करना पड़ा जो पुलिस को ड्यूटी का निर्वहन करने के निर्देशों का पालन करने का विरोध कर रहे थे। ऐसी दो विशिष्ट घटनाएं हैं जिसकी ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया गया है तथा मैं इस सम्माननीय सदन के माननीय सदस्यों को उससे अवगत कराना चाहता हूं।

3. पहली घटना 11 दिसम्बर, 1991 को उत्तरी दिल्ली में मजनू-का-टीला नामक स्थान पर तिब्बतियों के प्रदर्शन के दौरान एक पत्रकार पर हुए कथित हमले के सम्बन्ध में है। दिल्ली पुलिस से पता लगाए गए तथ्य इस प्रकार हैं कि भीड़ पर अश्रु गैस छोड़े जाने के बाद जिस समय गिरफ्तारियां की जा रही थी, तो उस समय अपर पुलिस आयुक्त, उत्तरी रेंज, भी कुछ भागते हुए तिब्बतियों को पकड़ने के लिए भाग रहे थे। उन्होंने एक नीले रंग की जैकेट पहने हुए व्यक्ति को उसकी जैकेट के पीछे से पकड़ लिया। कई अन्य तिब्बती भी नीले रंग की जैकेट पहने हुए थे। यह व्यक्ति पीछे मुड़ा और पुलिस अधिकारी ने नोट किया कि उसके मुंह पर एक रूमाल था। शायद उसने ऐसा अश्रु गैस से बचने के लिए किया होगा। उसी वक्त वहां हाथापाई हो गई। उक्त कारण से पुलिस अधिकारी उसे आसानी से पहचान नहीं पाया। उस व्यक्ति ने अपना नाम श्री श्रीवास्तव बताया और कहा कि वह एक पत्रकार हैं। इस पर उसे पुलिस अधिकारी ने जाने दिया। श्री श्रीवास्तव ने उसके बाद आरोप लगाया कि उसके मुंह पर किसी व्यक्ति ने थप्पड़ मारा और उसकी पीठ पर प्रहार किया। पुलिस ने इस आरोप का खण्डन किया है।

4. दूसरी घटना 15 दिसम्बर, 1991 की बताई जाती है जिसमें बताया गया कि पुलिस ने एक तिब्बती लड़की के साथ दुर्व्यवहार किया जिसे अन्य प्रदर्शनकारियों के साथ चीनी दूतावास के पास हिरासत में लिया गया था। दिल्ली पुलिस से तथ्यों का पता लगाने से मालूम हुआ कि 15-12-91 को लगभग 3.00 बजे अपराह्न, तिब्बतियों का एक ग्रुप, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं थी, तीन मूर्ति की तरफ से आने वाले एक वाहन से इंडोनेशिया दूतावास के पास उतरा। उन्होने नारे लगाते हुए चीनी दूतावास की ओर बढ़ने की कोशिश की। उन्हें चीनी दूतावास से करीब 50 मीटर पहले बैरीकेड पर हिरासत में ले लिया गया। उनमें 17 औरतें और एक पुरुष था। पुलिस की एक गाड़ी चीनी दूतावास के गेट पर खड़ी थी और इन तिब्बतियों को गाड़ी में बिठा दिया गया। करीब 20 वर्ष की एक लड़की ने अचानक गाड़ी से छलांग लगा दी और नारे लगाते हुए भागने लगी। उस पर काबू पा लिया गया और पकड़ कर फिर से गाड़ी में डाल दिया। चूंकि गाड़ी तिब्बतियों और पुलिस कार्मियों, जिनमें दो महिला कांस्टेबल थी, से भरी हुई थी, इस लकड़ी को एक सब-इन्स्पेक्टर और कांस्टेबल के साथ ड्राइवर के केबन में चढ़ा दिया। तब उन्हें चाणक्यपुरी पुलिस स्टेशन को ले जाया गया जोकि वहां से लगभग 200 मीटर दूर है। तिब्बती भड़के हुए थे और नारे लगा रहे थे। जब गाड़ी पुलिस स्टेशन में दाखिल होने वाली थी, सामने बैठी लड़की ने ड्राईवर के हाथों को, जो स्ट्रीयरिंग व्हील पर थे, यह कहते हुए झकझोरा कि "आप हमें पुलिस स्टेशन क्यों ले जा रहे हो"। ड्राईवर स्ट्रीयरिंग व्हील पर नियंत्रण खो बैठा जिससे गाड़ी पटरी से टकरा गई और उलट गई हालांकि वह धीरे-धीरे चल रही थी। इसके परिणामस्वरूप 11 व्यक्तियों को जिनमे 7 तिब्बती लड़कियां थीं हल्की चोटें आई। इन 11 व्यक्तियों को राममनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया और सभी को फर्स्ट एड के बाद डिस्चार्ज कर दिया। तिब्बती लड़का भी 7 जख्मी लड़कियों के साथ था। शेष जख्मी हुई लड़कियों को चाणक्यपुरी पुलिस स्टेशन लाया गया और दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा 65 के तहत नजरबन्द किया गया जिसके तहत पुलिस को, कानूनी आदेशों का उल्लंघन करने वालों को गिरफ्तार करने की शक्तियां प्राप्त हैं। इन लड़कियों को 3.05 बजे अपराह्न पुलिस स्टेशन लाया गया और 4.30 बजे अपराह्न रिहा कर दिया गया। पूरे शहर में बड़ी संख्या में बल की तैनाती किए जाने और महिला पुलिस कार्मिकों की सीमित संख्या को देखते हुए चीनी दूतावास के सामने केवल दो महिला पुलिस कार्मिक ही तैनात किए गए थे। दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि किसी भी लड़की ने यह लिखित शिकायत नहीं की है कि पुलिस ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया था।

5. मैं सदन को सूचित करना चाहूंगा कि उच्चतम न्यायालय ने 13 दिसम्बर, 1991 को निदेश पारित किए थे कि सभी महिलाओं और 18 साल से कम आयु के बच्चों को, व्यक्तिगत जमानत के बगैर ही 13 दिसम्बर, 1991 को 10. 0 बजे पूर्वाह्न तक रिहा कर दिया जाए। दूसरे गिरफ्तार किए गए शेष व्यक्तियों में से कुछ को जमानत प्रस्तुत करने के लिए दबाव डाले बिना 14 दिसम्बर, 1991 को 3.00 बजे अपराह्न तक पर्सनल बांड पर ही रिहा किया जाना था। तीसरे, बाकी व्यक्तियों को 5000 रु० के व्यक्तिगत मुचलके और 2000 रु० की जमानत पर रिहा किया जाना था। उच्चतम न्यायालय ने आगे यह आदेश पारित किया कि रिहा किए गए व्यक्तियों को कानून का पालन करना होगा और वे शांति भंग नहीं करेंगे या दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत नियमों का उल्लंघन नहीं करेंगे। दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुसार, गिरफ्तार किए गए सभी व्यक्तियों को रिहा कर दिया गया है।

चण्डीगढ़ में श्री इन्द्रजीत गुप्त, संसद सदस्य और अन्य लोगों की गिरफ्तारी

गृह मन्त्री महोदय (श्री एस० बी० चव्हाण) : मैं इस सम्माननीय सदन के माननीय सदस्यों को श्री इन्द्रजीत गुप्त, संसद सदस्य, तथा अन्य द्वारा निषेधात्मक आदेशों का उल्लंघन करने पर, की गई गिरफ्तारी के बारे में बताना चाहता हूं।

2. चण्डीगढ़ पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1 -12-91 को पंजाब राजभवन तक एक जुलूस निकालेगी तथा राजभवन के सामने धरना देगी। आयोजकों को यह बता दिया गया था कि संघ शासित क्षेत्र में दण्ड प्रक्रिया सहिता की धारा 144 लागू हैं तथा किसी भी जुलूस को मध्य मार्ग के उत्तरी भाग को पार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

3. फिर भी, 10 महिलाओं सहित 200 व्यक्तियों का एक जुलूस सैक्टर 21 के मकान नं० 345 से आरम्भ होकर 11.45 बजे पूर्वाह्न सैक्टर 7, 8, 18 और 19 के चौराहे पर पहुंच गया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोक दिया इसी समय श्री इन्द्रजीत गुप्त सांसद भी वहां पर पहुंच गए। उन्हें बताया गया कि उनमें से कुछ पंजाब के राज्यपाल से मिल सकते हैं और उनसे मिलने के लिए 12.30 बजे अपराह्न का समय तय किया गया था। प्रदर्शनकारियों ने राजभवन को जाने की जिद्द की। जुलूस में भाग लेने वाले अपनी इस जिद्द पर अड़े रहे और उन्होंने अचानक फिजीकल बेरीकेड को तोड़कर मध्य मार्ग को पार कर लिया।

4. तब जुलूस सैक्टर 7 और 8 को विभाजित करने वाली सड़क पर आ गया। यहां पुलिस ने मानव अवरोधक बनाया और जुलूस को रोकने का प्रयास किया। तथापि, उन्होंने पुलिस के मानव अवरोधक को तोड़ डाला।

5. पुलिस ने वहां से 15 गज की दूरी पर पुनः एक पुलिस को घेरा बनाया। इस तीसरे अवरोधक पर जब प्रदर्शनकारियों ने आगे बढ़ने का प्रयास किया तो उनको रोक दिया गया। यहां प्रदर्शनकारी नीचे बैठ गए। उनसे अनुरोध किया गया कि तितर-बितर हो जाएं तथा पंजाब के राज्यपाल से मिलने के लिए एक प्रतिनिधिमण्डल भेजें। प्रदर्शनकारियों ने इस बात की जिद्द की कि या तो उन सबको राजभवन में जाने दिया जाए अथवा उन्हें पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाए।

6. अपराह्न 1.20 बजे जब जुलूस में भाग लेने वालों को मनाने के सभी प्रयास असफल रहे तो श्री इन्द्रजीत गुप्त, सांसद तथा अन्य को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 107/151 के अधीन गिरफ्तार कर लिया गया और सैक्टर 17 स्थित पुलिस स्टेशन ले जाया गया। नेताओं और महिलाओं को जिप्सियों और जीपों तथा अन्यों को ट्रकों तथा बसों में ले जाया गया। उन्हें पुलिस स्टेशन में ही मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया गया जिन्होंने उन्हें 1.45 बजे अपराह्न में रिहा कर दिया।

7. चण्डीगढ़ प्रशासन ने बताया है कि पुलिस द्वारा बल का प्रयोग केवल उसी समय किया गया जब प्रदर्शनकारियों को पुलिस द्वारा शारीरिक रूप से रोका गया, जिन्होंने (पुलिस) मानव अवरोधक बना रखा था।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, श्री इन्द्रजीत गुप्त ने आज सुबह बताया है कि श्रीमती विमला डांग पर गम्भीर रूप से लाठी चार्ज किया गया था। अतः आपकी जो सूचना है वह बिल्कुल गलत है।

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम) : उनकी गिरफ्तारी का कोई उल्लेख बुलेटिन में नहीं है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय अध्यक्ष को सूचना दी गई थी। (**व्यवधान**) मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या संसद सदस्य, श्री इन्द्रजीत गुप्त की गिरफ्तारी के बारे में अध्यक्ष को सूचित किया गया था।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : इसका बुलेटिन (समाचार) में कोई उल्लेख नहीं है।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : यदि इसका उल्लेख हुआ होता तो यह बुलेटिन (समाचार) भाग दो में होता (**व्यवधान**)।

सभापति महोदय : जब कोई वक्तव्य दिया जाता है तो सदन की, दूसरे ऊपरी सदन की तरह यहां भी यह परम्परा है कि स्पष्टीकरण हेतु कोई प्रश्न न पूछे जाएं।

श्री भोगेन्द्र झा : हम लोग अध्यक्षपीठ से यह जानना चाहते हैं कि क्या बुलेटिन में इसका उल्लेख है। (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नाण्डीज (मुजफ्फरपुर) : अगर गलत बयान हो तो ?

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : मैंने कल तिब्बतियों के बारे में कहा था तब इन्होंने कल भी कहा था पुलिस का जो बयान आया है, मैं उसको वैरीफाई कर रहा हूं इसलिए मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आज उसी बयान को ये यहां दे रहे हैं। या तो ये कहें कि मैंने बयान वैरीफाई कर लिया...

श्री भोगेन्द्र झा : इन्द्रजीत गुप्त जी चण्डीगढ़ में गिरफ्तार हुए, पहले उसको ले लीजिए।

सभापति महोदय : पहले उनका बयान था।

श्री मदन लाल खुराना : सभापति जी, मेरा निवेदन दोनों बातों के बारे में है। तिब्बतियों के ऊपर कल जब हमने यह मांग की, उस समय होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि पुलिस की तरफ से हमको जो स्टेटमैंट आया है, लगता है कि वह ठीक नहीं है इसलिए मैं वैरीफाई कर रहा हूं, तब आकर यहां स्टेटमैंट दूंगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि···

सभापति महोदय : आप एक बात सुनिए। यह जो बयान दिया है, बयान के ऊपर क्लैरीफिकेशन की हमारे यहां की परम्परा नहीं है।

(**व्यवधान**)

श्री मदन लाल खुराना : सभापति जी, आज उन्होंने फिर कहा है कि दिल्ली पुलिस के अनुसार बयान दिया है। (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : यहां जो भी बयान आते हैं, होम मिनिस्टर की तरफ से आते हैं।

श्री मदन लाल खुराना : सभापति महोदय, कल जो उन्होंने कहा है, मैं आपके माध्यम से एक बात···(**व्यवधान**)···

[**अनुवाद**]

सभापति महोदय : उन्होंने जो भी वक्तव्य दिया है, वह उन्हीं का है।

(**व्यवधान**)

श्री मदन लाल खुराना : महोदय, मैं पूछना चाहता हूं, जो फैक्ट्स यहां सदन को बताए गए हैं, क्या उन्हें वैरीफाई कर लिया गया या केवल पुलिस का ही वर्जन आएगा या वैरीफाई करने के बाद दूसरा पक्ष भी आएगा ? प्रश्न यह है कि पुलिस ने ज्यादती की है। पुलिस ने अगर ज्यादती की है, तो दूसरी तरफ कौन लोग थे, कौन सी गवाहियां थीं, क्या दूसरा पक्ष भी वैरीफाई किया है ? आप तो केवल वन-साइडेड पिक्चर बता रहे हैं।

दूसरी बात श्री इन्द्रजीत गुप्त जी के बारे में है। इसमें एक सीधा सा सवाल यह है, एक एम॰ पी॰ गिरफ्तार होता है, जैसी कि उन्होंने सारी बात बताई है, जब टाइम तय था गवर्नर से, तो वे कह सकते थे कि पांच, छः या सात लोग मिल सकते हैं, लेकिन यह बात उन्होंने नहीं की। उन्होंने यह कहा कि हमने धारा 107 और 151 के अन्तर्गत गिरफ्तार किया। धारा 107 और धारा 151 के अन्तर्गत किन को गिरफ्तार किया जाता है, जो दंगा करने वाले होते हैं शांति को भंग करने में। मैं पूछना चाहता हूं, क्या एक एम॰ पी॰ शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार होगा? उसकी सूचना अध्यक्ष महोदय को आई या नहीं आई, मुख्य बात यह है। जहां तक मेरी जानकारी है या तो होम मिनिस्टर साहब बताए कि जानकारी मिली है या नहीं मिली है, सूचना नहीं मिली है। अगर सूचना मिली होती तो बुलेटिन में आता। बुलेटिन के अन्दर वह नहीं आया। जिस अथारिटी ने भी उनको गिरफ्तार किया है, चाहे चण्डीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने, चाहे पंजाब पुलिस ने या पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन ने, उसकी कोई सूचना स्पीकर साहब को नहीं दी है। किसी एम॰ पी॰ को गिरफ्तार करके उसकी कोई सूचना न देना, यह विशेषाधिकार का मामला बनता है।

मैं दो बातें मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं—एक, हमको यह बताएं कि क्या उन्होंने वैरीफाई कर लिया था और दूसरी, एम० पी० को गिरफ्तार करके हाउस को इन्फार्म नहीं किया गया, इसलिए यह विशेषाधिकार का मामला बनता है या नहीं ? ये मेरे दो प्रश्न थे, कृपया स्पष्टीकरण दे।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

गृह मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : महोदय, केवल एक विषय है, जिस पर मैं अपना स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। केन्द्र शासित प्रदेश के प्रशासन ने, गिरफ्तारी के सम्बन्ध में अध्यक्ष को कल 2.00 म० प० तार तथा वायरलैस संदेश भेजा था।

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : सभापति महोदय, अगर पुलिस का बयान ही गृह मन्त्री ने किया हो, तो मेरा कहना यह है कि वह भी गलत बयान है। अदालत की बात आपने यहां पर बताई कि उनको पांच हजार रुपए की जमानत पर छोड़ने की बात थी। पांच हजार रुपए की बात पुलिस की तरफ से कही गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दो हजार रुपए की बात कही थी। आपको जो भी जानकारी पुलिस ने दी है, वह गलत जानकारी दी है। पांच हजार रुपए का बांड और दो हजार रुपए की सिक्योरिटी ऐसी बात थी नहीं। आज सुबह सुप्रीम कोर्ट में मैं स्वयं खड़ा था। जो स्टेटमेंट आपकी पुलिस ने वहां पर दी, उसमें केवल एक व्यक्ति से सिक्योरिटी लेने की बात उन्होंने कही है और कहा है कि स्थिति इतनी भारी है कि किसी को भी नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि सब लोग हिंसा के अन्दर बंद किए गए थे। जिस एक व्यक्ति से दो हजार रुपए की सिक्योरिटी लेकर रिहा कर दिया गया, उसमें मैजिस्ट्रेट ने लिखकर कहा है—आप झूठे लगते हो अतः आपको 2000/- रुपए की सिक्योरिटी देनी होगी। बाकी सब लोग बिना किसी सिक्योरिटी, पर्सनल बांड पर या बिना शर्त पर छोड़ दिए गए हैं। आपको वहां भी जिन्होंने जानकारी दी है, सारी गलत दी है। जो लड़कियों के साथ व्यवहार हुआ, उनमें एक भी महिला नहीं थी, सारी की सारी स्कूल या कालेज की बच्चियां थीं। वे 21 बच्चियां थीं, उनके साथ जो व्यवहार किया गया, उसके एफिडेविट्स हमारे पास हैं, उन बच्चियों के स्टेटमेंट्स हमारे पास हैं। पुलिस थोड़े ही स्टेटमेंट लेगी कि हम लोगों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। तीन बच्चियां इसी क्षण, जब हम आपके सामने खड़े हैं, अस्पताल में हैं। तेरह बच्चियों को अस्पताल में ले जाने का काम हुआ। पुलिस ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, वहां पर एक महिला पुलिस नहीं थी। पुलिस झूठ बोलती है और गृह मन्त्री जी के मुंह से पुलिस उस बयान को यहां पर दिलाती है। अध्यक्ष जी, इससे हमें बड़ी अपत्ति है :

श्री भोगेन्द्र झा : सभापति जी, अभी गृह मन्त्री ने कहा कि चंडीगढ़ के प्रशासन की ओर से कल ही सूचना आई है, इसमें एक बात जरूर है कि अध्यक्ष को अगर यह बात पहुंच गई तो आज के बुलेटिन में लोगों को सूचना हो जानी चाहिए थी, ये चीज तो हम लोगों को पता नहीं है या गृह मन्त्री को भी पता नहीं हो लेकिन इसकी सूचना सदन को चाहिए। दूसरी बात जो इससे सम्बन्धित है धारा 151 में जो गिरफ्तारी का है, उसे कागनीजेबल आफेंस करने जा रहे हो, उससे रोकने की, इन्द्रजीत गुप्त सांसद तो हैं ही और यह सातवीं बार हैं, वह कौन कागनीजेबल आफेंस करने जा रहे थे जिसे रोकने के लिए यह गिरफ्तारी हुई। यहां पर राज्य सरकार का मामला कह कर गृह मन्त्री इसको टाल

नहीं सकते हैं क्योंकि अभी वह राज्य आप ही के मातहत है, दुर्भाग्य से ही सही, मगर वह आप ही के मातहत है। तो कागनीजेबल आफेंस को कौन करने जा रहे थे जिसके लिए यह गिरफ्तारी हुई है ताकि हम सभी सावधान हो जाएं कि अगर हम कहीं जाएं, खास कर केन्द्र शासित राज्य में, तो हम किसी दफा में गिरफ्तार होने के लिए पहले से तैयार हो करके जाएं। अगर राज्यपाल से मिलने के लिए समय निर्धारित हो और उस समय में अगर जाएं, तो हम जाएं या कोई प्रदर्शन हो, कोई जुलूस हो तो हम जाना छोड़ दें, उस समय जाने का, यह एक ऐसा मौलिक सवाल है जो कल हुआ। इसके विषय में गृह मन्त्री जी क्या स्पष्टीकरण देते हैं और आगे के लिए तब हम लोग इस हिसाब से सोचकर जाएंगे क्योंकि पंजाब का मामला आगे भी है और चुनाव हम सब चाहते हैं, मगर पता नहीं पंजाब में सांसदों के साथ चुनाव में क्या व्यवहार होगा, इसलिए यह भयंकर बात है।

सभापति जी, यह भविष्य और वर्तमान के लिए भी खतरा है और कल जो गिरफ्तारी हुई, जो बयान है उससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि इन्द्रजीत गुप्त ने राज्यपाल से मिलने के लिए इन्कार किया, यह कौन सा कागनीजेबल आफेंस था, आप इस बात को साफ करें।

आज जो मामला तिब्बत का है तो तिब्बत के लोग हमारे यहां मेहमान के रूप में हैं और जो भी उसका कारण हो हम उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन यह तिब्बत, चीन का भीतरी मामला है, आटोनोमस रिजन है, इसको हम मानकर बढ़े हैं। मगर जो तिब्बत के लोग हमारे यहां मेहमान हैं, हमारा कर्त्तव्य है कि उनके लिए जो सम्भव हो, हम उनकी खातिरदारी करें। उनका भी कर्त्तव्य है कि किसी देश से हमारा रिश्ता बिगाड़ने में वे सहायक नहीं हों, हमारा रिश्ता संभालने में वे बाधक नहीं हों, यह बात उन्हीं के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए जरूरी है। अगर कोई भारतीय भी विदेश में है तो उनका भी यह कर्त्तव्य है। तो खैर जिन लोगों ने किया या जिन लोगों ने करवाया, मैं समझता हूं कि हमारी मेहमानी का दुरुपयोग हुआ है। तो जिस तरह का बयान गृह मन्त्री ने दिया है कि ड्राइवर के स्टेयरिंग को पकड़कर उलटाया और दुर्घटना हो गई, गाड़ी उलट गई, तो हम खुशी मनाएं कि कम से कम किसी की जान नहीं गई, लेकिन गाड़ी उलट जाने के बाद उसमें ज्यादा लड़कियां थीं या औरतें थीं, उसमें फर्क नहीं है। जो भी महिला पुलिस हो, उसमें यह चिन्ता की बात जरूर है कि वह संख्या में ज्यादा रहनी चाहिए थीं। अगर यह सूचना नहीं मिली होगी तब तो हमारी पुलिस निकम्मी है, कि कितनी महिलाएं या छात्राएं जा रही हैं, तो इसके लिए पहले से सावधान होने की जरूरत है क्योंकि यह बात अखबारों में भी आ गई थी कि तिब्बत के कुछ लोग हमारे विरुद्ध प्रदर्शन करेंगे। तो प्रदर्शन करना, गाड़ी को उलटाना, उलटना मैं नहीं कहूंगा, स्टेयरिंग को पकड़ना, ये एक विशेष बात है। अगर बालिकाओं ने भी किया तो मैं कह रहा हूं कि उसके लिए ज्यादा महिला आरक्षी बल की उपस्थिति पहले से होनी चाहिए थी, इस विफलता के लिए, यह भी गृह मन्त्री जी का अपना मामला है, दिल्ली का मामला है तब राज्य की सरकार होगी तो देखा जाएगा। तो इस मामले में दो बातों का स्पष्टीकरण यहां कर दें, मगर यह चिन्तन के लिए हमारे सदन की ओर से आवाज जानी चाहिए कि हम उनके मेजबान हैं वे हमारे मेहमान हैं और किसी देश से हमारा रिश्ता सुधारने में उनको बाधक नहीं होना चाहिए, किसी को भी नहीं होना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : महोदय, इस मामले पर, मेरे मन में जो महत्वपूर्ण बात

आ रही है, वह यह है कि राजनीतिज्ञों का मार्ग-निर्देश सिविल सेवा के लोग अथवा पुलिस सेवा के लोग कर रहे हैं। इससे राजनैतिक व्यवस्था को जो भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है वह यह है कि राजनैतिक प्रशासकों का वक्तव्य, पुलिस द्वारा बतायी गई बातों पर पूरी तरह निर्भर करता है तथा इनमें इतनी निर्भीकता आ गई है कि, जब एक ससद सदस्य को हिरासत में लिया जाता है तो उसकी सूचना भी नहीं दी जाती है। मैं इसे माननीय अध्यक्ष को सूचित नहीं किया गया ही, मानूंगा। तथा इस बात की पुष्टी इसी से होती है कि, बुलेटिन में इसका जिक्र नहीं है। यह महा-सचिव की भूल नहीं हो सकती। अतः उस सम्बन्ध में मैं सरकार को जो बताना चाहता हूं—वह यह है कि सारे देश में पुलिस द्वारा कहे गए वक्तव्य को ही प्रमुखता दी जाती है, और यह हमने आज देख लिया है। जनता के प्राधिकृत राजनैतिक प्रतिनिधि या तो :स पर विश्वास कर लेते हैं अथवा उसका समर्थन कर देते हैं जैसे कि त्रिपुरा, अथवा केरल या अन्यत्र के मामले में हुआ है। (व्यवधान) हमने इसमें अन्तर रखने कि कोशिश की है। डा० देवी प्रसाद पॉल, पश्चिम बंगाल में कम ही रहते हैं अन्यथा उन्हें भी पता होता। जब तक राजनैतिक प्राधिकारी सिविल सेवाओं तथा पुलिस सेवा आदि पर अपनी सर्वोच्चता स्थापित नहीं कर लेंगे, तब तक न केवल बाहरी आई० एम० एफ० अपितु आंतरिक रूप से भी सम्पूर्ण व्यवस्था अस्त-व्यस्त होगी। यही वह मुद्दा है, जिस पर मैं गृह मन्त्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ऊपरी सदन की तरह इस सदन की भी यह परम्परा रही है कि जिस वक्तव्य पर पहले से ही विचार किया जा चुका हो, उस पर पुनः विचार नहीं किया जा सकता अथवा स्पष्टीकरण नहीं मांगा जा सकता। अतः मैं गृह मन्त्री जी से, आप द्वारा उठाई गई बातों पर स्पष्टीकरण मांगने हेतु अब नहीं कह सकता। (व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं उसी पर बोल रहा, मुझे पूरा कहने दीजिए। कृपया मेरी मदद कीजिए। यदि आप स्पष्टीकरण ही चाहते हैं तो, उसके कई तरीके हैं। आप विचार-विमर्श हेतु समुचित नोटिस दे सकते हैं। आप सभी लोग अध्यक्ष से मिल सकते हैं। आपको विचार-विमर्श हेतु कुछ समय मिल सकता है। वह अलग मामला है। जहां तक विद्यमान नियमों का सम्बन्ध है, मैं आपको स्पष्टीकरण मांगने हेतु अनुमति नहीं दे सकता। और न ही मैं गृह मन्त्री जी को स्पष्टीकरण देने हेतु कह सकता हूं। यही बात है।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, क्या मैं सूचना प्राप्त कर सकता न कि स्पष्टीकरण ?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा : सभापति महोदय, आपने ठीक कहा है, गृह मन्त्री महोदय अगर जवाब देने की स्थिति में नहीं हैं तब तो आप उनको कंपेल न करें, लेकिन अगर वे जवाब देने की स्थिति में हैं, तब वे जवाब दें या कह दें कि जवाब नहीं दे सकते।

श्री एस० बी० चव्हाण : मेरे पास जो इनफरमेशन वहां से आई है, वह मैंने आपको बता दी है।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : गृह मन्त्री महोदय, आपने सदन को कल आश्वासन दिया था कि आप पालाक्कड़ घटना पर अपना वक्तव्य देंगे। आप वह वक्तव्य कब देंगे ?

श्री एस० बी० चव्हाण : जैसे ही मुझे जानकारी मिल जाएगी, मैं वक्तव्य दे दूंगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : कृपया उन्हें अनुस्मारक भेजिए। महोदय, यह एक प्रकार की जानकारी है न कि स्पष्टीकरण। (व्यवधान)

सभापति महोदय : दूसरी बात जो श्री इन्द्रजीत गुप्त की गिरफ्तारी के बारे में है, मेरे विचार से, अध्यक्ष महोदय को आज 0 बजे एक तार मिला है। प्रेषक का नाम तथा पदनाम, एकदम स्पष्ट नहीं था। हमें आज 9 बजे यह मिला, जैसे कि मैंने कहा है प्रेषक का नाम तथा पदनाम स्पष्ट नहीं था।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं उपलब्ध जानकारी को बताता हूं 9 बजे सचिवालय का तार मिला। प्रेषक का नाम तथा पदनाम स्पष्ट नहीं था। इसलिए, हमने सदस्यों को सूचित नहीं किया ; यह स्थिति है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : क्या यह सम्बन्धित व्यक्तियों को बर्खास्त करने के लिए यह पर्याप्त आधार नहीं है ? (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : यह घटना कल 12.30 म० प० घटी उन्होंने मेरी गिरफ्तारी की सूचना आज प्रातः 9 बजे भेजी (व्यवधान)

सभापति महोदय : इस सचिवालय में हमें यह आज दिनांक 17 दिसम्बर, 1991 को 9 बजे प्राप्त हुआ है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : भेजने का समय क्या है ?

सभापति महोदय : भेजने के समय के बारे में, मैं आपको बताने की स्थिति में नहीं हूं। मेरे विचार से यह समय 1.20 म० प० है।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : माननीय गृह मन्त्री ने कहा है कि उनको कल 2 म० प० तार प्राप्त हुआ। परन्तु आज सुबह तक उसकी सूचना अध्यक्ष के चैम्बर में नहीं भेजी गयी। अतः इस सम्बन्ध में बहुत ज्यादा अनियमितता बरती गई है।

सभापति महोदय : यह बहुत गम्भीर मामला है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : सभापति महोदय, मेरे ख्याल में जो होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट है, जिसमें उन्होंने यह कहा कि इन्द्रजीत गुप्त कानून को तोड़ने में नहीं थे । होम मिनिस्टर की स्टेटमेंट से साबित होता है कि इन्द्रजीत गुप्त मौके पर पहुंचे, जिस वक्त प्रदर्शनकारियों को जहां रोका जा रहा था, वहां से आगे वे बढ़ गए । इन्द्रजीत गुप्त, हमारे सीनियर मेम्बर हाउस के हैं और इनकी गिरफ्तारी के बारे में आपने इतना लाइटली कहा । आपके यहां यह भी स्पष्ट नहीं है कि किस अधिकारी ने यह खबर भेजी है । एक संसद सदस्य गिरफ्तार होता है तो उम्मीद की जाती है कि जिले के पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी, ऐडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी होंगे । चण्डीगढ़, राज्य की कैपिटल में ये गिरफ्तार हुए । इस बात को इतना लाइटली न लें । कोई भी अफसर भेज दे सूचना और उसका नाम और डेजिग्नेशन पता न चले, एक या दो बजे भेजे और दूसरे दिन 9 बजे सूचना मिले, यह लाइटली लिया जा रहा है । आगे के लिए इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए, यह सैक्रेटेरिएट से हिदायत जानी चाहिए और होम-मिनिस्टरी से भी हिदायत जानी चाहिए कि कोई भी संसद सदस्य गिरफ्तार किया जाता है तो चाहे जो अधिकारी हो, वह कारण बताए कि किस हालात में गिरफ्तार किया गया है । इन्द्रजीत गुप्त ने मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे, कानून तोड़ेंगे, यहां बैठेंगे, आपकी बयान से यह भी साबित नहीं होता । आप कहते हैं प्रदर्शनकारियों ने जाने से मना कर दिया । कम-से-कम पूरी सूचना आनी चाहिए । इन्द्रजीत गुप्त ने कल इस सवाल को उठाया भी था ।

[अनुवाद]

श्री ई० अहमद (मंजेरी) : महोदय, गृह मन्त्री जी ने वक्तव्य में कहा है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 के तहत श्री इन्द्रजीत गुप्त के विरुद्ध एक मामला पहले से ही दर्ज किया जा चुका है । जहां तक मेरी जानकारी है, सामान्यतः यह धारा अपराधी तथा निरन्तर नियमों का उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध लगाई जाती है । मुझे कहना पड़ रहा है कि श्री इन्द्रजीत गुप्त जैसे बड़े आदमी के विरुद्ध धारा 107 लगाई गई है । यदि सरकार इसी प्रकार निर्वाचित संसद सदस्यों के विरुद्ध धारा 107 के तहत मामले दर्ज करती रही तो मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि यह अवहेलनापूर्ण तथा निन्दनीय है ।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : केवल यही नहीं है अपितु कुछ तकनीकी दोष भी हैं । पंजाब में जिस प्रकार की स्थिति है तथा उस संदर्भ में सी० पी० आई०, सी० पी० आई० (एम०) बी० जे० पी० तथा अन्य पार्टियों की जो भूमिका रही है, उससे प्रशासन उन लोगों जो पंजाब में लोगों की हत्या कर रहे हैं, के साथ ठीक से निबटने में विफल रही है । क्या ऐसे लोगों की भर्त्सना नहीं की जानी चाहिए ? क्या ऐसे लोग पंजाब में देश की सेवा कर रहे हैं ?

मुझे बड़ा दुःख है । गृह मन्त्री जी यहीं हैं । उन्हें इसके लिए जिम्मेदार लोगों को आड़े हाथ लेना चाहिए । राज्यपाल ऐसे सम्मानित व्यक्तियों, जिनके समर्थक अपनी जान दे रहे हैं, के साथ इस प्रकार अवहेलनापूर्ण ढंग से निबटने में जरा-सा भी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं । यह कोई तकनीकी विलम्ब का मामला नहीं है । यह विचार का प्रश्न है । ये लोग पूर्णरूपेण अक्षम हैं तथा वे इस गम्भीर स्थिति में प्रशासन चलाने में सक्षम नहीं हैं ।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : जैसाकि मैंने आपको बताया था, प्रेषक का नाम नहीं है लेकिन कुछ आद्यक्षर और संख्याएं उस पर दी हुई हैं। मैं समझता हूं कि यह उचित होगा कि गृह मन्त्रालय सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को सूचित करे कि जब कभी भी वे अध्यक्ष या केन्द्रीय सरकार को टेलीग्राम भेजें तो उन्हें अपना पदनाम भी अवश्य लिखना चाहिए। टेलीग्राम में आरोपों का वर्णन तो पहले ही किया गया है लेकिन हमें यह नहीं पता चलता कि इसका प्रेषक कौन है। इसलिए यह उचित होगा कि भविष्य में यदि किसी सांसद को हिरासत में लिया जाता है, तो प्रेषक को अपने नाम के साथ पदनाम भी लिखना चाहिए।

अब सभा नियम 193 के अधीन मामलों पर चर्चा करेगी।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : मैं एक बात कहना चाहता हूं। 107 और 151 तब बनती है जब कोई झगड़ा कर रहा हो।

सभापति महोदय : इसमें ब्रीच आफ पीस है। जो कार्यकर्ता वहां या कहीं जाते हैं, तो हम लोग उनके ऊपर वही लागू करते हैं।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, गृह मन्त्री को यहां उठाए गए मुद्दे पर अपने विचार व्यक्त करने चाहिएं।

सभापति महोदय : वह पहले ही अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं।

5.00 म० प०

नियम 193 के अधीन चर्चा

पिछले कुछ महीनों में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में भारी वृद्धि, घाटे की वित्त व्यवस्था, विदेशी मुद्रा संकट और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों के संदर्भ में देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति

सभापति महोदय : अब सभा में नियम 193 के अन्तर्गत देश की आर्थिक स्थिति पर और आगे चर्चा होगी। डा० देवी प्रसाद पाल इस पर बोल रहे थे वे आगे बोलना जारी रखेंगे।

डा० देवी प्रसाद पाल (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम) : सभापति महोदय, जब हम वर्ष 1991 की आर्थिक स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं तो हम पाते हैं कि 1991 के प्रथम पूर्वार्द्ध में आर्थिक स्थिति 1991 के उत्तरार्द्ध से बदल चुकी है।

जब 1991 का वर्ष शुरू हुआ था तो तब आर्थिक स्थिति की तस्वीर निराशाजनक ही नहीं थी अपितु आर्थिक क्षेत्र पूर्णतः कुण्ठित था। ऐसे समय में ही जून के अन्त में वर्तमान सरकार को प्रशासन की बागडोर संभालनी पड़ी।

हमने देखा है कि जून 1991 तक आर्थिक स्थिति पूरी तरह से निराशाजनक थी। देश का भुगतान सन्तुलन इस स्थिति में था कि दो सप्ताह की विदेशी भुगतान सन्तुलन की जरूरतों को वह मुश्किल से चुका पाता। विदेश मुद्रा भण्डार घटकर 2,600 करोड़ रुपए हो गया था। देश में 1989-90 में कीमतों का बढ़ना 9.1 प्रतिशत था लेकिन अगस्त 1991 में और वर्ष ने आरम्भ में यह 16.4 प्रतिशत को छू गया था। 1991 के पूर्वार्द्ध में देश के औद्योगिक उत्पादन में केवल 4 प्रतिशत तक ही धीमी वृद्धि हो पाई। परिणामतः इससे न केवल देश में कीमतों में बढ़ोत्तरी हुई, बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा जगत में भी देश की साख निम्नतम स्तर तक गिरी। हमारा भुगतान सन्तुलन इतना अनिश्चित था कि हमें विश्व के किसी भी कोने से कुछ भी मदद नहीं मिल सकी।

जब वर्तमान सरकार सत्ता में आई तो आर्थिक स्थिति इस प्रकार थी। अतः, सरकार का मुख्य काम न केवल अर्थव्यवस्था में बल्कि अतर्राष्ट्रीय जगत में भी आर्थिक पुनर्जीवन को बहाल करना था। इसलिए राजस्व नीति में अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों प्रकार के महत्वपूर्ण कदम उठाते होंगे। अल्पकालिक कदम तो इसलिए उठाने होंगे क्योंकि हमें अपनी भुगतान सन्तुलन की स्थिति से पार पाना है। यदि हमारा देश अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा जगत में असली देयता भी नहीं निभा पाता है तो विश्व में हम किसी प्रकार नजर उठाकर चल सकेंगे। इसलिए वर्तमान वित्त मंत्री महोदय द्वारा चलाए गए आर्थिक पुनरुद्धार कार्यक्रम हममें विश्वास की भावना बहाल करने के लिए थे जिससे हमारे भुगतान सन्तुलन की स्थिति में सुधार हो सके और कम-से-कम विश्व को यह बता सकें हम आर्थिक रूप से इतने दिवालिया नहीं हैं जितना कि पूर्व सरकार नेइसे दिखाया था। इसी कारणवश सरकार को रुपए की विनिमय दर घटाकर अन्य देशों की प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले उसका अवमूल्यन जैसा तुरन्त उपाय करना पड़ा। देश के भीतर और बाहर दोनों जगहों पर कीमतों के बढ़ने से रुपए के मूल्य का ह्रास हो गया। आर्थिक सुधार के लिए अवमूल्यन करना पड़ा जिससे निर्यात के लिए दी जाने वाली राजकीय सहायता को कम किया जा सके और निर्यात उद्योग को बढ़ाया जा सके। यदि हम अपने भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार लाना चाहते हैं, तो हमें अपने निर्यात निष्पादन की स्थिति पर और भी अच्छी तरह ध्यान देना होगा। इसी कारणवश सरकार को रुपए अवमूल्यन का निर्णय लेना पड़ा। यदि अवमूल्यन को बहाल करना है तो निर्यात उद्योग को दी जाने वाली आर्थिक सहायता को समाप्त करना होगा, हमें निर्यात उद्योग को दी जाने वाली नकद सहायता योजना को भी समाप्त करना होगा। इस प्रकार सरकार अपने कोष का बड़ा भाग बचा सकती है। इसके साथ ही साथ यह सच है कि अवमूल्यन के कारण हमारे आयात में भारी कमी आएगी। अवमूल्यन के कारण आयात लागतों में काफी वृद्धि होगी। यह एक अपरिहार्य स्थिति थी। यदि हम अपनी गैर-आवश्यक वस्तुओं का अभाव करते रहेंगे और यदि हमारा आयात निर्यात से बढ़ जाता है, तो हम आत्मनिर्भरता की नीति से कोसों दूर हो जाएंगे जैसी कि पूर्व सरकार हो गई थी क्योंकि उस समय हमारा आयात निर्यात से कई गुणा अधिक था और इस ओर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। इसलिए इस स्थिति

में हमें अवमूल्यन की नीति को बहाल करना पड़ा। लेकिन अगर सरकार कुछ त्वरित कदम नहीं उठाती, तो मुद्रा-स्फीति का बढ़ता हुआ दबाव अवमूल्यन के प्रभाव को मिटा देता। अवमूल्यन का प्रभाव कम न हो जाए इसलिए मुद्रानीति को कसना पड़ेगा। अतः, सरकार ने मुद्रानीति के कसाव के लिए बैंक ब्याज दरों को और पुनः सहायता दरों को बढ़ा दिया है जिसके परिणामस्वरूप गैर-आर्थिक सेवा क्षेत्र में अधिक धन लगाने को हतोत्साहित किया जाएगा।

सरकार को अल्पकालिक उपायों के रूप में कतिपय नीतियों को भी देखना पड़ा: व्यापार नीति का कार्य उद्योगों को उदार बनना था ताकि नौकरशाहों के शिकंजे और कार्यकारिणी के विभाजन से उद्योगों को नुकसान न उठाना पड़े। यहां तक कि अल्पकालिक नीति के मामले में भी सरकार को मुद्रा-स्फीति में वृद्धि के कारण पर विचार करना पड़ा। इसका कारण घाटे के बजट पर अधिकाधिक निर्भर करना है। घाटे के बजट के परिणाम ये हैं कि इससे मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी होती है और आर्थिक प्रणाली में अस्थिरता आती है।

पूर्व सरकार के कार्यकाल में घाटे का बजट सकल घरेलू उत्पाद पर 8.4 प्रतिशत था और इसके परिणामस्वरूप वर्तमान सरकार ने सत्ता में आने से पूर्व यह और ऊंचाइयों को छू गया। इसलिए, वित्त मन्त्री महोदय के लिए मुख्य कार्य घाटे के बजट को कम करके उचित सीमा में लाना था। अतः, यह घोषणा की गई कि घाटे के बजट को 8.4 प्रतिशत से घटाकर उचित सीमा तक 6.5 प्रतिशत कर दिया जायेगा जोकि समानजनक स्तर था। यह कार्य वित्तमन्त्री महोदय ने विभिन्न मौद्रिक, राजस्व और अन्य उपायों को अपनाकर किया। इनमें से एक उपाय था प्रत्यक्ष करों में वृद्धि करना। पिछली सरकार ने प्रत्यक्ष करों द्वारा कुल 2,400 करोड़ रुपए एकत्रित किए थे कि जबकि वर्तमान सरकार ने इसे बढ़ाकर 4600 करोड़ रुपए से अधिक कर दिया है। प्रत्यक्ष करों में निगमित क्षेत्र का हिस्सा लगभग दुगुना कर दिया गया है। 816 करोड़ से बढ़ाकर इसे 1,600 करोड़ रुपया कर दिया गया है। इसलिए कर मुख्य उपायों में से एक था जो वित्त मन्त्री महोदय ने प्रत्यक्ष करों को बढ़ाकर किया। **(व्यवधान)**

मैं आंकड़े देकर रहा हूं। व्यक्तिगत कर दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया बाधा न डालें।

डा० देवी प्रसाद पाल : लेकिन, निगमित क्षेत्र को अधिक भार, लगभग दुगुनी राशि का, सहना पड़ा। केन्द्रीय सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क में भी वृद्धि की गई जोकि पिछली सरकार के कार्यकाल में पिछले वर्ष 20,000 करोड़ रुपए थी।

यह बढ़कर 20,600 करोड़ रुपए हो गया। यह सत्य है कि उत्पाद शुल्क में उतनी बढ़ोत्तरी नहीं हुई है जितनी कि आशा थी। इसका मुख्य कारण मुद्रा नीति है। सीमा शुल्क की पाबन्दी भी थी। जरूरतमन्द चीजों और गैर-जरूरतमंद चीजों के अभाव को हतोत्साहित करने के परिणामस्वरूप सीमा-शुल्क कुछ हद तक उतना नहीं आया जैसी कि आशा की गई थी।

वर्तमान वित्त मन्त्री को बजटीय नीति, मुद्रा नीति और व्यापार नीति के परिणामस्वरूप ये कदम अब उठाने पड़े। अल्पकालिक उपायों का मूल्य स्तर पर त्वरित प्रभाव पड़ा है। हमने 16.4 प्रतिशत

तक मूल्य बढ़ोत्तरी देखी है। जो नवम्बर में घटकर 13.3 प्रतिशत तक हो चुकी हैं। यह सत्य है कि कीमतों में कमी लोगों की आशा से कम हुई है। निस्सन्देह जनसाधारण को बढ़ती हुई कीमतों का प्रहार सहन करना पड़ा है। भारत एक ऐसा देश है जहां बहुत बड़ी संख्या में लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। स्वाभाविक है कि हर व्यक्ति उत्सुक है कि कीमतों का स्तर घटाना होगा, जो कम से कम अंक तक आ जानी चाहिए। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कीमतों के स्तर की प्रतिक्रिया अल्लादीन के चिराग जैसी नहीं होती है। किसी अर्थव्यवस्था में कीमतों के स्तर की प्रतिक्रिया कुछ समयावधि के बाद ही होती है। एक ही जटके में पूर्व सरकार द्वारा की गई मुद्रा स्फीति में वृद्धि को कोई भी वित्त मन्त्री जादू की छड़ी से पलक झपकते नहीं कर सकता है। इसके लिए हमें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : कांग्रेस दल के घोषणापत्र में इसे भुला दिया गया था। **(व्यवधान)**

डा० देवी प्रसाद पाल : इसे घोषणापत्र में भुला नहीं दिया गया था लेकिन प्रत्येक घोषणापत्र को स्थिति की जरूरतों के साथ पढ़ा जाना चाहिए। सरकार द्वारा उत्पन्न मुद्रा स्फीति के स्तर को कम किया है। अब यह 16.4 प्रतिशत से कम होकर 13.3 प्रतिशत हो गया है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वित्त मन्त्री ने औद्योगिक नीति प्रस्तुत करके न केवल अल्पावधिक उपाय किए है वरन दीर्घावधि उपाय भी किए हैं। इस औद्योगिक नीति यदि समुचित रूप से क्रियान्वित किया जाता है और उचित समय दिया जाता है तो इसका एक निश्चित अवधि के भीतर अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा।

इसके अलावा यह औद्योगिक नीति क्या है? औद्योगिक नीति में इस बात पर जोर दिया गया है कि उद्योगों का उदारीकरण किया जाना चाहिए। हमने काफी समय से सरकारी उपक्रमों का अनुभव देखा है। हमने देखा है कि विभिन्न सरकारी उपक्रम प्रत्येक वर्ष करोड़ों रुपए का घाटा उठा रहे हैं। अब इन घाटों को कौन वहन करेगा? आखिरकार, यह देश की आर्थिक स्थिति पर भारी पड़ेगा। मैं दो अथवा तीन उदाहरण दे रहा हूं। हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस लि० एक सरकारी उपक्रम है। लोक लेखा समिति ने इस कम्पनी के उच्च पदाधिकारियों द्वारा प्रशासन में बरती गई लापरवाहियों को इंगित किया है, जोकि एक सरकारी उपक्रम है। निजी क्षेत्र, फोटोग्राफी संबधी सामग्री की स्लिटिंग और उसके संरक्षण करने को उस मूल्य पर पेशकश करने को इच्छुक है जोकि हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस लि० सरकारी उपक्रम के प्रस्तावित मूल्यों से काफी कम है। यहां तक कि सरकारी क्षेत्र का उपक्रम, फोटो फिल्मस लि० भी भारी घाटा उठा रही है। मैं एक दूसरा उदाहरण देता हूं। जहां तक साइकिल कॉरपोरेशन आफ इण्डिया का सम्बन्ध है, इसने जिन लोगों को माल दिया था, उन लोगों को साइकिल कॉरपोरेशन आफ इंडिया को 7 करोड़ रुपए का भुगतान करना है। और रिपोर्ट यह है कि उच्च पदों पर आसीन अधिकारियों को इस धनराशि को वसूलने की परवाह भी नहीं है। सरकारी क्षेत्र की यह हालत है। यदि सरकार ने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण उद्योगों जैसे रक्षा अथवा अन्य अत्यन्त राष्ट्रीय महत्व के उद्योगों को छोड़कर, सरकारी क्षेत्र के बारे में ऐसा निर्णय लिया है तो आर्थिक रूप से उन्हें कैसे चलाया जा सकता है और वे कैसे कुशलता से कार्य कर सकते हैं? सरकार की नीति के विरुद्ध कोई कैसे आवाज उठा सकता है? सरकारी क्षेत्र समाप्त नहीं हुए हैं और हमारी आर्थिक दृष्टि से भी समाप्त नहीं हुए हैं। हमारी सरकार उस नीति को अपनाए हुए है जो प० जवाहर लाल नेहरू द्वारा 1948 में शुरू की गई थी। वही नीति जारी है, वह मिश्रित अर्थव्यवस्था की नीति है और निजी क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्र दोनों के विकास पर ही बल देना होता है। अब तक, नियन्त्रणों और लाइसेंसों से अर्थ-

व्यवस्था नौकरशाही नियंत्रण के शिकंजे में जकड़ी हुई थी। यहां तक कि वांचू समिति, जिसकी अध्यक्षता भारत में भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश ने की थी, ने सिफारिश की थी कि इस देश में मुद्रास्फीति सम्बन्धी और अन्य आर्थिक कुव्यवस्था का एक मुख्य दोष अत्यधिक नियन्त्रण और अत्यधिक लाइसेंस देना है। यदि इसको उदार बना दिया जाए तो इससे उद्योग बेहतर कार्य कर सकेंगे।

औद्योगिक नीति जोकि एक दीर्घकालिक नीति है और जिसे सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया है उसके द्वारा भी 51 प्रतिशत तक विदेशी पूंजी अर्जित करने की कोशिश की गई है। इक्विटी पूंजी का भुगतान विदेशी मुद्रा कोष से नहीं किया जाना चाहिए बल्कि पूंजीगत वस्तुओं के निर्यात से होना चाहिए। यदि विदेशी प्रौद्योगिकी की स्वत: अनुमति दे दी जाए और यदि देश की अर्थव्यवस्था हेतु औद्योगीकरण के लिए विदेशी प्रौद्योगिकी का आयात किया जाए तो इससे किसी को भी कोई शिकायत नहीं होगी। अत: जो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा अन्य बातों से डर रहे हैं वे माननीय वित्त मन्त्री द्वारा सभा पटल पर रखे गए पत्राचार को देख सकते हैं जिससे स्पष्ट रूप से यह पता चलता कि हमने अपनी आर्थिक प्रभुसत्ता को किसी राष्ट्र अथवा किसी देश के लिए बलिदान नहीं किया है। हम ऐसा कर भी नहीं सकते। सभा पटल पर रखे गए विवरण से यह स्पष्ट है कि हमारे वित्त मन्त्री ने देश की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए अल्पावधि तथा दीर्घावधि दोनों उपायों को समाविष्ट करके, औद्योगिक नीति और व्यापार नीति के जरिए व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाया है।

हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस देश में मूल्यों की स्थिति हमारी अर्थव्यवस्था में कार्यशील विभिन्न शक्तियों के तालमेल के परिणामस्वरूप है और पूर्व सरकार के प्रशासन के हानिकारक प्रभावों को भी एक रात में ही नहीं समाप्त किया जा सकता है। पूर्व सरकार के 18 महीने के शासन के दौरान हमारा विदेशी मुद्रा कोष घटकर लगभग दो हफ्तों की स्थिति के बराबर आ गया था। पूर्व सरकार के आर्थिक प्रशासन ने 16.4 प्रतिशत तक मूल्यों में वृद्धि की। अब, एक जादू की छड़ी से हम मूल्यों को आधा नहीं कर सकते। इसमें कुछ समय लगेगा। आर्थिक उपायों के प्रभावों को केवक एक निश्चित समय में ही महसूस किया जा सकता है। आपके द्वारा लागू दीर्घकालिक उपायों के परिणामस्वरूप और एक महत्वपूर्ण प्रभाव जो बहुत ही कम समय में देखा गया है वह यह है अब हम अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में दिवालिए की स्थिति में नहीं है। दिवालियेपन की स्थिति पर विजय प्राप्त कर ली है। दो सप्ताहों में ही हमारे पास 2600 करोड़ रुपए का कोष था और अब हमारे पास 8000 करोड़ रुपए से अधिक विदेशी मुद्रा कोष है।

यहां तक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को उम्मीद थी कि हमारे पास 2.1 बिलियन डालर होंगे और 1992 तक हमारे पास 3.1 बिलियन डालर होंगे। परन्तु अब हमने उस रेखा को पार कर लिया है और हमारा विदेशी मुद्रा कोष 8,000 करोड़ रुपए से अधिक है। यह वित्त मन्त्री द्वारा लागू की गई नीति के परिणामस्वरूप है। हमें अपने आयातों पर कुछ प्रतिबन्ध लगाने पड़े। अब हमारे विदेशी मुद्रा कोष की स्थिति में सुधार हुआ है, आयात की स्थिति भी बेहतर हुई है। शायद अब कुछ अनिवार्य उपभोक्ता वस्तुओं का कुछ सीमा तक आयात किया जाए ताकि आम आदमी के बोझ और दुःख को कुछ कम किया जा सके। सरकार अब कुछ अत्याधिक आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं जैसे खाद्य तेल और उर्वरकों, आदि के आयात के उदारीकरण के बारे में विचार कर सकती है। निर्यात स्थिति में सुधार हुआ है और निर्यात करने वाले उद्योग भी बेहतर एवं उज्जवल स्थिति में प्रतीत होते हैं। मुझे आशा है

कि वित्त मन्त्री मामले की ओर ध्यान देंगे और यह निर्णय लेंगे कि उपभोक्ताओं के लिए कुछ आवश्यक वस्तुओं, जैसे खाद्य तेल के आयात के सम्बन्ध में कितना उदारीकरण किया जा सकता है।

जैसाकि मैंने निवेदन किया है कीमतें कम की जानी चाहिएं। परन्तु यह कतिपय मेक्रो अर्थ-व्यवस्था समायोजन पर निर्णय करेगा। अर्थव्यवस्था में असन्तुलनों ने काफी हद तक हमारे आर्थिक ढांचे को खराब किया है। यदि हमें सही मार्ग नियत करना है तो इसके लिए कुछ समय की आवश्यकता होगी। मेक्रो आर्थिक समायोजन, जो हमारी व्यापार नीति, वित्तीय नीति और औद्योगिक नीति के जरिए हुआ है, के लिए कुछ समय की आवश्यकता है ताकि इसकी स्थिति में सुधार के जरिए उसका प्रभाव अर्थ-व्यवस्था पर पड़े।

कीमतों के सम्बन्ध में हमें आशा है कि कम समय के भीतर यह कुछ बेहतर परिणाम दिखाएगी। लेकिन इसके साथ ही किसी प्रकार का आत्म सन्तुष्टि का कोई कारण नहीं है। अभी भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। शायद हम उस बिन्दु को पार कर गए हैं जहां हम पूरी तरह से निराश थे। अभी भी मूल्य स्थिति पर समुचित ध्यान देने की आवश्यकता है और यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो इससे हमारे लिए भविष्य में गम्भीर चिन्ता होगी। प्रतिदिन कुछ आवश्यक उपभोक्ता की वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो रही है। यदि आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में निरन्तर वृद्धि होती रही तो सरकार की स्थिति को ठीक करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए समुचित कदम उठाने चाहिए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक महत्वपूर्ण एजेन्सी है जिसके जरिए सरकार को लोगों को अधिक मात्रा में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करनी होती है। सरकार को देखना चाहिए कि क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली समुचित रूप से कार्य कर रही है और क्या आपूर्ति प्रबन्धन आर्थिक आधार पर किया जाता है अथवा नहीं। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी ओर वित्त मन्त्री को सक्रिय रूप से विचार करना चाहिए। मैं यह इसलिए कहा है क्योंकि हमारे देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली ने वांछित परिणाम प्राप्त नहीं किए है। यदि सार्वजनिक वितरण प्रणाली इसी प्रकार कार्य करती रही तो इससे अधिक भ्रष्टाचार और अधिक कुप्रशासन पनपेगा। इसके लिए सरकार द्वारा कठोर कार्यवाही करने की आवश्यकता है और अधिक तथा कठोर नियन्त्रण होना चाहिए। आपूर्ति प्रबन्धन पर भी समुचित परिप्रेक्ष्य से विचार करने की आवश्यकता है। यह सच है कि अब तक अनिवार्य वस्तुओं के आयात पर कुछ प्रतिबन्ध रहे हैं। यह हमारी विदेशी मुद्रा कोष की खराब स्थिति होने के कारण था। अब हमारे विदेशी मुद्रा कोष की स्थिति बेहतर है और मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह कुछ आवश्यक वस्तुओं के आयात के सम्बन्ध में विचार करे।

सभापति महोदय, यदि 1991 के शुरू में आर्थिक व्यवस्था खराब हुई थी तो वह पिछली सरकार द्वारा 18 महीनों में अपनाई गई नीतियों के कारण ही थी। यह केवल वित्त मन्त्री द्वारा उठाए गए व्यवहारिक, साहसिक, और निर्णायक उपायों का ही परिणाम है, जो उन्होंने दीर्घकालिक और अल्प-कालिक दोनों उपायों के रूप में उठाए हैं और हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति बेहतर है।

यह सच है कि हमें अभी भी इस प्रक्रिया से गुजरना है तथा इस दौरान हमें निर्णायक तथा निर्भीक कदम उठाने पड़ेंगे। मैं, सदन से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस बात को मानें कि कीमतों को शीघ्र ही जादू की छड़ी से नीचे नहीं लाया जा सकता। आर्थिक नीतियों का प्रभाव कुछ समय में महसूस होगा। दीर्घावधि के आर्थिक उपायों का प्रभाव कुछ समय के बाद होगा।

इन शब्दों के साथ मैं, वित्त मन्त्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने सही दिशा में निर्भीक, जोरदार तथा सार्थक कदम उठाया है ।

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : माम्यवर, मुझे आर्थिक स्थिति की समीक्षा के परिप्रेक्ष्य में यह कहना है कि माननीय वित्त मन्त्री जी ने प्रयास तो बहुत किए, उन्होंने घोषित भी किया कि वह बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उस सब के बावजूद 'ज्यों-ज्यों दवा दी मर्ज बढ़ता गया" यह जो शेर है, यह भारत की अर्थव्यवस्था पर लागू है । मुझे बताया गया कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया । मैं भी जानता हूं कि करेंसी में रुपए की डिवैल्यू कर रहे हैं । रुपए का माल अठन्नी में मिलना शुरू होगा तो मेरे ख्याल में वह आपको अच्छा लगने लगेगा ।

हमारा एक्सपोर्ट का परिमाण बढ़ा लेकिन उसके बावजूद जो मूल्य लौट कर आया, जितनी विदेशी मुद्रा हमने अर्जित की वह कम हुई । यह बात आंकड़े बताते हैं । जो वांछित लाभ आपने सोचा था, रुपयों का अवमूल्यन रूपी करने में, वह लाभ नहीं मिला सिवाय इसके कि हमारा सारा माल चला गया लेकिन जो क्रय शक्ति आनी चाहिए, सामान खरीदने की, वह नहीं मिल सकी ।

इस बजट के आने के बाद और आई० एम० एफ० के प्रेशर में पालिसी बनाई गई । उसके कारण महंगाई सुरसा की भांति मुंह फैला रही है । 15 परसेंट मूल्य सूचकांक में वृद्धि हुई यह तो सरकारी आंकड़े स्वीकार करते हैं, लेकिन वास्तव में उपभोक्ता को जो महंगाई का फिर परिणाम भुगतना पड़ रहा है, वह इतना है कि उसकी कमर टूट रही है । उसके लिए जीवन जीना दूभर हो रहा है । गेहूं जो सामान्य व्यक्ति खरीदता है, सामान्य व्यक्ति को चाहिए, जब बजट आया तो 350 रुपए का 100 किलो था, अब 375 का हो गया । बालमती चावल 2500 से 3100 हो गए, सरसों का तेल एक हजार से 1100 हो गया । एक जमाने में मोरारजी भाई ने जिस समय सोने को बाहर बेच दिया था तो मेरे ट्रेजरी बैंचों के मित्रों और नेताओं को उस समय मंगल-सूत्र की याद आ गई थी और वह सोचते थे कि मंगल-सूत्र लूट गया, मोरारजी भाई ने इस देश को लूटा । इसलिए कि सोना महंगा हो गया, लेकिन आज मैं यह कहना चाहता हूं कि सोना बिटूर जो 3680 रुपए था, वह अब 4500 हो गया है । मंगल-सूत्र का अरमान लिए बहनें सोचती थीं कि शादी के बाद उन्हें मंगल सूत्र मिलेगा, हाथों में सोने की चूड़ियां व माथे पर बिंदिया मिल जायेंगी, लेकिन वह मअस्सर नहीं हुआ क्योंकि बजट इतना खराब हो गया कि जिस पिता ने सोचा था कि बेटी के हाथ पीले करते समय मैं मंगल-सूत्र दे दूंगा और चूड़ी बिंदियां पहना दूंगा, उसका सारा धन और चीजों में खत्म हो गया ।

अरहर की दाल जो आदमी खाता है, उसके 15 रुपए 70 पैसे दाम थे, वह खुदरा बाजार में 19 रुपए किलो बिक रही है और थोक बाजार में 18 रुपए 50 पैसे है । गरीब आज लुट रहा है ।

इसके साथ ही औद्योगिक उत्पादन गिरा है । चालू साल के पिछले 7 महीने की जो रिपोर्ट आई है, फाइनांस मिनिस्ट्री के अन्दर, औद्योगिक मंत्रालय के अन्दर, उसकी कापी मेरे पास भी है । और उसमें बताया गया है कि जो इण्डस्ट्रियल आउटपुट है, वह गिरा है, उसके रीजन्स भी बताए गए हैं कि औद्योगिक अनुमति सचिवालय द्वारा पूंजीगत सामान के आयात मे, आशयपत्रों की स्वीकृति में देरी हुई कम्पट्रोलर ऑफ कैपीटल इश्यूज द्वारा एप्रूवल प्राप्त करने में देरी हुई, वित्तीय संस्थानों द्वारा

दी जाने वाली स्वीकृति में विलम्ब हुआ, यह कारण रहे होंगे लेकिन उसके बावजूद इन कारणों का दोष भी केन्द्रीय सरकार के ऊपर ही जाएगा, वित्त मंत्रालय के ऊपर ही जाएगा। इसके लिए हम किसी पड़ौसी की आलोचना करने नहीं जाएंगे।

मैं एक बात कहना चाहूंगा। वित्तीय अनुशासन के मामले में हमने दरवाजे खोल दिए, विदेशी सहयोग के लिए, हमने दरवाजे खोल दिए कि किसी तरीके से लोग आयें, हम हर सुविधा देने को तैयार हैं। एग्जिम स्क्रिप चली, प्रारम्भ की गई, उन एग्जिम स्क्रिप्स में भी चोरी हो रही है। मुझे उस दिन कामर्स मिनिस्ट्री की कंसल्टेटिव कमेटी में पता चला कि अनेक लोगों पर मुकदमे कायम किए गए हैं और इसलिए किए गए कि उसमें चोरी और हेराफेरी शुरू हो गई थी। मैंने पिछली बार बजट अधिवेशन में भी मांग की थी तथा वाणिज्यिक विभाग की परामर्शदात्री की समिति की बैठक में कहा था कि ठीक जैसे एग्जिम स्क्रिप की चोरी हो रही है, 20 करोड़ की, आर०ई०पी० लाइसेंस, आयात के जो लाइसेंस मिले थे, लोगों को, उनकी हिन्दुस्तान भर में चोरी हुई है। अकेले दो करोड़ रुपए के लाइसेंस की चोरी के कागजात मैंने माननीय वित्त मन्त्री जी और उसके बाद माननीय वाणिज्य मन्त्री को भेजे लेकिन मन्त्री जी का जवाब यह आया, कामर्स मिनिस्ट्री की कंसल्टेटिव कमेटी में कि उनके मामले, जिनकी चोरी चली गई, उन के विभाग और पोस्ट ऑफिस की मिलीभगत से है, उसका केस रजिस्टर करने का भी उनके यहां कायदा-कानून नहीं है, प्रावधान नहीं है। उन्हें डुप्लीकेट लाइसेंस इश्यू करने का उनके यहां प्रावधान नहीं है और इसलिए लाखों मजदूर, जो उनके यहां काम करते हैं और जो उद्योगपति, जिनको आर० ई० पी० के आयात के लाइसेंस मिले थे, सड़कों पर घूम रहे हैं, दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। बोफोर्स का जो काण्ड हुआ, उसमें तो दलाली खाई गई लेकिन इसमें तो सारे आयात के लाइसेंस के लाइसेंस खा लिए गए लेकिन भारत सरकार के कान पर अभी तक कोई जूं नहीं रेंगी। वह कहते हैं कि हमारे नियम नहीं हैं। मैं वित्त मन्त्री जी से जानना चाहता हूं, माननीय वाणिज्य मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि आखिर कौन सा डिसिप्लिन, कौन सा कानून तुम्हारे लिए है कि चोरी हो जाए और उसके बाद तुम कह दो कि नियम नहीं है इसलिए हम कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं हैं। यह लिखित में आया है, मुझे बड़ी तकलीफ होती है, इस बात की।

मैं समझता हूं कि इस वर्ष का जो सबसे बड़ा घोटाला है, जिस घोटाले पर भारत सरकार चुप्पी साधे हुए है, मैं इसके लिए आरोप लगाना चाहता हूं। मैं कहना चाहूंगा कि .025 करोड़ रुपए बैंकों का फंसा दिया गया, लार्ज स्केल सिक इण्डस्ट्रियल यूनिट्स पर 1988 से, आखिर उसको निकालने के लिए हमने क्या किया? अगर हमने किया तो केवल यह किया कि विदेशों से पैसा मांग रहे हैं, लेकिन क्या इस पैसे को देना नहीं पड़ेगा? आर्थिक स्थिति हमारी कब सुधरेगी, जब हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा और हमारा अपना पैसा बनेगा इसलिए मैं कहना चाहूंगा, औद्योगिक उत्पादन व समृद्धि के मामले में गिरावट है, देश के 7 महीनों के आंकड़ों में। इसलिए विदेशों से कर्जा ले लेना, एन० आर० आइज० का पैसा जमा करा लेना, उनसे कहना कि हम सर्वस्व तुम्हें दान करने को तैयार हैं, कैसे भी आकर आप हमारे यहां काम करो। चारवाक ने कहा था कि "यावत् जीवेत सुखम् जीवेत, ऋणम् कृत्वा घृतम् पीवेत्" तो इस घृतम् पीवेत् से काम नहीं चलेगा। पिछली सरकार के लोगों ने ऐसे ही घी पिया था, ऋण ले लेकर, उसके दुष्परिणाम तो आज देखने को मिल रहे हैं और आज जब उत्पादन नहीं बढ़ेगा और इस तरह का कर्जा लेकर हम केवल फिक्टीसियस आंकड़ों से पेट भरना चाहेंगे, अगर कर्ज लेकर अपना पेट भरना चाहेंगे तो देश का विकास नहीं होगा, देश तो गिरवी रखा जा रहा है।

इसके साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार की जो आर्थिक मामलों में भेदभावपूर्ण नीति उत्तर प्रदेश के मामले में रही है, वह चली आ रही है। 1950-51 में उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति औसत आय 270 रुपए थी जबकि राष्ट्रीय औसत आय उस समय 296 रुपए थी। 1989-90 के अन्दर यही औसत आय उत्तर प्रदेश में 3072 हो गई जबकि सैण्ट्रल राष्ट्रीय औसत आय 4052 रुपए हो गई थी। इतना बड़ा गैप होता गया और वह गैप आज भी बढ़ता जा रहा है। यहां तक ही नहीं अनपरा बिजली योजना के लिए जो योजना पर व्यय था, जिसकी योजना आयोग ने स्वीकृति दे दी है, उस पैसे को आज भी बार-बार मांग करने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश की सरकार को नहीं दिया जा रहा है। विकास के मामले में योजनागत व्यय में, इन्वेस्टमैण्ट के मामले में उत्तर प्रदेश के साथ लगातार पक्षपात किया जा रहा है, उसकी उपेक्षा की जा रही है, राजनैतिक आधारों पर इसलिए मैं यह आरोप लगाता हूं।

मैं एक बात और कहना चाहूंगा, मैंने बैंक से सम्बन्धित एक प्रश्न पूछा था, जिसमें बताया गया कि बैंकों में जो सावध जमा है, उस सावध जमा में बढ़ोत्तरी हुई है मंजिनली। मैं कहना चाहता हूं कि यह भी एक फ्रॉड है। फ्रॉड इस प्रकार से है कि जो म्यूच्युल फण्ड का पैसा उन्होंने कलैक्ट किया है, उसमें आंकड़ों की जगलरी कर वृद्धि को दिखा दिया गया है, लेकिन वास्तव में वे लोग, जिन्होंने सावध जमा में इन्डिविज्युअल पैसा जमा करवाया हुआ था, सरकार की गलत टैक्सेशन की नीति के कारण बड़ा भारी इन्फलक्स हो गया है कि लोग खातों को तोड़ रहे हैं और इस फैक्ट को भारत सरकार छिपाना चाहती है। मैं कहना चाहता हूं कि आंकड़ों की जगलरी से वास्तविकता को छिपाया नहीं जा सकता है, तथ्यों को नजरअन्दाज नहीं किया जा सकता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बैंकों में इन्टरैस्ट पर जो टैक्स लगा था, उस पर आपको पुनः सोचना होगा और विचार करना होगा।

मैं कहना चाहूंगा कि आई० एम० एफ० के दबाव में खाद की सब्सिडी समाप्त कर दी गई है, उससे उद्योग धन्धे चौपट हो रहे हैं। खाद की इन्डस्ट्री भी खतरे में आ गई है। इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट यह होने जा रहा है कि इस साल जो रबी की फसल का उत्पादन होना है, उस उत्पादन की श्रेष्ठता पर, उसकी बढ़ोत्तरी पर एक प्रश्न चिह्न लग गया है। एक बार उन किसानों ने खून-पसीना एक करके देश के अन्दर हरितक्रान्ति लाई थी हमारे राजनेताओं की राजनीति या आई० एम० एफ० के दबाव के कारण खाद हमने महंगी कर दी है या इस तरह से जो कृषि से सम्बन्धित अन्य वस्तुएं महंगी हो गई है, उससे हरितक्रान्ति की उपलब्धि का समाप्त न हो जाए—यह मेरी चिन्ता है।

एक बात मैं डिवैल्युएशन-आफ-करैन्सी के बारे में कहना चाहता हूं। हालांकि सदन में कहा गया है कि तीसरी बार डिवैल्युएशन-आफ-करैन्सी नहीं होगी। फिर भी समाचार पत्र लिख रहे हैं और इन-बिट्विन समाचार मिल रहे हैं कि इतना कर्ज लेने के बाद तीसरी बार डिवैल्युएशन-आफ-करैन्सी की तैयारी की जा रही है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि एक बार पुनः कैटागोरिकली एश्योर किया जाए कि किसी भी परिस्थिति के अन्दर तीसरी बार डिवैल्युएशन-आफ-करैन्सी नहीं की जाएगी।

इसके साथ-साथ, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सारी आर्थिक नीतियों के तहत कोई इस प्रकार की प्लानिंग या नियोजन नहीं किया है, जिससे बेरोजगार लोगों को कुछ काम मिल सके। इसलिए सरकार को चाहिए कि अपनी असफलता को आर्थिक मंच पर स्वीकार करते हुए, मूल्यों में वृद्धि को किसी प्रकार बांधे। अगर मूल्यों की वृद्धि नहीं रुकेगी तो देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। मैं

कहना चाहता हूं कि लोगों की क्रय-शक्ति बढ़े और इसके लिए आवश्यक है कि हम रोजगारोन्मुखी अवसरों का सृजन करें, जिससे लोग भूखो मरने पर आमादा न हो। चाईना के अन्दर चांगकाई शेख के जमाने में नोटों की कमी नहीं थी, लेकिन नोटों की क्रय-शक्ति समाप्त हो गई थी। लोग भूखों मर रहे थे, सामान नहीं था। सामान था भी, तो लोगों के पास क्रय-शक्ति नहीं थी। पाकिस्तान और हिन्दुस्तान का बंटवारा हुआ, उस समय लोग सोने के बर्तन लेकर आए, लेकिन सामान नहीं मिल रहा था। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जब तक कॉमन-मैन की सामान को खरीदने की शक्ति नहीं बनेगी तथा उत्पादन का सामान उपलब्ध नहीं होगा तब तक देश के अन्दर अनेक प्रकार के उपद्रव होते रहेंगे। सारा आर्थिक नियोजन इस बात पर निर्भर करता है कि प्रोडक्शन बढ़े और प्रोडक्शन के साथ-साथ सब लोगों में उसका समान रूप से वितरण हो और लोग लाभान्वित हो सकें। अभी तक इस तरह की कोई योजना भारत सरकार की तरफ से प्रस्तुत नहीं की गई है, जिससे कि गरीब लोगों की क्रय-शक्ति बढ़ सकती हो और देश के अन्दर कोई ऐसे सर्वांगीण विकास के अवसर नजर आते हों, जिसके माध्यम से हम कह सकें कि देश के अन्दर उत्पादन बढ़ा है और लोगों की खुशहाली बढ़ रही है। सबसे बड़ी चिन्ता का विषय तो यही है कि औद्योगिक उत्पादन में गिरावट हुई है। इस औद्योगिक गिरावट पर आपको अंकुश लगाना होगा और इसके लिए सरकार को ड्रास्टिक मेजर्स लेने होंगे। रुग्ण उद्योगों के नाम पर सरकार यह कह कर इस बात को समाप्त नहीं कर सकती है कि हम क्या करें, इन्डस्ट्रीज में सिकनैस पैदा हो गई है। आखिर यह पब्लिक सैक्टर के अन्दर सिकनैस सरकार के संरक्षण में हुई है, इसलिए सरकार को हिन्दुस्तान की इकानोमी के साथ खिलवाड़ करने की बहुत लम्बे समय तक इजाजत नहीं दी जा सकती है। गरीब व्यक्ति जिस की जेब से टैक्स के रूप मे पैसा जाता है, उस टैक्स को अगर पब्लिक सैक्टर की रुग्ण इकाइयों के घाटे के अन्दर दे दिया जाता है, तो वास्तव में यह डकैती है। उस गरीब की जेब से लेकर उस पैसे को नौकरशाही में समाप्त कर दिया जाता है, लालफीताशाही मे समाप्त कर दिया जाता है, उचित नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आर्थिक स्थिति अभी संतोषजनक नहीं है। हमें संकल्प इच्छा शक्ति जगानी होगी कि हम आई० एम० एफ० के दबाव में न आयें। सम्बन्धित करों का नए सिरे से इसका स्ट्रकचरिंग करने की बात पिछले अधिवेशन में आई थी। एक चालिहा कमेटी बनी थी और उस कमेटी के माध्यम से कुछ टैक्सेशन के स्ट्रक्चर के अन्दर भी सुधार लाने की बात माननीय वित्त मन्त्री जी ने कही थी और कहा था कि उसकी अन्तरिम रिपोर्ट नवम्बर, अन्त तक संभवतः आ जाएगी, लेकिन वह रिपोर्ट भी हमें देखने को नहीं मिली। इसके कारण जो सेलरीड क्लास के लोग हैं वे उस महंगाई से बहुत ज्यादा त्रस्त हैं, उनका जीना भी दूभर हो गया है। आम लोग भी बहुत परेशान हैं इसलिए मैं चाहूंगा कि टैक्सेशन के अन्दर लोगों को रिलीफ दिया जाए, जिससे उनकी क्रय-शक्ति बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : सभापति जी, मुझे सबसे पहले उस बात पर दो शब्द कहने हैं जो बात इस सदन में बार-बार कही जाती है और सदन के बाहर भी कही जाती है, प्रधानमन्त्री, वित्त मन्त्री और सत्ताधारी दल के जो भी प्रवक्ता बोलते हैं, उनकी तरफ से, कि 18 महीनों में कुछ ऐसी स्थिति बनाई गई, देश का दिवाला निकला और अब पिछले 5-6 महीनों में वे स्थिति को सुधारने काम सरकारी पार्टी ने कर दिया है। इस बयान में, जो आज वित्त मन्त्री का, हम लोगों के सामने हैं, इसमें भी उनका बयान शुरू होता है इसी बात से कि :

[अनुवाद]

"छः महीने पूर्व श्री पी० वी० नरसिम्हा राव के नेतृत्व में बड़े ही अभूतपूर्व आर्थिक संकट

के बीच में हमारी सरकार ने कार्यभार संभाला। हमारा विदेशी मुद्रा भण्डार गिरकर 2600 करोड़ रुपया हो गया।"

[हिन्दी]

और फिर अपनी कामयाबी का जिक्र करते हुए वित्त मन्त्री कहते हैं कि :

[अनुवाद]

"हमें जो तत्काल लक्ष्य प्राप्त करना था, वह अन्तर्राष्ट्रीय विश्वास को पुन प्राप्त करना था। मुझे आशा है कि सभी माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि हमने उसे प्राप्त किया।"

[हिन्दी]

और उसमें सबसे पहले :

[अनुवाद]

"कार्यभार संभालते समय जो विदेशी मुद्रा भण्डार 2600 करोड़ रुपया (1.3 बिलियन) था वह बढ़कर 3000 करोड़ रुपया (3.1 बिलियन) हो गया।"

[हिन्दी]

मैं दो बातों की आपत्ति कर रहा हूं। मेरे पास यहां सरकार का दस्तावेज है, जिसको अभी नवम्बर के महीने में आपकी तरफ से प्रकाशित किया गया :

[अनुवाद]

"निर्यात क्यों ? व्यापार के लिए नई नीतियों का पैकेज क्यों नहीं ?"

[हिन्दी]

ये भारत सरकार का दस्तावेज है, जो यहां बाहर पब्लिकेशन काउन्टर पर पड़ा रहता है, चाहे जो भी उसे उठा सकता है। इसके पहले पन्ने पर आप यह कहते हैं कि दुनिया की अर्थ-व्यवस्था कैसे अभी इस तरह से मिलीजुली है कि किसी देश को आप अपनी तरफ से अकेले ही अपनी आर्थिक स्थिति को बनाना नामुमकिन है और आप यह कह रहे हैं कि कैसे हिन्दुस्तान की समस्याएं, आर्थिक समस्याएं बनीं और कैसे वे समस्याएं दुनिया की समस्याओं के साथ, दुनिया के किसी भी हिस्से में कोई भी घटना घटती है, उसके साथ ये जुड़ी हुई हैं, इस बात को लोगों को समझाएं।

[अनुवाद]

5.43 म०प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

10 लाख भारतीय खाड़ी देशों में काम करने गए थे । वे लोग नियमित रूप से अपने परिवार को धन भेजते रहे । जब वहां युद्ध छिड़ गया तो लगभग 1,80,000 भारतीयों को कुवैत तथा ईराक से भारत लाना पड़ा । इसपर 360 करोड़ रुपए खर्च हुए, हमें प्रतिवर्ष लगभग 500 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा का नुकसान हुआ, क्योंकि भारत में रह रहे परिवारों को धन प्राप्त होना रुक गया था। तथा और 500 करोड़ रुपए, जो वस्तुओं के निर्यात से अर्जित होता था, वह इसलिए अर्जित नहीं हो सका क्योंकि, वस्तुओं का नौवहन न हो सका ।

युद्ध के कारण कच्चे पेट्रोलियम की कीमतें एकदम बढ़ गई । बहुत ही थोड़े समय में कीमतें दुगुनी हो गई । गत वित्तीय वर्ष (1990-91) में जो बजट राशि केवल 6,400 करोड़ रुपए थी, उसके मुकाबले भारत को पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात हेतु 10,820 करोड़ रुपए का भुगतान करना पड़ा । भारत का पेट्रोलियम उत्पादन बढ़ती हुई मांग को पूरा नहीं कर पा रहा है ।

[हिन्दी]

सभापति जी, मैं चाहूंगा कि वित्त मन्त्री जी इसी को फिर एक बार पढ़ लें, जब इस प्रकार के बयान दे करके देश को गुमराह करने का और अपनी जिम्मेदारी को और राष्ट्र की जिम्मेदारी को टालने का प्रयास करते हैं । (व्यवधान)

[अनुवाद]

वित्त मन्त्री (श्री मनमोहन सिंह) : मैंने किसी पर दोष नहीं बांटा है । मैं तथ्यों पर आधारित वक्तव्य दे रहा था, तथा श्री जार्ज फर्नान्डीज को याद होगा ।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : उपाध्यक्ष जी, मुझे खुशी है कि वित्त मन्त्री महोदय भविष्य में हम लोगों पर जिम्मेदारी डालने का काम नहीं करेंगे । पहले आपका बजट भाषण, उसके बाद प्रधानमन्त्री जी के पिछले चुनावों का एक एक भाषण, दिन में 10-10 भाषण और अभी जो मेरे से पहले कांग्रेस पक्ष की ओर से माननीय सदस्य बोले, उन सब भाषणों में 18 महीनों को देश की बरबादी का जिम्मेदार बताया गया जब श्री वी० पी० सिंह और उसके बाद श्री चन्द्रशेखर की सरकार थी, उन पर सारी जिम्मेदारी डालने का काम किया गया । मैं चाहूंगा कि भविष्य में इस प्रकार की गलत बात को रखने का काम नहीं होगा । (व्यवधान)

ठीक है, जो भी हो । दूसरी बात जो इस सन्दर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि वित्त मन्त्री जी के बयान के बारे में है, जिसमें लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया गया है । कम से कम वित्त मन्त्री जी इस बात को मानेंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि किस तरह से वे गुमराह कर रहे हैं । वित्त मन्त्री जी ने बताया है कि 2600 करोड़ रुपए के विदेशी मुद्रा के भण्डार को उन्होंने 8000 करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया है । यानी 2600 करोड़ रुपए के साथ यह भी लिखा हुआ है कि 1.3 बिलियन यू० एस० डालर और 8000 करोड़ रुपए के सामने लिखा हुआ है 3.1 बिलियन यू० एस० डालर । वित्त मन्त्री जी तो मेरी बात को निश्चित रूप से समझेंगे क्योंकि वे गुमराह करने का काम कर रहे हैं । 1.3 बिलियन डालर का 2600 करोड़ रुपया होता है, उस वक्त जो डालर और रुपए का एक्सचेंज था, उस आधार

पर रुपए को बताने का काम कर रहे हैं और अब 3.1 बिलियन डालर को 8000 करोड़ रुपया आज रुपए की कीमत के आधार पर बताने का काम कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री मनमोहन सिंह : हमने विवरण में दोनों आंकड़े दिए हैं।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : लेकिन हिन्दुस्तान का साधारण आदमी, हिन्दुस्तान का सामान्य व्यक्ति इन बातों को नहीं समझता। वह तो यही समझेगा कि वी० पी० सिंह और चन्द्रशेखर ने विदेशी मुद्रा के भण्डार को 2600 करोड़ रुपए पर ला दिया और वर्तमान प्रधानमन्त्री जी और वित्त मन्त्री जी ने इसको 8000 करोड़ रुपए पर पहुंचा दिया, जबकि तथ्य कुछ और ही हैं। 1.3 बिलियन डालर से जब आप 3.1 बिलियन डालर पर आ जाते हैं तो बढ़ोत्तरी इस मात्रा में नहीं हुई है, जिस मात्रा में यहां पर बताने का और देश को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है।

[अनुवाद]

श्री मनमोहन सिंह : हमने रुपयों तथा डालर दोनों में ही आंकड़े दिए हैं।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : जी हां, आपने तो दोनों आंकड़े दिए हैं, लेकिन हिन्दुस्तान का गरीब आदमी बिलियन डालर की चर्चा नहीं करता है, वह तो करोड़ रुपए की चर्चा करता है।

श्री मुरली देवरा (मुम्बई दक्षिण) : करोड़ रुपए में भी बताया है और डालर्स में भी बताया है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : वही तो गलत है। मैं समझता था कि कम से कम आपकी समझ में तो आएगा, क्योंकि आपका तो रुपए का व्यवहार है, जब आप ही नहीं समझते हैं तो हिन्दुस्तान का गरीब आदमी कैसे समझेगा, हिन्दुस्तान का सामान्य आदमी कैसे समझेगा।

श्री मुरली देवरा : आप क्लीयर कर दीजिए।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं क्लीयर कर रहा हूं। 1.3 बिलियन डालर को जो 2600 करोड़ रुपए बताया गया है, वह रुपए की उस वक्त की जो एक डालर की 20 रुपए कीमत चल रही थी, उस आधार पर बताया गया है और 3.1 बिलियन डालर के लिए जो 8000 करोड़ रुपए बताया गया है, यह आज जो डालर की कीमत 25.50 रुपए प्रति डालर चल रही है, उसके हिसाब से बताया गया है। इस तरह से लोगों को गुमराह करने का तरीका ठीक नहीं है। मेरे खयाल से 3.1 बिलियन डालर उस वक्त की रुपए की कीमत के हिसाब से मुश्किल से 6 00 करोड़ रुपए के बराबर होते हैं, लेकिन

आपने 8000 करोड़ रुपए तक इस आंकड़े को पहुंचा दिया है। (व्यवधान) 1.3 बिलियन डालर की कीमत, उस वक्त पिछली सरकार के समय की आपने 2600 करोड़ रुपए बताई है, लेकिन इस सरकार का हिसाब बताते वक्त रुपए की आज की कीमत को आधार मानकर दिखाने का काम किया गया है। यह बहुत गलत बात है और लोगों को गुमराह करने का काम मैं चाहूंगा कि सरकार न करे। (व्यवधान) यह भी जरूरी है, यह मेरे समझने की बात नहीं है, सदन को भी समझना बहुत जरूरी है। कल अगर गलत आंकड़ों के आधार पर हम लोग नीतियों को बनाने का काम करेंगे तो वित्त मन्त्री जी आप जिस तरह से देश को दो कदम तेजी से आगे चलाना चाहते हैं, उसमें हम सब लोग फंस जाएंगे। इसलिए मेरी प्रार्थना है, इस तरह से गुमराह करने वाली जो बात है, इसको न करने से हम सब लोगों का भला होगा, देश का भला होगा। उपाध्यक्ष जी, यहां आर्थिक संकट पर बहस हो रही है और भाषण हो रहा है माइक्रो और फिस्कल आदि-आदि चीजों को लेकर।

[अनुवाद]

श्री ई० अहमद : साधारण आदमी को मेक्रो, मीक्रो तथा फिस्कल आदि को समझना बड़ा कठिन है।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : यही मैं कह रहा हूं। मुझे खुशी है कि आपको भी यह परेशानी है। चूंकि आर्थिक संकट पर जब बहस करनी है तो इसको अगर आप पढ़ेंगे तो एक तरफ आपने जो इंटरनेशनल मानेटरी फंड के मैनेजिंग डाइरेक्टर को लिखा, जो पत्र इसके साथ जुड़ा हुआ है, जो भी दस्तावेज यह है, इसके बाद आपका जो सारा बयान है, वित्त मन्त्री जी का, उस बयान के अन्दर विदेशी मुद्रा और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हम लोगों ने क्या-क्या जमा किया और क्या-क्या कमा लिया, वह छोड़कर देश के सामने जो आर्थिक संकट है, दरअसल जो आर्थिक संकट है, उस संकट की इसके अन्दर चर्चा नहीं है।

मैं मानता हूं, उपाध्यक्ष जी, अगर सदन में हम लोगों की आर्थिक समस्याओं के बारे में, आर्थिक संकट के बारे में बात करनी हो तो फिर लोगों को हर रोज समझने वाले, उनको परेशान करने वाले, जिन परेशानियों से देश आज अपने को बाहर निकालना चाहता है, उन समस्याओं की यहां पर चर्चा होनी चाहिए थी। अभी भी मैं मानूंगा कि यह चर्चा यहां पर होनी चाहिए।

लेकिन एक बात वित्त मन्त्री जी से खासतौर पर मैं कहना चाहता हूं। आई० एम० एफ० की कंडीशनेलेटीज पर आपसे दस्तावेज आना है, आपने यहां दस्तावेज रख दिया, आपका पत्र और आपकी तरफ से इन्टरनेशनल मानेटरी फण्ड को भेजा गया दस्तावेज, उनकी तरफ से आपको इस बारे में आई जो टिप्पणी है वह ज्यादा महत्व रखती है।

[अनुवाद]

श्री मनमोहन सिंह : इस प्रकार कोई बात नहीं है।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : उपाध्यक्ष महोदय, हम आपकी बात को मानेंगे। क्योंकि हम इतना

तो मान सकते हैं कि आप इस सदन में ऐसी कोई बात नहीं करेंगे । गुमराह करने की बात आप कर सकते हैं ।

[अनुवाद]

श्री मनमोहन सिंह : मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस पर तथा हमने जो प्राप्त किया है कोई आलोचना नहीं हुई । जो कार्यवाही की गई थी, यह उसी का दस्तावेज है ।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नाण्डीज : ठीक है । हम मानते हैं । अगर कोई और दस्तावेज देना हो जिसकी इन्टरनेशनल मानेटरी फण्ड ने हम लोगों को भेजा है ।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : दिल्ली में आकर कान में बोलता है तो लिखने का क्या दोष ।

श्री जार्ज फर्नाण्डीज : उपाध्यक्ष महोदय, हम यह चाहेंगे कि दरअसल जब वित्त मन्त्री जी इस बहस को आगे चलायेंगे तो उस बहस में लोगों के सामने जो चार मोटी समस्याएं हैं, उनके बारे में हम लोगों को कुछ बातें बताने का और सरकार के जो कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रमों को बताने का काम करें ।

पहला, मेरी अपनी मान्यता है कि सबसे बड़ी जो समस्या है वह रोजगार की समस्या है । केवल आई० एम० एफ० के सन्दर्भ में या आज की बहस के सन्दर्भ में नहीं बल्कि देश के सामने जो सबसे बड़ी समस्या है, मेरी मान्यता है कि समूचे हमारे संकट, जिसमें मैं सामाजिक संकट को भी जोड़ता हूं, जिसमें मैं राजनीतिक संकट को भी जोड़ता हूं, इसकी जड़ खोजने के लिए हम लोग जायेंगे तो रोजगार इसमें मुझे, कम से कम, सबसे बड़े प्रश्न के तौर पर नजर आता है । दूसरा, बढ़ते दाम—इन्फलेशन रेट क्या है, फिस्कल पालिसी से कितनी डैफिसिट फायनेंसिंग है, इसका क्या असर हो रहा है, ये सब बातें हम लोगों के लिए बहस के लिए ठीक है । लेकिन दाम आसमान छू चुके हैं ।

आंकड़े बताते हैं, कैसे 1990 तक अगस्त महीने में आज जो स्थिति है उससे खराब स्थिति कर के दिखाने का काम किया है । हालांकि यह गलत है । 1990 के अगस्त में वह स्थिति नहीं थी जो पिछले अगस्त, सितम्बर, अक्तूबर और नवम्बर में है । मान लीजिए, एक क्षण के लिए, कि ऐसी स्थिति, ऐसी तस्वीर रखने का प्रयास होता हो, उससे बात हल नहीं होती है । हम जानना चाहेंगे कि दाम पर किस प्रकार से लगाम लगाने का काम आप करने जा रहे हो और आपकी कौन सी नीति है । ठीक है, आपने कुछ प्रयोग किए हैं, जिस पर मैं अभी बोलूंगा । तीसरा, औद्योगिक क्षेत्र में इस समय जिस प्रकार की हालत बनी है, वह अति भयानक हालत है । मैं मानता हूं कि कोई इस सदन में नहीं होगा जो इस क्षण हिन्दुस्तान की औद्योगिक अवस्था, स्थिति से परेशान नहीं होगा । अगर वह वस्तुस्थिति को जानता हो । चौथा है खेती की हालत ।

और खेती की हालत इस वक्त बहुत खराब है । अनेक सालों के बाद फिर हम लोग अकाल की तरफ जा रहे हैं । चूंकि अकेले बिहार में, मेरा अपना सूबा बिहार है, वहां इस साल 25 प्रतिशत उत्पादन घट रहा है, राजस्थान में 20 प्रतिशत, महाराष्ट्र में 17 प्रतिशत और मध्य प्रदेश में वही स्थिति है

और देशों के अन्य सूबों में अन्न का उत्पादन घट रहा है। मैं कोई नए आंकड़े सदन के सामने नहीं रख रहा हूं। जहां पिछले साल खरीफ पर दस करोड़ बीस लाख टन का उत्पादन था, इस साल साढ़े नौ करोड़ का है। रबी की फसल पर साढ़े सात सौ करोड़ टन था और इस साल सात करोड़ चालीस लाख टन का अन्दाज है। इसका मतलब यह है कि 17 करोड़ 70 लाख टन पैदा हो गया है। वहां इस साल हम लोग 17 करोड़ 90 लाख टन के अन्दाज पर आकर पहुंचे हैं। हिन्दुस्तान की आबादी भी पिछले दो सालों में 3.3 करोड़ बढ़ी है। इस सदन में बहस करने से इन्कार करते हैं। जब ऐसा विषय आ जाता है तो ऐसे विषय पर मानते हैं जिस पर गम्भीर बहस नहीं होनी चाहिए। परिवार नियोजन आदि की बात है तो पिछले दो सालों में आबादी 3.3 करोड़ बढ़ी है। हम लोगों ने आस्ट्रेलिया पैदा किया है। दो साल पहले अनाज का उत्पादन 17 करोड़ 60 लाख टन था वहां इस साल अनाज का उत्पादन 17 करोड़ 90 लाख टन हो रहा है। 3.3 करोड़ आबादी बढ़ने पर अनाज का उत्पादन पांच मिलियन टन कम हो जाता है तो हम अन्दाज लगा सकते हैं कि देश में अन्न की क्या स्थिति होनी है। जब सदन में आएंगे तो तब भी देश में अकाल की स्थिति होती रहेगी। बिहार में और अन्य सूबों में लोग परेशान हैं। इस बहस के दौरान वित्त मन्त्री जी से जरूर जानना चाहेंगे कि अकाल की स्थिति पर मात करने के लिए और अनाज की जो समस्या है, इस पर मात करने के लिए क्या-क्या किया जा रहा है।

मैं यहां पर आज भविष्यवाणी करना चाहता हूं कि इस साल एक बार फिर लोग हिन्दुस्तान में अकाल से मरेंगे। मैं जानता हूं कि इसको इन्कार करना आसान होता है। अस्पताल में अकाल से मरने वालों के लिए कोई कालम नहीं होता है। भुखमरी के कारण मौतें। काज आफ डैथ अनेक होते हैं जिसमें फैमिन शब्द इस्तेमाल में नहीं आता है। मैं वित्त मन्त्री जी को चुनौती देकर कहना चाहता हूं कि पिछले 10, 12 और 15 सालों में हिन्दुस्तान का प्रतिवर्ष का अन्न का उत्पादन कम हो गया तो इस साल लोग कैसे मरे। इसके आंकड़े यहां संसद की लाइब्रेरी में हैल्थ मिनिस्ट्री की रिपोर्ट मे देखने को मिलेंगे। यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। आप विशेष तौर पर जानकारी रखते हैं। आप यह कहें कि अन्न और अकाल पर मात करने के लिए क्या नीति है।...(व्यवधान)

श्री भोगेन्द्र झा : इनको बहाना मिल जाएगा तो आयात करना शुरू कर देंगे और विदेशी मुद्रा लगाना शुरू कर देंगे।...(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : आप सरकार चला रहे हैं तो उसे तय करना है, मुझे लोगों की समस्याएं रखनी हैं, बिहार के बारे में आप जानते हैं। बिहार में बहुत भयंकर स्थिति है, वित्त मन्त्री जी जानते हैं।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : चावल का निर्यात कर रहे हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : उसको इसलिए विदेशों में निर्यात कर रहे हैं चूंकि हिन्दुस्तान में खरीदने की शक्ति नहीं है। मैं औद्योगिक सवाल पर आ रहा हूं। इस दस्तावेज में मोटी-मोटी बातें कही गई हैं। कैसा भविष्य उज्जवल है और इस वक्त क्या हालत है, इसको आपने नहीं बताया है। उसको आपने छिपा दिया है। अगस्त महीने के बाद के आंकड़े हमारे पास नहीं हैं, वित्त मन्त्री जी जानते है। मैन्युफैक्चरिंग हिन्दुस्तान में मुझे याद है, अगर ठीक हो तो यह कुल सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 70 प्रतिशत है।

6.00 म० प०

बी० एन० पी० को आप मैनुफैक्चरिंग में पकड़ते हैं तो मैनुफैक्चरिंग में पिछले अगस्त तक 3.5 प्रतिशत घट गया है। अगर हम पांच महीने अप्रैल से लेकर अगस्त तक लें इस साल के और यही पांच महीने पिछले साल के लें और इनकी तुलना करें और जोड़ें तो 12.4 प्रतिशत जहां पिछले साल बढ़ गया था इस साल 1.0 आप घट गए हैं। इसलिए हम कहां तक गिर गए हैं, इसकी कल्पना हो सकती है।

[अनुवाद]

हमारे अगस्त, 1989 के औद्योगिक उत्पादन की तुलना में जो 12.5 प्रतिशत की बढ़त हुई थी, उसके अगस्त 1990 में 1. प्रतिशत की गिरावट आई है, जिसका मतलब कुल उत्पादन में गिरावट। यदि आप पिछले दो वर्षों के आंकड़ो पर ध्यान दें तथा उनको पिछले दो वर्षों के आंकड़ों से तुलना करें तो आप देखेंगे कि उसमें 13.4 प्रतिशत की गिरावट हुई है।

[हिन्दी]

यह है आपकी औद्योगिक स्थिति, ये तो आंकड़ों की बात हो गयी। हम इससे एक कदम और आगे बढ़ेंगे। क्रूड आयल 7.6 प्रतिशत घट गया, इतने का आयात करना होगा।

[अनुवाद]

उपसभापति महोदय : श्री जार्ज, एक मिनट रुकिए।

क्या सत्ता पक्ष की ओर से कोई समया बढ़ाने का प्रस्ताव रखना चाहता है?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह सभा क्या चाहती है?

कुछ माननीय सदस्य : हम बैठेंगे। (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : महोदय, कार्य-मंत्रणा समिति में इस बात पर विशेष रूप से सहमति थी कि इस चर्चा को आज पूरा कर लिया जाए और हमारे पास चर्चा हेतु दो अन्य विषय भी हैं। (व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : क्या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ आपकी सहमति का यह भी एक हिस्सा है कि इस चर्चा को आज ही पूरा करना होगा? (व्यवधान)

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : कार्यमंत्रणा समिति की रिपोर्ट को पहले ही स्वीकार कर लिया गया है। इन चार विषयों—आर्थिक समिति, अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति, सरकारी क्षेत्र और पिछले सप्ताह के बचे हुए विषय उत्तरकाशी मामले पर वार्ता करने का निर्णय किया गया था। इन सभी चर्चाओं को अब

तक हम आज ही शुरू न करे, और इन्हें कल तक पूरा नहीं करें तब तक इन्हें इस सप्ताह पूरा नहीं किया जा सकेगा। और इसी कारण से 4.30 बजे हमने इस पर चर्चा शुरू की थी। (व्यवधान) इसलिए, मेरा अनुरोध है कि हम इस चर्चा को आज ही समाप्त करें। अन्यथा, अन्य चर्चाओं पर इसका असर पड़ेगा। एक चर्चा सरकारी क्षेत्र के सम्बन्ध में है, जिस पर आप काफी बातचीत कर रहे हैं और हो सकता है हम उसे उठा ही न सके।

श्री ई० अहमद (मंजेरी) : उस स्थिति में तो हमें आजकल और परसों तब तक बैठना पड़ेगा, जब तक चर्चाएं पूरी नहीं हो जाती। जो कुछ भी हो, हमें कल और परसों बैठना होगा। फिर हम आज भी क्यों बैठें ?

एक माननीय सदस्य : आज भी क्यों नहीं बैठें ? (**व्यवधान**)

श्री ई० अहमद : सभा की बैठक के लिए आध घण्टे का समय बढ़ाना तो, हम समझ सकते हैं। लेकिन माननीय मन्त्री जी ने सभा के सामने जो निवेदन किया है वह तो यह है कि चर्चा समाप्त होने तक समय बढ़ा दिया जाए। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय, आपकी क्या राय है ?

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मन्दसौर) : कार्य मन्त्रणा समिति में समान मत बना था कि दो-तीन डिलकशन आने वाले हैं, इनको यथाशीघ्र पूरा किया जाए। उसके लिए तिथियां निर्धारित की थीं कि उन्हें यथासम्भव पूरा किया जाए। अब हाउस की राय सामने है सहमत हो या असहमत हो।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : "सभा के पूर्व निर्णय पर विचार करते हुए समिति ने सिफारिश की थी कि नियम 193 के अन्तर्गत निम्नलिखित विषयों पर चर्चा प्रत्येक के समक्ष दर्शाई गई तिथियों को 4.30 म० प० से आरम्भ की जाए और उसी दिन पूरी की जाए।" कार्यमंत्रणा समिति का यह निर्णय है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : आइए, इस निर्णय को अब अस्वीकार कर दें। (**व्यवधान**)

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : यदि आप चर्चा में भाग लेना नहीं चाहते हैं, तो कोई आपको इसके लिए बाध्य नहीं कर रहा है। (**व्यवधान**)

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : महोदय, कार्य मन्त्रणा समिति का वह समझौता एक गुप्त समझौता था। इसे सभा के समक्ष प्रस्तुत करके स्वीकृत किया जाना चाहिए था।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : यह कोई गुप्त समझौता नहीं है। मैं श्री अमलदत्ता का ध्यान आज की कार्य मद सं० 11 की तरफ खींचना चाहता हूं। या तो उन्हें सभा में शामिल होकर यह जानना चाहिए कि सभा क्या करती है या फिर उन्हें इस ढंग से आपत्ति नहीं करनी चाहिए। कार्यमंत्रणा समिति की रिपोर्ट को इस सभा में अंगीकृत किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा के पूर्व निर्णय पर विचार करते हुए समिति की सिफारिश करती है कि नियम 193 के अन्तर्गत निम्नलिखित विषयों पर चर्चा प्रत्येक के समक्ष दर्शाई गई तिथि को 4.30 बजे से आरम्भ की जाए और उसे उसी दिन पूरा किया जाए।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : उपाध्यक्ष महोदय, जब कार्य मंत्रणा समिति में सभी दलों के सभी नेता होते हैं, तो इसकी रिपोर्ट का कोई मूल्य होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय, आप और कितने समय तक यहां पर बैठना चाहेंगे ?

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : महोदय, मैं सभा से प्रस्ताव करता हूं कि हम इस आशा से सभा की बैठक का समय 7.30 म० प० तक बढ़ाते हैं कि चर्चा उस समय तक पूरी हो जाएगी और यदि चर्चा पूरी नहीं होती है, तब तक सभा को जारी रखेंगे। **(व्यवधान)**

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम) : महोदय, सभी समितियों को नासमझ निर्णय लेने का अधिकार होता है।

श्री मुरली देवरा (बम्बई-दक्षिण) : आपको निर्णय करने का एकाधिकार है।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : जिस तरह के विधेयकों और विषयों पर हम चर्चा करने वाले हैं, वे सभी समय लेने वाले मानते हैं। इसलिए, हमें यह सोचना पड़ता है कि क्या सत्तापक्ष वास्तव में उनके बारे में गम्भीर है और यदि ऐसा है तो अधिकतर सदस्य उसमें शामिल होना चाहेंगे। यदि आप इसे आज ही समाप्त करना चाहते हैं, तो हमें 11.00 म० प० तक बैठना होगा, क्योंकि अधिकतर सदस्य न केवल मूल्य वृद्धि के सम्बन्ध में ही बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था की तबाही के सम्बन्ध में चर्चा में भी भाग लेंगे। इसलिए, इसको और आधे घण्टे में पूरा करना कोई आसान काम नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : आईए, हम 7.00 म० प० तक बैठते हैं। श्री जार्ज फर्नाण्डीज अब अपनी बात जारी रख सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नाण्डीज : उपाध्यक्ष जी, मैं औद्योगिक स्थिति पर कह रहा था कि कैसे हर क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में हम मार खा रहे हैं, लेकिन एक उदाहरण मैं इसलिए रख रहा हूं कि हो सकता है कि उस उदाहरण से कुछ गलतफहमी भी हो, लेकिन कहना बहुत जरूरी है क्योंकि उसके परिणाम अनेक क्षेत्रों में अनेक प्रकार के हो सकते हैं, और वह है आटोमोबाइल क्षेत्र। मोटरगाड़ी, स्कूटर रिक्शा यही कितने इस्तेमाल में आने चाहिए, इस पर भिन्न-भिन्न राय हो सकती है लेकिन आज स्थिति ऐसी बनी है कि आज तीन बड़े गाड़ी बनाने वाले कारखाने हैं जो बन्द होने की स्थिति में हैं। मेरे पास जो जानकारी है, उसके मुताबिक बम्बई में प्रीमियर आटोमोबाइल्स का कारखाना है। इस कारखाने के पास जो स्टाक है वह 8000 गाड़ियों का है।

उनके डीलर्स के पास जो स्टाक है, वह एक हजार और गाड़ियां हैं, यानी कुल मिलाकर 9 हजार गाड़ियों का स्टाक है। मुझे वहां के मजदूरों की तरफ से बताया गया है कि ले-आफ का मामला चर्चा

में आया है तथा इसी हफ्ते वहां ले-आफ हो सकता है। अगर यही स्थिति बनी रही, जो स्थिति आज है तो इसका मतलब यह होगा कि अगले महीने भर के अन्दर, हिन्दुस्तान के जो तीन कारखाने हैं, जिसमें मैं आपके सरकारी कारखाने को भी जोड़ता हूं, तीनों कारखानों में प्रोडक्शन तो खैर घट ही गया है, मजदूरों का ले-आफ और कारखाने बन्द करने की स्थिति पैदा हो जायेगी और यह केवल कारखानों के मजदूरों तक ही सीमित नहीं रहेगा, पूरा जो आटोमोबाइल सैक्टर है, उनके साथ अनेकों एन्सीलियरीज भी जुड़ी हुई हैं, जो लाखों लोगों को काम देती हैं, तथा आपकी जो नीति है, या जो भी कदम हम आज तक औद्योगिक क्षेत्र में उठा चुके हैं, वे हम लोगों को कहां ले जा रहे हैं, इसका एक ज्वलंत उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूं।

मैं इस विषय पर आपका और वक्त नहीं लूंगा, मगर चाहूंगा कि सरकार की तरफ से, इस वक्त औद्योगिक क्षेत्र में जो रिसेशन, एक नहीं अनेक क्षेत्रों में दिखायी दे रहा है, उस पर रोक लगाने के लिए आपने क्या उपाय किए हैं, वित्त मन्त्री जी अपनी स्पष्ट राय सदन के सामने रखें।

जहां तक दामों का प्रश्न है, मैं बहुत लम्बी बहस नहीं करूंगा लेकिन जो आंकड़े आप देते हैं कि इन्फ्लेशन 13.9 या 13.7 पर आकर रुका है, यह बात हमें इसलिए नहीं जंचती क्योंकि अक्तूबर-नवम्बर का महीना तो खत्म हो गया, दिसम्बर तक तो आपका सीजनल दामों के घटने का काम होना चाहिए था, लेकिन वे दाम घटे नहीं, बल्कि दाम कुछ बढ़ ही गए हैं। आपका 13.9 का जो आंकड़ा है, प्राईमरी आर्टिकल्स के दाम बढ़े हैं, जहां तक 50 प्रतिशत उपलब्धि हुई है, उस चित्र को आपने देश के सामने रखने का काम नहीं किया। या तो लोगों से इसको छिपाने का काम आप कर रहे हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि सरकार किस तरह से दामों को घटाने जा रही है वित्त मन्त्री जी उस पर प्रकाश डालें। हमें उस तरह की बात वित्त मन्त्री जी न बतायें जो उन्होंने बम्बई और अहमदाबाद जाकर कही थी। वहां उन्होंने तेल के व्यापारियों को बुलाया और अन्य किसी क्षेत्र के व्यापारियों को बुलाकर, उनसे प्रार्थना की कि दाम घटा दो, उस तरह की प्रार्थना से यहां कोई दाम घटने वाले नहीं हैं।

मैं खासकर वित्त मन्त्री जी का ध्यान आज के टाइम्स आफ इण्डिया की ओर आकर्षित करना चाहता हूं क्योंकि तेल का जो खेल है, वह कितना भारी खेल है और कैसे गुजरात की सरकार इसके अन्दर शामिल है, उसका सबूत मैं आपको पढ़कर तो नहीं सुनाऊंगा, लेकिन वह सबूत आज के टाइम्स आफ इण्डिया ने अपने हर ऐडीशन में, दिल्ली के ऐडीशन में भी तथा मेरे हाथ में इस समय बम्बई का ऐडीशन है, अपने हर ऐडीशन में, बताने का काम किया है। यह खेल पिछले फरवरी महीने में भी हुआ था जिसमें वहां के मुख्यमन्त्री भी किसी तरह से शामिल थे, उसकी जानकारी भी इसमें छपी है। उस समय के मुख्यमन्त्री, आज दिल्ली मे हैं, अब वे वहां पर मुख्यमन्त्री नहीं हैं लेकिन जिस तरह से व्यापारियों और सरकार का रिश्ता बनता है, और उसके पीछे जो असली कारण है, वह नेशनल डेरी डवलपमेंट बोर्ड है, जिसे आपने मार्केट इन्टरवेंशन एजेंसी की जिम्मेदारी दी थी, हालांकि मात्र 6 प्रतिशत तेल ही इस नेशनल डेरी डवलपमेंट बोर्ड की ओर से बाजार में लाने का काम होता है, धारा के नाम से, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए, नेशनल डेरी डवलपमेंट बोर्ड पर डाली हुई जिम्मेदारी को खत्म करने के लिए, पूरे ये तेल बेचने वाले व्यापारी, इस क्षण गुजरात सरकार भी इसके अन्दर शिरकत करके कैसे बैठी है, वित्त मन्त्री जी को इसकी जानकारी है, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अब आप केवल व्यापारियों के साथ जाकर, उनसे अपील वगैरह करके, यदि आप समझते हैं कि दाम घटने का काम हो जायेगा, यहां पर आप उसे मत रखिएगा।

यहां पर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात कही जाती है परन्तु पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन से ही बात नहीं बनेगी क्योंकि जब लोगों के पास खरीदने की शक्ति ही नहीं है, मैं वित्त मन्त्री जी को एक ही उदाहरण देता हूं, भिलाई का, जहां पर शंकर नियोगी की कुछ दिन पहले हत्या हुई थी। शंकर नियोगी वहां असंगठित मजदूरों के हित में लड़ाई लड़ रहे थे। भिलाई में 80 हजार असंगठित मजदूर हैं। उन मजदूरों को केवल 10-12 रुपए प्रति दिन तनख्वाह मिलती है, जब उनको काम मिलता है। यदि किसी मजदूर के परिवार में 5 लोग हैं तो आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम उसकी क्या सहायता कर पाएगा, यह सारी बहस की बात हो सकती है लेकिन व्यवहार में इससे कोई बात नहीं बनती है। इसलिए मैं दाम के बारे में वित्त मन्त्री जी से सुनना चाहता हूं कि क्या आप कोई नई दाम नीति बनाने की हिम्मत कर सकते हैं? कारखाने में बनने वाली कम से कम दैनिक इस्तेमाल की चीजें, मोटर गाड़ियों या अन्य चीजों के दाम की चर्चा नहीं करूंगा, उसका निर्माण, बाजार में पहुंचाने का यातायात का खर्च और जहां गोदाम में रहता है उसका किराया, उसका लागत खर्च और तीन चीजों को जोड़कर हिन्दुस्तान में उसके डेढ़ गुना से ज्यादा में कोई भी वस्तु नहीं बेची जाएगी। क्या ऐसी दाम नीति बनाकर उसे सख्ती से अमल करने के लिए आप तैयार हैं? वरना ये केवल बहस हो जाएगी, हम पी० डी० एस० की चर्चा करेंगे लेकिन जमीन पर कोई बदलाव लाने की बात नहीं होगी और गरीब मरता जाएगा।

इसी सन्दर्भ में एक और बात कहना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि हमारी पार्लियामेंट इन सब चीजों में व्यर्थ साबित होती है। इसके पीछे का बड़ा कारण, यहां जो काफी बेची जाती है वहां जाइए, मिलेगा। पार्लियामेंट के मैम्बरों के लिए जो काफी बेच रहे हैं और जिनको सेन्ट्रल हाल में जाने का पास है, उनके लिए काफी का दाम आपने 1977 में तय किया था। 1977 में 60 पैसे जमा टैक्स यानि 65 पैसे की एक कप काफी की। 1977 से लेकर 1991 में, 14 साल बाद भी वही 65 पैसे में काफी पीते हैं। काफी का दाम 18 रुपए से 44 रुपए किलो हो गया है लेकिन हमारे लिए 14 साल बाद भी 65 पैसे हैं। वहां जो भी खाने की चीज मिलती है, डबलरोटी, मक्खन या चीज हो, उनके दाम तीन-चार गुना बढ़े हैं पिछले 14 सालों में लेकिन हमें उसी दाम से मिलते हैं जो 1977 में तय किए थे। दाम बढ़ाने के लिए कहें, कम से कम लागत खर्च निकले इसके लिए कहें तो यहां से कहा जाता है कि यह नहीं होना चाहिए। हम शिकायत नहीं कर रहे हैं, केवल तथ्यों को रख रहे हैं। हमारे सामने ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है। हमारे जो मकान हैं, हमें तो बिना किराए का मिलता है या ऐसे किराए पर मिलता है जिसे किराया नहीं कहा जा सकता है। बिजली हो, पानी हो, दिल्ली में मैम्बर आफ पार्लियामेंट को जो सुविधा है उसमें कोई तकलीफ नहीं होती है। इसलिए हम बहस जरूर करें। लेकिन जब तक हमें खुद इसकी परेशानी नहीं होगी तो मेरी मान्यता है इस पर कोई बड़ी चीज करने की हिम्मत या इच्छा पार्लियामेंट की नहीं होगी। इसलिए बढ़ते दामों पर लगाम लगाने के लिए आपको दाम नीति लानी चाहिए। मैंने जो ठोस सुझाव दिए हैं इस पर आपकी राय इस बहस के दौरान जानना चाहूंगा।

आखिरी बात रोजगार और गरीबी के बारे में कहनी है। यह मेरी अपनी राय में सबसे बड़ी समस्या है कोई भी आर्थिक संकट की बहस करते समय। पिछले सत्र में प्रधानमन्त्री जी ने कहा था कि अगले सत्र में गरीबी पर बहस करेंगे क्योंकि गरीबी की मात्रा हिन्दुस्तान में क्या है, इसके बारे में अनेक सदस्यों ने प्रश्न उठाए थे। हम इस इन्तजार में थे कि इस बार गरीबी पर इस सदन में बहस होगी क्योंकि गरीबी की बहस आर्थिक संकट के साथ जोड़कर नहीं हो पाएगी। आर्थिक संकट में सारी चीजें आ जाएंगी। हिन्दुस्तान में गरीबी के जो आंकड़े हैं, कुछ आंकड़े पिछली बार इस सदन में कई सदस्यों ने

रखे थे, इस देश में पांच करोड़ लोग हैं जो 50 पैसे या उससे कम पर अपना दिन गुजारते हैं। वह बहस इस सदन में होनी आवश्यक थी और हम चाहेंगे कि बहस हो जाए।

वित्त मन्त्री 10 और 11 तारीख को इन्टरनेशनल लेबर आर्गेनाईजेशन में एक बहस की बैठक में मौजूद थे। उसमें आई० एल० ओ० द्वारा पेश किए गए दस्तावेजों में कहा गया कि आपकी नीतियां इंटरनेशनल मोनीटरी फंड के साथ जुड़ी हुई हैं। उनके चलते अगले दो सालों में, 93-94 तक हिन्दुस्तान में लगभग डेढ़ करोड़ लोग अधिक बेरोजगार हो जाएंगे। यह दस्तावेज हैं।

[अनुवाद]

श्री मनमोहन सिंह : कुछ व्यक्तियों ने अपने-अपने मत व्यक्त किए हैं। लेकिन इस बारे में कोई अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम सम्बन्धी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मेरे पास है एक दस्तावेज है। यह दस्तावेज अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन नई दिल्ली द्वारा परिचालित किया गया है। इन्हें 30 नवम्बर, 991 को तैयार किया गया था और उन्हें 10 और 11 दिसम्बर को हुए एक सम्मेलन में परिचालित किया गया था।

श्री मनमोहन सिंह : इन्हें कुछ व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत किया गया है, न कि मेरे द्वारा।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं मानता हूं, लेकिन इन्टरनेशनल लेबर आर्गेनाइजेशन का मोहर लगाकर यह दस्तावेज बंट गया।

[अनुवाद]

श्री मनमोहन सिंह : वास्तव में मैंने अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से अनुरोध किया था, क्योंकि अ० श्र० सं० को समाज सेवा क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त है। मैंने कहा था, "आप संगठन के साथ मिलकर काम कीजिए क्योंकि हम नीतियों के सामाजिक प्रभाव के बारे में बहुत गम्भीर हैं।" मेरे आग्रह पर ही अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने उसे आयोजित किया था।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : आपके इनीशेटिव पर बुलाए हुए सम्मेलन में ऐसे एक नहीं तीन दस्तावेज पेश हुए जिसमें बताया गया कि आपकी नीतियों के चलते हिन्दुस्तान में बेरोजगारी बढ़ेगी। वित्त मन्त्री जी के शब्द हैं, सोशल इम्पलीकेशन्स सोशल फाल आउट आफ दीज पालिसीज। बेरोजगारी की क्या-क्या बात बन सकती है, उसके बारे में आपने अभी सितम्बर महीने के अन्तिम सप्ताह में ऐलान किया है।

[अनुवाद]

अनिवासी भारतीय बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के साथ यहां आकर हमारे समूचे मत्स्य उद्योग को हस्तगत कर सकते हैं।

[हिन्दी]

हंड्रेड परसेंट इनवेस्टमेंट लगाकर वह उसे ले जा सकते हैं। इसका नतीजा यह हो रहा है कि हिन्दुस्तान में कम से कम 20 लाख परिवार इससे बेरोजगार हो जायेंगे। मछुआरे जायें कहां ? जब बहुराष्ट्रीय कम्पनियां बेड़े अपने लेकर आयेंगी, ऐसे में उनका कारखाना उस जहाज में होगा और वे 3-4 जहाजों से मछलियां पकड़ेंगे। हमने देखा है कि 20 लाख परिवार हमारे मछुआरों के केवल समुद्र के किनारे पर रहते हैं। वहां रहकर उनकी जिन्दगी बरबाद हो रही है।

एग्जिट पालिसी का क्या जिक्र करूं ? दस्तावेज जो आपने आई० एम० एफ० को दिया है, उसको आपने स्पष्ट नहीं किया है। मेरी यह मान्यता है कि आज जो कदम उठा रहे हैं, वह ठीक नहीं है। यह बात कल सप्लीमेंटरी डिमांड्स के वक्त भी आई थी। तथाकथित वालयंटरी रिटायरमेंट के नाम पर लोगों को निकालने का काम आपने शुरू किया है। आपके सामने कोई उपाय है, ऐसा नहीं लगता है, सिवाय इसके कि लोगों को आहिस्ता-आहिस्ता बहाल करें जिसको आप करने जा रहे हैं, यह स्थिति आज की नहीं है। बम्बई में कुछ समय पहले ढ़ाई लाख मजदूर काम करते थे मिलों में, आज मात्र 90 हजार मजदूर बाकी बचे हैं, बाकी सब बेरोजगार हैं।

पिछले हफ्ते की बात है। बम्बई महानगर पालिका में झाड़ू वालों की भर्ती होनी थी। बम्बई में कौन झाड़ू मारता है, उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या है, वह इस सदन के सामने कहने की जरूरत नहीं है। यूनियन की मांग थी कि मजदूरों के बच्चों को रोजगार देना चाहिए। मजदूरों के बच्चे वहां भर्ती होने के लिए गए थे। वहां क्या हुआ ? वहां पर पड़ोस के लोग हाथ में लाठी और भाला लेकर आए, भर्ती करने पर रोका लगाया और यह कह कर रोक लगाया कि अगर मजदूरों के बच्चों को भर्ती होना है तो हमारे बच्चे कहां जायेंगे ? यह हमारी नीति है, यह हमें कहां पहुंचा देगी, इसका अन्दाजा लगा सकते हैं. इसकी कल्पना हम कर सकते हैं।

नेशनल रिन्यूवल फंड की बात हमें जचती नहीं है। वर्ल्ड बैंक 5.0 मिलियन डालर नेशनल रिन्यूवल फंड के लिए देता है। जहां तक मेरी जानकारी और मालूमात है, यह पहली बार वर्ल्ड बैंक ने इस प्रकार से किसी मुल्क को एन० आर० एफ० के नाम पर 500 मिलियन डालर देने का काम किया यानी 1250 करोड़ रुपए देने का काम किया। मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि वर्ल्ड बैंक हिन्दुस्तान के नव-निर्माण के वास्ते हम को पैसा देने के लिए जा रहा है। अगर वह हमें 500 मिलियन डालर दे रहा है तो वह भी देख रहा है कि कहां-कहां इसका लाभ विदेशी तथाकथित मददगार जो हैं, इन्हीं के लिए हो रहा है या नहीं। इसलिए हम आपकी इस नीति से बहुत परेशान हैं।

आखिरी जुमला कह कर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। आज यहां पर एक प्रश्न था और प्रश्न था कि रोजगार का कैसे निर्माण करें। कोई सदस्य बोले कि आप सुझाव रखिए कि क्या होना है ? छितौनी-बगहा में रेल लाइन का निर्माण होना था, क्योंकि, उसके लिए जो पैसे जाने चाहिए

थे, वह पैसे न केन्द्र दे रहा है, न राज्य सरकारें दे रही हैं और छितौनी बगहा का काम ठप्प है और आज से सात दिनों में कोंकण रेलवे का काम ठप्प हो जाएगा। आज यहां पर सुबह प्रश्न था और प्रश्न में कहा गया, रेलवे मन्त्री की तरफ से कि पैसे देने का तो इन्तजाम हो चुका है लेकिन मोडेलिटीज का काम हो रहा है।

वित्त मन्त्री जी, आपने पिछले जुलाई महीने में डेढ़ सौ करोड़ रुपया रेलवे बाण्ड्स से लेना चाहिए और कोंकण रेलवे का काम चलना चाहिए, यह आपने आदेश दिया था लेकिन आपका रेल मन्त्रालय अभी तक उस पैसे के मामले पर मोडेलिटीज पर सोच रहा है और अगले हफ्ते में कोंकण रेलवे का काम ठप्प हो जाएगा। चूंकि जो पैसा राज्यों ने दिया था या बजट से जो पैसा गया था, वह पैसा खत्म हो जाएगा, मैं इसलिए इसका जिक्र कर रहा हूं कि यह रोजगार की योजनाएं हैं। जब रेल बनती है तो एक किलोमीटर रेलवे सीधे 25 लोगों को काम देती है। कोंकण की 835 किलोमीटर की रेल बने, छितौनी बगहा जुड़ जाए, वह पुल बन जाए और उत्तरी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश का रिश्ता हो जाए तो आर्थिक विकास का काम जो उस इलाके में होना है, उसकी कल्पना भी हम लोग नहीं कर सकते हैं आज। एक किलोमीटर रेलवे जहां 25 लोगों को सीधे काम देती है, उसका डाउन स्ट्रीम मिलाकर और उसमें 20 गुना ज्यादा काम मिलता है, एक आदमी के पीछे 20 लोगों को काम मिलता है और आज ऐसे काम पर सरकार रोक लगाकर बैठी है। आपकी तरफ से आदेश जाता है, रेल मन्त्रालय उस पर बैठ जाता है, अब किसकी कहां क्या वजह है, हम तो नहीं कह पाएंगे लेकिन मैं आज इस बात को छेड़ता हूं कि अगर रोजगार के उपाय चाहिए हों तो जहां उपाय बने हुए हैं, उन उपायों पर भी आज रोक लगाने का काम सरकार करती हुई, मुझे नजर आती है। मैं इसी के साथ यह भी चाहूंगा कि आपकी जो आज की नीति है, इस नीति से हम लोगों को हट जाना पड़ेगा। आपकी नीति से देश का कल्याण होगा, इस बात को मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं।

आन्ध्र प्रदेश के सदस्य यहां पर बैठे हैं। पिछले तीन महीनों में आन्ध्र प्रदेश में कम से कम 60 बुनकरों ने आत्महत्या कर ली है, आपकी नीतियों के चलते, क्योंकि, इन नीतियों ने वहां पर उनके रोजगार को खत्म कर दिया है। 60 लोगों ने आत्महत्या कर ली और लाखों लोग इस वक्त भूखों अवस्था में वहां पर बैठे हुए हैं और यह मेरी मान्यता है कि जहां मशीन का काम होना अनिवार्य है, वहां पर मशीन का काम हो लेकिन जहां पर हाथ से काम होना हो, जैसे कुल्हड़ बनाना कुम्हार का काम, जैसे मोची का काम, जैसे बुनकर का काम, इन लोगों के जो काम हैं, जिन क्षेत्रों में आज भी हम लोग करा सकते हैं, उन लोगों से उनको अपने कामों से वंचित करने का काम न हो जाए और अगर एक शब्द में उसको कहा जाए तो स्वदेशी और स्वावलम्बन की जो नीति, आजादी की लड़ाई से अगर रिश्ता जोड़ना हो तो लड़ाई से और देश के आर्थिक विकास के साथ उसको मद्देनजर रखकर देखना हो तो उसको मद्देनजर रखकर, लेकिन स्वदेशी और स्वावलम्बन की ओर अगर यह देश नहीं जाता है और वहां से हट जाने का अगर काम करता है तो, सभापति जी, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि इस देश का भविष्य, वित्त मन्त्री चाहे जो कहें, बिल्कुल ही अन्धकारमय है। वहां से इसको बचाने का काम हो जाए, यही प्रार्थना करके मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : महोदया, हम आज एक बड़ी ही निर्णायक स्थिति में हैं जहां

पर हम यह भी नहीं जानते हैं कि अर्थव्यवस्था कैसे चलाई जाए। सरकार ने एक नीति अपनाई है और सम्भवतः उन्हें यह भी विश्वास नहीं है कि वह नीति क्या है ? वे किसी तरह यह सोचते हैं कि ऋण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास जाने और जिन शर्तों का वह हमसे अग्रिम में पालन कराना चाहता है, उन पर चलने से ही हम इस स्थिति से बाहर निकल पाएगे। लेकिन हुआ यह है कि जिन वचनों के साथ सत्तारूढ़ दल सत्ता में आया है, उनमें से वह किसी को भी पूरा नहीं कर पाएगा। वे कीमतें कम करने में असफल रहे हैं। इस बात को वे मानते हैं। उनके अपने आंकड़े ही यह बात स्वीकारते हैं कि प्रति वर्ष 50 लाख रोजगार पैदा करने के मामले में वे उसके आसपास भी नहीं पहुंचे हैं। उन्होंने एक भी कदम तक नहीं उठाया है। इसके विपरीत, बेरोजगारी बढ़ी है और भविष्य में यह और बढ़ेगी। तस्वीर हमारे सामने बिल्कुल साफ है।

जहां तक मूल्य स्थिति का सम्बन्ध है, यह पहले ही बता दिया गया है कि नवम्बर, 1991 में मूल्यों में पिछले वर्ष अर्थात नवम्बर, 1990 के मूल्यों की तुलना में 14% की वृद्धि हुई है। वास्तव में यह मूल्य मोर्चे पर हो रही घटनाओं का बहुत थोड़ा लेखा जोखा है। हमारा वस्तुतः थोक मूल्य सूचकांक में हो रही घटनाओं से कोई लेना देना नहीं है; लेकिन हमें वास्ता उस बात से है जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को प्रभावित करती है। अक्तूबर, 1991 में इसे 223 बताया गया था। यही अद्यतन आंकड़े हैं जो मुझे प्राप्त हुए हैं। मुझे नहीं मालूम कि क्या ये बढ़ गए हैं। सम्भवतः, पिछले दो माहों में यह बढ़ गए हैं। मूल्य वृद्धि भारतीय आर्थिक स्थिति में स्थानिक रही है। यह न केवल 1991 की अवधि के दौरान ही बढ़ती रही है। मुझे विश्वास है कि सत्तारूढ़ दल का समर्थन कर रहे सदस्य और सत्ताधारी दल के सदस्य भी कांग्रेस दल के एक सदस्य के नाते इस बात का दावा करेंगे और इसे कहेंगे।

श्री देवी प्रसाद पाल ने दावा किया है कि जैसे कि देश आर्थिक मोर्चे पर जिन बुराइयों से घिरा हुआ है, वे जनता दल सरकार जिसका हमने समर्थन किया था, के शासनकाल की ग्यारह माह की अवधि के पापों का फल है। स्थिति यह नहीं है।

मेरे विचार से वित्त मन्त्री महोदय इस बात को तो मानेंगे ही कि कांग्रेस की 1985 से 1989 की पांच वर्ष की समूची अवधि में मूल्य बढ़ते रहे। मूल्यों में भारी वृद्धि हुई है। कभी मुद्रास्फीति दो अंकों में रहती है, तो कभी 10 प्रतिशत से थोड़ी कम—सम्भवतः आठ या नौ प्रतिशत। लेकिन प्रत्येक वर्ष यह रही है। हो सकता है, यह 1991 में बढ़ी हो; लेकिन यह उस सरकार का दोष नहीं था। यह बढ़ती ही रही है।

यह उस स्थिति में था कि कांग्रेस पार्टी ने यह कहते हुए अपना घोषणा-पत्र प्रस्तुत किया था कि वे सत्ता में आने के 100 दिन के अन्दर कीमतों को नियन्त्रित करेंगे। अब उन्हें स्पष्ट रूप से यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि वे अपने चुनाव घोषणा-पत्र में किए गए वायदों को पूरा करने में असफल रहे हैं। यदि वे यह स्वीकार करना चाहते हों, यदि वे औचित्य स्पष्ट करने का प्रयास करना चाहते हों तो उन्हें ऐसा करने दो। उन्हें पहले यह कहने दो कि हम स्थिति को नहीं समझ पाए थे अथवा हम उपाय नहीं कर पाए हैं। हमें इस बात को समझना चाहिए कि वे अब किस स्थिति में हैं।

हमें इस चर्चा में सरकार द्वारा दी गई किसी भी चीज से कोई सहायता नहीं मिली है। कल

वित्त मन्त्री ने निःसन्देह पेपरों का एक सैट दिया है। उनमें अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष को बताए गए इरादों का उल्लेख है जिससे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष ने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि जब तक रोजगार, मूल्य, राजस्व घाटे और मुद्रा नीति आदि के क्षेत्र में आपके इरादे इस-इस तरह के नहीं होंगे तब तक हम कुछ नहीं देंगे। इसलिए तदनुसार आप अपने इरादे बनाओ और हमें अपने पेपर दो। हो सकता है 27 अगस्त तक उन्हें अन्तिम रूप देने से पहले वे पेपर भारत सरकार के वित्त मन्त्रालय से विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के पास इधर-उधर कई बार गए हों।

लेकिन उससे पहले ऋण आना शुरू हो गया है। कुछ अन्तरिम ऋण अनेक रूप में आना शुरू हो गया है। स्पष्ट हैं कि कोई करार हुआ था और यह उसका अद्यतन रूप है जहां सरकार ने सभी आर्थिक कार्यक्रमों को यह कहते हुए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के समक्ष रख दिया है कि हम आपके इशारों पर चलते रहेंगे, कृपया अब हमें ऋण दे दो, आपने कुछ ऋण पहले भी दिया है, बाकी ऋण अब दे दो।

वित्त मन्त्री इस सभा में जो कुछ भी कहते हैं अथवा दावा करते हैं कि कई बार बातचीत हुई है—इसमें बिल्कुल भी सन्देह नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक दिन सुबह इस पत्र का प्रारूप तैयार किया गया हो और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष को भेज दिया गया हो। इसके लिए कितनी तैयारी की गई ? ? यह उन्हें बताने दो। उन्हें स्पष्ट करने दो। उन्हें इस सभा के समक्ष कबूल करने दो। क्या-क्या बातचीत हुई हैं ? हम नहीं जानते कि उन्हें क्या लिखा गया है। विभिन्न रूपों में क्या कहा गया है ?

(व्यवधान)

श्री मनमोहन सिंह : मुझे यह कहने मे कोई हिचकिचाहट नहीं है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के साथ बातचीत की गई थी और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष को दिया गया यह अन्तिम दस्तावेज है।

श्री अमल दत्त : अतः स्पष्ट है कि उसे एक सम्मत दस्तावेज भेजा गया था। हम बिल्कुल यही कहने का प्रयास कर रहे हैं। हमने ऐसा नहीं कहा था कि यह हमारी नीति है। हमने इस नीति पर निर्णय लिया हैं। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि यह हमारी नीति है। अतः आप हमें दे दें······

(व्यवधान)

श्री मनमोहन सिंह : यह सत्य नहीं हैं। वे हमारी नीतियां हैं। इस सभा में इन्हीं नीतियों पर चर्चा की गई है। बजट, औद्योगिक नीति तथा व्यापार नीति में इन्हीं नीतियों का सारांश दिया गया था। ये सभी बातें उन नीतियों का मात्र पुनर्विवरण है।

श्री अमल दत्त : यह सत्य है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : ये सभी बातें अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष से उचित परामर्श करने के पश्चात ही सामने आई हैं। हमने यही प्रश्न किया है। वह सब सत्य है। (व्यवधान)

श्री अमल दत्त : वास्तव में पत्र की अन्तिम दो लाइनें सभी बातों को स्पष्ट करती हैं। सब कुछ कहने के पश्चात् अन्त में उसमें यह दिया गया है कि :

"इसके अतिरिक्त सरकार किसी भी ऐसे उपाय जो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष की नीतियों के अनुरूप उपयुक्त होगा, को स्वीकार करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष से परामर्श करेगी।"

भारत सरकार नहीं, राष्ट्रीय और भारतीय नीतियों के अनुरूप नहीं बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष की नीति के अनुरूप। (व्यवधान)

श्री मनमोहन सिंह : श्री अमल दत्त, मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि आपकी पार्टी इस सम्बन्ध में जो कुछ हो रहा है, उसके बारे में बिल्कुल कुछ नहीं जानती। इसमें काफी सच्चाई हैं। मेरे विचार से आप लोगों को जो मार्क्सवाद में विश्वास रखते हैं, हर जगह षड्यन्त्र दिखाई देता है। आपके अनुसार आपकी पार्टी के अतिरिक्त सभी बेईमान हैं। मैं कहूंगा कि यह एक साधारण बात है। मुझे यह कहने में कोई शर्म महसूस नहीं होती कि भारत अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष का सदस्य है। हम प्रत्येक वर्ष अनुच्छेद 4 के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष से परामर्श करते हैं। आपकी सरकार—जिस सरकार को आपने समर्थन दिया था—भी परामर्श किया करती थी। मैं इससे आगे नहीं जाना चाहता कि पश्चिम बंगाल सरकार क्या करना चाहती है। मेरे विचार से आप अत्यधिक बोलने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री अमल दत्त : मैं नहीं जानता। हो सकता है कि मुझे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष और विश्व बैंक के तरीके की अच्छी तरह से जानकारी न हो। लेकिन मेरा विश्वास है कि मैं वित्त मन्त्री से अधिक नहीं बोल रहा हूं। (व्यवधान)

श्री मनमोहन सिंह : पश्चिम बंगाल सरकार क्या करना चाहती है, मैं वह भी आपको बताऊंगा।

श्री अमल दत्त : मैं नहीं जानता। (व्यवधान) निश्चित रूप से कुछ रहस्य प्रकट हुए हैं।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : वित्त मन्त्री ने हैरान करने वाला वक्तव्य दिया है। (व्यवधान)

श्री मनमोहन सिंह : आप चरित्र हनन कर सकते हैं। जब आप ऐसा कहते हैं तो यह आश्चर्यजनक लगता हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं इसे आश्चर्यजनक वक्तव्य तब कहता हूं जब आप हमें यह कहते हैं कि हमें हर जगह षडयन्त्र दिखाई देता है।

क्या यह उनका अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं का अध्ययन है कि षडयन्त्र नहीं होते? क्या यह उनका घटनाओं का अध्ययन है कि लेटिन अमरीका में जो कुछ हुआ है वह बिना किसी षडयन्त्र के हुआ है और क्या विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष ही एजेंसियां थीं? (व्यवधान) डा० सिंह आपको इन बातों की जानकारी होनी चाहिए।

एक माननीय सदस्य : दक्षिण-दक्षिण रिपोर्ट के बारे में क्या है? (व्यवधान)

श्री मनमोहन सिंह : यदि आपने यह पढ़ी होती तो आप यह सब नहीं कहते (**व्यवधान**) आपने इसे नहीं पढ़ा है। (**व्यवधान**)

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : वित्त मन्त्री महोदय, क्या मैं कुछ जानकारी प्राप्त कर सकता हूं ? क्या आपने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष और विश्व बैंक को प्रजातन्त्रीय बनाने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव किया है ?

श्री मनमोहन सिंह : हमने हमेशा यही कहा है कि सभी अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं को जारी रखा जाना चाहिए। हमारा हमेशा यही दृष्टिकोण रहा है।

श्री अमल दत्त : मैं नहीं जानता। (**व्यवधान**)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : इसका मतलब यह है कि आप यह स्वीकार करते हैं कि यह एक प्रजातान्त्रिक संस्था नहीं है। (**व्यवधान**) आप इसी बात को स्वीकार करते हैं। (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : कृपया श्री दत्त को अपनी बात जारी रखने की अनुमति दी जाए।

श्री अमल दत्त : मैं इस बात से अनभिज्ञ हूं जिसे कि वित्त मन्त्री जी ने बहुत अच्छी तरह बताया है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के सदस्य के रूप में भारत सरकार अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष से विभिन्न मामलों पर परामर्श करती है। इस बारे में मैं नहीं जानता कि भारत सरकार किस सीमा तक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष की सलाह लेती है और अन्य मामलों में इसे कहां तक कार्यान्वित करती है। यदि वे ऐसा करते हैं तो उन्होंने इस सभा को इससे अनभिज्ञ रखा है। काफी समय के पश्चात् हमें सुस्पष्ट वित्त मन्त्री से यह पता चला है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष से लगातार बातचीत अथवा सलाह होती रहती है। भारत सरकार ने उनकी सलाह ली है और तदनुसार अपनी नीतियां बनाई हैं और हम स्वयं कठिनाई की स्थिति में पहुंच गए हैं। यह बहुत अच्छी बात है कि काफी समय के पश्चात् अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष को दिए गए पत्र में आर्थिक संकट के प्रबन्ध के बारे में स्वीकार किया गया है और यही बात अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष को भेजे गए पत्र में दोहराई गई है। मैं उद्धृत करता हूं :

> "वित्तीय घाटे की व्यवस्था जिसने अनेक वर्षों से हमारी अर्थव्यवस्था को बन्धक रखा है, की प्रवृत्ति को बदलने के लिए हमने निर्णायक रूप से कार्य किया है। ये वित्तीय घाटे मुद्रास्फीति के मूल कारण हैं और निरन्तर भुगतान सन्तुलन घाटे के लिए भी उत्तरदायी हैं।"

इसलिए हम वर्ष-दर-वर्ष राजीव गांधी सरकार की आलोचना कर रहे थे और उस समय यहां बैठे हुए ये महानुभाव क्या कह रहे थे ? वे उस बजट का समर्थन कर रहे थे। वे उस घाटे का समर्थन और उसकी प्रशंसा कर रहे थे। और अब वित्त मन्त्री उनके बचाव के लिए आए हैं और यह कह रहे हैं कि ये मुद्रास्फीति के मूल कारण हैं। हमने इस सभा में विपक्ष की तरफ से ऐसा पहले कभी नहीं सुना है। यह सब ठीक है। आपने अपना दृष्टिकोण बदल लिया है। क्या आपने देश को बताया कि जहां तक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष की शर्त का सम्बन्ध है, सरकारी क्षेत्र का सम्बन्ध है, रूग्ण उद्योगों का सम्बन्ध है रोजगार अथवा बेरोजगारी का सम्बन्ध है, आपने दृष्टिकोण बदला है ? क्या आपने देश के लोगों को बताया है कि आपने इन सभी महत्वपूर्ण मामलों में अपना दृष्टिकोण बदल लिया है ? आपने उन्हें नहीं बताया है। महोदय, वे बताना ही नहीं चाहते। वे इन सभी नीतियों को छिपाना चाहते हैं वे कम से कम

अब उन्हें बताने के लिए आगे क्यों नहीं आते? निष्क्रमण नीति का क्या हो रहा है? क्या वे उस प्रयोजनार्थ अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष से धन लेने पर सहमत हो गए हैं? क्या उन्होंने यह बताया है कि वे क्या करने जा रहे हैं? नहीं! यह बताना उनके लिए अनर्थ होगा। इसलिए वे नहीं बतायेंगे। हमने अव-मूल्यन का विरोध किया था लेकिन इतना अधिक नहीं क्योंकि उस समय देश संकट में था। इसलिए हमने पूर्णतया विरोध नहीं किया। यह इसीलिए कि उस समय उन्होंने यह बताया था कि देश संकट में है। निःसन्देह हम नहीं जानते। हो सकता है कि मूल राशि पर ब्याज के भुगतान पर अन्तर्राष्ट्रीय बाध्यता में कोई चूक हो। फिर देश संकट में पड़ जायेगा। और फिर कोई भी ऋण नहीं देगा। हमें कोई अनुभव नहीं है। इस देश को इसका कोई अनुभव नहीं है। लेकिन मुझे विश्वास है कि वित्त मंत्री और यहां बहुत से लोग इस बात को जानते हैं कि बहुत से लेटिन अमरीकी देशों ने भुगतान करना बन्द कर दिया है। उन्होंने एकपक्षीय रूप से ही ऋण-स्थगन की घोषणा की है और वे पुनः अन्तर्राष्ट्रीय वित्त पोषण विश्व में वापिस आ गए हैं। इसलिए वहां कोई कठिनाई नहीं है।

श्री मनमोहन सिंह : आप सभा को यह भी बता दें कि इसके परिणामस्वरूप उन देशों के साथ क्या हुआ। उन्हें बहुत सी कठिनाई झेलनी पड़ी थी।

श्री अमल दत्त : वे देश वापिस आ गए हैं। मैं उनका इतिहास नहीं जानता। मुझे वित्त व्यवस्था अथवा अन्तर्राष्ट्रीय वित्त व्यवस्था में विशेषज्ञता प्राप्त नहीं है। (व्यवधान)

श्री निर्मल कांति चटर्जी : क्या आप हमें यह जानकारी देंगे कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष व अन्य ऋणी देशों के साथ क्या हुआ?

श्री मनमोहन सिंह : मैं निश्चय ही ऐसा करूंगा। (व्यवधान)

श्री अमल दत्त : उन्होंने अन्तर्राष्टीय मुद्राकोष को आश्वस्त कर दिया है; उन्होंने हमें यह आश्वासन इस कागज में दे दिया है कि वह मुद्रास्फीति से निपटने जा रहे हैं और इससे निपटने के साथ-साथ वह भुगतान सन्तुलन की स्थिति से भी निपटने जा रहे हैं। क्या वह ऐसा वित्तीय घाटा 8.4 प्रतिशत से नीचे लाकर 6.5 प्रतिशत करके करने जा रहे हैं? 6.5 प्रतिशत एक निर्णायक अंक है जिसे स्पष्ट रूप से कई स्थानों पर दोहराया जाता है। और वही इस वर्ष 1991-92, का लक्ष्य भी है? अगले वर्ष, यह केवल 5 प्रतिशत होने जा रहा है।

इसके साथ ही साथ, सरकार की सामाजिक बाध्यता का दूसरा हिस्सा जरूरतमन्द तथा गरीब लोगों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के प्रभावशाली प्रबन्ध के जरिए रोटी उपलब्ध कराना है। इस प्रयोजन के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सरल और कारगर बनाना होगा। लेकिन इसके अभी कोई भी लक्षण नहीं दिखाई पड़ते हैं। यद्यपि हम ऋण ले रहे हैं, लेकिन हमारी नजर में हमारे पास उपलब्ध विदेशी मुद्रा पर है जो 2600 करोड़ रुपए से बढ़कर 10,000 करोड़ रुपए हो गयी है—इस माह के अन्त तक इसके 0,000 करोड़ रुपए हो जाने की सम्भावना है। हमारी नजर इसी पर टिकी हुई है? लेकिन सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्या हुआ? क्या और गेहूं आ रहा है? कहीं पर कुछ इस तरह कहा गया था कि भारतीय खाद्य निगम से बाजार में और गेहूं उपलब्ध कराने के लिए कह दिया गया है। लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। कीमतें अभी भी बढ़ रही हैं। अतः, कार्यान्वयन बुरी तरह से शिथिल पड़ा हुआ है।

जहां तक कुछ अच्छा और सकारात्मक करने सम्बन्धी आपके उद्देश्यों का सम्बन्ध है, आपने क्या किया है ? जमाखोरों तथा मुनाफाखोरों को किस तरह दण्डित किया जा रहा है ? मैंने इन अखबारों से यह बयान निकाला है कि जमाखोरों तथा मुनाफाखोरों को दण्डित किया जाने वाला है। अभी तक किन जमाखोरों तथा मुनाफाखोरों को दण्डित किया गया है ? अभी तक कुछ भी तो नहीं हुआ है। सभी लोग तथा खासतौर से व्यापारी वर्ग, यह समझ रहे हैं कि यह सरकार व्यापारियों तथा उद्योगपतियों के प्रति नरम है । केवल यही नहीं, यह सरकार तो कर चोरी करने वालों के प्रति भी दयालु है ? इसीलिए, कर संग्रहण में वृद्धि करने में सक्षम होने का उनका एक कार्यक्रम होने के तथ्य के बावजूद भी वह ऐसा कर कर पाने में सफल नहीं हुए हैं । वे अपने लक्ष्यों से काफी पीछे हैं जिनका प्राक्कलन स्वयं उन्होंने ही किया था। क्या उन्होंने ये प्राक्कलन बिना कुछ सोचे समझे किए थे ? और अगर ऐसा नहीं है, तो फिर इसका क्या कारण है ? क्या यह बात इस सदन को जानने का अधिकार नहीं है ? यह कैसे हुआ कि अप्रैल से सितम्बर तक संग्रहीत किया गया अप्रत्यक्ष कर, उनके प्राक्कलन से 1900 करोड़ रुपए कम था ? उनका प्रत्यक्ष कर संग्रहण भी कम है । कितना कम है, यह मुझे नहीं पता, लेकिन दोनों का संग्रहण उनके प्राक्कलन से कम है। परिणामस्वरूप, 1990-91 का संशोधित बजट प्राक्कलन 10,772 करोड़ रुपए हो गया है । इसे 7,719 करोड़ रुपए तक स्थिर रखने की बात कही जाती थी। सितम्बर के अन्त तक, शायद ही यह 10,37 करोड़ रुपए से अधिक हुआ है ।

इसके उपचार का तरीका क्या है ? तरीका यही है कि खर्च में कटौती की जाए । आप कितनी कटौती कर सकते हैं ? लेकिन आप जो कर सकते हैं वह भी कर पाने में सक्षम नहीं हुए हैं । आप खर्च में कटौती करने में असफल क्यों हो रहे हैं ? सरकार ने पूर्व में बताया था कि खर्च में पांच प्रतिशत तक की कटौती की जाएगी । लेकिन मैं नहीं जानता कि किस सीमा तक इसे कार्यान्वित किया गया है ? सरकार के क्रियाकलाप से जो कुछ मैं देखता हूं उसमें लगता है कि वह इस पांच प्रतिशत कटौती को भी प्रभावी नहीं बना रही है । लेकिन विचार यही है कि खर्च में अभी और आगे कटौती की जाए । आप अपने घाटे को 6.5 प्रतिशत तक कैसे कम करेंगे ? आप अपने खर्च में कैसे कटौती करेंगे ?

श्री निर्मल कांति चटर्जी : सरकार के आकार में कमी करके ।

श्री अमल दत्त : वे चयनित उद्योगों में सरकार की इक्विटी लागत को हटाने जा रहे हैं । वे चयनित उद्योग कौन-कौन से हैं ? हम नहीं जानते हैं कि यह चयन कैसे और किस आधार पर किया जाने वाला है । उन्हें कौन खरीदने जा रहा है ? मैं सोचता हूं कि पारस्परिक कोष (म्युचुअल फन्ड) सर्वोत्तम तरीका है । पर मैं नहीं सोचता कि वे अन्य लोगों को आकर्षित करेंगे । तत्पश्चात् सी० सी० एस० को समाप्त किया जाएगा तथा चीनी, उर्वरक तथा इसी प्रकार की अन्य वस्तुओं को दी जाने वाली राजसहायता को या तो समाप्त किया जाएगा अथवा उसे कम किया जाएगा ।

यह एक लम्बी कहानी है । जो कुछ हुआ है, वह निर्णय न ले सकने वाली सरकार की विलक्षण प्रणाली के कारण हुआ है । उर्वरक राज सहायता की संगणना 1990—जुलाई से सितम्बर, 1990—में निवेश लागत के आधार पर की जा रही है । एक वर्ष से भी ज्यादा बीत चुके हैं । निवेश लागत के आधार पर उर्वरक सबसिडी की संगणना की जा रही है ? लेकिन उस आधार पर भी तो भुगतान नहीं किए जाते हैं । अतः, सरकार कई तरीकों से ध्यान बचा सकती है । वे ऐसी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले सकते है जिसको वे निभाते नहीं हैं । सरकार की लेखा प्रणाली ऐसी है कि वह बगैर भुगतान किए ही

उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेती जा सकती है। जब मुद्रा का भुगतान नहीं किया जाता है, तो उस मुद्रा की उस विशेष वर्ष के लिए बचत हो जाती है। इस आधार पर सरकार निश्चित रूप से आगे बढ़ती जा रही है।

उर्वरक के बारे में मेरे सामने एक ऐसा मामला आया जिसे मैंने उर्वरक विभाग तथा प्रधानमंत्री के साथ भी उठाया, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। सुपर फास्फेट को गरीब किसानों की खाद कहा जाता है क्योंकि इसके एक थैले की कीमत लगभग 65 रुपए है जबकि डी० ए० पी० तथा अन्य फास्फेट युक्त खादों की कीमत 200 रुपए प्रति थैला अथवा कुछ इसी प्रकार ही है। अत, 80 एककों में से, 65 एकक बन्द होने की कगार पर हैं और अन्य पहले ही सिर्फ एक निर्णय के कारण बन्द किए जा चुके हैं जो वित्त मन्त्रालय द्वारा विलम्बित किया जा रहा है। उर्वरक मन्त्रालय दावा करता है कि उन्होंने वित्त मन्त्री से परामर्श किया है जिन्होंने अपनी संस्तुति दे दी है। अतः, इन एककों को बन्द करना ही था। लेकिन हुआ क्या ? एक एकक द्वारा लगभग 35 टन फास्फेट युक्त उर्वरकों का उत्पादन किया जा चुका था। अतः, इस निर्णय के कारण समूचे उत्तर भारत के किसानों को हानि उठानी पड़ी। अंततोगत्वा, इनमें 80 एकक रुग्ण हो गए और उन्हें बन्द कर दिया गया। इस प्रकार की नीति का अनुसरण हमारी सरकार कर रही है।

हम सरकार से हमेशा अनुरोध करते रहे हैं कि वह चुनिन्दा नीति का अनुसरण करे। लेकिन वह चुनिन्दा नीति को स्वीकार करना ही नहीं चाहती है और अव्यवस्थित ढंग से सब कुछ करते रहना चाहती है।

सरकार की मुद्रा नीति ऋण पर कुछ अंकुश लगा रही है लेकिन पुन. बिना किसी चयन के। उन लोगों को भी जो निर्यात करने तथा मुद्रा अर्जित करने में सक्षम हैं—जो इस समय दुर्लभ मुद्रा के रूप में विदेशी मुद्रा अर्जन के लिए बहुत ही आवश्यक है—ऋण नहीं दिया जा रहा है। हमारी बैंकिंग प्रणाली ऐसी है कि हम पहले प्रत्येक ऋण पर कमीशन देने पर सहमत हुए बिना ऋण प्राप्त ही नहीं कर सकते हैं। इस तरह से वे इस नीति को क्रियान्वित करने जा रहे हैं। क्या वह उस अर्थव्यवस्था को समझ नहीं पाए हैं जो उन्हें अकले श्री वी० पी० सिंह से ही नहीं वरन श्री राजीव गांधी तथा श्रीमती इन्दिरा गांधी से उत्तराधिकार में मिली है ? इन सभी क्षेत्रों में पनपा भ्रष्टाचार केवल आज ही पैदाइश नहीं है। यह एक लम्बी अवधि का तथ्य है। मैं नहीं जानता कि वे इस नीति को कैसे क्रियान्वित करेंगे। यह सब सैद्धान्तिक है और कुछ भी क्रियान्वित नहीं किया जा सकता है।

हमने रक्षा व्यय के बारे में काफी बातचीत की है। हम जानते हैं कि रक्षा व्यय में, हम रक्षा आवश्यकताओं को प्रभावित किए बिना, भारी कटौती कर सकते हैं। हम बहुत सारा व्यर्थ का खर्च करते हैं तथा हमारे पास ऐसे बहुत सारे हथियार हैं जो बिल्कुल ही व्यर्थ हैं। 1987 में लोक लेखा समिति ने जगुआर विमानों की प्राप्ति के बारे में एक रिपोर्ट दी थी। करीब 1500 करोड़ रुपए उन पर खर्च किए गए थे। लोक लेखा समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची थी कि यह सारा धन व्यर्थ चला गया क्योंकि ये विमान पुराने पड़ चुके थे। इस तरह की खरीद है जिसे सरकार प्रोत्साहित करती है तथा जिसका समर्थन करती है। और अब उन्होंने एक और समझौता किया है जिसके अन्तर्गत करीब 1100 करोड़ रुपए की लागत से भारतीय रेलों के लिए विद्युत इंजनों की खरीद की जाएगी। मैं नहीं जानता कि वित्त मन्त्री महोदय क्या कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि उन्होंने भी इस पर अपनी स्वीकृति दे दी है

अथवा नहीं। लेकिन पिछले वर्ष, रेल मन्त्रालय में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारत के उन क्षेत्रों में जहां बिजली के ये इंजन चलाए जाने हैं बिजली का उत्पादन इतना कम है कि उन्हें चलाने के लिए वहां पर्याप्त रूप से विद्युत उपलब्ध नहीं हो पाएगी लेकिन वे फिर भी उन्हें खरीदने जा रहे हैं क्योंकि उसमें उन्हें कमीशन जो मिलेगा।

सरकार देश के अन्दर लोगों को ब्याज के भुगतान में विलम्ब की घोषणा करके तथा अन्य कई साधनों द्वारा इस वित्तीय घाटे को भी कम कर सकती थी। क्यों नहीं कर सकती थी? आप कहते हैं कि आप इस वर्ष भुगतान नहीं कर सकते हैं तथा ये भुगतान अगले वर्ष करेंगे। आप कहते हैं कि आप इन भुगतानों को पुनर्निर्धारित करेंगे। उन्होंने ऐसा नहीं किया है। उन्होंने इसके बारे में सोचा भी नहीं है। क्योंकि यह वह वर्ग अथवा समूह है जो उनके समर्थक हैं······

श्री मनमोहन सिंह : श्री अमल दत्त जी, ब्याज भुगतान का एक बहुत बड़ा भाग वित्तीय संस्थाओं, बैंकों तथा बीमा कम्पनियों को जाता है। यदि इस सुझाव का अनुसरण किया जाता है तो ये सभी रूग्ण हो जाएंगी तथा सभी प्रणालियां ढह जाएंगी।

श्री अमल दत्त : समस्त प्रणाली पहले ही रुग्ण है। हम कर अपवंचन के और बैंकों द्वारा कपटी कम्पनियों को धन उधार देने के एक के बाद एक मामले सामने लाए हैं। उन्होंने क्या किया? हर सप्ताह, हम उन्हें ज्ञापन देते रहे थे। लेकिन उन ज्ञापनों का क्या हुआ जिन पर केवल एक संसद सदस्य के नहीं, बल्कि दस-बारह संसद सदस्यों के हस्ताक्षर थे? उत्तर यह दिया जाता है "यह विचाराधीन हैं।" छह माह बाद सभी भूल जाते हैं। लेकिन सरकार क्या कर रही है? हमने एक कम्पनी के सम्बन्ध में ज्ञापन दिया था जिसके बारे में आठवीं लोक सभा में काफी उत्तेजना फैल रही थी, अर्थात इस कम्पनी को प्रोग्रेसिव कंसट्रक्सन कम्पनी कहा जाता है। उस कम्पनी में बैंकों से कई सौ करोड़ रु० लिए है। उन्होंने बैंकों को धोखा दिया है, आयकर को धोखा दिया है तथा कार्य नहीं किया है। ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि वह प्रोग्रेसिव कम्पनी थी। चार या पांच माह पहले, मेरे विचार से इस सरकार द्वारा सत्ता संभालने के तुरन्त बाद, एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था। संसद में प्रश्न विगत सत्र और इस सत्र के दौरान भी पूछे गए हैं। सदैव यही उत्तर आता है कि 'जांच चल रही है।' जांच कितनी लम्बी चलेगी? इस बहाने, इस तरह धोखाधड़ी करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। केवल यहीं नहीं, उनको प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। उनमें अच्छे सम्बन्ध हैं। अतः, उनको सरकार में प्रोत्साहन दिया जा रहा है। वे व्यक्ति जिनके सत्ताधारी दल में कतिपय सम्बन्ध है, उनको अधिक निर्माण कार्य प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। उन्होंने हाल ही में 300 करोड़ रुपए का एक निर्माण कार्य प्राप्त किया है और उन्होंने संग्रहण अग्रिम धनराशि या उसी तरह की कुछ 50 करोड़ रुपए की धनराशि प्राप्त की हैं। इन व्यक्तियों को तो सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है और वे बचत कहां से करेंगे? बचत करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है।

वे कहते हैं कि अवमूल्यन से हमारे निर्यात में वृद्धि और आयात में कमी होगी। आयातों को कम करना ही घटित हुआ है। निर्यात से कमाई में वृद्धि नहीं हुई है बल्कि इसमें कमी हुई है। क्योंकि, वे जो कुछ पहले से ही खरीद रहे हैं, उससे अधिक हमारे उत्पादनों को नहीं खरीद रहे हैं। मात्रावार, वे अब केवल कम कीमत प्रदान कर रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप, हमें वस्त्रो के निर्यात, हीरे और जवाहरात के निर्यात और विभिन्न अन्य निर्यातों से कम धन प्राप्त हुआ है। इन दो मदों को मैंने समाचारपत्रों में देखा था।

सभापति महोदय : श्री दत्ता, क्या आप अपना भाषण समाप्त कर रहे हैं या और आगे जारी रखेंगे ।

श्री अमल दत्त : मैं जारी रखूंगा । **(व्यवधान)**

7.00 म० प०

मैं अपना भाषण आज समाप्त करने की अपेक्षा कल जारी रखना पसन्द करूंगा ।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : सभा ने यह निर्णय किया है कि आज हम देर तक बैठेंगे और इसे समाप्त करेंगे ।

अनेक माननीय सदस्य : नहीं ।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) **:** यह निर्णय किया गया था कि आज हम 7 बजे तक बैठेंगे और कल तब तक जब तक यह समाप्त होगा **(व्यवधान)**

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : मुझे खेद है, मैं इसे पूर्णतया स्पष्ट करना चाहता हूं । यदि सभा अब स्थगित होती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है । लेकिन, तब अन्य दलों के सदस्यों को भी यह समझ लेना चाहिए कि यदि सभा अब स्थगित होती है, तो निश्चय ही ये समस्त सार्वजनिक क्षेत्र की बहस से वंचित हो जाएंगे । **(व्यवधान)**

अनेक माननीय सदस्य : नहीं ।

7.02 म० प०

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : यदि आज आप इस पर बहस समाप्त नहीं करना चाहते हैं तो अध्यक्ष महोदय कृपया इसका निर्णय करेंगे । माननीय सदस्य आज इसको समाप्त नहीं करना चाहते हैं । मैं इसमें असहाय हूं । **(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य : यह निर्णय किया गया था कि आज हम 7 बजे तक बैठेंगे और कल इसके समाप्त होने तक ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया यह समझ लें कि ये विषय विधि और व्यवस्था की स्थिति, आर्थिक स्थिति, औद्योगिक नीति और विदेश मन्त्रालय की नीति के सम्बन्ध में चर्चा के विषय सदस्यों के कहने पर लिए गए थे । और इसके अतिरिक्त, हमें कतिपय विधेयक पास करने हैं जो अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं; और सदस्य चाहते हैं कि वे विधेयक पास किए जाने चाहिए ।

अब, यदि आप सहयोग नहीं करेंगे, तो अन्य विषयों पर चर्चा करना सम्भव नहीं होगा । या तो आप सहयोग करके सभी विषयों पर चर्चा कर सकते हैं या यदि आप सहयोग नहीं करते हैं, तो केवल कुछ ही विषयों पर चर्चा करें । क्रिसमस के कारण सत्र को बढ़ाना संभव नहीं है । उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के

सदस्य नहीं चाहते कि इसे बढ़ाया जाए। अन्यथा हम निश्चय ही इसे बढ़ाते। इसलिए आपको यह समझ लेना चाहिए कि मुद्दों को दोहराया न जाए। कृपया जितना आवश्यक हो उससे अधिक समय न लें; और दल एक या दो सदस्यों के नाम दें जो प्रश्न उठा सकें और तब उत्तर पा सकें। अन्यथा, यह संभव नहीं है; अब यदि संभव होता तो, निश्चय ही हम जो कुछ आप चाहते वही करते; लेकिन एक दिन को 24 घंटे से अधिक बढ़ाना संभव नहीं है; स्थिति यह है।

यदि सभा यह चाहती है कि हमें केवल इसी पर चर्चा करनी है, तो हम वैसा कर सकते हैं; इसमें कोई कठिनाई नहीं हैं।

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : यह निर्णय किया गया था कि सभा इस विषय पर सांय 7 बजे तक चर्चा करेगी।

अध्यक्ष महोदय : हां; ऐसा आप की सुविधा के लिए किया गया था। पीठासीन अधिकारी नहीं बोल रहे हैं और न ही मंत्रीगण बोल रहे हैं। केवल सदस्य ही बोल रहे हैं।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : महोदय, क्योंकि यह एक अत्यधिक गम्भीर विषय है और कई व्यक्ति इस पर बोलना चाहते हैं, हम उनको कल समय दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : कौन सा विषय गम्भीर नहीं है? क्या विदेश मामलों सम्बन्धी बहस गम्भीर नहीं है?

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : यथाशीघ्र भाषणों को समाप्त करने के लिए दबाव रहेगा?

अध्यक्ष महोदय : मैं अपने चैम्बर में यह वाद-विवाद सुन रहा था। मान लो, यदि अन्य सदस्यों को समय नहीं दिया जाए तो यह बड़ा मुश्किल है। अन्य सदस्य शिकायत करेंगे। लेकिन अब मेरा अनुरोध यह है कि, समझौता के रूप में, श्री अमल दत्त को अपना भाषण समाप्त करने दें। हम कल के लिए सभा को स्थगित करेंगे। लेकिन मैं दलों के नेताओं से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि वे यह देखें कि उनके सदस्य उन मुद्दों को न दोहराएं जो पहले ही यहां उठाएं जा चुके हैं, ताकि एक या दो सदस्य बोलें और माननीय वित्त मन्त्री उसका उत्तर दें और हम किसी अन्य विषय को भी ले सकते हैं। अन्यथा, हमें अन्य विषयों को छोड़ना पड़ेगा जिन्हें बहस के लिए निर्धारित किया गया था।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : यदि कोई नई बात कही जाती है, तो उन्हें कहने पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप नई बात कह रहे हैं, तो मैं उसे अवरुद्ध नहीं करूंगा और मैं पीठासीन अधिकारियों से भी उसे न रोकने के लिए कहूंगा।

श्री अमल दत्त : इसका निहित अर्थ यह हुआ कि वह नई बात नहीं कहता है।

श्री ई० अहमद (मजेरी) : यदि कोई समयसीमा है, और यदि अध्यक्षपीठ यह कहे कि सदस्य को केवल उस समयसीमा में ही बोलना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री अहमद से सहमत हूं। लेकिन सदैव सदस्यों को अपना भाषण समाप्त करने के लिए कहना अच्छा नहीं लगता। अब श्री अमल दत्त।

श्री अमल दत्त : वे विभिन्न उद्देश्य जिनके कारण सरकार ने अवमूल्यन किया था, उनमें से कौन से अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से धन प्राप्त करने में सफल रहे हैं ? अन्य को असफल नहीं कहा गया है। हम निर्यात बढ़ाने में सक्षम नहीं रहे हैं। लेकिन आयात कम किए गए हैं। इनमें से एक कारण है डालर या विदेशी मुद्रा के मूल्य में वृद्धि है जिससे आयात काफी महंगे हो गए हैं। लेकिन, उसमें अतिरिक्त, आयातों को कम करने में देश के अन्दर सरकार की ऋण नीति सक्षम रहीं है। अब ऋण पत्र उपलब्ध नहीं है, ऋण-पत्र सौ प्रतिशत लाभ को सिवाय, खोले नहीं जा सकते हैं। विदेशी मुद्रा भण्डार में इसी तरह से वृद्धि हुई है, इसलिए नहीं कि निर्यात में वृद्धि हुई है लेकिन इसलिए कि आयातों में कमी की गई है, यदि हम अपनी घरेलू मौद्रिक नीति द्वारा आयातों को कम कर सके हैं, तो उसे अवमूल्यन किए बिना भी अपनाया जाना चाहिए था।

मैं यह बात कहना चाहता हूं और मैं चाहूंगा कि वित्त मन्त्री महोदय इस बात को समझें कि निर्यात में वृद्धि क्यों नहीं हुई है। मैंने स्वयं इसका व्यक्तिगत अध्ययन किया है।

इस विषय पर मैंने उच्चायुक्त से, लंदन में रहने वाले अपने लोगों से, उच्चायोग से और वाणिज्यिक सहचारी से भी बात की थी। सभी मेरी इस बात से सहमत थे कि रुपए का मूल्य कम करके अधिक निर्यात संभव नहीं है क्योंकि व्यापारी बाजार में 500 प्रतिशत का मिर्यात करना चाहते हैं। अगर आप किसी चीज का निर्यात 100 रु० में करते हैं तो वे उसे 500 रु० में बेचेंगे, उससे कम में नहीं। अवमूल्यन से यदि आप 100 रुपए की बजाय कीमत को कम करके 80 रुपए कर दें तब भी उनकी कीमत 500 रुपए अथवा उसके लगभग ही रहती है। इससे मार्किट में कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि व्यापारियों की बिक्री का ढंग ही ऐसा है। इसकी अतिरिक्त कीमतें इतनी बढ़ रहीं हैं कि आप प्रगति नहीं कर सकते। दूसरे देशों के लोगों ने अपने निर्यात को अवमूल्यन करके नहीं बल्कि व्यापार करने के तरीकों को अपना कर बढ़ाया है। वही जापानियों ने किया है और अब वही कोरिया के लोग कर रहे हैं। परन्तु वह भारतीय कार्यक्रम में बिलकुल नहीं है। विदेशी बाजार में किस प्रकार पहल करनी है, इसका पता नहीं है और न ही यह स्पष्ट है। हममें आपसी समझ नहीं है।

वस्तुतः, हमारे देश से सबसे अधिक निर्यात चाय का होता है। हमने चाय निर्यात सम्बन्धी समस्याओं की जांच की है। वर्ष 1951 में चाय का निर्यात 200 मिलियन किलोग्राम था और 1981 में भी 200 मिलियन किलोग्राम था। 40 वर्ष पूर्व 200 मिलियन किलोग्राम चाय की तुलना में वर्ष 1951 में केवल 80 मिलियन किलोग्राम चाय का निर्यात ब्रिटेन को किया गया था। ऐसा क्यों हुआ था ? ऐसा इस कारण हुआ क्योंकि भारत सरकार चाय बोर्ड के जरिए अन्धाधुन्ध चाय के निर्यात को बढ़ावा दे रही थी। वह क्या कर रहे थे ? वह भारत की चाय का प्रचार कर रहे थे। वह इसे व्यापार मेले और हर जगह ले जा रहे थे और भारतीय चाय मुफ्त में पिला रहे थे। मैंने पूछा कि गृहणी जिसे भारतीय चाय पसंद है, किस तरह पंसारी की दुकान पर जाकर भारतीय चाय की मांग करती है। उन्होंने कहा और कोई रास्ता नहीं है। इस पर किसी ने विचार नहीं किया। वाणिज्य सचिव ने इस पर विचार नहीं किया, चाय बोर्ड के चेयरमैन ने उस पर विचार नहीं किया। किन्तु, वे ब्रिटेन के लोगों में भारतीय चाय के प्रचार के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रहे थे। उसका कोई ब्रांड नाम नहीं है। वे ब्रांड की

मांग नहीं कर सकते थे। अतः, वे कैसे भारतीय चाय की पहचान करेंगे ? कोई भी पनसारी और व्यक्ति इस बात की परवाह नहीं करता कि बिना ब्रांड के वस्तुओं को कैसे बेचा जाता है। इस प्रकार, यह अस्पष्ट है, भारत में विपणन की बात स्पष्ट नहीं है। इसलिए, अवमूल्यन से कभी भी निर्यात नहीं बढ़ाया जा सकता।

अब मैं अनिवासी भारतीयों से पूंजी आकर्षित करने की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। उसे क्या हुआ ? ब्रिटेन, अमरीका और कनाडा में अनिवासी भारतीयों को उनके बैंकरों ने बताया है कि भारत में जोखिम काफी अधिक है। यदि भारत आपको 12 प्रतिशत ब्याज दे रहा है तो उसमें से आप 5 प्रतिशत जोखिम का अलग निकाल दें। तब यह 7 प्रतिशत होता है। आपको इतना अमरीका और कनाडा में भी मिल रहा है। ब्रिटेन में आप इससे भी ज्यादा ले रहे हैं। तो आप भारत क्यों जाते हैं ? इस प्रकार वहां जोखिम है। इसे कैसे दूर किया जा रहा है ? प्रश्न केवल यही नहीं है कि हमारे पास कितनी विदेशी मुद्रा का भण्डार है क्योंकि वह कभी भी खर्च हो सकता है। प्रश्न तो देश की समस्त राजनैतिक स्थिति, समस्त आर्थिक स्थिति से भी जुड़ा है। वे अल्प कालीन, मध्यम कालीन के लिए नहीं कह रहे हैं। वे ऐसा करने में विफल रहे हैं। वे अनिवासी भारतीयों को डालर अथवा पौंड अथवा अच्छी ब्याज दरें देकर भारत में विदेशी मुद्रा आकर्षित करने में समर्थ नहीं हैं। यही वह चीज है जिसे हमने पिछले वर्ष खो दिया है जिसे हम पुनः प्राप्त कर सकें। इसे हमने नहीं बनाया है। यही मध्यपूर्वी देशों में रहने वाले भारतीयों द्वारा भेजा गया धन है। इराक की लड़ाई के कारण इसे छोड़ दिया गया और इसे पुनः स्थापित किया जा रहा है क्योंकि भारतीय जा रहे हैं, उनके लिए यह बात मायने नहीं रखती कि उस देश में वे कैसा जीवन जियेंगे। वे जा रहे हैं और अपना धन वहां से भेजेंगे। इस प्रकार उस तरह से सरकार की विदेशी मुद्रा सम्बन्धी स्थिति में कुछ राहत पहुंचेगी।

यह सरकार इसका सामना कैसे करेगी ? आई० एम० एफ० रिपोर्ट के अनुसार, जिस पर विश्वास करना होगा, सच्चाई यह है कि 1981 से लेकर 1989 तक के आठ वर्षों के दौरान भारत से 28 बिलियन डालर बाहर गए हैं। यह राशि निर्यात के सम्बन्ध में कम और आयात के सम्बन्ध में ज्यादा मूल्यों के रूप में बाहर गई थी। इस प्रकार व्यापारी अपना धन बाहर निकालते हैं। वे अपना धन बाहर क्यों निकालते हैं ? इसलिए, क्योंकि वे ज्यादा सुरक्षित हैं। वे सोचते हैं कि उनका धन विदेशों में अधिक सुरक्षित है। उस प्रवृत्ति का सामना वह कैसे करेंगे ? यही वह प्रवृत्ति है जो यूरोप में पहुंच गई है। प्रत्येक देश इससे कुछ हद तक और सबसे ज्यादा तीसरे विश्व के देश प्रभावित हुए हैं। लोगों को तीसरे विश्व के देशों द्वारा अपना धन इसमें लगाने पर विश्वास नहीं है। वे अपना धन बाहर निकालते हैं। और फिर वे यूरोप के कुछ बैंकों में जाते हैं। वहां पर वे अपना धन अमरीका तक पहुंचाने का माध्यम चुनते हैं और वहां से हमारा धन अमरीका पहुंच जाता है जोकि 28 बिलियन डालर है। यह एक महत्वपूर्ण अंश है जिसकी अमरीकी सरकार आज मांग कर रही है क्योंकि यूरोप की इस यूरो-डालर व्यवस्था ने गुमनामी ला दी है। सातवें दशक के अन्त से बैंक ने तीसरे विश्व के देशों को धन, पेट्रो-डालर व अन्य भेजना शुरू कर दिया था। गुमनामी देने और उच्च प्राप्तियों की इस व्यवस्था के विरुद्ध वह कैसे लड़ेंगे ? इस तरह कई लोगों ने धन बाहर निकाला है। हम स्विस बैंक की बात करते हैं। स्विस बैंक ज्यादा सुरक्षा प्रदान करते हैं क्योंकि ये यूरो डालर बैंक जैसे बैंक आफ क्रेडिट एण्ड कामर्स, कभी-कभी अपने चहेते को इस तरह अन्धाधुन्ध ऋण देने के कारण समाप्त हो जाते हैं। न केवल व्यापारी अपितु तीसरे विश्व के राजनीतिज्ञ भी अपना धन निकाल रहे हैं। स्विस बैंकर्स खुश हो सकता है। मैं नहीं जानता, अपने पास इतना अधिक धन आने से उन्हें खुश होना ही चाहिए। किन्तु वहां के लोग

बहुत खुश नहीं हैं । हाल ही के प्रकाशन में उन्होंने कहा कि* ने स्विटजरलैंड में 27 बिलियन डालर अथवा इसके लगभग की राशि जमा की है । परन्तु अन्य लोगों ने भी धन निकाला है । वह कहते हैं*

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अन्य लोगों के नामों का उल्लेख न करें । इसकी अनुमति नहीं है । आप इस देश में दूसरे देशों के राष्ट्रपतियों के नामों का उल्लेख नहीं कर सकते । उसकी अनुमति नहीं है । इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।

श्री अमल दत्त : और उन्होंने बताया है···*····2.5 मिलियन फ्रैंक जमा करने पर···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नाम कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे ।

(व्यवधान)

श्री अमल दत्त : इन सभी नेताओं के यहां चित्र हैं···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह तो बहुत ही अनुचित है···

(व्यवधान)

श्री अमल दत्त : वह इसे दोबारा होने से कैसे रोकेंगे ? इसे रोकने का क्या तरीका है ? यह स्विटजरलैंड की एक बहुत प्रसिद्ध पत्रिका है और यह इस पत्रिका में प्रकाशित हुआ है । मैं उन्हें यह दिखा सकता हूं । यदि वह चाहते हैं तो उन्हें इस पत्रिका के विरुद्ध कार्यवाही करने दी जाए···**(व्यवधान)**

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : महोदय, क्या हम इस तरह की बातों के लिए समयोपरि बैठ रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री अमल दत्त : मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी सारी या काफी कुछ व्यथा इस धन को पुन: प्राप्त करने से शांत हो जाएगी । आज देश इस तरह की बातों के कारण ही दु:ख भोग रहा है···

(व्यवधान)

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : महोदय, इस तरह के भाषण के लिए अतिरिक्त समय तक बैठना उचित नहीं है···**(व्यवधान)**

श्री अमल दत्त : मैं कह रहा हूं कि यह इस पत्रिका में प्रकाशित हुआ है । यदि वह यह वादा करें कि इसे दोबारा होने से रोकेंगे तो मैं उनका समर्थन करूंगा···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया एक मिनट । परम्परा यह है कि हम उन व्यक्तियों के विरुद्ध यहां आरोप नहीं लगाते जो यहां उत्तर देने के लिए उपस्थित नहीं है और यह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं होगा ।

श्री अमल दत्त : मैंने कोई आरोप नहीं लगाए हैं । मैं दिखा रहा हूं कि वे यह कह रहे हैं । भारत सरकार को चाहिए कि इस पत्रिका के विरुद्ध कार्यवाही करे···**(व्यवधान)**

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

अध्यक्ष महोदय : आचार्य महोदय, आपको उनके लिए वकालत करने की जरूरत नहीं है···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब आप शांत हो जाएं। हमने इस वाद-विवाद का आयोजन नीतियों पर चर्चा करने, परामर्श देने और आलोचना भी करने के लिए किया गया है, न कि आरोप लगाने के लिए जिसे इस सभा में नहीं लगाया जाना चाहिए। यदि आप विदेशी महानुभावों का आदर नहीं करते हैं, यदि आप उन लोगों का आदर नहीं करते हैं जो आपके आरोपों का सही उत्तर देने के लिए यहां उपस्थित नहीं हैं, तो यह सही नहीं है···

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुत्तेमवार जी, आप बात को क्यों बढ़ा रहे हैं। मैंने उपचारात्मक कार्यवाही की है। हां तो, श्री अमल दत्त जी, क्या आपने अपनी बात समाप्त कर ली है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री अमल दत्त जी, क्या आपने भाषण समाप्त कर लिया है ?

(व्यवधान)

श्री अमल दत्त : मैं यह जानना चाहता हूं कि वित्त मन्त्री महोदय का व्यापारियों द्वारा विभिन्न साधनों के जरिए देश से धन ले जाने से रोकने के लिए क्या कार्यक्रम है। वित्त मन्त्री महोदय का राजनीतिज्ञों और नौकरशाहों द्वारा देश से धन बाहर ले जाकर उसे स्विस बैंकों तथा अन्य सभी यूरोपीय बैंकों में छिपाने से रोकने के लिए क्या कार्यक्रम है ? सरकार की क्या नीति है ? आपने क्या कदम उठाए हैं ? आपकी क्या नीति है ? यह 28 बिलियन डालर का मामला है—यह अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की अपनी रिपोर्ट है। **(व्यवधान)** इसे रोकने के लिए आपका क्या कार्यक्रम है ? यदि आप यह नहीं कर सकते हैं, तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। आपकी सभी नीतियां बेकार हो जाएंगी। मुझे इतना ही कहना है। **(व्यवधान)***

अध्यक्ष महोदय : इस तरह का कुछ भी रिकार्ड कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : सभा बुधवार 18 दिसम्बर, 1991 को 11 बजे म० पू० पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

7.22 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार 18 दिसम्बर, 1991/27 अग्रहायण, 1913 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

———

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

मुद्रक : दि इण्डियन प्रेस, देहली।

पी.एल.एस. 48/14/5/91 (एन०)
225

© 1991 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों (सातवां संस्करण)
के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और
प्रबंधक प्रिन्टवेल प्रिंटर्स, 126, पटपड़गंज, दिल्ली-110091 द्वारा मुद्रित